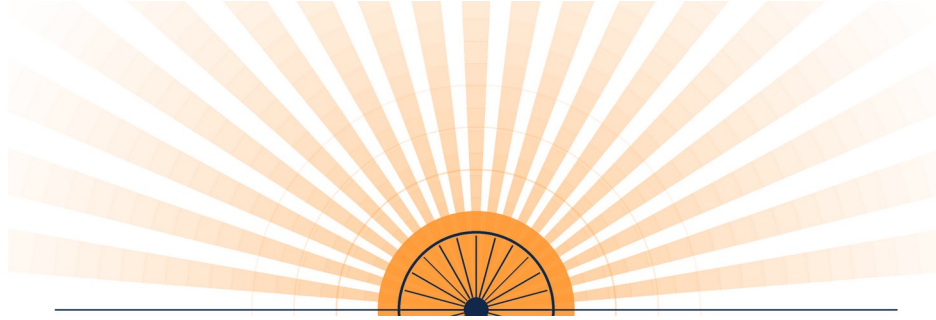




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“झूठ उड़ता है, और सच लँगड़ाता हुआ उसके पीछे आता है; इसलिए जब तक लोगों का भ्रम टूटता है, बहुत देर हो चुकी होती है; तमाशा खत्म हो चुका होता है, और क्रिस्सा अपना असर कर चुका होता है।”

— जोनाथन स्विफ्ट, ‘द एग्जामिनर’, अंक 14, 9 नवंबर 1710

द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 29 सितंबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan · 29 सितंबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“ईश्वरालु मन के लिए हवा-से हल्की छोटी-छोटी बातें भी धर्मग्रंथ के प्रमाणों जितनी पक्की पुष्टि बन जाती हैं।”

— विलियम शेक्सपियर (इआगो का कथन) • ‘ऑथेलो’, अंक 3, दृश्य 3 (रचना लगभग 1603–04; पहला प्रकाशन 1622)

उपयोग करें (Use in): अफवाह और विश्वास (आज की खबर कि उज्जैन में झड़पें और पंजाब के दो विश्वविद्यालयों में हिंसा AI से बने वीडियो और असत्यापित संदेशों से भड़की, और यह निष्कर्ष कि AI छवि-मॉडल एक एकतरफा अभिलेखागार से सीखकर जातिगत रूढ़ियाँ दोहराते हैं)। इसका उपयोग सत्य, भरोसे और प्रौद्योगिकी पर निबंधों में, और भ्रामक सूचना तथा आंतरिक सुरक्षा पर GS2/GS3 के उत्तरों में करें: अफवाह को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सुनने वाले का डर या पूर्वाग्रह खुद प्रमाण गढ़ लेता है, इसलिए घटना के बाद की तथ्य-जाँच कभी पर्याप्त नहीं होती। तर्क दें कि प्रशासन समय रहते और साफ़ शब्दों में सूचना दे, प्लेटफॉर्म पर फ़ॉरवर्ड-सीमा और कृत्रिम मीडिया पर लेबल जैसी रुकावटें हों, श्रेया सिंघल (2015) के अनुरूप उकसावे वाली सामग्री विधिसम्मत ढंग से हटाई जाए, AI मॉडलों का पूर्वाग्रह-ऑडिट हो, और विद्यालयों में मीडिया साक्षरता पढ़ाई जाए।

“राज्य अपनी नीति का, विशिष्टता, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से... समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।”

— भारत का संविधान • अनुच्छेद 39(ख), भाग 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व)

उपयोग करें (Use in): दुर्लभ संसाधनों और उनसे होने वाले लाभ का बँटवारा (आज का CAG निष्कर्ष कि ओडिशा के ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन ने ₹2,578.73 करोड़ एक ऐसी श्रेणी में खर्च किए जिसे नियमों ने कभी बनाया ही नहीं, और महानदी पर ओडिशा-छत्तीसगढ़ वार्ता, जबकि मानसून लगभग 12% कम रहकर समाप्त हुआ है)। इसका उपयोग अंतरराज्यीय नदी जल विवादों और अनुच्छेद 262 पर GS2 के उत्तरों में, खनन, DMF और PMKKKY पर GS3 के उत्तरों में, और अभाव तथा न्याय पर निबंधों में करें: संविधान चाहता है कि संसाधनों का वितरण सामूहिक हित के लिए हो, अर्थात् जो खनन या कमी की कीमत चुकाते हैं, वे सबसे पहले आएँ। तर्क दें कि सूखे वर्ष से पहले ही संकट-काल के बँटवारे का सूत्र तय हो, जलाशयों और कृषि-खातों के आँकड़े सार्वजनिक हों, और पेसा (PESA) के अंतर्गत ग्राम सभाओं को वास्तविक आवाज़ मिले।

“यहाँ एक ऐसा अपराध है जो निंदा की सीमा से परे है। यहाँ एक ऐसा दुख है जिसे आँसू भी व्यक्त नहीं कर सकते।”

— जॉन स्टाइनबेक • ‘द ग्रेप्स ऑफ़ रैथ’ (1939), अध्याय 25

उपयोग करें (Use in): अभाव के बीच बर्बादी (आज का FAO आकलन कि भारत फ़सलोत्तर हानि के आँकड़ों में आगे है पर खुदरा और घरेलू स्तर की खाद्य-बर्बादी में पीछे है, और साथ में यह खबर कि सूखे से रबी बुआई पर संकट के बीच दालों के दाम एक महीने में 10% तक चढ़ गए)। स्टाइनबेक ने यह उन किसानों के बारे में लिखा था जो दाम ऊँचे रखने के लिए अनाज और फल नष्ट कर रहे थे, जबकि प्रवासी मज़दूरों के बच्चे भूखे थे। इसका उपयोग खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और SDG 12.3 पर GS3 के उत्तरों में, और अभाव तथा वितरण पर निबंधों में करें: कमी अक्सर इससे और गहरी हो जाती है कि कितना फेंका जाता है और महुँगाई का बोझ किस पर पड़ता है। तर्क दें कि खुदरा और घरेलू स्तर पर बर्बादी मापी और घटाई जाए, कोल्ड चेन और भंडारण बढ़े, दालों का बफ़र स्टॉक रहे, और गरीब परिवारों को लक्षित प्रोटीन सहायता मिले।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकी समिति ने 15 वर्षों के धर्मवार आँकड़े माँगे, राज्यों ने कहा कि वे उपलब्ध ही नहीं करा सकते
- 1.2 उच्च न्यायालयों के 1,114 न्यायाधीशों में से केवल 233 जिला न्यायापालिका से आए, सर्वोच्च न्यायालय में एक भी नहीं
- 1.3 महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ECINet से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों का विवेकाधिकार बहाल करने को कहा, निर्वाचन आयोग के नौ-सूत्री नोट ने आंशिक रूप से बात मानी
- 1.4 सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा: IT नियमों का उपयोग कर 18 वर्ष से कम आयु वालों को सोशल मीडिया खाते खोलने से रोकें
- 1.5 PRS के आँकड़े: आरक्षित सीटों के सांसदों ने लोकसभा की बहसों में अपने सहकर्मियों से कम हिस्सा लिया
- 1.6 अमित शाह ओडिशा-छत्तीसगढ़ की महानदी विवाद बैठक की अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि राज्य सीधी बातचीत की ओर बढ़े

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 सर्वोच्च न्यायालय ने 0.4% UPI शुल्क पर रोक लगाने से इनकार किया, केंद्र से पूछा कि इसका विधिक स्वरूप क्या है
- 2.2 अगस्त में औद्योगिक उत्पादन नए 2022-23 आधार पर 8% बढ़ा, पर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ पिछड़ीं
- 2.3 लघु बचत में आवक 56% उछली, 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल दो वर्ष के उच्चतम स्तर 7.19% पर
- 2.4 CAG ने पाया कि ओडिशा के खनिज फ़ाउंडेशनों ने ₹2,578.73 करोड़ ऐसी श्रेणी में खर्च किए जिसे नियमों ने कभी बनाया ही नहीं
- 2.5 पश्चिम एशिया युद्ध का भारत के लिए बिल: कच्चा तेल 108 डॉलर के पार, रूसी आयात पाँच माह के निचले स्तर पर, डीजल की राशनिंग

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 सूखे से रबी की बुवाई पर संकट के बीच एक माह में दालों के दाम 10% तक उछले
- 3.2 FAO: कटाई-उपरांत हानि के आँकड़ों में भारत अग्रणी, पर खुदरा और घरेलू बर्बादी में पीछे

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 भारत इस्लामाबाद में SCO समन्वयकों की बैठक में शामिल: लगभग दो वर्ष में पाकिस्तान में यह उसकी पहली भागीदारी
- 4.2 चीन-वित्तपोषित ऊपरी त्रिशूली परियोजना दहने के बाद नेपाल ने भारत से बिजली माँगी; पारेषण बना BRI की भारत की काट
- 4.3 UAE ने भारत के लिए 25 अरब डॉलर का एक और संकेत दिया; रुपया-दिरहम निपटान दहाई अंकों में पहुँचा

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 दिल्ली ने सर्दियों के प्रदूषण का कैलेंडर तय किया: गैर-BS-VI वाहनों पर प्रवेश-रोक, 50% वर्क फ्रॉम होम और निर्माण पर प्रतिबंध
- 5.2 मानसून 12% कम पर समाप्त, जलाशय क्षमता के 70% पर, दस वर्ष के औसत से नीचे

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 सर्वोच्च न्यायालय ने FSSAI की फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी की समय-सीमा ठुकराई; मद्रास उच्च न्यायालय ने माइक्रो/नैनो-प्लास्टिक की चेतावनी बरकरार रखी
- 6.2 केरल उच्च न्यायालय: अनुपलब्ध कीमत वाली कैसर दवाओं के लिए केंद्र पेटेंट अधिनियम की धारा 100 का प्रयोग कर सकता है
- 6.3 NFHS-6: WHO द्वारा पुरुष-विधियों के मानक तय किए जाने के बीच भी गर्भनिरोध का बोझ लगभग पूरी तरह महिलाओं पर

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 7.1 AI छवि-मॉडल जातिगत पूर्वाग्रह दोहरा रहे हैं, जबकि भारत के AI नियम स्वैच्छिक संहिताओं और स्व-प्रमाणन पर टिके हैं

8. समाज (Society)

- 8.1 सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में यौन हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया, चार सप्ताह में सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया
- 8.2 AI से बने फ़र्ज़ी वीडियो और असत्यापित संदेशों ने उज्जैन में झड़पें और पंजाब के दो विश्वविद्यालयों में हिंसा भड़काई

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 9.1 अमित शाह ने राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में PRAHAAR के सात स्तंभ और प्रत्यर्पण पोर्टल जारी किए
- 9.2 फ़रवरी से मणिपुर में नागा-कुकी झड़पों में 50 से अधिक मौतें, मादक पदार्थ-मार्गों की होड़ हिंसा को जीवित रखे है

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 प्रकरण 1 — धर्म-वार पैंतीस प्रश्न, और उनका उत्तर देने को कहा गया राज्य का सचिव
- 9.2 प्रकरण 2 — लागत से कई गुना कीमत पर बिल किया गया कैथेटर, और शुल्क-सूची पर हस्ताक्षर करने वाला अस्पताल प्रशासक
- 9.3 प्रकरण 3 — परीक्षा के मौसम में बूथ स्तर अधिकारी बने शिक्षक, और वह अधिकारी जिसे मतदाता सूची और कक्षा, दोनों चलानी हैं

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 28 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 11.1 अफ़वाह को केवल विश्वास चाहिए; सत्य को प्रमाण देना पड़ता है।
- 11.2 अभाव संघर्ष पैदा नहीं करता; वह दिखाता है कि हम बाँटते कैसे हैं।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की छह राजव्यवस्था खबरें इसी सवाल पर टिकी हैं कि जब राज्य कुछ दर्ज करता है तो कलम किसके हाथ में है। गृह मंत्रालय की एक समिति चाहती है कि राज्य नागरिकों के जीवन का ब्योरा धर्म के आधार पर दर्ज करें; उच्चतर न्यायापालिका आज भी अपने अधिकांश न्यायाधीश निचली अदालतों की बजाय अधिवक्ता वर्ग से चुनती है; और एक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उन शक्तियों के प्रयोग के लिए भी केंद्रीय सॉफ्टवेयर टीम से अनुमति मांगनी पड़ती है जो संसद अपने अधिकारियों को पहले ही दे चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है कि किसी बच्चे का सोशल मीडिया खाता कानूनी रूप से आखिर क्या है; PRS के आँकड़े बताते हैं कि आरक्षित सीटों से चुने गए सांसद लोकसभा में अपने दल के अन्य सांसदों की तुलना में बहुत कम बोलते हैं; और केंद्रीय गृह मंत्री ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद में उतर आए हैं। हर मामले में औपचारिक नियम स्पष्ट है; झगडा इस पर है कि उसे कौन लागू करेगा और किस अभिलेख के आधार पर।

1.1 गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकी समिति ने 15 वर्षों के धर्मवार आँकड़े माँगे, राज्यों ने कहा कि वे उपलब्ध ही नहीं करा सकते

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू ने 29 सितंबर को बताया कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन कर रही एक उच्चस्तरीय समिति ने राज्यों को जो प्रश्न भेजे हैं, उनमें से अधिकांश का उत्तर राज्य सरकारें नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि उनके विभाग सामान्यतः यह जानकारी धर्म के आधार पर रखते ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन गठित जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्चस्तरीय समिति (High-Level Committee on Demographic Changes — HLCDC) ने राज्यों को 35 प्रश्नों का एक समूह भेजा है। इसमें जन्म और वाहन पंजीकरण, स्कूल नामांकन तथा संपत्ति लेन-देन पर पिछले 15 वर्षों के धर्मवार आँकड़े, धार्मिक संरचनाओं के ज़िलावार ब्योरे, और आधार तथा मतदाता पहचान पत्र पंजीकरणों में असामान्य वृद्धि की जानकारी माँगी गई है। राज्यों से कहा गया है कि वे हर श्रेणी में हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, पारसी और बौद्ध समुदायों के आँकड़े संकलित करें। राज्य अधिकारियों ने अखबार से कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है, “क्योंकि संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढाँचा धार्मिक श्रेणियों के आधार पर आँकड़े जुटाने की मनाही करता है”। उनके अनुसार जन्म पंजीकरण को छोड़कर, जिसमें प्रमाणपत्र पर नवजात का धर्म लिखा जाता है, और पकड़े या निर्वासित किए गए अवैध प्रवासियों की संख्या को छोड़कर, बाक़ी सभी श्रेणियों में धर्मवार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रश्नावली केवल गिनती तक सीमित नहीं है। एक प्रश्न ‘उन ज़िलों का ब्योरा, जहाँ स्कूल नामांकन के रूझान ऐतिहासिक जन्म दरों से मेल नहीं खाते, कारणों सहित’ माँगता है। दूसरा पिछले 15 वर्षों में स्थापित धार्मिक संरचनाओं के ज़िलावार आँकड़े माँगता है, साथ में यह भी कि उनकी पहचान के लिए GIS मैपिंग (Geographic Information System, यानी स्थानों को डिजिटल नक्शे पर अंकित करने की प्रणाली) का प्रयोग हुआ या नहीं। समिति ने उन व्यक्तियों के, जिनके पास “पिछली पीढ़ी के जन्म प्रमाणपत्र या पारिवारिक विरासत के अभिलेख” नहीं हैं, पिछले 15 वर्षों के ज़िला-, धर्म- और वर्षवार मतदाता पंजीकरण आँकड़े माँगे हैं। वह शहरों, औद्योगिक केंद्रों, सीमावर्ती ज़िलों, जनजातीय क्षेत्रों तथा पाँचवीं/छठी अनुसूची के क्षेत्रों में धार्मिक संरचना के बदलाव, अनुसूचित जनजाति आबादी की धार्मिक संरचना में परिवर्तन, और जनजातीय समुदायों में धर्मांतरण पर खुफ़िया आकलन एवं आयोगों की रिपोर्ट भी जानना चाहती है। इसके अलावा चालू निरोध केंद्रों का ब्योरा; विलंबित पंजीकरण सहित धर्मवार जन्म पंजीकरण; आधार नामांकन, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड में असामान्य वृद्धि; जाली पहचान दस्तावेज़ों के मामले; धर्मवार संपत्ति लेन-देन, “जनसांख्यिकीय गुच्छीकरण” और स्वामित्व के पैटर्न; राशन कार्ड और स्कूल नामांकन का धर्मवार वितरण; “कल्याणकारी योजनाओं तक कपटपूर्ण पहुँच”; तथा मदरसों सहित धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों की GIS मैपिंग भी माँगी गई है। अखबार याद दिलाता है कि 2006 में मुख्य विपक्षी दल के रूप में भाजपा ने सच्चर आयोग की सिफ़ारिशों का विरोध किया था। यह आयोग यूपीए सरकार ने 2005 में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के अध्ययन के लिए नियुक्त किया था; भाजपा ने इसे धार्मिक कोटा बढ़ाने वाला और सामाजिक रूप से विभाजनकारी बताकर इसकी संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठाया था। पाठ्यक्रम से संबंध GS2 का है: धर्मनिरपेक्षता एवं मूल अधिकार, केंद्र-राज्य संबंध, और निजता के अधिकार पर निर्णय के बाद राज्य द्वारा आँकड़े जुटाने की सीमाएँ।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

प्रवासन, धर्मांतरण और ‘जनसांख्यिकीय परिवर्तन’ को लेकर चिंता राष्ट्रीय नीतिगत चर्चा में आती है → केंद्रीय गृह मंत्रालय जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्चस्तरीय समिति गठित करता है → समिति राज्यों को 35 प्रश्न भेजकर जन्म से लेकर संपत्ति सौदों और धार्मिक संरचनाओं तक के 15 वर्षों के धर्मवार आँकड़े माँगती है → राज्यों के विभाग पाते हैं कि जन्म पंजीकरण और कुछ प्रवासी आँकड़ों के अलावा उन्होंने धर्म कभी दर्ज ही नहीं किया → एक कानूनी और संघीय प्रश्न खड़ा होता है कि क्या और किस अधिकार से राज्य ऐसा अभिलेख बना सकता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. जनगणना संघ का विषय है, और भारत में धर्म की गिनती का वैध माध्यम यही है — “जनगणना” सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 69 है, इसलिए इस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, और जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) वही कानून है। स्वतंत्रता के बाद की हर दशकीय जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म पूछा गया है और प्रकाशित सारणियाँ ज़िले तथा नगर स्तर तक धर्मवार आबादी बताती हैं। अधिनियम व्यक्तिगत जनगणना विवरणों को गोपनीय रखता है: जनता उनका निरीक्षण नहीं कर सकती और न उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए जनगणना के आँकड़े केवल समग्र रूप में ही प्रकाशित हो सकते हैं। सांख्यिकी के अन्य वैध स्रोतों में सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (Collection of Statistics Act, 2008), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (Registration of Births and Deaths Act, 1969) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने प्रयोजन और रक्षोपायों से बंधा है।

2. सांख्यिकी साझा क्षेत्र है, पर इस प्रश्नावली के अधिकांश विषय राज्य सूची के हैं — संघ सूची

संसद को संघ सूची के विषयों के लिए जाँच, सर्वेक्षण और सांख्यिकी का प्रावधान करने की शक्ति देती है, और समवर्ती सूची यही शक्ति राज्य तथा समवर्ती सूची के विषयों के लिए देती है। लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची की प्रविष्टि 1 और 2 हैं, भूमि, जिसमें भूमि के अधिकार और भू-अभिलेख शामिल हैं, भी राज्य का विषय है; स्कूली शिक्षा 42वें संशोधन के बाद समवर्ती सूची में है। राज्यों को निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति मुख्यतः अनुच्छेद 256 से आती है, जो राज्यों को संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन करने के लिए बाध्य करता है, और अनुच्छेद 257 से, जो संघ के अपने क्षेत्र को कवर करता है। इसलिए किसी कानून के समर्थन के बिना मंत्रालय की समिति की प्रश्नावली एक अनुरोध है, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत बाध्यकारी निर्देश नहीं।

3. धर्मनिरपेक्षता मूल ढाँचे का भाग है, और समता केवल धर्म के आधार पर विभेद का निषेध करती है — “पंथनिरपेक्ष” शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढाँचे का भाग माना। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 15(1) राज्य को किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 25 से 28 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धार्मिक आचरण की रक्षा करते हैं, और अनुच्छेद 29 तथा 30 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित एवं संचालित करने के उनके अधिकार की रक्षा करते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म जानने से नहीं रोकती; वह राज्य को केवल धर्म के कारण नागरिकों से भिन्न व्यवहार करने से रोकती है।

4. पुट्टस्वामी निर्णय के बाद व्यक्तिगत आँकड़ों का हर राजकीय संग्रह अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए — न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 और संपूर्ण भाग III के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया। राज्य का कोई भी हस्तक्षेप वैधता (उसे अधिकृत करने वाली विधि), वैध उद्देश्य और अनुपातिकता (उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध तथा कम हस्तक्षेपकारी विकल्प का अभाव) की कसौटी के साथ-साथ दुरुपयोग के विरुद्ध प्रक्रियात्मक रक्षोपायों पर भी खरा उतरना चाहिए। धर्म संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना है, और उसे संपत्ति, मतदाता तथा स्कूल अभिलेखों से जोड़ने पर व्यक्तियों और मोहल्लों की प्रोफाइल बन जाती है। डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) संघ को अधिसूचित राज्य संस्थाओं को संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था जैसे आधारों पर अपने दायित्वों से छूट देने की अनुमति देता है, इसलिए यह अधिनियम स्वयं राज्य के विरुद्ध सीमित संरक्षण ही देता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS2 में धर्मनिरपेक्षता परिभाषा के रूप में नहीं, व्यवहार के रूप में पूछी जाती है — UPSC ने बार-बार पूछा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से कैसे भिन्न है और उसके सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं। संपत्ति, स्कूलों और मतदाताओं पर धर्मवार आँकड़े माँगने वाली राज्य प्रश्नावली उसी प्रश्न का जीवंत उदाहरण है जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के केंद्र में है: क्या राज्य सैद्धांतिक दूरी रखता है या असमान दृष्टि?

2. निजता और डेटा शासन अब GS2 तथा GS3 का स्थायी विषय है — पुट्टस्वामी निर्णय के बाद से निजता के अधिकार, डेटा संरक्षण और निगरानी पर प्रश्न आते रहे हैं, और DPDP अधिनियम, 2023 हर वर्तमान पाठ्यक्रम-पठन सूची में है। यह खबर उत्तर को अमूर्त निजता से आगे ले जाकर धर्म जैसी संवेदनशील विशेषता के आधार पर डेटासेटों को जोड़ने के ठोस खतरे तक पहुँचाने देती है।

3. केंद्र-राज्य संबंध केवल विधायी नहीं, प्रशासनिक मार्ग से भी सामने आते हैं — सहकारी संघवाद पर प्रश्न प्रायः वित्त और विधान पर केंद्रित रहते हैं। यहाँ टकराव प्रशासनिक है: राज्य विभागों से जानकारी जुटाने और सौंपने की अपेक्षा कौन कर सकता है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत। प्रारंभिक परीक्षा में सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियाँ और अनुच्छेद 256 तथा 257 नियमित रूप से परखे जाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- “जनगणना” सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 69 है, और भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कराई जाती है।
- “पंथनिरपेक्ष” शब्द संविधान की प्रस्तावना में संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का भाग है।
- अनुच्छेद 15(1) राज्य को किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद करने से प्रतिषिद्ध करता है।

- अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 256 प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो, और संघ इस प्रयोजन से राज्य को निर्देश दे सकता है।
- पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, जबकि छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. राज्यों की आपत्ति धर्मनिरपेक्षता की अपेक्षा अधिकार के प्रश्न पर कानूनी रूप से अधिक सुदृढ़ है — राज्य अधिकारी कहते हैं कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढाँचा धर्मवार आँकड़ों का निषेध करता है, पर यह कथन अत्यंत व्यापक है: जनगणना 1951 से धर्म पृच्छी रही है और जन्म पंजीकरण उसे दर्ज करता है। अधिक सशक्त आपत्ति अधिकार और प्रयोजन को लेकर है। आबादी की धर्मवार गिनती और यह धर्मवार बहीखाता कि किसने ज़मीन खरीदी, किसने वाहन पंजीकृत कराया और किस बच्चे ने किस स्कूल में दाखिला लिया, दो अलग चीज़ें हैं। पहली समाज का वर्णन करती है; दूसरी व्यक्तियों और इलाकों की प्रोफाइल बनाती है। पुद्गलस्वामी निर्णय के अनुसार दूसरी के लिए कानून, घोषित उद्देश्य और इस बात का प्रमाण चाहिए कि कोई कम हस्तक्षेपकारी उपाय पर्याप्त नहीं होता; समिति की प्रश्नावली में इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता।
2. कई प्रश्न आँकड़े जुटाने से पहले ही अपना निष्कर्ष मान लेते हैं — “ऐतिहासिक जन्म दरों से मेल न खाने वाले असामान्य स्कूल नामांकन रुझान”, “जनसांख्यिकीय गुच्छीकरण” और “कल्याणकारी योजनाओं तक कपटपूर्ण पहुँच” जैसे वाक्यांश किसी पैटर्न को मापे जाने से पहले ही समस्या मान लेते हैं। स्कूल नामांकन केवल अवैध निवासियों के कारण नहीं, रोज़गार के लिए प्रवासन, बेहतर ठहराव या नए स्कूलों के कारण भी बढ़ सकता है। “पिछली पीढ़ी के जन्म प्रमाणपत्रों के बिना” लोगों के मतदाता पंजीकरण माँगना इस तथ्य की अनदेखी करता है कि पुरानी पीढ़ियों में, खासकर ग्रामीणों और जनजातीय समुदायों में, विलंबित जन्म पंजीकरण ही सामान्य बात थी। सुविचारित जाँच तटस्थ प्रश्न गढ़ती है और उत्तर आँकड़ों से निकलने देती है; इसके विपरीत प्रमुख प्रश्नों वाली प्रश्नावली राज्य अधिकारियों को वही उत्तर तैयार करने का न्योता देती है जिसकी केंद्र को स्पष्टतः अपेक्षा है।
3. किसी एक प्रयोजन के लिए बनी डेटा प्रणालियाँ धर्म के आधार पर जोड़ी जाएँ तो खतरनाक हो जाती हैं — आधार, निर्वाचक नामावली, राशन कार्ड और भू-अभिलेख, इनमें से प्रत्येक किसी विशेष प्रयोजन वाले कानून के अंतर्गत बना था। इनमें से अधिकांश धर्म दर्ज नहीं करते; आधार अधिनियम, 2016 (Aadhaar Act, 2016) आधार द्वारा एकत्र की जा सकने वाली जनसांख्यिकीय सूचना से धर्म को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है। इन्हें धर्म के माध्यम से जोड़ने से ऐसी क्षमता बन जाएगी जो किसी एक सरकार और किसी एक प्रयोजन से अधिक टिकेगी। प्रतिवाद भी वास्तविक है: राज्य को अवैध प्रवासन, पहचान धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण पर साक्ष्य चाहिए, जो शासन की वास्तविक समस्याएँ हैं। समाधान यह है कि इन समस्याओं का अध्ययन उनके अपने संकेतकों, जैसे जाली दस्तावेज़ों के मामलों और निर्वासन अभिलेखों, के माध्यम से किया जाए, न कि हर लेन-देन पर आस्था का ठप्पा लगाकर।
4. सचचर की तुलना दोनों ओर काम करती है — अखबार याद दिलाता है कि 2006 में भाजपा ने सचचर आयोग का विरोध किया था, जिसने मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर धर्मवार आँकड़े जुटाए थे, और उसे विभाजनकारी बताया था। HLCDC के समर्थक तर्क दे सकते हैं कि यदि वंचना पहचानने के लिए धर्मवार आँकड़े स्वीकार्य थे, तो जनसांख्यिकीय परिवर्तन पहचानने के लिए भी स्वीकार्य हैं। अंतर उपयोग में है। सचचर के आँकड़े एक वंचित समूह के लिए कल्याण को उचित ठहराने के उद्देश्य से थे, जबकि HLCDC के कई प्रश्न पुलिसिंग, निरोध और संदेह की ओर इशारा करते हैं। संगति की माँग है कि दोनों पक्ष एक ही सिद्धांत मानें: वैधानिक रक्षोपायों के अंतर्गत समय सार्वजनिक नीति के लिए धर्मवार आँकड़े, व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए कभी नहीं।
5. संघीय टकराव एक उपयोगी जाँच है, बाधा नहीं — संबंधित रजिस्टर राज्य चलाते हैं, और उनका उत्तर न दे पाना यह भी कहता है कि उन्होंने अपनी प्रणालियाँ इस प्रकार नहीं बनाई थीं। यदि संघ को ऐसे आँकड़े चाहिए तो संवैधानिक मार्ग संसद का कानून या जनगणना का प्रश्न है, जिस पर खुलकर बहस हो, न कि कोई प्रशासनिक प्रश्नावली। जो आँकड़े कभी जुटाए ही नहीं गए, उन्हें गढ़ने से राज्यों का इनकार आधिकारिक सांख्यिकी की विश्वसनीयता की रक्षा करता है। जोखिम असमान अनुपालन का है: कुछ राज्य प्रश्नावली को अनुमानों से भर सकते हैं, जिससे अप्रमाणित संख्याओं का ऐसा पैचवर्क बनेगा जो आगे चलकर नीति को दिशा देगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS)

“भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को अपने नागरिकों का धर्म जानने से नहीं रोकती, किंतु उस जानकारी के साथ वह क्या कर सकता है, इस पर सीमा लगाती है।” राज्यों से धर्मवार प्रशासनिक

QUESTION)	आँकड़े जुटाने के हालिया प्रयासों के प्रकाश में इस कथन का परीक्षण कीजिए। ऐसे आँकड़ा संग्रहण को किन संवैधानिक रक्षोपायों से शासित होना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा राज्यों को 35 प्रश्न भेजकर जन्म, वाहन, स्कूल, संपत्ति और धार्मिक संरचनाओं पर 15 वर्षों के धर्मवार आँकड़े माँगने, तथा राज्य अधिकारियों के इस उत्तर से शुरुआत कीजिए कि ऐसे आँकड़े रखे ही नहीं जाते। मुख्य भाग — राज्य क्या वैध रूप से जान सकता है — स्पष्ट कीजिए कि जनगणना (संघ सूची प्रविष्टि 69, जनगणना अधिनियम, 1948) व्यक्तिगत विवरणों की गोपनीयता के साथ धर्म की गिनती करती है और जन्म पंजीकरण उसे दर्ज करता है। दिखाइए कि एस.आर. बोम्मई में माने गए अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता सैद्धांतिक दूरी और समान व्यवहार है, धर्म से अनभिज्ञता नहीं। मुख्य भाग — सीमाएँ कहाँ हैं — अनुच्छेद 14 और 15(1), अनुच्छेद 25-30 तथा पुद्दुस्वामी की अनुपातिकता कसौटी का प्रयोग कीजिए। समय सांख्यिकी और परस्पर जुड़े डेटाबेसों में व्यक्ति-स्तरीय प्रोफाइलिंग के बीच अंतर कीजिए, और राज्य एजेंसियों के लिए DPDP अधिनियम की छूटों का उल्लेख कीजिए। मुख्य भाग — संघीय और प्रशासनिक पक्ष — इंगित कीजिए कि अधिकांश विषय राज्य सूची के हैं, अनुच्छेद 256 के निर्देश संसद के कानूनों से जुड़े होते हैं, और कानूनी आधारहीन प्रश्नावली बाध्य नहीं कर सकती। अवैध प्रवासन और जाली दस्तावेजों पर प्रतिवाद का उल्लेख कर उसके स्थान पर लक्षित संकेतक सुझाइए। निष्कर्ष — रक्षोपाय सुझाइए: वैधानिक आधार, घोषित प्रयोजन, समग्रीकरण, स्वतंत्र सांख्यिकीय एजेंसियाँ, संसदीय निगरानी और धर्म के आधार पर डेटासेट जोड़ने पर रोक। निष्कर्ष दीजिए कि आँकड़ों की वैधता केवल उनकी शुद्धता से नहीं, उनके कानून और उपयोग से आती है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप किसी राज्य के मुख्य सचिव हैं। HLCDC की प्रश्नावली समय-सीमा के साथ आती है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले विधि विभाग से जंचवाऊँगा कि अनुरोध किस कानून के अंतर्गत किया गया है और क्या कोई संघीय कानून अनुपालन अनिवार्य करता है। जो सामग्री वैध रूप से पहले से उपलब्ध है, जैसे जनगणना सारणियाँ और समय जन्म पंजीकरण आँकड़े, वह मैं उपलब्ध कराऊँगा, और स्पष्ट बताऊँगा कि कौन-से आँकड़े हमारे विभाग रखते ही नहीं। मैं ज़िला अधिकारियों को कानूनी आधार के बिना संपत्ति, वाहनों या स्कूली बच्चों के नए धर्मवार अभिलेख बनाने का निर्देश नहीं दूँगा, क्योंकि इससे राज्य निजता संबंधी मुकदमेबाज़ी के जोखिम में आ जाएगा। मैं उत्तर लिखित में दूँगा, ताकि अभिलेख में यह दर्ज रहे कि इनकार नहीं, कानून के दायरे में सहयोग हुआ है। प्रश्न 2. एक ज़िला कलेक्टर से अनौपचारिक रूप से कहा जाता है कि वह GIS की मदद से पिछले 15 वर्षों में बने धार्मिक स्थलों की गिनती करे। उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): उसे लिखित निर्देश माँगने चाहिए जिनमें आदेश और उसका कानूनी अधिकार बताया गया हो, क्योंकि धार्मिक स्थलों की अनौपचारिक गिनती लीक हो जाए तो स्थानीय तनाव भड़का सकती है। जहाँ चिंता अनधिकृत निर्माण की है, वहाँ सही उपाय मौजूदा भूमि-उपयोग और भवन कानून हैं जो सभी संरचनाओं पर समान रूप से लागू हों, धर्म के आधार पर छाँटी गई सूची नहीं। उसे आँकड़े सुरक्षित और समय रूप में रखने चाहिए। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उसका कर्तव्य समान व्यवहार है, और उसे यह बात विनम्रता से कह देनी चाहिए। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या किसी सरकार का जनसांख्यिकीय परिवर्तन का अध्ययन करना गलत है? दृष्टिकोण (Approach): नहीं; प्रजनन, प्रवासन और शहरीकरण का अध्ययन स्कूलों, अस्पतालों और रोज़गार की योजना बनाने के लिए आवश्यक है, और जनगणना तथा राष्ट्रीय सर्वेक्षण यह पहले से करते हैं। महत्त्व पद्धति और प्रयोजन का है। जनसांख्यिकीय अध्ययन को तटस्थ संकेतकों, स्वतंत्र सांख्यिकीय निकायों और प्रकाशित पद्धतियों पर आधारित होना चाहिए, ताकि उसके निष्कर्षों की परख हो सके। जब प्रश्न किसी एक समुदाय के प्रति संदेह के इर्द-गिर्द गढ़े जाते हैं, तो अध्ययन जनसांख्यिकी नहीं रह जाता, वह राज्य के अधिकार के पीछे खड़ी एक राजनीतिक कवायद बन जाता है।

1.2 उच्च न्यायालयों के 1,114 न्यायाधीशों में से केवल 233 ज़िला न्यायपालिका से आए, सर्वोच्च न्यायालय में एक भी नहीं

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू ने 29 सितंबर को बताया कि सात ज़िला न्यायाधीशों के दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से एक बार फिर ध्यान इस ओर गया है कि कितने कम न्यायिक अधिकारी उच्चतर पीठ तक पहुँच पाते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय द्वारा शपथ दिलाए जाने के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यरत संख्या 60 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 50 हो गई है, जिनमें से 19 न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालयों से आए हैं। संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए दो धाराएँ, अधिवक्ता वर्ग के सदस्य और न्यायिक अधिकारी, निर्धारित करता है, पर कोई अनुपात तय नहीं करता। परिपाटी के अनुसार दो-तिहाई रिक्तियाँ अधिवक्ता वर्ग को और एक-तिहाई न्यायिक सेवा संवर्ग को जाती हैं, पर अधिकांश राज्यों में यह एक-तिहाई भी हासिल नहीं हुआ है। अखबार द्वारा उद्धृत आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, देश भर में उच्च न्यायालयों के 1,114 स्वीकृत न्यायाधीश-पदों में से इस समय ज़िला न्यायपालिका से पदोन्नत केवल 233 न्यायाधीश कार्यरत हैं। त्रिपुरा (40%), हिमाचल प्रदेश (35.29%) और दिल्ली (31.67%) इस मानक से ऊपर या उसके निकट हैं; उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में सेवा से आए न्यायाधीश केवल 9.09%, तेलंगाना में 11.90%, ओडिशा में 15.15% और बॉम्बे उच्च न्यायालय में 17.02% हैं, और सिक्किम में एक भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में इस समय ऐसा कोई कार्यरत न्यायाधीश नहीं है जिसने अपना करियर निचली अदालतों से शुरू किया हो; अंतिम न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी थीं, जिन्हें अगस्त 2021 में नियुक्त किया गया और जो जून 2025 में सेवानिवृत्त हुईं। अधिकांश न्यायिक अधिकारी अपनी उम्र के तीसरे दशक के अंत में सिविल जज के रूप में सेवा में आते हैं, वरिष्ठ सिविल जज बनने में लगभग दस वर्ष और ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश बनने में एक और दशक लेते हैं, और 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु से कुछ वर्ष पहले, पचास के दशक के अंत में, उच्च न्यायालय के विचार-क्षेत्र में आते हैं। 2023 में दिल्ली की न्यायिक सेवा संघ ने उच्च न्यायालय की 50% सीटें सेवा कोटे से भरने का निर्देश माँगा था; न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने 25 अप्रैल को कहा कि वह “इस प्रार्थना पर विचार करने की इच्छुक नहीं है”, परंतु उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि रिक्तियाँ उत्पन्न होने से पहले ही सेवा संवर्ग के नाम अनुशंसित करें। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर्.के. गौबा ने इस झुकाव का मूल औपनिवेशिक मजिस्ट्रेटी में खोजा, जिसे भारतीय सिविल सेवा (ICS) के अधिकारी चलाते थे। इससे अलग, 28 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुशंसा की: सुनीता अग्रवाल (गुजरात), देवेन्द्र कुमार उपाध्याय (दिल्ली) और अपरेश कुमार सिंह (तेलंगाना)। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार तीनों अधिवक्ता वर्ग से पदोन्नत हुए थे। स्वीकृति मिलने पर न्यायालय में 38 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 37 कार्यरत न्यायाधीश होंगे, और न्यायमूर्ति अग्रवाल अखबार के शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय की तीसरी महिला न्यायाधीश होंगी। पाठ्यक्रम से संबंध GS2 का है: न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली तथा नियुक्तियाँ।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

औपनिवेशिक अदालतों में आपराधिक मजिस्ट्रेटी ICS अधिकारियों के पास और उच्चतर पीठें वकीलों के पास रहती हैं → संविधान न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है और राज्य न्यायिक सेवाएँ बनाता है, जबकि अनुच्छेद 217 बिना अनुपात के दो धाराएँ खोलता है → दो-तिहाई अधिवक्ता वर्ग और एक-तिहाई सेवा की अनौपचारिक परिपाटी जम जाती है, और कॉलेजियम अधिकतर अधिवक्ता वर्ग से चयन करता है → न्यायिक अधिकारी केवल पचास के दशक के अंत में विचार-क्षेत्र में पहुँचते हैं → उच्च न्यायालयों के 1,114 में से केवल 233 पद और सर्वोच्च न्यायालय का एक भी पद करियर न्यायाधीशों के पास है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. संविधान उच्च न्यायालय के दो द्वार खोलता है, पर यह तय नहीं करता कि प्रत्येक कितना चौड़ा होगा — अनुच्छेद 217(2) के अनुसार कोई नागरिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब है जब वह कम-से-कम दस वर्ष भारत में न्यायिक पद पर रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय का, या क्रमवार दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का, कम-से-कम दस वर्ष अधिवक्ता रहा हो। अनुच्छेद 217(1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित करता है। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के लिए वह व्यक्ति पात्र है जो पाँच वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, दस वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत 65 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायिक सेवा के लिए एक-तिहाई हिस्सा एक परिपाटी है, विधि का नियम नहीं।
2. अधीनस्थ न्यायपालिका राज्य की सेवा है जिसका नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास है — अनुच्छेद 233 के अनुसार ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है, और जो व्यक्ति पहले से सेवा में नहीं है, उसे कम-से-कम सात वर्ष अधिवक्ता या प्लीडर रहा होना चाहिए। अनुच्छेद 234 अन्य न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का प्रावधान राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। अनुच्छेद 235 ज़िला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसमें तैनाती और पदोन्नति शामिल हैं, उच्च न्यायालय में निहित करता है। अनुच्छेद 50, एक नीति निर्देशक तत्व, राज्य से लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने को कहता है।
3. कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों की देन है — एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981), यानी प्रथम न्यायाधीश मामले, में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायमूर्ति से “परामर्श” का अर्थ सहमति नहीं है, जिससे कार्यपालिका को प्राथमिकता मिली। द्वितीय न्यायाधीश मामले, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993), ने इसे पलट दिया और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के माध्यम से न्यायपालिका को प्राथमिकता दी। तृतीय न्यायाधीश मामले, 1998 के राष्ट्रपति के संदर्भ, ने कॉलेजियम का स्वरूप तय किया: सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए CJI और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश, तथा उच्च

	न्यायालय की नियुक्तियों के लिए CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश। 2015 में चौथे न्यायाधीश मामले में 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर कॉलेजियम बहाल किया गया। प्रक्रिया उस प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of Procedure) में दी गई है जिस पर सरकार और न्यायपालिका सहमत हुई। 4. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा 1976 से संभव है, पर आज तक बनाई नहीं गई — 1976 में 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 312 में संशोधन कर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की अनुमति दी। संसद इसे तभी बना सकती है जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से यह घोषित करने वाला संकल्प पारित करे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है। अनुच्छेद 312(3) कहता है कि इस सेवा में ज़िला न्यायाधीश से निम्न कोई पद शामिल नहीं होगा। समर्थकों का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की प्रतिभा आएगी; विरोधी, जिनमें कई उच्च न्यायालय और राज्य शामिल हैं, तर्क देते हैं कि इससे अनुच्छेद 235 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का नियंत्रण कमजोर होगा और स्थानीय भाषाओं तथा विधियों की अनदेखी होगी।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. न्यायिक नियुक्तियाँ GS2 के सबसे अधिक पूछे जाने वाले विषयों में हैं — UPSC ने कॉलेजियम, NJAC निर्णय और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर पूछा है। पीठ की संरचना, जिसमें करियर न्यायाधीशों, महिलाओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व शामिल है, स्वाभाविक अगला प्रश्न है, और आज के आँकड़े इसके लिए तैयार उदाहरण हैं। 2. लंबित मामलों पर प्रश्न अब निचली न्यायपालिका की ओर बढ़ रहे हैं — न्यायिक लंबन पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय से हटकर ज़िला न्यायालयों की ओर आ गए हैं, जहाँ अधिकांश मामले लंबित हैं। न्यायिक अधिकारियों का करियर-पथ इस पर असर डालता है कि कौन सेवा में आता है और रिक्तियाँ कितने समय खाली रहती हैं, जो नियुक्तियों को सीधे लंबन और न्याय तक पहुँच से जोड़ता है। 3. प्रारंभिक परीक्षा पात्रता संबंधी अनुच्छेदों को संख्या सहित परखती है — उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हताएँ, सेवानिवृत्ति की आयु और ज़िला न्यायाधीशों पर अनुच्छेद 233 प्रारंभिक परीक्षा की नियमित सामग्री हैं। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा कथन-आधारित प्रश्नों का पुराना पसंदीदा विषय है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 217(2) के अंतर्गत कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य तब है जब वह कम-से-कम दस वर्ष भारत में न्यायिक पद पर रहा हो या कम-से-कम दस वर्ष किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। ● अनुच्छेद 124(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र है, पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए ऐसी कोई श्रेणी नहीं है। ● अनुच्छेद 233 के अंतर्गत ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। ● अनुच्छेद 235 ज़िला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित करता है। ● अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को सक्षम करने वाला प्रावधान अनुच्छेद 312 में संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और इस सेवा में ज़िला न्यायाधीश से निम्न पद शामिल नहीं हो सकते। ● तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) ने तय किया कि सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ● अनुच्छेद 50, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाए।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. समस्या कोटे से अधिक समय की है — द हिंदू के आँकड़े दिखाते हैं कि न्यायिक अधिकारी पचास के दशक के अंत में विचार-क्षेत्र में पहुँचते हैं, जब 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति में गिनती के वर्ष बचे होते हैं। कोई वकील चालीस के दशक के मध्य में पदोन्नत होकर पंद्रह वर्ष या उससे अधिक सेवा कर सकता है, जिससे वह मुख्य न्यायाधीश पद और सर्वोच्च न्यायालय की कतार में भी आ जाता है। इसलिए एक-तिहाई की परिपाटी पूरी होने पर भी सेवा से आए न्यायाधीश ऊपर ले जाने वाली वरिष्ठता कम ही जुटा पाते हैं। अकेला कोटा इसे नहीं बदलेगा। जो बदलेगा वह है पहले विचार, जो ज़िला न्यायपालिका में तेज़ पदोन्नति या सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों के लिए अलग मार्ग से आए, ताकि वे उच्च न्यायालय में पूरे एक दशक के कार्यकाल के साथ पहुँचें।

2. कॉलेजियम के अपने चयन शीर्ष पर वही पैटर्न दोहराते हैं — 28 सितंबर को अनुशंसित उच्च न्यायालयों के तीनों मुख्य न्यायाधीश अधिवक्ता वर्ग से पदोन्नत हुए थे, और न्यायमूर्ति त्रिवेदी के जून 2025 में सेवानिवृत्त होने के बाद से सर्वोच्च न्यायालय में कोई करियर न्यायाधीश नहीं रहा। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियाँ मुख्यतः उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायाधीशों में से होती हैं, और वहाँ वरिष्ठता उन्हें लाभ देती है जो कम उम्र में अधिवक्ता वर्ग से आए। कॉलेजियम मौजूदा कानून के भीतर ही इसे सुधार सकता है, क्योंकि किसी वरिष्ठ सेवा-न्यायाधीश की अनुशंसा से उसे कोई नहीं रोकता। प्रतिवाद यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य मुख्यतः संवैधानिक और अपीलीय है, जहाँ ऐसे मामलों में बहस कर चुके अधिवक्ताओं को उन न्यायाधीशों पर बढ़त मिलती है जिन्होंने दशकों विचारण कार्य में बिताए।
3. विचारण न्यायालय का अनुभव वह संपदा है जो उच्चतर पीठ में कम है — अधिकांश वादी ज़िला न्यायालय से आगे कभी नहीं जाते, और विचारण की गुणवत्ता ही तय करती है कि अपीलों की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। जिन न्यायाधीशों ने साक्ष्य दर्ज किए हैं, आरोप विरचित किए हैं और मुकदमों की सूची संभाली है, वे समझते हैं कि विचारण में विलंब क्यों होता है, जितना कम ही अधिवक्ता समझते हैं। न्यायमूर्ति गौबा का यह कथन कि सेवा-न्यायाधीश कार्य-मूल्यांकन और वर्षों के अभिलिखित निर्णयों के साथ आते हैं, पारदर्शिता का भी तर्क है, क्योंकि उनकी योग्यता कागज़ पर परखी जा सकती है। करियर न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली उच्चतर न्यायपालिका अपने अपीलीय निर्णयों को विचारण की वास्तविकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है।
4. करियर की संभावनाएँ ही तय करती हैं कि कौन न्यायिक सेवा में आता है — पूर्व ज़िला न्यायाधीश पवन कुमार जैन का यह तर्क कि करियर में प्रगति की कमी सर्वश्रेष्ठ विधि स्नातकों को हतोत्साहित करती है, गहरी क्रीमत की ओर इशारा करता है। यदि सर्वश्रेष्ठ स्नातक कॉरपोरेट प्रैक्टिस या अधिवक्ता वर्ग को चुनते हैं, तो ज़िला न्यायपालिका की गुणवत्ता गिरती है, और उसके साथ भावी उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का भंडार भी। यह एक दुष्चक्र बन जाता है, जिसमें सेवा शीर्ष पर इसलिए कम प्रतिनिधित्व पाती है कि उसके सर्वश्रेष्ठ संभावित सदस्य कभी उसमें आते ही नहीं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा एक प्रस्तावित उत्तर है, पर उसे राज्यों का विरोध झेलना पड़ता है; बेहतर वेतन, तेज़ पदोन्नति और पदोन्नति के लिए सुनिश्चित विचार मौजूदा कानून के भीतर के विकल्प हैं।
5. रिक्तियाँ भी ऐसी समस्या हैं जिसे सेवा-धारा तेज़ी से सुलझा सकती है — दिल्ली उच्च न्यायालय में सात नए न्यायाधीशों के बाद भी 60 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 10 रिक्तियाँ हैं। न्यायिक अधिकारियों के अभिलेख पहले से उपलब्ध होते हैं, इसलिए रिक्ति उत्पन्न होने से पहले ही नामों पर प्रक्रिया हो सकती है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 25 अप्रैल के आदेश में निर्देशित किया। अधिवक्ता-धारा इच्छुक अधिवक्ताओं की पहचान और सरकार की मंजूरी पर निर्भर है, जो अटक सकती है, जैसा हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधवालिया की पहले की अनुशंसा को केंद्र द्वारा मंजूर न किए जाने में दिखा। सेवा-न्यायाधीशों की योजनाबद्ध पाइपलाइन रिक्तियों घटाने का सबसे त्वरित उपाय है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“अधीनस्थ न्यायपालिका न्याय-व्यवस्था की नींव है, फिर भी उच्चतर न्यायपालिका में उसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व कम है।” इस असंतुलन के कारणों की चर्चा कीजिए और ज़िला न्यायालयों से उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय तक एक न्यायसंगत करियर-मार्ग बनाने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — उल्लेख कीजिए कि उच्च न्यायालयों के 1,114 स्वीकृत न्यायाधीशों में से केवल 233 कार्यरत न्यायाधीश ज़िला न्यायपालिका से आए हैं, और जून 2025 में न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी के सेवानिवृत्त होने के बाद से सर्वोच्च न्यायालय में कोई करियर न्यायाधीश नहीं है।
2. मुख्य भाग — संवैधानिक और परिपाटीगत ढाँचा — अनुच्छेद 217(2) और उसकी दो धाराएँ, एक-तिहाई की परिपाटी, अधीनस्थ न्यायपालिका पर अनुच्छेद 233-235, और द्वितीय तथा तृतीय न्यायाधीश मामलों से आया कॉलेजियम स्पष्ट कीजिए। दिखाइए कि संविधान कोई अनुपात तय नहीं करता।
3. मुख्य भाग — असंतुलन के कारण — विचार-क्षेत्र में देर से प्रवेश, 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु, औपनिवेशिक मूल, कॉलेजियम का अधिवक्ता वर्ग को वरीयता देना और कमज़ोर करियर संभावनाओं की चर्चा कीजिए। त्रिपुरा के 40% और सिक्किम के शून्य जैसे राज्यवार आँकड़े प्रयोग कीजिए।
4. मुख्य भाग — उपाय — समयबद्ध पदोन्नति, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सेवा-नामों की शीघ्र प्रक्रिया, प्रक्रिया ज्ञापन में पारदर्शी मानदंड, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों में करियर न्यायाधीशों का उचित हिस्सा, और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर तर्कसंगत बहस सुझाइए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि जो न्यायपालिका विचारण न्यायालय के अनुभव को पुरस्कृत करेगी, वह ज़िला न्यायालयों में बेहतर प्रतिभा आकर्षित करेगी, जहाँ अधिकांश नागरिक न्याय-व्यवस्था से मिलते हैं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. किसी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में आप कॉलेजियम को अधिक सेवा-न्यायाधीशों पर विचार करने में कैसे सहायता करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पात्र ज़िला न्यायाधीशों का अद्यतन पैन्ल, उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों, निपटान दरों, निर्णय पलटने की दरों और सत्यनिष्ठा अभिलेखों सहित, रिक्तियाँ उत्पन्न होने से काफी पहले तैयार रखूँगा। जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, मैं इसे प्रत्येक अपेक्षित रिक्ति से कम-से-कम छह माह पहले कॉलेजियम के समक्ष रखूँगा। मैं उन अधिकारियों को भी चिह्नित करूँगा जो शीघ्र ही विचार-क्षेत्र पार करने वाले हैं, ताकि योग्य उम्मीदवार सेवानिवृत्ति में न खो जाएँ। अच्छे अभिलेख ही निष्पक्ष प्रक्रिया को संभव बनाते हैं।

प्रश्न 2. एक युवा विधि स्नातक आपसे पूछती है कि राज्य न्यायिक सेवा में जाए या अधिवक्ता वर्ग में प्रैक्टिस करे। आप क्या सलाह देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं उसे ईमानदारी से बताऊँगा कि न्यायिक सेवा शुरुआती ज़िम्मेदारी, सुरक्षा और पहले वर्ष से वास्तविक विवाद तय करने का अवसर देती है, जबकि अधिवक्ता वर्ग अधिक आय और उच्च न्यायालय तक का तेज़ मार्ग देता है। मैं उसे वर्तमान आँकड़े समझाऊँगा ताकि वह खुली आँखों से चुने। यदि वह लोक सेवा और स्थिर विकास को महत्व देती है तो न्यायिक सेवा अच्छा विकल्प है, पर उसे पता होना चाहिए कि पदोन्नति उन कार्य-अभिलेखों पर निर्भर है जो वह पहले दिन से बनाएगी।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या उच्च न्यायालयों में करियर न्यायाधीशों के लिए निश्चित वैधानिक कोटा होना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): निश्चित कोटा निश्चितता देगा और सिक्किम तथा उत्तराखंड जैसे राज्यों में एक-तिहाई की परिपाटी की अनदेखी रोकेगा। पर कठोर कोटा उपयुक्त नाम उपलब्ध न होने पर पद रिक्त छोड़ सकता है और उसे कॉलेजियम के विवेक में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। बेहतर तरीका प्रक्रिया ज्ञान में घोषित लक्ष्य है, जिसमें हर वर्ष अनुपात की सार्वजनिक रिपोर्टिंग हो, ताकि कॉलेजियम कमी की व्याख्या करे। कठोर नियमों की अपेक्षा पारदर्शिता व्यवहार को अधिक भरोसे से बदलती है।

1.3 महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ECINet से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों का विवेकाधिकार बहाल करने को कहा, निर्वाचन आयोग के नौ-सूत्री नोट ने आंशिक रूप से बात मानी

समाचार (THE NEWS) मुंबई और नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस ने 29 सितंबर को बताया कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने 24 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India — ECI) को पत्र लिखकर ECINet सॉफ्टवेयर में चार बदलाव माँगे, जो असल में यह अनुरोध हैं कि वह निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (Electoral Registration Officers — ERO) को वह विवेकाधिकार प्रयोग करने दे जो क़ानून उन्हें पहले से देता है। यह अखबार की 23 सितंबर की उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाता है जिसमें बताया गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार आपत्तियाँ दर्ज की थीं; नया यह है कि अब एक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का औपचारिक पत्र और आयोग का अपना उत्तर सामने है। महाराष्ट्र विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) के नोटिस चरण में मौजूद सबसे बड़ा राज्य है: 31 अगस्त की उसकी प्रारूप सूची में 21.1% निर्वाचक छूट गए थे, और अंतिम सूची 16 नवंबर को आनी है। “तार्किक विसंगति” का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति मतदाता नहीं है; यह वह असंगति है जो ECINet तब दिखाता है जब वह किसी निर्वाचक को पिछली SIR सूची के माता-पिता या दादा-दादी से नहीं जोड़ पाता, या जब निर्वाचक ने कोई दस्तावेज़ नहीं दिया या केवल आधार दिया। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, सूचना प्रौद्योगिकी के महानिदेशक सीमा खन्ना और दो अन्य अधिकारियों को संबोधित पत्र में “सुनवाई से छूट” का विकल्प माँगा गया, क्योंकि नियम ERO को व्यक्तिगत उपस्थिति की “अपेक्षा करने का विवेकाधिकार” देते हैं; 14वाँ विकल्प “अन्य/अन्य समकक्ष दस्तावेज़” माँगा गया, क्योंकि सूचीबद्ध 13 दस्तावेज़ “सांकेतिक हैं, संपूर्ण नहीं” और जनजातीय, बेघर तथा देह-व्यापार में लगे समुदायों के पास वे न हों; बृथ-स्तरीय अधिकारी के कथन या पंचनामे के आधार पर ERO को सभी श्रेणियों की विसंगतियों का निपटारा करने की शक्ति; और “अंतिम SIR का उद्धरण” अपलोड करना अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक करना। उन्होंने लिखित FAQ भी माँगे, यह कहते हुए कि “ECI या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मौखिक निर्देश पर्याप्त नहीं हैं”। 14 अगस्त को श्री संधू ने लिखा था कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, ज़िला निर्वाचन अधिकारियों और ERO की शक्तियाँ “DG(IT) स्तर पर ERONet के केंद्रीकृत नियंत्रण से कटी हुई” हैं। 26 सितंबर को पूर्ण आयोग की बैठक के बाद ECI ने नौ निर्णयों वाला चार पृष्ठ का नोट जारी किया: तार्किक विसंगति के कारण चिह्नित निर्वाचकों को ERO व्यक्तिगत सुनवाई से छूट दे सकेंगे; हर बैठक से पहले कार्यसूची परिचालित होगी और बाद में कार्यवृत्त जारी होंगे; अधिकारियों की विदेश यात्राओं के लिए आयोग की मंजूरी चाहिए; नए IT मॉड्यूल अधिकारियों की समिति से गुज़रेंगे; ECINet की समीक्षा एक वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी, जिसमें एक स्वतंत्र IIT विशेषज्ञ होगा; और आयुक्तों के निर्देशों का “सूक्ष्मता से अनुपालन” किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय नोट को स्वागत-योग्य पर अपर्याप्त बताता है, और योगेंद्र यादव का तर्क है कि यह “दोष की औपचारिक स्वीकारोक्ति” है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने नंदीग्राम और रेजिनगर में 6 अक्टूबर के उपचुनावों से पहले पश्चिम बंगाल की SIR बहिष्करण अपोलों की सुनवाई आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया,

जबकि CJI सूर्यकांत ने कहा, “ये केवल उपचुनाव हैं”। पाठ्यक्रम से संबंध GS2 का है : निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और सांविधिक निकाय।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 प्रत्येक विधानसभा सीट में ERO को मतदाता सूची का प्राधिकारी बनाता है → निर्वाचन आयोग सूची प्रबंधन को अपने IT प्रभाग द्वारा नियंत्रित केंद्रीय मंच ECINet/ERONet पर ले जाता है → SIR के दौरान सॉफ्टवेयर ERO को कानून से कम विकल्प देता है, और दो आयुक्त अभिलेख पर आपत्ति दर्ज करते हैं → अखबार की खोजी रिपोर्ट आपत्तियाँ सामने लाती है और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी औपचारिक रूप से चार बदलाव मांगते हैं → आयोग का 26 सितंबर का नोट सुनवाई से छूट और प्रक्रिया-सुधार स्वीकार करता है, जबकि विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध पद-मुक्ति प्रस्ताव की तैयारी करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मतदाता सूची ERO के हाथ में रखता है — धारा 13ख के अनुसार प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैयार और पुनरीक्षित करता है, जिसे निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से परामर्श करके नामित करता है; व्यवहार में ERO प्रायः उप-मंडल मजिस्ट्रेट होता है। धारा 13क प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और धारा 13कक जिला निर्वाचन अधिकारियों का प्रावधान करती है। धारा 21 नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संबंधित है और आयोग को विशेष पुनरीक्षण का निर्देश देने देती है; धारा 22 प्रविष्टियों के सुधार, धारा 23 नाम सम्मिलित करने और धारा 24 ERO के आदेशों के विरुद्ध अपीलों से संबंधित है। नोटिस, सुनवाई और आपत्तियों सहित विस्तृत प्रक्रिया निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) में है, जो केंद्र सरकार ने आयोग से परामर्श करके बनाए।
2. अनुच्छेद 324 आयोग को अधीक्षण देता है, विधि को लांघने का लाइसेंस नहीं — अनुच्छेद 324(1) निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह शक्ति वहाँ रिक्तता भरती है जहाँ विधि मौन है, पर इसका प्रयोग अनुच्छेद 327 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अनुरूप होना चाहिए। अनुच्छेद 326 हर उस नागरिक के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन की गारंटी देता है जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और अन्यथा निरहित नहीं है। अनुच्छेद 325 केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर नामावली से बहिष्करण को वर्जित करता है।
3. आयोग बहु-सदस्यीय निकाय है, और उसके सदस्यों को हटाने के मार्ग अलग-अलग हैं — अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति निर्धारित करें; 1993 से इसमें तीन सदस्य रहे हैं। टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-सदस्यीय आयोग और बहुमत से निर्णय को वैध ठहराया, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बराबरी वालों में प्रथम है। अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति और आधारों पर ही हटाया जा सकता है, अर्थात् अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन द्वारा। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।
4. नियुक्तियाँ अब 2023 के अधिनियम से शासित हैं, जो अनूप बरनवाल निर्णय के बाद आया — अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में संविधान पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक संसद कानून न बनाए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की समिति की सलाह पर की जाए। इसके बाद संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 [Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023] पारित किया, जिसने मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित संघ के एक कैबिनेट मंत्री को रखा। अधिनियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए संवैधानिक पद-मुक्ति संरक्षण को दोहराता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जिस प्रक्रिया का अनुसरण मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में होता है, उसका विवरण न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 [Judges (Inquiry) Act, 1968] में है।
1. चुनाव सुधार और निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता GS2 के स्थायी प्रश्न हैं — UPSC ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, नियुक्ति प्रक्रिया और चुनाव सुधारों पर पूछा है। ECINet विवाद एक नया आयाम जोड़ता है: क्या किसी संस्था की आंतरिक तकनीक शक्ति को उन अधिकारियों से दूर खिसका सकती है जिनका नाम कानून लेता है, जो सांविधिक और संवैधानिक निकायों वाली पाठ्यक्रम-पंक्ति से जुड़ता है।
2. ई-गवर्नेंस के प्रश्न लाभों से हटकर जवाबदेही की ओर जा रहे हैं — ई-गवर्नेंस पर पहले के GS2

प्रश्न दक्षता और पारदर्शिता पर बल देते थे। आज की खबर दूसरा पहलु दिखाती है: जब कोई केंद्रीय मंच तय करता है कि फ्रील्ड अधिकारी के पास कौन-से विकल्प हैं, तो जवाबदेही उसके पास चली जाती है जो सॉफ्टवेयर लिखता है। यह तर्क डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर किसी भी उत्तर में उपयोगी है।

3. प्रारंभिक परीक्षा अनुच्छेद 324 के ढाँचे को परखती है — प्रश्नों में निर्वाचन आयोग की संरचना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को हटाने, तथा 1950 और 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों पर पूछा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संरक्षण और अन्य आयुक्तों के संरक्षण का अंतर बार-बार आने वाला जाल है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैयार और पुनरीक्षित करता है, जिसे निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से परामर्श करके नामित करता है।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, जिसमें दावे, आपत्तियाँ और सुनवाई शामिल हैं।
- अनुच्छेद 324(1) निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
- अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 326 उपबंध करता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक संसद कानून न बनाए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की समिति की सलाह पर हो।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 के अंतर्गत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित संघ के एक कैबिनेट मंत्री होते हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. डिजिटल नामावली में सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन ही असली नियम-पुस्तिका है** — नियम कहते हैं कि ERO किसी निर्वाचक से व्यक्तिगत उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वह अपेक्षा न करने का निर्णय भी ले सकता है। यदि सॉफ्टवेयर मैन्यू केवल दो विकल्प देता है और उनमें से कोई सुनवाई से छूट नहीं देता, तो विवेकाधिकार कागज़ पर है और कहीं नहीं। “कोड ही कानून है” की धारणा का सरल अर्थ यही है: जो इंटरफ़ेस डिज़ाइन करता है, वही तय करता है कि अधिकारी वास्तव में क्या कर सकता है। 1960 के नियमों जैसा प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) प्रकाशित होता है, उस पर बहस होती है और न्यायालय में उसे चुनौती दी जा सकती है; दिल्ली में बदली गई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इनमें से कुछ नहीं है। समीक्षा समिति का आयोग का वादा एक क़दम है, पर टिकाऊ समाधान ECINet के निर्णय-नियमों को प्रकाशित करना और हर नियम को किसी वैधानिक प्रावधान से जोड़ना है।
- 2. केंद्रीकरण आयोग के अपने सर्वश्रेष्ठ बचाव को कमज़ोर करता है** — जैसा एक्सप्रेस ने कहा है, आयोग दशकों से नामावली में हेरफेर के आरोपों का उत्तर विकेंद्रित ढाँचे की ओर इशारा करके देता आया है, जिसमें कोई एक व्यक्ति सूची को नियंत्रित नहीं करता। कोई केंद्रीय IT प्रभाग, जो तय करे कि ERO क्या कर सकते हैं, इस उत्तर को कमज़ोर करता है, क्योंकि वह ठीक वही एकल नियंत्रण-बिंदु बनाता है जिससे आलोचक डरते हैं। प्रतिवाद को भी वज़न मिलना चाहिए: केंद्रीय प्रणालियाँ दाहरी प्रविष्टियाँ पकड़ती हैं और स्थानीय अधिकारियों को दबाव से बचाती हैं, और एकसमान प्रक्रियाएँ देशव्यापी पुनरीक्षण में सहायक होती हैं। संतुलन केंद्रीय जाँच और स्थानीय निर्णय में है, केंद्रीय निर्णय और स्थानीय लिपिकीय कार्य में नहीं।
- 3. नौ-सूत्री नोट प्रक्रिया मानता है, जवाबदेही नहीं** — कार्यसूची, कार्यवृत्त, विदेश यात्राओं की मंजूरी और IT मॉड्यूल के लिए समिति किसी भी सामूहिक निकाय की बुनियादी विशेषताएँ हैं, और उनका अब वादा किया जाना बताता है कि वे अब तक नहीं थीं। एक्सप्रेस का संपादकीय उन बातों की ओर संकेत करता है जिनका नोट उत्तर नहीं देता: जुलाई में फ़ॉर्म 6 में माता-पिता वाला प्रश्न किसने डाला, नामित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, बंगाल में न्यायिक अधिकारियों द्वारा बहाल किए गए मतदाताओं के विरुद्ध अपीलों को किसने अधिकृत किया, और गोवा का बहाली सॉफ्टवेयर कभी सक्षम क्यों नहीं किया गया। जो सुधार भविष्य की प्रक्रियाएँ बदलता है पर अतीत की व्याख्या नहीं करता, वह इस संदेह को न्योता देता है कि समस्या

	आचरण नहीं, उसका उजागर होना थी। 4. योगेंद्र यादव का महाभियोग-तर्क ऊँची कसौटी रखता है जिसे अकेली राजनीति पूरा नहीं कर सकती — श्री यादव का तर्क है कि नोट दोष की औपचारिक स्वीकारोक्ति है; वे कार्यसूची, फॉर्म 6 और ECINet समीक्षा पर इसके अनुच्छेदों का हवाला देते हैं और नामावली तैयार करने में शासकीय कर्तव्य के उल्लंघन पर 1950 के अधिनियम की धारा 32(1) का सहारा लेते हैं। उनकी अपनी प्रस्तुति मानती है कि अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत पद-मुक्ति के लिए सिद्ध कदाचार चाहिए, त्रुटि या सद्भावपूर्ण गलत व्याख्या नहीं। मार्च में 63 राज्यसभा और 130 लोकसभा सांसदों द्वारा पेश पिछला प्रस्ताव पीठासीन अधिकारियों ने 6 अप्रैल को अस्वीकार कर दिया था, और 24 अप्रैल का एक नया राज्यसभा नोटिस लंबित है। पद-मुक्ति के लिए विशेष बहुमत चाहिए जो विपक्ष के पास नहीं है, इसलिए प्रस्ताव का व्यावहारिक मूल्य जाँच और अभिलेख के लिए बाध्य करना है, जहाँ तर्क को केंद्रित होना चाहिए। 5. बंगाल का मामला दिखाता है कि विलंब कैसे अधिकारों का निर्णय कर सकता है — निर्वाचन आयोग के 16 सितंबर के शपथ-पत्र के अनुसार SIR की 38,31,429 अपीलों में से 1,26,194 का निर्णय हो चुका है और 37,05,235 लंबित हैं। नंदीग्राम में 6,443 अपीलकर्ताओं में से 89 बहाल किए गए हैं; रेजिनगर में 12,452 में से चार। सर्वोच्च न्यायालय का यह मत कि उपचुनाव अत्यावश्यक नहीं हैं, मामलों की सूची-प्रबंधन के रूप में उचित है, पर बहिष्कृत मतदाता के लिए छूटा हुआ हर चुनाव हमेशा के लिए खोया हुआ वोट है। जब अपील-तंत्र सॉफ्टवेयर से की गई कटौतियों के साथ क्रदम नहीं मिला पाता, तो प्रणाली की त्रुटि का बोझ नागरिक पर पड़ता है, जो निष्पक्ष नामावली-पुनरीक्षण जो करना चाहिए उसका उलटा है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचक नामावली का प्राधिकारी बनाता है, परंतु डिजिटल मंच यह प्राधिकार उन लोगों के हाथ में खिसका सकते हैं जो उन्हें डिज़ाइन करते हैं।” निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सांविधिक जवाबदेही को कमज़ोर किए बिना तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 24 सितंबर के उस पत्र से शुरुआत कीजिए जिसमें ECINet में चार बदलाव मांगे गए ताकि ERO नियमों द्वारा दिए गए विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकें, और आयोग के 26 सितंबर के नोट से, जिसने इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया। 2. मुख्य भाग — सांविधिक डिज़ाइन — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ख और 21-24 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 समझाइए, जिनके केंद्र में ERO है, और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आयोग का अधीक्षण, जैसा मोहिंदर सिंह गिल में व्याख्यायित है। 3. मुख्य भाग — सॉफ्टवेयर ने प्राधिकार कैसे खिसकाया — उदाहरण प्रयोग कीजिए: सुनवाई-छूट विकल्प का न होना, 13 दस्तावेज़ों की बंद सूची, विसंगति संबंधी निर्णयों का ज़िला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर धकेला जाना, अनिवार्य अपलोड, और आयुक्त संधू का DG(IT) द्वारा केंद्रीकृत नियंत्रण पर नोट। एकरूपता और धोखाधड़ी-रोकथाम पर प्रतिवाद भी दीजिए। 4. मुख्य भाग — रक्षोपाय — कानूनी प्रावधानों से जुड़े मंच-नियमों का प्रकाशन, स्वतंत्र अंकेक्षण, मौखिक की जगह लिखित निर्देश, फ़्रील्ड अधिकारियों के लिए वैधानिक शिकायत-मार्ग और पूर्ण आयोग के अभिलिखित निर्णय सुझाइए। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि तकनीक को कानून का पालन करना चाहिए, उसे दोबारा लिखना नहीं, और निर्वाचक नामावली की वैधता इस पर निर्भर है कि हर निर्णय कोई नामित, जवाबदेह अधिकारी ले।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप महाराष्ट्र में ERO हैं। ECINet 82 वर्ष के ऐसे निर्वाचक की सुनवाई से छूट नहीं देने देता जिसके दस्तावेज़ वैध हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं नियमों का हवाला देते हुए अभिलेख पर अपना निर्णय दर्ज करूँगा कि दस्तावेज़ संतोषजनक हैं और मुझे व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, और उसे ज़िला निर्वाचन अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजूँगा। जहाँ सॉफ्टवेयर सुनवाई के लिए विवश करता है, वहाँ मैं उन्हें यात्रा कराने के बजाय बृथ-स्तरीय अधिकारी को उनके पास भेजने की व्यवस्था करूँगा। मैं ऐसे हर मामले को दर्ज करूँगा ताकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास उस बदलाव का साक्ष्य रहे जिसकी अनुमति अब आयोग ने दी है। कानून मेरा अधिकार है; सॉफ्टवेयर एक औज़ार है जिसकी विफलता की सूचना मुझे देनी ही है। प्रश्न 2. निर्वाचन आयोग के महानिदेशक (IT) के रूप में आप फ़्रील्ड अधिकारियों की शिकायतों का उत्तर कैसे देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं ECINet के हर फ़ंक्शन के लिए यह प्रकाशित करूँगा कि वह किस

वैधानिक प्रावधान को लागू करता है और कौन-से विकल्प देता है, और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से लिखित प्रतिक्रिया आमंत्रित करूँगा। जहाँ कानून अधिकारी को विवेकाधिकार देता है, वहाँ सॉफ्टवेयर को उस अधिकारी को कारण-क्षेत्र और अंकेक्षण-पथ के साथ चुनाव का विकल्प देना चाहिए। परिवर्तन आयोग द्वारा घोषित समिति से गुज़रे और लिखित रूप में अधिसूचित हों। मेरा कार्य ऐसी प्रणाली बनाना है जो वैध निर्णयों को आसान और अवैध निर्णयों को दृश्यमान बनाए।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या इन खुलासों के कारण मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत पद-मुक्ति के लिए सिद्ध कदाचार या असमर्थता चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया से तय हो, राजनीतिक निर्णय से नहीं। सही पहला कदम निष्पक्ष जाँच है कि निर्णय किसने लिए और क्या वे कानून और आयोग की अपनी प्रक्रियाओं के अनुरूप थे। यदि जाँच जानबूझकर उल्लंघन दिखाती है, तो पद-मुक्ति संसद के लिए संवैधानिक प्रश्न बन जाती है। तब तक आयोग की साख पारदर्शिता, प्रकाशित कार्यवृत्त और नामावलियों के सुधार से सबसे अच्छी तरह बहाल होगी।

1.4 सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा: IT नियमों का उपयोग कर 18 वर्ष से कम आयु वालों को सोशल मीडिया खाते खोलने से रोकें

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सोमवार, 28 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वह ऐसे सांविधिक नियम बनाए ताकि सोशल मीडिया मंच और अन्य डिजिटल मध्यवर्ती नाबालिगों से संबंधित भारतीय कानून का पालन करें और सदस्यता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष करें। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सुर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना थे, एनजीओ जस्ट राइट्स फ़ोर चिल्ड्रन अलायंस (JRCA) की जनहित याचिका (PIL) सुन रही थी, जो अधिवक्ता सक्षम माहेश्वरी के माध्यम से दायर हुई और वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का ने जिस पर बहस की। 10 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विधि तथा श्रम मंत्रालयों को नोटिस भेजे गए थे। तर्क का केंद्र विधिक क्षमता है। मजोरिटी एक्ट, 1875 (Majority Act, 1875) की धारा 3 के अंतर्गत कोई व्यक्ति 18 वर्ष पूरे करने पर ही वयस्क होता है, और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 11 के अंतर्गत वयस्कता से नीचे का व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। खाता एक संविदा है, और नाबालिग की संविदा, जैसा पीठ ने कहा, void ab initio है, यानी आरंभ से शून्य, मानो कभी थी ही नहीं। द हिंदू के अनुसार न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “ये सोशल मीडिया मंच क्या कर रहे हैं? क्या वे 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों को खाते रखने दे रहे हैं? और खाता है क्या? यह सोशल मीडिया मंच और बच्चे के बीच की संविदा है।” याचिका के अनुसार मंच 13 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों को केवल अपनी आयु घोषित करने भर से खाता खोलने देते हैं, जो “मूलभूत विधिक और विनियामक असंगति” है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि ये मध्यवर्ती, यानी दूसरों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री की मेज़बानी करने वाली कंपनियाँ, अमेरिकी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हैं और उन्होंने “अमेरिका में लागू प्रतिबंधों को भारतीय डिजिटल क्षेत्र में आयात कर लिया है”। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार CJI सुर्यकांत ने कहा कि सरकार निर्देश जारी करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 [Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021] की धाराओं 4 और 9 का सहारा ले सकती है, और न्यायमूर्ति बागची ने सरकार से आग्रह किया कि वह मंचों को “18 वर्ष की न्यूनतम सीमा” के साथ “अपने सॉफ्टवेयर या मंच को भारतीय कानून के अनुरूप ढालने” का निर्देश दे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई कि भारतीय कानून में नाबालिग संविदा नहीं कर सकते, कहा “हमें मध्यवर्तियों को नियंत्रित करना होगा”, और जोड़ा, “सरकार ऐसा करने को तैयार है।” उन्होंने यह भी निवेदन किया कि यह मुद्दा प्रथम दृष्टया डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act — DPDP Act, 2023) के अंतर्गत आता है; श्री फुल्का ने उत्तर दिया कि उसके प्रावधान केवल 2027 में लागू होंगे। PIL आयु-आश्वासन तंत्र (आयु की वास्तविक जाँच, स्व-घोषणा नहीं), नाबालिगों के स्वतंत्र खातों की समाप्ति, और अभिभावकों द्वारा चलाए जाने वाले खातों के माध्यम से शैक्षिक पहुँच की माँग करती है। 21 सितंबर के कार्ड में यूरोपीय संघ के 15 वर्ष से कम आयु के प्रस्ताव की चर्चा थी; नया यह है कि भारत के शीर्ष न्यायालय ने प्रश्न को संविदा विधि के माध्यम से गढ़ा है। पाठ्यक्रम से संबंध GS2 का है: सरकारी नीतियाँ, सांविधिक निकाय और समाज के संवेदनशील वर्गों का संरक्षण, तथा GS3 का: साइबर सुरक्षा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अमेरिकी मानदंडों पर बने मंच 13 वर्ष की न्यूनतम आयु रखते हैं और स्वघोषित जन्म-तिथि पर भरोसा करते हैं → करोड़ों भारतीय बच्चे ऐसे खाते खोलते हैं जिन्हें भारतीय संविदा विधि मान्यता नहीं देती → DPDP अधिनियम, 2023, 18 वर्ष से कम आयु वालों के लिए अभिभावक की सहमति अनिवार्य करता है, पर उसके प्रवर्तनकारी प्रावधान अभी लागू नहीं हैं → एक एनजीओ की PIL सर्वोच्च न्यायालय से इस अंतर को पाटने को कहती है → पीठ केंद्र से कहती है कि IT नियम, 2021 का उपयोग कर 18 वर्ष की सीमा लगाए, और सॉलिसिटर जनरल सहमत होते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. भारत में नाबालिग संविदा नहीं कर सकता, और ऐसा करार आरंभ से शून्य है — भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 10 कहती है कि करार तभी संविदा है जब वह संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से, विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया हो। धारा 11 सक्षम व्यक्ति उसे परिभाषित करती है जो वयस्कता की आयु पा चुका हो, स्वस्थचित हो और विधि द्वारा निरहित न हो। मोहोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903) में प्रिवी काउंसिल ने माना कि नाबालिग द्वारा निष्पादित बंधक आरंभ से शून्य (void ab initio) था,

केवल शून्यकरणीय नहीं, और नाबालिग को अग्रिम दी गई राशि लौटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 68 एक संकीर्ण अपवाद है: नाबालिग को “आवश्यक वस्तुएँ” देने वाला आपूर्तिकर्ता क्रीमत नाबालिग की संपत्ति से वसूल सकता है, पर नाबालिग से व्यक्तिगत रूप से नहीं। मजोरिटी एक्ट, 1875 वयस्कता की आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है।

2. **DPDP अधिनियम, 2023, 18 वर्ष से कम के हर व्यक्ति को बालक मानता है और अभिभावक की सहमति माँगता है** — डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम, 2023 “बालक” की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में करता है जिसने 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं। धारा 9 आँकड़ा न्यासी (Data Fiduciary), यानी वह कंपनी जो तय करती है कि व्यक्तिगत आँकड़ों का प्रसंस्करण क्यों और कैसे होगा, से अपेक्षा करती है कि बालक के व्यक्तिगत आँकड़ों के प्रसंस्करण से पहले वह माता-पिता या विधिक संरक्षक की सत्यापन-योग्य सहमति प्राप्त करे। यह बालक के कल्याण को हानि पहुँचाने की संभावना वाले प्रसंस्करण को भी वर्जित करता है और बालकों को लक्षित ट्रेकिंग, व्यवहारगत निगरानी और लक्षित विज्ञापन का निषेध करता है। अधिनियम सरकार को कुछ वर्गों के न्यासियों या प्रयोजनों को इन शर्तों से छूट देने देता है। DPDP नियम, 2025 सारभूत दायित्वों को चरणबद्ध रूप से लागू करते हैं, इसीलिए याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि प्रावधान केवल 2027 में लागू होंगे।
3. **सुरक्षित आश्रय मंचों को तभी संरक्षण देता है जब वे सरकार के सम्यक् तत्परता नियमों का पालन करें** — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 79 मध्यवर्ती को उसके द्वारा मेज़बानी की गई तृतीय-पक्ष सामग्री के दायित्व से छूट देती है, बशर्ते वह सम्यक् तत्परता का पालन करे और विधिसम्मत आदेशों पर कार्रवाई करे। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 79 का अर्थ सीमित किया कि “वास्तविक जानकारी” का अर्थ न्यायालय का आदेश या सरकारी अधिसूचना है, निजी शिकायत नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 इन सम्यक् तत्परता कर्तव्यों का विवरण देते हैं, और सरकार द्वारा अधिसूचित उपयोगकर्ता-सीमा से ऊपर के “महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों” पर अतिरिक्त दायित्व डालते हैं। जो मंच नियमों की अनदेखी करता है, उसे अपना सुरक्षित आश्रय खोने का जोखिम है, और पीठ ने केंद्र से यही उत्तोलक खींचने को कहा है।
4. **डिजिटल क्षेत्र में बच्चों के अधिकार अनुच्छेद 21 और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर टिके हैं** — न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना। भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का पक्षकार है, जो 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को बालक परिभाषित करता है और बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में बालक के सर्वोत्तम हित को प्राथमिक विचार बनाता है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 भी 18 की आयु-रेखा मानते हैं। नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 39(च) राज्य से अपेक्षा करता है कि वह सुनिश्चित करे कि बालकों का शोषण न हो और वे नैतिक तथा भौतिक परित्याग से संरक्षित रहें।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS2 में संवेदनशील वर्गों के संरक्षण और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के विनियमन पर पूछा जाता है** — मुख्य परीक्षा में डेटा संरक्षण, सोशल मीडिया मंचों की जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा विनियमन के संतुलन पर प्रश्न आए हैं। यह मामला एक साफ़ कानूनी आधार जोड़ता है, संविदात्मक क्षमता, जिससे उम्मीदवार तर्क दे सकता है कि मंचों के विनियमन को नए कानून की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। यह GS2 की उस पंक्ति से भी मेल खाता है जो इन संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधियों, संस्थाओं और निकायों की बात करती है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा डिजिटल विधि की शब्दावली परखती है** — UPSC ने IT अधिनियम, 2000, DPDP अधिनियम, 2023 और मध्यवर्ती तथा आँकड़ा न्यासी जैसे शब्दों के अर्थ पर पूछा है। DPDP अधिनियम में बालक की परिभाषा, धारा 79 का सुरक्षित आश्रय प्रावधान और नाबालिगों पर संविदा अधिनियम का नियम वैसे ही स्थापित प्रावधान हैं जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा पसंद करती है।
3. **आयु-सीमाओं की वैश्विक लहर अब भारत पहुँच रही है** — ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया खातों के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष का कानून बनाया है, और यूरोपीय संघ 15 वर्ष से कम आयु के लिए अभिभावकीय द्वार पर विचार कर रहा है, जैसा इस पत्रिका ने 21 सितंबर को बताया था। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर उत्तर को इन मॉडलों, यानी पूर्ण प्रतिबंध, अभिभावक की सहमति और डिज़ाइन-आधारित कर्तव्यों, की तुलना करनी चाहिए, भारत की बहस को अलग-थलग नहीं देखना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, वह संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है।

- मोहोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903) में प्रिवी काउंसिल ने माना कि नाबालिग के साथ किया गया करार आरंभ से शून्य (void ab initio) है।
- मजोरिटी एक्ट, 1875 के अंतर्गत कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क होता है।
- डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम, 2023 बालक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, और बालक के व्यक्तिगत आँकड़ों के प्रसंस्करण से पहले सत्यापन-योग्य अभिभावकीय सहमति की अपेक्षा करता है।
- DPDP अधिनियम, 2023 बालकों को लक्षित ट्रेकिंग, व्यवहारगत निगरानी और लक्षित विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 मध्यवर्तियों को तृतीय-पक्ष सामग्री के दायित्व से सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है, जो सम्यक् तत्परता के अधीन है।
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा 66क को रद्द किया और धारा 79 का अर्थ सीमित करते हुए “वास्तविक जानकारी” के लिए न्यायालय का आदेश या सरकारी अधिसूचना आवश्यक ठहराई।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. पीठ ने नया कानून बनने की प्रतीक्षा किए बिना मंचों के विनियमन का रास्ता खोज लिया है — बच्चों और सोशल मीडिया पर सामान्य बहस यह पूछती है कि क्या संसद को किसी आयु से नीचे खातों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पीठ ने यह इंगित करके उसे किनारे कर दिया कि भारतीय कानून बच्चे के खाते को वैध संविदा के रूप में पहले से मान्यता नहीं देता। यदि संविदा शून्य है, तो मंच की सेवा की शर्तें बच्चे को बाँध नहीं सकतीं, और मंच का यह दावा कि बच्चे ने आँकड़ा संग्रहण की “सहमति” दी, ढह जाता है। IT नियमों के साथ मिलकर, जो प्रत्यायोजित विधान हैं और जिन्हें कार्यपालिका शीघ्र संशोधित कर सकती है, यह सरकार को ऐसा मार्ग देता है जिसमें नया विधेयक नहीं चाहिए। प्रतिवाद यह है कि नीतिगत प्रश्न पर न्यायालयों को कार्यपालिका को नियम-निर्माण की ओर नहीं धकेलना चाहिए, क्योंकि आयु-रेखा के चुनाव में समझौते शामिल हैं जो विधायिका के हैं।
2. शून्य-संविदा का तर्क दोनों ओर काट सकता है और बच्चों को मंचों से अधिक हानि पहुँचा सकता है — यदि नाबालिग का खाता शून्य है, तो बच्चा भी उन संविदात्मक संरक्षणों से वंचित हो जाता है, जैसे शिकायत-निवारण और मंच की अपनी नीति के अंतर्गत आँकड़ा-विलोपन के दायित्व, जो सेवा की शर्तों से आते हैं। शून्य-संविदा का सिद्धांत नाबालिगों को बुरे सौदों में बँधने से बचाने के लिए बना था, उन्हें सार्वजनिक स्थानों से बाहर करने के लिए नहीं। जो बच्चा स्कूल समूहों के लिए मैसेजिंग ऐप का उपयोग करता है, या जो किशोर क्रिएटर सामग्री से कमाता है, वह पाएगा कि कानून उसकी गतिविधि को विधिक रूप से अस्तित्वहीन मानता है। बेहतर पाठ यह है कि संविदा का बिंदु मंचों पर कठोर नियमों को उचित ठहराता है, बच्चों के बहिष्कार को नहीं, और याचिका स्वयं शैक्षिक सामग्री तक अभिभावक-नियंत्रित पहुँच माँगती है।
3. आयु-आश्वासन वह कठिन इंजीनियरिंग समस्या है जिसे आदेश हल नहीं करता — आज मंच स्वघोषित जन्म-तिथियों पर निर्भर हैं, जिन्हें कोई भी बच्चा झुठला सकता है। वास्तविक आयु-आश्वासन का अर्थ या तो दस्तावेज़ जाँच है, जिसमें सभी से पहचान संबंधी आँकड़े जुटाने पड़ते हैं, या चेहरे या व्यवहार से अनुमान, जो निजता और त्रुटि की चिंताएँ उठाता है। हर भारतीय वयस्क से खाता खोलने के लिए आयु का प्रमाण माँगना आँकड़ा संग्रहण को तीव्रता से बढ़ाएगा, जो DPDP अधिनियम के आँकड़ा-न्यूनीकरण के सिद्धांत से असहज बैठता है। इसलिए किसी भी नियम का डिज़ाइन तय करेगा कि बाल-सुरक्षा वयस्कों की निजता की क्रीमत पर खरीदी जाएगी या नहीं। एकल द्वार की बजाय श्रेणीबद्ध उपागम, जिसमें केवल उच्च जोखिम वाली सुविधाओं, जैसे अजनबियों को संदेश या मुद्राकरण, के लिए कड़ी जाँच हो, अधिक व्यावहारिक हो सकता है।
4. DPDP की समय-सारणी कागज़ पर विधि और प्रवर्तित विधि के अंतर को उजागर करती है — सॉलिसिटर जनरल का उत्तर कि DPDP अधिनियम पहले से इस मुद्दे को कवर करता है और याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर कि वह केवल 2027 में प्रभावी होगा, लंबी चरणबद्ध अवधियों की क्रीमत दिखाते हैं। अधिनियम 2023 में पारित हुआ, फिर भी बालकों के लिए उसका अभिभावकीय-सहमति नियम अभी प्रवर्तनीय नहीं है। इस बीच मंचों पर स्वघोषणा से आगे कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है। IT नियमों के उपयोग का न्यायालय का सुझाव वस्तुतः DPDP व्यवस्था शुरू होने तक का सेतु है। इसका यह भी अर्थ है कि दो समानांतर व्यवस्थाओं, IT नियमों के अंतर्गत MeitY के निदेश और DPDP अधिनियम के अंतर्गत डेटा संरक्षण बोर्ड, का बाद में समन्वय करना पड़ सकता है।
5. 18 वर्ष की सीमा तय करना विश्व के अधिकांश देशों से अधिक कठोर है — 13 वर्ष का अमेरिकी-मूल मानदंड अमेरिकी बाल निजता कानून से आया है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 चुना और 21

	सितंबर को चर्चित यूरोपीय संघ का प्रस्ताव 15 पर विचार करता है। 18 वर्ष की सीमा भारत को सबसे कठोर क्षेत्राधिकारों में से एक बना देगी। समर्थक तर्क देते हैं कि भारतीय कानून पहले से वयस्कता, सहमति और बाल संरक्षण के लिए 18 का प्रयोग करता है, इसलिए संगति की मांग यही है। आलोचक ध्यान दिलाते हैं कि 16 और 17 वर्ष के किशोर शिक्षा, रोज़गार और नागरिक जीवन के लिए मंचों का उपयोग करते हैं, और कठोर प्रतिबंध उन्हें उधार के खातों या अविनियमित ऐप की ओर धकेल सकता है। चुनाव केवल कानूनी नहीं, सामाजिक भी है, और किसी भी नियम से पहले सार्वजनिक परामर्श उसकी वैधता को मज़बूत करेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को स्वघोषित आयु और मंचों की सेवा-शर्तों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।” नाबालिगों के सोशल मीडिया खातों पर सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के प्रकाश में, बच्चों की डिजिटल मंचों तक पहुँच के विनियमन के लिए भारत के विधिक ढाँचे का परीक्षण कीजिए। एक संतुलित उपागम सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — 28 सितंबर की सुनवाई से आरंभ कीजिए: CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र से कहा कि वह IT नियम, 2021 का उपयोग कर सोशल मीडिया सदस्यता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष करे, इस तर्क के साथ कि नाबालिग का खाता आरंभ से शून्य (void ab initio) संविदा है। मुख्य भाग — विद्यमान ढाँचा — संविदा अधिनियम की धाराएँ 10 और 11 तथा मोहोरी बीबी; मजोरिटी एक्ट, 1875; सत्यापन-योग्य अभिभावकीय सहमति और ट्रेकिंग तथा लक्षित विज्ञापन पर रोक के लिए DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 9; धारा 79 का सुरक्षित आश्रय और IT नियम, 2021 समझाइए। ध्यान दिलाइए कि DPDP प्रावधान केवल 2027 में प्रभावी होंगे। मुख्य भाग — अंतराल और दुविधाएँ — स्वघोषित आयु, मंचों द्वारा 13 वर्ष की अमेरिकी सीमा का आयात, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए आयु-सत्यापन की निजता-संबंधी क्रीमत, किशोरों को शैक्षिक और आर्थिक उपयोगों से बाहर करने का जोखिम और परस्पर व्याप्त विनियामकों की चर्चा कीजिए। मुख्य भाग — संतुलित उपागम — जोखिम-आधारित आयु-आश्वासन, छोटे उपयोगकर्ताओं के लिए अभिभावक-नियंत्रित खाते, नाबालिगों के लिए डिफ़ॉल्ट निजता सेटिंग, बच्चों को लक्षित विज्ञापन पर रोक, स्कूलों में डिजिटल साक्षरता, और MeitY तथा डेटा संरक्षण बोर्ड द्वारा स्पष्ट प्रवर्तन प्रस्तावित कीजिए। तुलना के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ का उल्लेख कीजिए। निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि भारत को बाल-ऑनलाइन-सुरक्षा को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बालक के अधिकारों और सर्वोत्तम हित के सिद्धांत में स्थापित करना चाहिए, और केवल प्रतिबंधों पर निर्भर रहने के बजाय मंचों पर डिज़ाइन-कर्तव्य लगाने चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप MeitY में संयुक्त सचिव हैं और इस सुनवाई के बाद IT नियमों के अंतर्गत निर्देशों का मसौदा तैयार करना है। उनमें आप क्या रखेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं मंचों से अपेक्षा करूँगा कि वे केवल स्वघोषित आयु पर निर्भर रहना बंद करें और जोखिम के अनुपात में आयु-आश्वासन पद्धतियाँ लगाएँ, साथ ही उन्हें सत्यापन के बाद पहचान दस्तावेज़ रखने से रोकूँगा। 18 वर्ष से कम आयु वालों के खातों के लिए जुड़ी हुई अभिभावकीय सहमति, डिफ़ॉल्ट रूप से निजी सेटिंग और लक्षित विज्ञापन का अभाव आवश्यक होगा, जो DPDP अधिनियम की धारा 9 के अनुरूप है। मैं सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा प्रकाशित करूँगा और अनुपालन की स्पष्ट समय-सीमा दूँगा। अनुपालन न करने को धारा 79 के अंतर्गत सुरक्षित आश्रय खोने से जोड़ा जाएगा। प्रश्न 2. ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में, किसी राष्ट्रीय नियम के लागू होने से पहले आप अपने ज़िले में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को कैसे संबोधित करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं ज़िला शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के लिए डिजिटल सुरक्षा सत्र चलाऊँगा। ज़िला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ को ऑनलाइन शोषण के मामलों के लिए सरल रिपोर्टिंग चैनल दिया जाएगा। स्कूलों से कहा जाएगा कि वे देखें कि कहीं वे गृहकार्य समूहों के लिए बच्चों को सोशल मीडिया पर तो नहीं धकेल रहे। उद्देश्य जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया है, क्योंकि मंचों का विनियमन ज़िले की शक्ति से बाहर है। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या किशोरों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करना उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है? दृष्टिकोण (Approach): अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, पर युक्तियुक्त निर्बंधन अनुमत हैं और बच्चों की रक्षा का राज्य का कर्तव्य मान्य है। 16 और 17 वर्ष के किशोरों पर पूर्ण प्रतिबंध अनानुपातिक हो सकता है, क्योंकि वह हानि के साथ-साथ वैध सीखने और अभिव्यक्ति को भी काट देता है। अनुपातिक उपागम उपस्थिति पर नहीं, जोखिम भरी

सुविधाओं और आँकड़ा-व्यवहारों पर रोक लगाएगा। इसलिए मैं मंच के डिज़ाइन के विनियमन के पक्ष में तर्क दूँगा, सर्वव्यापी निषेध के पक्ष में नहीं।

1.5 PRS के आँकड़े: आरक्षित सीटों के सांसदों ने लोकसभा की बहसों में अपने सहकर्मियों से कम हिस्सा लिया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू द्वारा PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के 18वीं लोकसभा के MP Track आँकड़ों (24 जून, 2024 से 23 अगस्त, 2026 तक) के विश्लेषण से पता चलता है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों से चुने गए सांसदों ने बहसों में सदन के औसत से भी और अपने ही दल के सहकर्मियों से भी कम हिस्सा लिया है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एक स्वतंत्र शोध समूह है जो संसद और व्यक्तिगत सांसदों के कार्य पर नज़र रखता है; “बहसों में भागीदारी” का अर्थ है कि किसी सांसद ने विधेयकों और अन्य चर्चाओं की बहसों में कितनी बार बोला। यह विश्लेषण केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के 16 सितंबर के उस पत्र के बाद किया गया, जो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा और जिसमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के SC और ST सांसदों को सदन में अधिक समय देने की माँग की गई थी। श्री मांझी ने 5 अगस्त को अपने आवास पर हुई “NDA सांसद समूह संवाद बैठक” का हवाला दिया, जिसमें मध्य प्रदेश की आरक्षित जनजातीय सीट खरगोन का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा था कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में SC/ST समुदायों के सांसदों को बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा। श्री मांझी ने अध्यक्ष से स्थिति सुधारने का आग्रह किया। आँकड़ों के अनुसार, जिनमें SC/ST निर्वाचन क्षेत्रों के छह मंत्री शामिल नहीं हैं, SC सीटों के 24 भाजपा सांसदों ने औसतन 14.67 बहसों में और ST सीटों के 22 ने 13.05 बहसों में भाग लिया। दोनों को मिलाकर इन 46 का औसत 13.89 रहा, जबकि सदन के सभी 483 वर्तमान सांसदों का औसत 21.53 है। SC और ST सीटों के बाहर के 145 भाजपा सांसदों का औसत 19.68 रहा। गैर-आरक्षित सीटों के भाजपा सांसदों की तुलना में SC सीट के भाजपा सांसदों ने औसतन 4.14 बहसों से कम की (14.67 के मुकाबले 18.80) और ST सीट के भाजपा सांसदों ने 5.92 कम (13.05 के मुकाबले 18.96)। देवास से दूसरी बार चुने गए 42 वर्षीय महेंद्र सिंह सोलंकी इन 46 में अकेले हैं जिन्होंने किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लिया। 46 में से नौ सदन के औसत से ऊपर हैं, जिनमें पलामू के विष्णु दयाल राम 44 बहसों के साथ और पालघर के हेमंत विष्णु सावरा 43 के साथ सबसे आगे हैं। यह प्रवृत्ति केवल एक दल तक सीमित नहीं है। सभी दलों को मिलाकर SC सीटों के सांसदों का औसत 18.22 बहसों रहा जबकि अन्य का 22.15, और ST सीटों के सांसदों का 17.67 जबकि अन्य का 21.91। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस में भी अंतर दिखा, जहाँ उसके SC सीट के सांसदों का औसत 19 रहा जबकि दल के अन्य सांसदों का 23.38; हालाँकि उसके ST सीट के सांसदों का औसत 24.42 रहा, जो उनके सहकर्मियों के 22.22 से अधिक है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र वह है जहाँ केवल SC या ST समुदाय का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है, जबकि क्षेत्र के सभी मतदाता मतदान करते हैं। पाठ्यक्रम से संबंध GS2 में संसद — उसके कार्य-संचालन और कार्यवाही के संचालन — तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रतिनिधित्व से है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1932 के पूना समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल आया → संविधान आरक्षित सीटों को अनुच्छेद 330 और 332 में आगे ले जाता है → आरक्षित सीट के सांसद को सभी समुदायों के वोट जीतने पड़ते हैं और वह दल के टिकट पर निर्भर रहता है → लोकसभा में बोलने का समय दलीय सचेतकों और नेताओं के ज़रिये बाँटा जाता है → NDA का एक मंत्री अध्यक्ष को पत्र लिखता है, और PRS के आँकड़े दलों के आर-पार भागीदारी के अंतर की पुष्टि करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 330 और 332 SC तथा ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करते हैं — अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है, और अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में यही करता है। किसी राज्य में आरक्षित सीटों की संख्या का उसकी कुल सीटों से वही अनुपात यथासंभव रखा जाता है जो उस राज्य की जनसंख्या में SC या ST की जनसंख्या का है। 2001 की जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद लोकसभा की 84 सीटें SC के लिए और 47 ST के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित सीटें संयुक्त निर्वाचक मंडल से भरी जाती हैं, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र का हर मतदाता मतदान करता है, पर केवल SC या ST का उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है। अनुच्छेद 334 ने मूल रूप से इस आरक्षण के लिए दस वर्ष की समय-सीमा तय की थी, जिसे बार-बार बढ़ाया गया है।
2. 104वें संशोधन ने सीटों का आरक्षण 2030 तक बढ़ाया और आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त किया — संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम, 2019 [Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019] ने अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया। इसी संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को नहीं बढ़ाया, जो इसलिए जनवरी 2020 में समाप्त हो गया। इस प्रकार सीटों का आरक्षण संविधान का एकमात्र समय-सीमा वाला आरक्षण है, जबकि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की कोई समाप्ति-अवधि नहीं है।
3. कौन-से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह परिसीमन आयोग तय करता है — अनुच्छेद 82 और परिसीमन अधिनियम, 2002 (Delimitation Act, 2002) के अंतर्गत परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ नए सिरे से खींचता है और SC तथा ST के लिए आरक्षित होने वाली सीटों की पहचान करता है। ST सीटें प्रायः उन क्षेत्रों को मिलती हैं जहाँ जनजातीय आबादी का हिस्सा सबसे अधिक हो; SC सीटें SC जनसंख्या के अनुपात के आधार पर चुनी जाती हैं और साथ ही

	राज्य भर में फैलाई जाती हैं, क्योंकि SC भौगोलिक रूप से कम केंद्रित हैं। अनुच्छेद 329(क) न्यायालयों को परिसीमन संबंधी विधियों की वैधता पर प्रश्न उठाने से रोकता है, और आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त है। चूंकि SC आबादी बिखरी हुई है, SC सीट के सांसद प्रायः उन क्षेत्रों में जीतते हैं जहाँ SC मतदाता अल्पसंख्यक होते हैं। 4. 1932 के पूना समझौते ने पृथक निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटों वाले संयुक्त निर्वाचक मंडल को चुना — ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के 1932 के सांप्रदायिक पंचाट (Communal Award) ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल दिए थे, यानी केवल दलित वर्गों के मतदाता ही अपने प्रतिनिधि चुनते। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में उपवास करके इसका विरोध किया, और बी.आर. आंबेडकर ने सितंबर 1932 में पूना समझौता स्वीकार किया। समझौते ने पृथक निर्वाचक मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल रखा और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों की आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दीं। आंबेडकर ने बाद में तर्क दिया कि संयुक्त निर्वाचक मंडल से बहुसंख्यक वर्ग ऐसे दलित प्रतिनिधि चुन लेता है जो उसे स्वीकार्य हों, और यह आलोचना प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता की बहस में आज भी केंद्रीय है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 में संसद के कामकाज और विधायी बहस की गुणवत्ता पर प्रश्न पूछे जाते हैं — मुख्य परीक्षा में संसदीय बैठकों में गिरावट, बिना चर्चा के विधेयकों के पारित होने और समितियों की भूमिका पर प्रश्न पूछे गए हैं। ये आँकड़े एक नया आयाम जोड़ते हैं: संसद कितनी देर बैठती है, यह नहीं, बल्कि बोलने का अवसर किसे मिलता है। इनका उपयोग संसदीय उत्पादकता, दलीय सचेतकों की शक्ति और कार्यवाही के संचालन में अध्यक्ष की भूमिका पर उत्तरों में किया जा सकता है। 2. कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व GS1 और GS2 में बार-बार आने वाला विषय है — पूना समझौते, प्रतिनिधित्व पर आंबेडकर के विचारों और राजनीतिक आरक्षण की निरंतरता पर प्रश्न इतिहास और राजव्यवस्था, दोनों पत्रों में आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अनुच्छेद 334 और 104वें संशोधन पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वर्णनात्मक बनाम सारभूत प्रतिनिधित्व की अवधारणा राजनीति विज्ञान के वैकल्पिक विषय की भी मानक सामग्री है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का, और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में ऐसे आरक्षण का प्रावधान करता है। ● संविधान (104वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण 2030 तक बढ़ाया और आंग्ल-भारतीय सदस्यों का मनोनयन बंद कर दिया। ● SC और ST के लिए आरक्षित सीटें संयुक्त निर्वाचक मंडल से भरी जाती हैं: निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता मतदान करते हैं, पर केवल SC या ST के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। ● महात्मा गांधी और बी.आर. आंबेडकर के बीच 1932 के पूना समझौते ने सांप्रदायिक पंचाट में दलित वर्गों को दिए गए पृथक निर्वाचक मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीटें रखीं। ● अनुच्छेद 329(क) के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आबंटन से संबंधित किसी भी विधि की वैधता पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ● लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम सदन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ● लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee), जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, विधेयकों और अन्य कार्यों की चर्चा के लिए आबंटित किए जाने वाले समय की सिफारिश करती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. आरक्षित सीटें उपस्थिति की गारंटी देती हैं, आवाज़ की नहीं — राजनीतिक सिद्धांतकार हैना पिटकिन ने वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व — क्या विधायिका उस समाज जैसी दिखती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है — और सारभूत प्रतिनिधित्व — क्या प्रतिनिधि उनके हितों के लिए कार्य करते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं — में भेद किया था। आरक्षित सीटों ने पहला दिया है: लोकसभा में SC और ST सदस्य अपनी जनसंख्या के अनुपात में हैं। PRS के आँकड़े संकेत देते हैं कि दूसरा कमजोर है, क्योंकि सदन में उपस्थिति बराबर भागीदारी में नहीं बदलती। जो सदस्य बहुत कम बोलता है, वह निर्वाचन क्षेत्र की शिकायतें नहीं उठा सकता, मंत्रियों से प्रश्न नहीं कर सकता और विधेयकों को आकार नहीं दे सकता। प्रतिवाद यह है कि बहसों केवल एक पैमाना हैं; सदस्य प्रश्नों, समितियों और निर्वाचन क्षेत्र की सेवा के माध्यम से भी कार्य करते हैं, जिन्हें ये आँकड़े नहीं पकड़ते।

2. यह अंतर संरचनात्मक है, इसीलिए यह दलों के आर-पार दिखता है — द हिंदू के आँकड़े यह अंतर भाजपा के साथ कांग्रेस में भी और सभी दलों में दिखाते हैं, जो किसी एक दल के चुनावों से हटकर उस तरीके की ओर इशारा करता है जिससे संसद समय बाँटती है। बोलने का समय दलों के अनुसार बाँटता है: अध्यक्ष और कार्य मंत्रणा समिति मोटे तौर पर दल की संख्या-शक्ति के अनुपात में समय आवंटित करती हैं, और फिर हर दल का नेतृत्व तय करता है कि कौन बोलेगा। वरिष्ठता, मंत्री-पद की महत्वाकांक्षा या नेतृत्व से निकटता रखने वाले सदस्यों को प्रायः ये अवसर मिलते हैं। आरक्षित सीटों के सदस्य, जिनमें कई बिखरे समुदायों से आए पहली पीढ़ी के राजनेता हैं, दल के भीतर कम मोलभाव-शक्ति रख सकते हैं। कांग्रेस के ST सीट के सदस्य, जिन्होंने अपने सहकर्मियों से अधिक बोला, दिखाते हैं कि यह प्रतिमान अपरिहार्य नहीं है।
3. संयुक्त निर्वाचक मंडल ऐसी निर्भरता रचता है जिसकी आंबेडकर ने चेतावनी दी थी — चूँकि SC बिखरे हुए हैं, SC सीट का सांसद सामान्यतः अन्य समुदायों के वोटों से जीतता है और दल के टिकट पर बहुत निर्भर रहता है। इससे सदस्य पहले उस दलीय संगठन के प्रति जवाबदेह हो जाता है जो उम्मीदवार चुनता है, और उसके बाद ही समुदाय के प्रति। पूना समझौते पर आंबेडकर की आपत्ति ठीक यही थी: बहुसंख्यक वे दलित प्रतिनिधि चुनेंगे जो उन्हें सुविधाजनक लगे। दसवीं अनुसूची, जो दल के सचेतक की अवज्ञा करने वाले सदस्यों को निरह ठहराती है, सदस्य क्या कहें और क्या करें, इस पर दलीय नियंत्रण को और मजबूत करती है। इसलिए कम भागीदारी एक व्यापक ढाँचे का लक्षण हो सकती है जिसमें आरक्षित सीट के सदस्य के स्वतंत्र कार्य के लिए गुंजाइश सीमित है।
4. एक मंत्री का पत्र दिखाता है कि शिकायत सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी महसूस की जा रही है — शिकायत विपक्ष से नहीं, बल्कि श्री मांडवी और श्री पटेल के माध्यम से NDA के भीतर से आई है। यह मायने रखता है, क्योंकि इससे मुद्दा दलीय हमले के बजाय आंतरिक दलीय लोकतंत्र और सदन-प्रबंधन की समस्या के रूप में सामने आता है। अध्यक्ष पक्ष लिए बिना उत्तर दे सकता है: दलों को वक्ता बारी-बारी से बदलने के लिए प्रोत्साहित करके, SC और ST को प्रभावित करने वाले विधेयकों की बहसों में समय आरक्षित करके, या शून्य काल और अल्पकालिक चर्चाओं का अधिक उपयोग करके। सीमा यह है कि अध्यक्ष किसी दल को किसी विशेष सदस्य को उतारने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि वक्ताओं का चयन दलीय नेताओं के हाथ में है।
5. बहसों की गिनती सांसद के कार्य का उपयोगी परंतु मोटा पैमाना है — बहसों की संख्या उन सदस्यों को पुरस्कृत करती है जो बार-बार बोलते हैं, चाहे संक्षेप में ही, और हस्तक्षेपों की गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं कहती। कुछ सदस्य प्रश्नों, निजी सदस्यों के विधेयकों या समिति के काम पर ध्यान देते हैं, और अन्य निर्वाचन क्षेत्र की सेवा पर, जिसे ग्रामीण मतदाता अक्सर अधिक महत्व देते हैं। ये आँकड़े पाँच वर्ष के कार्यकाल के मुश्किल से दो वर्ष ही समेटते हैं। फिर भी अंतर दलों और श्रेणियों में एकसमान है, और सदन के औसत 21.53 के मुकाबले 46 भाजपा आरक्षित-सीट सदस्यों का 13.89 इतना बड़ा है कि वह महज़ शोर से अधिक है। ये आँकड़े जाँच की शुरुआत हैं, व्यक्तिगत सदस्यों पर कोई फ़ैसला नहीं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“सीटों के आरक्षण ने संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उपस्थिति तो सुनिश्चित की है, पर ज़रूरी नहीं कि उनकी आवाज़ भी।” आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों की लोकसभा की बहसों में भागीदारी के हालिया आँकड़ों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. प्रस्तावना — 24 जून, 2024 से 23 अगस्त, 2026 तक के PRS MP Track आँकड़ों का हवाला दीजिए: सभी दलों के SC सीट के सांसदों का औसत 18.22 बहसें रहा जबकि अन्य का 22.15, और ST सीट के सांसदों का 17.67 जबकि अन्य का 21.91; 46 भाजपा आरक्षित-सीट सांसदों का औसत 13.89 रहा जबकि सदन का औसत 21.53 है।
2. मुख्य भाग — संवैधानिक ढाँचा — अनुच्छेद 330, 332 और 334, 104वें संशोधन, संयुक्त निर्वाचक मंडल और पूना समझौते की व्याख्या कीजिए। पिटकिन के वर्णनात्मक और सारभूत प्रतिनिधित्व के भेद को सरल शब्दों में रखिए।
3. मुख्य भाग — अंतर के कारण — बोलने के समय पर दलीय नियंत्रण, कार्य मंत्रणा समिति और अध्यक्ष की भूमिका, दसवीं अनुसूची और सचेतक, बिखरे SC निर्वाचन क्षेत्रों में दलीय टिकट पर निर्भरता, और दल के भीतर पहली पीढ़ी के सदस्यों की कमज़ोर स्थिति की चर्चा कीजिए।
4. मुख्य भाग — दूसरा पक्ष — ध्यान दिलाइए कि बहसों प्रश्नों, समितियों और निर्वाचन क्षेत्र के कार्य के बीच केवल एक पैमाना है: कि 46 भाजपा सदस्यों में से नौ सदन के औसत से ऊपर हैं; और कि कांग्रेस के ST सीट के सदस्य अपने सहकर्मियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
5. निष्कर्ष — वक्ताओं की बारी-बारी से अदला-बदली, SC और ST को प्रभावित करने वाले विधेयकों की बहसों में आरक्षित समय, और नए सांसदों के लिए क्षमता-निर्माण के सुझाव दीजिए, और निष्कर्ष निकालिए कि राजनीतिक आरक्षण का अगला क्रम केवल सीट नहीं,

आवाज़ सुनिश्चित करना है।

प्रश्न 1. आप लोकसभा के महासचिव हैं। श्री मांझी के पत्र के बाद अध्यक्ष आपसे विकल्प पूछते हैं। आप क्या सलाह देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सबसे पहले अध्यक्ष के लिए श्रेणी-वार भागीदारी के आँकड़े संकलित करूँगा, क्योंकि अच्छे निर्णयों के लिए स्पष्ट आधार-रेखा चाहिए। मैं सुझाव दूँगा कि कार्य मंत्रणा समिति दलीय नेताओं से आग्रह करे कि वे वक्ता बारी-बारी से बदलें और प्रमुख बहसों में आरक्षित सीटों के सदस्यों को शामिल करें। अधिक सदस्यों को अवसर देने के लिए शून्य काल की अवधियों और अल्पकालिक चर्चाओं का उपयोग किया जा सकता है। मैं संसद की शोध और प्रशिक्षण सेवाओं के माध्यम से पहली बार चुनकर आए सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखूँगा।

प्रश्न 2. साक्षात्कार मंडल पूछता है: यदि उन सीटों के सांसद कम भागीदारी करते हैं, तो क्या 2030 के बाद आरक्षित सीटों का जारी रहना उचित है?

दृष्टिकोण (Approach): कम भागीदारी प्रतिनिधित्व को मज़बूत करने का तर्क है, उसे समाप्त करने का नहीं। आरक्षित सीटों के बिना SC और ST सदस्यों की संख्या तेज़ी से घटने की आशंका है, क्योंकि सामान्य सीटों के दलीय टिकटों में उनके समुदायों का प्रतिनिधित्व अब भी कम है। बेहतर तरीका यह है कि उपस्थिति की गारंटी बनाए रखते हुए उनकी आवाज़ के कमज़ोर होने के कारणों — समय पर दलीय नियंत्रण, टिकटों पर निर्भरता — को दूर किया जाए। निरंतरता पर कोई भी निर्णय सामाजिक और राजनीतिक समावेशन के आँकड़ों पर आधारित होना चाहिए, किसी एक पैमाने पर नहीं।

प्रश्न 3. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में आप SC और ST मतदाताओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सुनिश्चित करूँगा कि हर पात्र SC और ST मतदाता, विशेषकर दूरस्थ बस्तियों में, पंजीकृत हो और उसके निकट मतदान केंद्र हो। निर्वाचन आयोग के SVEEP कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान इन समुदायों पर केंद्रित किए जा सकते हैं। सटीक मतदाता सूची और ऊँचा मतदान निर्वाचित सदस्य को अधिक मज़बूत जनादेश देता है। मेरी भूमिका तटस्थ है, इसलिए मैं पहुँच और जागरूकता पर ध्यान दूँगा, किसी उम्मीदवार या दल पर नहीं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

1.6 अमित शाह ओडिशा-छत्तीसगढ़ की महानदी विवाद बैठक की अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि राज्य सीधी बातचीत की ओर बढ़े

समाचार (THE NEWS) भुवनेश्वर। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने सोमवार, 28 सितंबर को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल-बंटवारा विवाद के समाधान पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपना-अपना पक्ष रखने की अपेक्षा है। अखबार ने उनके प्रथम नाम की वर्तनी “Pitamabar” लिखी है। “मुख्यमंत्रियों के अलावा, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बैठक में उपस्थित रहेंगे,” श्री आचार्य ने कहा। उन्होंने कहा कि बैठक से दोनों राज्यों के बीच विश्वास और भरोसा बनने की आशा है ताकि अंतिम समाधान हो सके और स्वीकार किया जा सके। यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में 30 जुलाई को हुई उच्च-स्तरीय बैठक के बाद हो रही है। एक दशक से दोनों राज्य महानदी पर अपने-अपने अधिकार जता रहे हैं। दोनों राज्यों के अभियंताओं ने तकनीकी मुद्दों पर कई बार बैठकें कीं और अपनी रिपोर्टें केंद्रीय जल आयोग (CWC) को सौंपीं, जिसे श्री आचार्य ने देश में नदी जल प्रबंधन के तकनीकी और प्रशासनिक मामलों की शीर्ष संस्था बताया। CWC अपनी रिपोर्ट महानदी जल विवाद अधिकरण को देगा, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी कर रही हैं। इस प्रकार का अधिकरण एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसे केंद्र एक विशेष कानून के तहत गठित करता है, ताकि यह तय हो सके कि अंतर-राज्यीय नदी का जल कैसे बाँटा जाए। श्री आचार्य ने बताया कि नदी जल विवादों में अदालती लड़ाइयाँ प्रायः दीर्घकालिक समाधान देने में विफल रही हैं। “ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हमने अधिकरण को सूचित किया कि दोनों राज्यों को विवादित मुद्दों पर आपस में सीधे बातचीत का अवसर दिया जाना चाहिए। अधिकरण ने इसे मान लिया,” उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और तकनीकी वार्ताओं से जो समाधान निकले, वह सर्वोत्तम परिणाम हो सकता है, और “महानदी के लिए एक विनियामक निकाय हो सकता है” जो जल-बंटवारे का निर्णय करे, हालाँकि “अंतिम निर्णय अधिकरण ही लेगा”। ओडिशा सरकार के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने 2010 के बाद महानदी पर 500 से अधिक एनिकट और 30 बैराज बनाए हैं। एनिकट नदी के आर-पार बना छोटा चिनाई का बाँध है जो जल-स्तर बढ़ाकर पानी को नहरों में मोड़ता है; बैराज एक बड़ी फाटक वाली संरचना है जो यही कार्य करती है। ओडिशा की पिछली नवीन पटनायक की सरकार ने माँग की थी कि ऊपरी क्षेत्र का यह निर्माण रोका जाए और जल-बंटवारे का निश्चित सूत्र तय हो, यह तर्क देते हुए कि ओडिशा इस नदी पर अत्यंत निर्भर है। यह बदलाव महत्वपूर्ण है: अब दोनों राज्यों और केंद्र में एक ही दल का शासन है, और ओडिशा मुकदमेबाज़ी से वार्ता की ओर बढ़ा है। पाठ्यक्रम से संबंध GS2 में संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंधों और विवाद-निवारण तंत्रों से, तथा GS1/GS3 में जल संसाधनों के वितरण और प्रबंधन से है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा में बहती है, जिसका हीराकुड बांध और डेल्टा उसके प्रवाह पर निर्भर हैं → छत्तीसगढ़ 2010 के बाद ऊपरी क्षेत्र में 500 से अधिक एनिकट और 30 बैराज बनाता है → ओडिशा विरोध करता है और अधिकरण मांगता है, जिसे केंद्र 1956 के अधिनियम के तहत गठित करता है → वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया बिना किसी समाधान के → दोनों राज्यों में एक ही दल की सत्ता होने पर ओडिशा अधिकरण से सीधी वार्ता की अनुमति मांगता है → जल शक्ति मंत्री 30 जुलाई को राज्यों से मिलते हैं और गृह मंत्री 1 अक्टूबर को वार्ता की अध्यक्षता करेंगे

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- 1. अनुच्छेद 262 संसद को नदी जल विवादों को न्यायालयों के दायरे से बाहर करने की शक्ति देता है** — अनुच्छेद 262(1) संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी-घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के बारे में किसी विवाद या शिकायत के न्याय-निर्णयन के लिए विधि द्वारा उपबंध करे। अनुच्छेद 262(2) संसद को यह उपबंध करने की अनुमति देता है कि ऐसे विवाद में न सर्वोच्च न्यायालय और न कोई अन्य न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा। जल राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत राज्य का विषय है, पर वह प्रविष्टि संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन है। प्रविष्टि 56 संघ को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी-घाटियों का विनियमन और विकास करने देती है, उस सीमा तक जहाँ तक संसद विधि द्वारा घोषित करे कि ऐसा लोकहित में समीचीन है।
- 2. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 राज्य के अनुरोध पर अधिकरण गठित करता है** — अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 [Inter-State River Water Disputes Act, 1956] के अंतर्गत राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध कर सकती है कि जल विवाद को अधिकरण को सौंपा जाए। धारा 4 के अनुसार, यदि केंद्र की राय हो कि विवाद वार्ता से नहीं सुलझ सकता तो उसे अधिकरण गठित करना होता है। अधिकरण का निर्णय, राजपत्र में प्रकाशित होने पर, पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। धारा 11 सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों को उस विवाद पर अधिकारिता के प्रयोग से रोकती है जो अधिकरण को सौंपा जा सकता है, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय अधिकरण के अंतिम पंचाट के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपीलें सुन सकता है। नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 [River Boards Act, 1956], जो सलाहकारी नदी बोर्ड बनाने के लिए उसी समय पारित हुआ था, उसके तहत आज तक कोई बोर्ड नहीं बना।
- 3. केंद्रीय जल आयोग जल के मामलों में संघ की तकनीकी भुजा है** — केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन में शीर्ष तकनीकी संगठन है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वह सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है, जलविज्ञानीय आँकड़े एकत्र करता है और अंतर-राज्यीय मामलों पर सलाह देता है। जल विवादों में उससे प्रायः राज्यों द्वारा दिए गए आँकड़ों, जैसे प्रवाह-मापन और उपयोग के आँकड़ों, की जाँच करने को कहा जाता है, इसीलिए उसकी रिपोर्ट महानदी अधिकरण को जाएगी। विवादों का निर्णय करने की शक्ति उसके पास नहीं है, वह अधिकरण के पास है।
- 4. अन्य विवाद दिखाते हैं कि अधिकरणों और न्यायालयों ने जल-बँटवारे को कैसे आकार दिया है** — कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 2007 में अपना अंतिम पंचाट दिया, और फरवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें संशोधन कर कर्नाटक का हिस्सा बढ़ाया और क्रियान्वयन के लिए एक योजना का निर्देश दिया, जिससे कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण बना। कृष्णा और गोदावरी जल विवाद अधिकरणों ने दक्षिणी राज्यों के बीच आबंटन तय किए, और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद कृष्णा विवाद फिर खुल गया। ये प्रकरण दिखाते हैं कि पंचाटों में वर्षों या दशकों लगते हैं और उन्हें लागू करने के लिए अक्सर अलग प्राधिकरण चाहिए। ओडिशा की शिकायत के बाद बना महानदी अधिकरण अब कार्यरत ऐसे कई निकायों में से एक है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. अंतर-राज्यीय जल विवाद GS2 के संघवाद प्रश्नों का नियमित विषय हैं** — UPSC ने पूछा है कि अंतर-राज्यीय जल विवादों को सुलझाने में इतना समय क्यों लगता है और अधिकरण प्रणाली कितनी प्रभावी रही है। महानदी प्रकरण, जहाँ अब न्याय-निर्णयन के साथ वार्ता आजमाई जा रही है, सहकारी संघवाद और वैकल्पिक विवाद समाधान पर उत्तरों के लिए एक अच्छा समकालीन उदाहरण है।
- 2. प्रारंभिक परीक्षा अनुच्छेदों, सूचियों और नदियों के भूगोल पर पूछती है** — प्रश्नों में अनुच्छेद 262, संघ और राज्य सूचियों में जल की प्रविष्टियाँ, और उन राज्यों की जाँच हुई है जिनसे होकर नदियाँ बहती हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम, ओडिशा में हीराकुड बांध और कार्यरत अधिकरणों की सूची स्वाभाविक रूप से प्रारंभिक परीक्षा की सामग्री है।
- 3. जल शासन GS1 के भूगोल को GS3 के संसाधन प्रबंधन से जोड़ता है** — नदियों का अध्ययन GS1 में भौतिक भूगोल के रूप में और GS3 में दबाव झेल रहे संसाधन के रूप में भी होता है। जल की कमी या सिंचाई दक्षता पर प्रश्न महानदी का उपयोग यह दिखाने में कर सकता है कि ऊपरी क्षेत्र का भंडारण निचले क्षेत्र की खेती और जलविद्युत को कैसे प्रभावित करता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय-निर्णयन का उपबंध कर सकती है और उन पर सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य

न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर रख सकती है।

- जल राज्य सूची (प्रविष्टि 17) की प्रविष्टि है, जो संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन है; प्रविष्टि 56 अंतर-राज्यीय नदियों और नदी-घाटियों के विनियमन और विकास से संबंधित है।
- अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 केंद्र सरकार को अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है, जब कोई राज्य अनुरोध करे और विवाद वार्ता से न सुलझ सके।
- नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 अंतर-राज्यीय नदियों के लिए सलाहकारी बोर्डों का उपबंध करता है, परंतु उसके तहत कोई बोर्ड गठित नहीं हुआ है।
- महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है; हीराकुड बांध ओडिशा में इसी पर बना है।
- केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन की शीर्ष तकनीकी संस्था है और जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का सभापति होता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. राजनीतिक समरूपता वह कर रही है जो अधिकरण नहीं कर सका — एक दशक तक यह विवाद ओडिशा बनाम छत्तीसगढ़ के रूप में लड़ा गया, जिसमें अलग-अलग दल सत्ता में थे और ऊपरी क्षेत्र का हर निर्माण शत्रुतापूर्ण कृत्य माना जाता था। अब दोनों राज्यों और केंद्र में एक ही दल का शासन है, और ओडिशा ने स्वयं अधिकरण से सीधी वार्ता की अनुमति मांगी है। इससे लेन-देन की गुंजाइश बनती है, क्योंकि दोनों राजधानियों के नेता समझौते का साझा उपलब्धि के रूप में बचाव कर सकते हैं। जोखिम यह है कि राजनीतिक समरूपता से बना समाधान किसी भी राज्य में सरकार बदलने पर टिक न पाए। इसलिए किसी भी समझौते को अधिकरण के अंतिम आदेश या सांविधिक निकाय में लिखा जाना चाहिए, ताकि वह केवल दलीय सौदा न रहे।
2. गृह मंत्री की भूमिका संकेत देती है कि जल को कानून-व्यवस्था और संघीय मुद्दा माना जा रहा है — जल विवाद सामान्यतः जल शक्ति मंत्रालय के पास होते हैं, जिसने 30 जुलाई की बैठक की थी। गृह मंत्री को लाने से राजनीतिक स्तर ऊंचा होता है और केंद्र-राज्य संबंधों के प्रबंधन में उनकी भूमिका का लाभ मिलता है, जो वे क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से निभाते हैं। किंतु ओडिशा और छत्तीसगढ़ अलग-अलग क्षेत्रीय परिषदों — पूर्वी और मध्य — में आते हैं, इसलिए यह बैठक सांविधिक नहीं, तदर्थ मंच है। यह लचीलापन उपयोगी है, पर यह अंतर-राज्यीय नदी विवादों के लिए स्थायी तंत्र के अभाव को भी दर्शाता है। ऐसे समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद मौजूद है, पर वह कम ही बैठती है।
3. नदी विवादों में असली अड़चन कानून नहीं, आँकड़े हैं — अधिकांश जल विवाद तथ्य के प्रश्नों पर टिके होते हैं: सूखे और अच्छे वर्षों में कितना पानी बहता है, हर राज्य कितना उपयोग करता है, और ऊपरी संरचनाएँ निचले प्रवाह को कितना घटाती हैं। इसीलिए अधिकरण से पहले अभियंताओं की रिपोर्टें CWC को जा रही हैं। राज्य प्रायः एक-दूसरे के आँकड़ों को चुनौती देते हैं, और अधिकरण उन्हें मिलाने में वर्षों लगा देते हैं। नदी-बेसिन स्तर की ऐसी आँकड़ा प्रणाली, जो दोनों राज्यों के लिए खुली हो और CWC द्वारा सत्यापित हो, भविष्य के विवादों को कानून में किसी भी बदलाव से अधिक छोटा करेगी। श्री आचार्य द्वारा सुझाया “महानदी का विनियामक निकाय” तभी काम करेगा जब उसे प्रवाह के वास्तविक-काल आँकड़ों तक पहुँच हो।
4. वार्ता से निकला समाधान निचले क्षेत्र के हितों की स्पष्ट रक्षा करे — ओडिशा का पक्ष हीराकुड जलाशय, सिंचाई और पेयजल के लिए नदी पर उसकी निर्भरता और इस आशंका पर टिका है कि ऊपरी एनिकट और बैराज सूखे मौसम का प्रवाह घटा देते हैं। छत्तीसगढ़ का तर्क है कि अपने क्षेत्र में उद्गमित जल को अपने किसानों और उद्योग के लिए उपयोग करने का उसे अधिकार है। अंतरराष्ट्रीय और भारतीय दोनों प्रथाएँ न्यायसंगत उपयोग के पक्ष में हैं, जिसमें हर राज्य को उचित हिस्सा मिले और कोई राज्य दूसरे को महत्वपूर्ण हानि न पहुँचाए। अच्छा समाधान एकल वार्षिक मात्रा के बजाय सूखे मौसम में न्यूनतम जल-निस्सरण, आँकड़ों की साझेदारी और संरचनाओं के संयुक्त संचालन को तय करेगा। ऐसी गारंटियों के बिना निचला राज्य जोखिम उठाता है।
5. यह प्रकरण स्थायी अधिकरण और समय-सीमा के तर्क को बल देता है — 1956 के अधिनियम के अंतर्गत अधिकरणों को वर्षों, कभी-कभी दशकों, का समय लगा है और उन्हें विस्तार लेने पड़े हैं। पीठों और निश्चित समय-सीमाओं वाले एक ही स्थायी अधिकरण द्वारा उन्हें बदलने का प्रस्ताव वर्षों से चर्चा में है। महानदी का अनुभव, जहाँ गतिरोध तोड़ने के लिए सीधी वार्ता की ज़रूरत पड़ी, यह सुझाता है कि किसी भी सुधार में न्याय-निर्णयन से पहले अनिवार्य वार्ता चरण भी होना चाहिए। प्रतिवाद यह है कि स्थायी अधिकरण राजनीतिक इच्छाशक्ति की मूल समस्या का हल नहीं कर सकता, और इसी ने अंततः इस विवाद को आगे बढ़ाया।

**संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)**

“भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान न्याय-निर्णयन की अपेक्षा वार्ता से बेहतर होता है।” महानदी जल विवाद के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। शीघ्र समाधान के लिए संस्थागत सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

**मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)**

- 1. प्रस्तावना** — बताइए कि महानदी विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जब ओडिशा ने महानदी जल विवाद अधिकरण से सीधी वार्ता की अनुमति मांगी थी।
- 2. मुख्य भाग — विधिक ढाँचा** — अनुच्छेद 262, राज्य सूची की प्रविष्टि 17 और संघ सूची की प्रविष्टि 56, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956, न्यायालयों पर रोक, नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 और CWC की भूमिका की व्याख्या कीजिए। लंबे न्याय-निर्णयन के उदाहरण के रूप में कावेरी के 2018 के निर्णय का उल्लेख कीजिए।
- 3. मुख्य भाग — वार्ता के गुण** — तर्क दीजिए कि वार्ता से निकले समाधान में राजनीतिक स्वामित्व होता है, उसमें सूखे मौसम के जल-निस्सरण और आँकड़ा-साझेदारी जैसी लचीली व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, और दशकों की मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। प्रमाण के रूप में ओडिशा के बदलाव और 30 जुलाई तथा 1 अक्टूबर की बैठकों का उपयोग कीजिए।
- 4. मुख्य भाग — वार्ता की सीमाएँ** — ध्यान दिलाइए कि वार्ताएँ राजनीतिक समरूपता पर निर्भर करती हैं, कमजोर निचले राज्य को असुरक्षित छोड़ सकती हैं, और उन्हें विधिक समर्थन चाहिए। अंतिम निर्णायक के रूप में अधिकरण आवश्यक बने रहते हैं, जैसा श्री आचार्य ने स्वयं कहा।
- 5. निष्कर्ष** — अनिवार्य वार्ता चरण, वास्तविक-काल आँकड़ों वाले बेसिन प्राधिकरण, समय-सीमा वाले स्थायी अधिकरण और अधिक सक्रिय अंतर-राज्य परिषद की अनुशंसा कीजिए, और निष्कर्ष निकालिए कि वार्ता और न्याय-निर्णयन को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए।

**प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)**

प्रश्न 1. आप ओडिशा के जल संसाधन सचिव हैं और 1 अक्टूबर की बैठक की तैयारी कर रहे हैं। आपके संक्षिप्त-पत्र (brief) में क्या होगा?

दृष्टिकोण (Approach): मैं ओडिशा की मूल आवश्यकताएँ सूचीबद्ध करूँगा: राज्य की सीमा पर सूखे मौसम में प्रवाह की गारंटी, हीराकुड जलाशय के भंडारण की रक्षा और निचले शहरों के लिए निश्चित पेयजल। मैं ऊपरी संरचनाओं से पहले और बाद के प्रवाह के सत्यापित आँकड़े शामिल करूँगा, जैसे CWC को दिए गए हैं। मैं परिणाम के रूप में संयुक्त निगरानी तंत्र और महानदी विनियामक निकाय का सुझाव दूँगा। संक्षिप्त-पत्र उन क्षेत्रों की भी पहचान करेगा जहाँ ओडिशा लचीला हो सकता है, ताकि बैठक से केवल दोहराई गई स्थितियाँ नहीं, समझौता निकले।

प्रश्न 2. आप निचले क्षेत्र के एक जिले के कलक्टर हैं और किसान शिकायत करते हैं कि नहरों में पानी घट गया है। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सबसे पहले सिंचाई विभाग से नहरों के जल-निस्सरण और जलाशय स्तरों के मापे हुए आँकड़े लूँगा, ताकि वर्षा के प्रभाव को ऊपरी उपयोग से अलग किया जा सके। मैं जल उपभोक्ता संघों के साथ बैठकें करूँगा ताकि स्थिति समझा सकूँ और मौसम के लिए फसल-चयन की योजना बना सकूँ। मैं नहरों के बेहतर रखरखाव और जल-बचत के तरीकों पर जोर दूँगा, जो जिले के नियंत्रण में हैं। अंतर-राज्यीय मुद्दों को मैं सार्वजनिक बयानों के बजाय प्रमाण के साथ राज्य सरकार को सूचित करूँगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार मंडल पूछता है: क्या जल को राज्य सूची से संघ सूची में ले जाना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): जल को पूरी तरह संघ सूची में ले जाने से ऐसा संसाधन केंद्रीकृत हो जाएगा जो स्थानीय खेती, पेयजल और आजीविका से गहरा जुड़ा है, जिसे राज्य बेहतर संभालते हैं। मौजूदा ढाँचा संसद को संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदियों के विनियमन की अनुमति पहले से देता है, हालाँकि उसने इस शक्ति का उपयोग कम ही किया है। बेहतर मार्ग है कि बेसिन-स्तर के प्राधिकरणों और आँकड़ा प्रणालियों के लिए संघ की मौजूदा शक्तियों का उपयोग हो और स्थानीय जल प्रबंधन राज्यों के पास रहे। इसलिए मैं सूचियाँ बदलने के बजाय मज़बूत सहकारी संस्थाओं का पक्ष लूँगा।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज के अर्थव्यवस्था पृष्ठों का केंद्रीय प्रश्न है: कीमत कौन चुकाएगा, और क्या नियम इसकी अनुमति देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि केंद्र सरकार UPI भुगतानों पर लगाए गए शुल्क का विधिक स्वरूप बताए; लेखा परीक्षक ने पाया है कि ओडिशा के खनिज जिले ऐसी मद में धन खर्च कर रहे हैं जिसे नियमों ने कभी बनाया ही नहीं; और परिवार लघु बचत के जरिए सरकार को पहले से अधिक उधार दे रहे हैं, ठीक उसी समय जब बॉन्ड बाजार बाकी सबके धन के लिए ऊंची कीमत मांग रहा है। इन सबके पीछे एक तेल संकट है जिसकी असली लागत घोषित कीमत से कहीं अधिक है, और कारखानों में एक तेज़ी है जो वास्तविक तो है, पर पिछले वर्ष के कमज़ोर आधार से बढ़ी हुई दिखती है।

2.1 सर्वोच्च न्यायालय ने 0.4% UPI शुल्क पर रोक लगाने से इनकार किया, केंद्र से पूछा कि इसका विधिक स्वरूप क्या है

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 28 सितंबर को केंद्र सरकार के उस निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके तहत 15 अक्टूबर, 2026 से ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI भुगतानों पर 0.4% का व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate - MDR) शुल्क लगाया जाना है, लेकिन सरकार से कहा कि वह इस शुल्क का विधिक आधार स्पष्ट करे। इस शुल्क की बनावट पर हमारे 19 सितंबर के कार्ड के बाद यह अदालती चुनौती नई है। MDR वह शुल्क है जो व्यापारी हर भुगतान के एक हिस्से के रूप में उन बैंकों, भुगतान एग्रीगेटरों और नेटवर्क को देता है जो धन को आगे पहुँचाते हैं; P2M भुगतान किसी दुकान या कारोबार को जाता है, जबकि दो व्यक्तियों के बीच का अंतरण इससे भिन्न है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने अधिवक्ता अंजन दत्ता की जनहित याचिका पर, जो वित्त मंत्रालय की 14 सितंबर, 2026 की राजपत्र अधिसूचना के विरुद्ध है, संघ सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को नोटिस जारी किया और जवाबी हलफ़नामे दाखिल करने के लिए चार सप्ताह दिए, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार। न्यायमूर्ति बागची का प्रश्न अखबारों ने थोड़े भिन्न शब्दों में छापा है: द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार उन्होंने पूछा: “क्या यह कर है या शुल्क? यदि शुल्क नहीं है, तो इस अभिग्रहण को करने का कार्यकारी आधार क्या है? सेवा क्या है?” अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने उत्तर दिया, “यह न कर है, न शुल्क,” और “यह अभिग्रहण नहीं है।” उन्होंने कहा कि गेटवे का उपयोग करने वाले 96% लोगों को छूट है; शेष 4% में आवश्यक सेवाओं पर शुल्क की सीमा ₹5 है, और ₹75,000 से ऊपर के किसी भी भुगतान पर सीमा ₹300 है, “चाहे वह ₹1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो या 100 करोड़” (द इंडियन एक्सप्रेस)। उनके अनुसार यह भुगतान एग्रीगेटरों और बैंकों के बीच का निपटान शुल्क है, कार्ड भुगतानों पर पहले से शुल्क लगते हैं, और सरकार “एक भी रुपया” नहीं ले रही; “यह कोई वैधानिक संग्रह नहीं है... नोडल निकाय NPCI केवल सुविधा प्रदान करता है।” व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI निःशुल्क बना रहेगा। न्यायालय ने इसे “विधिक से अधिक तकनीकी मुद्दा” कहा, कहा कि वह केवल “विधिक घटना” की जाँच कर रहा है, और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SU का उल्लेख किया, जो एक निश्चित सीमा से अधिक कारोबार वाले व्यापारियों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम उपलब्ध कराना अपेक्षित करती है। न्यायालय ने पूछा कि यदि वह धारा ऐसे अंतरणों की अनुमति देती है, तो “प्राप्ति का स्वरूप क्या है” और वह किसके हाथ में “आय” बनती है? याचिका भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) की संशोधित धारा 10A को भी चुनौती देती है, क्योंकि वह कार्यपालिका को बिना मार्गदर्शन के यह तय करने की शक्ति देती है कि किन माध्यमों को शुल्क-मुक्ति का संरक्षण मिलेगा, जबकि RuPay डेबिट कार्ड को बिना किसी मौद्रिक सीमा के यह संरक्षण प्राप्त है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कारोबारी यह लागत उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं और नकद तथा काले धन की वापसी हो सकती है; पीठ ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। पाठ्यक्रम: GS3 डिजिटल भुगतान और संसाधन जुटाना; GS2 कार्यपालिका की शक्ति की सीमाएँ।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

धारा 269SU और धारा 10A (2019) निर्धारित डिजिटल माध्यमों पर शुल्क वर्जित करती हैं, जिससे UPI व्यापारियों के लिए निःशुल्क हो जाता है → लेन-देन की मात्रा विस्फोटक रूप से बढ़ती है जबकि इस ढाँचे को चलाने की लागत बैंक और ऐप उठाते हैं → वित्त मंत्रालय 14 सितंबर, 2026 को ₹2,000 से अधिक के P2M भुगतानों पर 0.4% MDR अधिसूचित करता है → एक जनहित याचिका इस शुल्क को विधि के प्राधिकार के बिना अभिग्रहण तथा धारा 10A को अत्यधिक प्रत्यायोजन बताकर चुनौती देती है → सर्वोच्च न्यायालय रोक लगाने से इनकार करता है, पर हलफ़नामे पर शुल्क का विधिक स्वरूप बताने को कहता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. MDR एक भुगतान सेवा की कीमत है, जो ग्राहक नहीं, व्यापारी चुकाता है — जब कोई ग्राहक किसी दुकान को डिजिटल भुगतान करता है, तो धन ग्राहक के बैंक, व्यापारी के बैंक (अभिग्रहणकर्ता), प्रायः किसी भुगतान एग्रीगेटर या ऐप, और संदेश को आगे भेजने वाले नेटवर्क से होकर गुज़रता है। व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate) भुगतान का वह प्रतिशत है जो व्यापारी इन पक्षों को चुकाने के लिए छोड़ देता है। कार्डों पर यह लंबे समय से लगता रहा है; जबकि UPI और RuPay डेबिट कार्ड पर निर्धारित कारोबारों के लिए इसे कानून द्वारा शून्य कर दिया गया था। इसलिए MDR सामान्य अर्थ में सरकारी उगाही नहीं है, और ठीक इसी कारण न्यायालय पूछ रहा है कि सरकारी अधिसूचना से इसे चालू कर दिए जाने पर इसका विधिक स्वरूप क्या होगा।
2. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम RBI को विनियामक और NPCI को प्राधिकृत संचालक बनाता है — भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्राधिकारी नामित करता है, और इस अधिनियम के तहत RBI के प्राधिकार के बिना कोई भी भुगतान प्रणाली नहीं चला सकता। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक गैर-लाभकारी कंपनी है जिसे RBI और भारतीय बैंक संघ ने

प्रवर्तित किया है; वह UPI, RuPay, IMPS तथा अन्य खुदरा प्रणालियों को प्राधिकृत संचालक के रूप में चलाता है, और स्वयं विनियामक नहीं है। धारा 10A, जिसे 2019 में जोड़ा गया, बैंकों और प्रणाली प्रदाताओं को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SU के अंतर्गत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर कोई भी शुल्क लगाने से रोकती है (जिसे अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 187 में शामिल किया गया है)। यह प्रावधान एक निश्चित कारोबार-सीमा से ऊपर के व्यवसायों को ग्राहकों के लिए वे निर्धारित माध्यम उपलब्ध कराने का दायित्व देता है।

3. **अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना कर लगाने से रोकता है, और शुल्क में प्रतिफल का तत्व होना चाहिए** — अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न अधिरोपित किया जाएगा, न संगृहीत किया जाएगा, अर्थात् इसके लिए विधायिका द्वारा पारित कानून चाहिए, केवल कार्यकारी आदेश नहीं। Commissioner, Hindu Religious Endowments v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Sri Shirur Mutt (1954) में सर्वोच्च न्यायालय ने कर को, जो सामान्य लोक प्रयोजनों के लिए बिना किसी विशिष्ट प्रतिफल के लिया जाने वाला अनिवार्य अधिग्रहण है, शुल्क से अलग किया, जो भुगतानकर्ता को दी गई किसी विशेष सेवा के बदले लिया जाता है और जिसमें प्रतिफल (quid pro quo) का तत्व होता है। अनुच्छेद 110(2) भी यही भेद दर्शाता है: कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं हो जाता कि उसमें अनुज्ञप्तियों या दी गई सेवाओं के लिए शुल्क का प्रावधान है। इसी कारण न्यायालय ने पूछा, “सेवा क्या है?”; यदि यह शुल्क न कर है, न फीस, तो सरकार को यह दिखाना होगा कि यह एक निजी संविदात्मक कीमत है जिसकी किसी कानून ने अनुमति दी है।
4. **प्रत्यायोजित शक्ति तभी वैध है जब मूल कानून नीति निर्धारित करे, और उसका प्रयोग मनमाना न हो** — संसद कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है, परंतु वह अपना आवश्यक विधायी कार्य नहीं सौंप सकती; मूल अधिनियम को वह नीति और दिशानिर्देश तय करने होंगे जिनके भीतर प्रत्यायोजित कार्य करेगा, यह सिद्धांत In re Delhi Laws Act (1951) से चला आ रहा है। मार्गदर्शन के बिना किया गया प्रत्यायोजन अत्यधिक प्रत्यायोजन मानकर रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा, E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974) के बाद से मनमानापन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता का विलोम माना जाता है, इसलिए वैध प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग भी तर्कसंगत और भेदभाव-रहित आधारों पर होना चाहिए। धारा 10A पर याचिका का आक्षेप, और यह शिकायत कि RuPay डेबिट कार्ड को शून्य-शुल्क संरक्षण मिला रहता है जबकि बड़े UPI भुगतान उसे खो देते हैं, इन्हीं दो सिद्धांतों पर टिका है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS3 पूछता है कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का खर्च कैसे उठाया जाएगा** — पाठ्यक्रम में समावेशी विकास, संसाधनों को जुटाना और नीतियों का आम नागरिक पर प्रभाव शामिल हैं। डिजिटल भुगतान पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न अब अपनाए जाने का गुणगान करने से हटकर स्थिरता, साइबर धोखाधड़ी और शून्य-लागत ढाँचे के अर्थशास्त्र की ओर मुड़ गए हैं। MDR का यह मामला उत्तर में दोनों पक्ष दिखाने का अवसर देता है, अर्थात् UPI का खर्च कौन उठाए यह आर्थिक प्रश्न, और कोई शुल्क किस प्रकार लगाया जा सकता है यह विधिक प्रश्न।
2. **प्रारंभिक परीक्षा संस्थाओं और करों की संवैधानिक शब्दावली को परखती है** — डिजिटल भुगतान पर प्रश्न प्रायः यह पूछते रहे हैं कि UPI और RuPay कौन संचालित करता है और भुगतान प्रणालियों का विनियमन कौन करता है। कर, शुल्क और उपकर का भेद, अनुच्छेद 265 और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा राजव्यवस्था की मानक सामग्री हैं। यह मामला दोनों को जोड़ता है, और परीक्षक ऐसा ही अंतर्विषयी मेल पसंद करते हैं।
3. **शक्तियों के पृथक्करण और प्रत्यायोजित विधान पर GS2** — क्या कार्यपालिका अधिसूचना द्वारा यह तय कर सकती है कि किन भुगतान माध्यमों को वैधानिक संरक्षण मिलेगा, यह अत्यधिक प्रत्यायोजन के प्रश्न का स्पष्ट उदाहरण है, जो प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण और आर्थिक नीति की न्यायिक समीक्षा पर उत्तरों में उपयोगी है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 उपबंधित करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न अधिरोपित किया जाएगा और न संगृहीत किया जाएगा।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 भारतीय रिज़र्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्राधिकारी नामित करता है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक गैर-लाभकारी कंपनी है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने प्रवर्तित किया है; यह UPI और RuPay का संचालन करता है, परंतु विनियामक नहीं है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A बैंकों और प्रणाली प्रदाताओं को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SU के अंतर्गत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क लगाने से रोकती है (अब आयकर अधिनियम,

विश्लेषण (ANALYSIS)

2025 की धारा 187)।

- व्यापारी छूट दर उस व्यापारी द्वारा चुकाई जाती है जो भुगतान प्राप्त करता है, न कि उस ग्राहक द्वारा जो भुगतान करता है।
- Shirur Mutt वाद (1954) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शुल्क, कर के विपरीत, किसी विशेष सेवा के बदले लिया जाता है और उसमें प्रतिफल (quid pro quo) का तत्व होता है।
- अनुच्छेद 110(2) के अंतर्गत कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं माना जाता कि उसमें अनुज्ञप्तियों के लिए शुल्क या दी गई सेवाओं के लिए शुल्क का प्रावधान है।

1. **केंद्र का सबसे अच्छा विधिक उत्तर ही उसका सबसे असुविधाजनक उत्तर भी है** — MDR को “न कर, न शुल्क” कहकर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इसे अनुच्छेद 265 के दायरे से बाहर रखते हैं: यदि यह व्यापारियों, एग्रीगेटरों और बैंकों के बीच की निजी कीमत है, तो किसी कर-कानून की आवश्यकता नहीं। परंतु विशुद्ध निजी कीमत के लिए सामान्यतः राजपत्र अधिसूचना की जरूरत नहीं पड़ती। अधिसूचना वास्तव में यह करती है कि ₹2,000 से ऊपर के भुगतानों के लिए वह वैधानिक प्रतिबंध हटा देती है जो धारा 10A ने शुल्क लगाने पर लगाया था। इसलिए असली विधिक प्रश्न यह नहीं है कि सरकार कर लगा रही है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या कार्यपालिका संसद द्वारा रची गई सुरक्षा को चुनिंदा ढंग से वापस ले सकती है। इसी कारण धारा 10A को चुनौती याचिका का अधिक मजबूत हिस्सा है।
2. **RuPay की असमानता वह जगह है जहाँ अनुच्छेद 14 प्रभावी होता है** — याचिकाकर्ता बताते हैं कि RuPay डेबिट कार्ड को बिना किसी मौद्रिक सीमा के शुल्क-मुक्ति का संरक्षण मिला हुआ है, जबकि ₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतान उसे खो देते हैं। इस प्रकार एक ही व्यापारी को सेवा देने वाले दो डिजिटल माध्यमों से भिन्न व्यवहार हो रहा है, और राज्य को इसका कारण बताना होगा। एक संभावित कारण मौजूद है: RuPay घरेलू कार्ड नेटवर्क है जिसे राज्य बढ़ावा देना चाहता है, और कार्ड तथा UPI का अर्थशास्त्र भिन्न है। कमजोरी यह है कि मूल धारा ऐसे चयनों के लिए कोई घोषित मानदंड नहीं देती, जबकि अब न्यायालय अपेक्षा करते हैं कि प्रत्यायोजित शक्ति के साथ अभिलेख पर कारण भी हों। केंद्र का हलफनामा इसी पर सफल या विफल होगा कि वह उस नीति को स्पष्ट रूप से रख पाता है या नहीं।
3. **“96% को छूट” लोगों की गिनती है, धन की नहीं** — अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 96% उपयोगकर्ताओं को छूट है। संख्या के हिसाब से यह सही है, परंतु शुल्क की रचना वहाँ पड़ने के लिए की गई थी जहाँ मूल्य है, यानी व्यापारियों को हानि वाले बड़े भुगतानों पर। जो व्यापारी दिन में कुछ बड़े भुगतान पाता है, वही अधिकांश लागत उठाता है, और 19 सितंबर की रिपोर्टों में दिखा था कि व्यापारी बिलों को पहले से ₹2,000 के टुकड़ों में बाँट रहे हैं। यह आँकड़ा अदालत में तो प्रभावशाली है, पर व्यापारियों पर पड़ने वाले बोझ के बारे में बहुत कम बताता है, जबकि याचिका की असली शिकायत वही है। हलफनामे के लिए अधिक उचित आँकड़ा यह होता कि उपयोगकर्ताओं की नहीं, बल्कि P2M मूल्य का कितना हिस्सा शुल्क के दायरे में आता है।
4. **UPI का खर्च हमेशा कोई न कोई उठाता रहा है; प्रश्न यह है कि कौन** — शून्य MDR का कभी यह अर्थ नहीं था कि लागत शून्य है। इस ढाँचे को चलाने की लागत बैंकों और ऐप ने उठाई, और केंद्र ने हाल के वर्षों में बजट से कम मूल्य के UPI और RuPay लेन-देन के लिए बैंकों को प्रोत्साहन राशि दी है। चुनाव करदाता, बैंकों और व्यापारी के बीच है। केवल बड़े व्यापारिक भुगतानों पर शुल्क लगाना उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन उपयोगकर्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलता है और वे शुल्क सह सकते हैं। प्रतिवादी मत यह है कि निःशुल्क, सर्वसुलभ भुगतान प्रणाली सड़क जैसी सार्वजनिक वस्तु है, और छोटी-छोटी अड़चनें अनौपचारिक कारोबारों को वापस नकदी की ओर धकेल सकती हैं, जिससे औपचारिकीकरण और कर-दृश्यता में हुए लाभ उलट जाएंगे।
5. **न्यायालय के “आय” वाले प्रश्न के परिणाम इस मामले से आगे तक जाएंगे** — यह पूछकर कि शुल्क किसके हाथ में आय बनता है, पीठ यह परख रही है कि क्या सरकार उस प्राप्ति से दूरी बना सकती है जो केवल उसकी अधिसूचना के कारण अस्तित्व में है। यदि यह शुल्क बैंकों और एग्रीगेटरों की आय है, तो केंद्र की स्थिति टिकती है। यदि न्यायालय इसे राज्य द्वारा सक्षम की गई अनिवार्य उगाही मानता है, तो अनुच्छेद 265 फिर लागू हो जाता है। इसका उत्तर तय करेगा कि भारत अकाउंट एग्रीगेटर से लेकर ओपन कॉमर्स नेटवर्क तक अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का वित्तपोषण कैसे करेगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“यदि यह न कर है, न शुल्क, तो फिर यह क्या है?” UPI भुगतानों पर 0.4% व्यापारी छूट दर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्न के आलोक में, शुल्क लगाने की कार्यपालिका की शक्ति पर संवैधानिक सीमाओं की चर्चा कीजिए और भारत की डिजिटल भुगतान अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए एक टिकाऊ मॉडल सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- भूमिका** — तथ्य रखिए: वित्त मंत्रालय की 14 सितंबर, 2026 की अधिसूचना 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के P2M UPI भुगतानों पर 0.4% MDR लगाती है, जो ₹75,000 से ऊपर ₹300 पर और आवश्यक सेवाओं के लिए ₹5 पर सीमित है; सर्वोच्च न्यायालय ने रोक से इनकार किया, पर हलफनामे पर विधिक आधार माँगा।
- मुख्य भाग: संवैधानिक सीमाएँ** — अनुच्छेद 265, Shirur Mutt (1954) से कर और शुल्क का भेद तथा प्रतिफल की कसौटी, अत्यधिक प्रत्यायोजन का सिद्धांत, और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानापन समझाइए। इन्हें केंद्र के इस दावे पर लागू कीजिए कि MDR एक निजी निपटान शुल्क है, तथा धारा 10A और RuPay छूट के विरुद्ध चुनौती पर भी।
- मुख्य भाग: अर्थशास्त्र** — दिखाइए कि शून्य MDR ने लागत बैंकों और बजट पर डाल दी; उच्च मूल्य वाले व्यापारिक भुगतानों पर शुल्क के पक्ष को बिल-विभाजन, उपभोक्ताओं पर लागत के हस्तांतरण और नकदी की वापसी के जोखिमों के सामने तौलिए।
- मुख्य भाग: एक टिकाऊ मॉडल** — किसी भी शुल्क के लिए मानदंडों सहित एक वैधानिक ढाँचा, प्रति-उपयोगकर्ता सीमाओं की जगह मूल्य-आधारित सीमाएँ, प्रभावित P2M मूल्य का पारदर्शी प्रकाशन, सूर्यास्त-समीक्षा (sunset review), और छोटे व्यापारियों के लिए लक्षित बजटीय सहायता सुझाइए।
- निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि शुल्क आर्थिक रूप से उचित हो सकता है, परंतु उसकी वैधता इस पर निर्भर है कि सिद्धांत अधिसूचना नहीं, बल्कि संसद तय करे; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को ऐसा वित्तपोषण मॉडल चाहिए जो विधिसम्मत, तर्कसंगत और समीक्षा-योग्य हो।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और हलफनामा तैयार कर रहे हैं। उसमें क्या होना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): उसमें अधिसूचना का वैधानिक स्रोत, ₹2,000 की सीमा और अधिकतम शुल्क-सीमाओं के नीतिगत कारण, और RuPay डेबिट कार्ड से भिन्न व्यवहार का औचित्य बताना चाहिए। उसमें यह भी दिखाना चाहिए कि धन किसे और किस अनुपात में मिलता है, तथा केवल उपयोगकर्ताओं के हिस्से के नहीं, बल्कि प्रभावित P2M मूल्य के हिस्से के आँकड़े भी दिए जाने चाहिए। उसमें की गई परामर्श प्रक्रिया और समीक्षा की योजना भी होनी चाहिए। जो हलफनामा केवल यह दोहराए कि शुल्क “न कर है, न फ्रीस”, वह उस न्यायालय को संतुष्ट नहीं करेगा जो विधिक घटना का स्रोत पूछ रहा है।

प्रश्न 2. आप जिला कलेक्टर हैं और शिकायतें मिल रही हैं कि दवा की दुकानें और अस्पताल ₹2,000 से अधिक के बिलों पर UPI लेने से मना कर रहे हैं। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले तथ्यों की जाँच करूँगा, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आवश्यक सेवाओं पर सीमा ₹5 है, इसलिए ऐसे इनकार किसी गलतफ़हमी पर आधारित हो सकते हैं। मैं केमिस्ट संघों, अस्पतालों और बैंकों के अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ बैठक करके नियम समझाऊँगा। जहाँ कोई कारोबारी रिकॉर्ड से बचने के लिए नकदी पर अड़ा हो, वहाँ मैं कर और औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों से उसकी जाँच करने को कहूँगा। अस्पतालों में मरीजों के डिजिटल भुगतान के अधिकार की सार्वजनिक सूचनाएँ लगाना सहायक होगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या UPI हमेशा के लिए निःशुल्क रहना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): UPI भारत की सबसे सफल सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना रहा है, और इसकी शून्य लागत उस सफलता के मूल में थी। परंतु जो प्रणाली देश के खुदरा भुगतानों का बड़ा हिस्सा ढोती है, उसकी संचालन लागत और धोखाधड़ी-रोकथाम की ज़रूरत वास्तविक है, और उन्हें कोई न कोई वहन करेगा। मैं छोटे भुगतानों और व्यक्ति-से-व्यक्ति अंतरणों को स्थायी रूप से निःशुल्क रखूँगा, और स्पष्ट वैधानिक नियमों के अंतर्गत उच्च मूल्य के व्यापारिक भुगतानों पर मामूली, सीमित शुल्क की अनुमति दूँगा। सबसे बुरा परिणाम यह होगा कि प्रणाली निःशुल्क तो रहे, पर उसे पर्याप्त धन न मिले और इसलिए वह कम सुरक्षित हो जाए।

2.2 अगस्त में औद्योगिक उत्पादन नए 2022-23 आधार पर 8% बढ़ा, पर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ पिछड़ीं

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा सोमवार, 28 सितंबर को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production - IIP) के आँकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 8% बढ़ा, जो जुलाई में 7.4% था। IIP किसी आधार वर्ष की तुलना में कारखानों, खदानों और उपयोगिताओं के उत्पादन की मात्रा को मापता है; द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह संशोधित 2022-23 आधार पर पाँचवीं मासिक विज्ञप्ति है, और अगस्त 2025 में औद्योगिक उत्पादन 4.7% बढ़ा था। सूचकांक में 76.1% भार रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में 9% की वृद्धि हुई, जो जुलाई में 8.2% थी; MoSPI ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले लगातार तीन महीनों से 8% या उससे अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। 23 में से 18 उद्योग

समूहों में विस्तार हुआ, जिनमें विद्युत उपकरण (30.9%), मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर (25.2%) तथा अन्य परिवहन उपकरण (25.3%) आगे रहे। बिजली और गैस आपूर्ति 12.3% बढ़ी, जो जुलाई में 8.7% थी; बिजली उत्पादन 13.3% बढ़ा, पर गैस आपूर्ति 2.4% घटी, जिसे इंडिया रेटिंग्स के देवेन्द्र पंत ने “पश्चिम एशिया संकट के निरंतर प्रभाव” का प्रमाण बताया। सूचकांक के दसवें हिस्से से अधिक भार वाले खनन और उत्खनन में 5.6% की गिरावट आई, हालाँकि बैंक ऑफ बड़ौदा के मदन सबनवीस के अनुसार दुर्लभ मृदा सहित खनिजों में 5% की वृद्धि हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन 6.3% बढ़ा। उपयोग के आधार पर पूँजीगत वस्तुएँ 16.9% (जुलाई में 19%) और मध्यवर्ती वस्तुएँ 13.7% (10.4%) बढ़ीं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कमज़ोर कड़ी उपभोग है: उपकरण और वाहन जैसी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ जुलाई के 12% के बाद 11.1% बढ़ीं, पर साबुन और डिब्बाबंद खाद्य जैसी तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (FMCG) वाली गैर-टिकाऊ वस्तुएँ केवल 2.1% बढ़ीं। केयरएज रेटिंग्स की रजनी सिन्हा ने “उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के फीके प्रदर्शन” को चिंताजनक बताया। वृद्धि का कुछ हिस्सा आधार प्रभाव है: वृद्धि की गणना अगस्त 2025 से तुलना में होती है, जब, ICRA के राहुल अग्रवाल के अनुसार, सितंबर 2025 की शुरुआत में घोषित GST दर कटौतियों से पहले कंपनियों ने माल-भंडार घटाया था, इसलिए तुलना का महीना नीचा था। जुलाई की तुलना में वास्तव में उत्पादन घटा: कुल मिलाकर 1.8% और विनिर्माण 1.4%; खनन 9.2% गिरा, जो मानसून में सामान्य है, और केवल बिजली और गैस में 0.3% का सुधार हुआ। जुलाई-अगस्त में IIP वृद्धि औसतन 7.7% रही जबकि पहली तिमाही में 6.2% थी (ET), और अप्रैल-अगस्त में 6.7% रही जबकि एक वर्ष पहले 4.2% थी (IE); जून की 8.8% मार्च 2024 के बाद सर्वाधिक थी। अप्रैल-जून के GDP की 7.8% वृद्धि के साथ, सबनवीस ने कहा कि भारत इस वर्ष 7-8% की दर से बढ़ सकता है। IE के अनुसार परिवारों की खरीदारी उत्तरोत्तर उधार पर हो रही है: जुलाई के अंत तक बैंकों के व्यक्तिगत ऋण 16.2% और गैर-बैंक व्यक्तिगत ऋण 21.4% बढ़े। पाठ्यक्रम: GS3 वृद्धि, उद्योग और अर्थव्यवस्था का मापन।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सितंबर 2025 की शुरुआत में GST दर कटौतियों की घोषणा → कंपनियाँ अगस्त 2025 में माल-भंडार घटाती हैं, जिससे उस महीने का उत्पादन दबता है → MoSPI नए भारों के साथ IIP को 2022-23 आधार पर ले जाता है → अगस्त 2026 का उत्पादन नीचे आधार पर 8% बढ़ता है, जिसमें पूँजीगत वस्तुएँ, विद्युत उपकरण और वाहन आगे हैं → परंतु गैर-टिकाऊ वस्तुएँ केवल 2.1% बढ़ती हैं और उत्पादन माह-दर-माह गिरता है, जिससे त्योहारी मौसम, कमज़ोर मानसून और तेल संकट के आने पर व्यापक उपभोग पर संदेह उठता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- IIP राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित मासिक मात्रा सूचकांक है —** औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन और प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) करता है। यह लैस्पियर सूत्र पर बना स्थिर-आधार मात्रा सूचकांक है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक माह के उत्पादन की तुलना आधार वर्ष से उसी आधार वर्ष के भारों के आधार पर की जाती है। यह मदों की एक टोकरी के उत्पादन की भौतिक मात्रा को मापता है, उनके मूल्य को नहीं, इसलिए यह औद्योगिक गतिविधि के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव दर्शाता है। चूंकि यह वर्ष-दर-वर्ष तुलना है, इसलिए एक साल पहले का कमज़ोर महीना वृद्धि को बढ़ा सकता है, जिसे आधार प्रभाव (base effect) कहते हैं।
- आधार वर्ष का संशोधन भारों और मदों की टोकरी को आज की अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाता है —** समय के साथ नए उत्पाद आते हैं, पुराने चले जाते हैं और उद्योगों का सापेक्ष आकार बदल जाता है, इसलिए पुराने वर्ष पर आधारित सूचकांक अर्थव्यवस्था की ग़लत तस्वीर देता है। आधार संशोधन मदों की टोकरी, कारखानों के प्रतिदर्श और प्रत्येक उद्योग के भार को अद्यतन करता है। पिछली शृंखला में 2011-12 आधार था; नई शृंखला 2022-23 का उपयोग करती है, जिससे औद्योगिक सांख्यिकी अन्य संशोधित समष्टि आँकड़ों के अनुरूप हो जाती है। नए आधार पर सूचकांक में विनिर्माण का भार 76.1% है, और सूचकांक अब चार क्षेत्र बताता है: खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली और गैस आपूर्ति, तथा जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन।
- उपयोग-आधारित वर्गीकरण बताता है कि उत्पादन कहाँ जाता है —** क्षेत्रीय वर्गीकरण के अलावा IIP उत्पादन को अंतिम उपयोग के आधार पर प्राथमिक वस्तुओं, पूँजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं, अवसंरचना या निर्माण वस्तुओं, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में बाँटता है। मशीनरी जैसी पूँजीगत वस्तुएँ निवेश का संकेत देती हैं; पुर्जे जैसी मध्यवर्ती वस्तुएँ भावी उत्पादन का; उपकरण और वाहन जैसी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ वैकल्पिक व्यय को दर्शाती हैं; और खाद्य, साबुन तथा दवाइयों जैसी गैर-टिकाऊ वस्तुएँ रोज़मर्रा के व्यापक उपभोग को दर्शाती हैं। उपयोग-आधारित आँकड़ों को साथ पढ़ने से पता चलता है कि वृद्धि निवेश-प्रेरित है या उपभोग-प्रेरित, और किसके उपभोग से।
- आठ मुख्य उद्योग एक अलग सूचकांक है, जिसका IIP में बड़ा भार है —** आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफ़ाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली को शामिल करता है, और इसका संकलन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) में आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है। 2011-12 आधार पर ये उद्योग मिलकर IIP की मदों के लगभग 40% भार के बराबर थे, जिनमें रिफ़ाइनरी उत्पाद सबसे बड़े थे। चूंकि मुख्य सूचकांक पहले जारी होता है, इसलिए इसे IIP के प्रारंभिक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। IIP राष्ट्रीय लेखा में विनिर्माण के सकल मूल्य वर्धन (GVA) से भी भिन्न है: IIP मुख्यतः संगठित इकाइयों के सकल उत्पादन की मात्रा मापता है, जबकि GVA आगतों के बाद का मूल्य वर्धन मापता है, इसलिए दोनों में अंतर आ सकता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- GS3 वृद्धि, उसकी गुणवत्ता और उसके मापन के बारे में पूछता है** — पाठ्यक्रम में वृद्धि और विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना एवं संसाधनों का जुटाव शामिल हैं। प्रश्न बार-बार यह पूछते रहे हैं कि क्या वृद्धि रोजगारपरक और उपभोग में व्यापक है। टिकाऊ वस्तुओं में 11.1% और गैर-टिकाऊ में 2.1% की वृद्धि का अंतर ऐसा आँकड़ा है जिसका उपयोग परीक्षार्थी असमान, या K-आकार की, रिकवरी पर चर्चा में कर सकता है।
- प्रारंभिक परीक्षा परखती है कि कौन-सा सूचकांक कौन संकलित करता है** — UPSC को यह परखने की आदत है कि कोई सूचकांक किस निकाय द्वारा संकलित होता है: IIP को MoSPI के अंतर्गत NSO, मुख्य सूचकांक को DPIIT में आर्थिक सलाहकार कार्यालय, CPI को NSO, और WPI को आर्थिक सलाहकार कार्यालय। आधार वर्ष में परिवर्तन, आठ मुख्य उद्योग और उपयोग-आधारित श्रेणियाँ इस वर्ष के स्वाभाविक प्रश्न हैं।
- सांख्यिकीय सुधार स्वयं भी पाठ्यक्रम का विषय है** — GDP, CPI और IIP शृंखलाओं का आधार बदले जाने के साथ, आधिकारिक आँकड़ों की विश्वसनीयता और समयबद्धता पर प्रश्न GS3 और निबंध प्रश्नपत्र, दोनों में अधिक संभावित हो गए हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन और प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है।
- IIP एक स्थिर-आधार मात्रा सूचकांक है जो औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है, उसके मूल्य को नहीं।
- IIP का उपयोग-आधारित वर्गीकरण उत्पादन को प्राथमिक, पूँजीगत, मध्यवर्ती, अवसंरचना या निर्माण, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में बाँटता है।
- आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का संकलन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है।
- आठ प्रमुख उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफ़ाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली हैं।
- संशोधित IIP शृंखला 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करती है, जिसमें सूचकांक में विनिर्माण का भार सबसे अधिक है।
- आधार प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब पिछले वर्ष की उसी अवधि के असामान्य रूप से कम या अधिक मान के कारण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर बढ़ या घट जाती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 8% वास्तविक है पर बढ़ा-चढ़ाकर दिखता है, और माह-दर-माह गिरावट मायने रखती है** — शीर्ष आँकड़ा मज़बूत है, और वृद्धि व्यापक रही है, 23 में से 18 उद्योग समूहों में विस्तार हुआ है। परंतु ICRA बताता है कि अगस्त 2025 GST दर बदलावों से पहले माल-भंडार घटाए जाने से दबा हुआ था, इसलिए इस अगस्त की तुलना नीचे आधार से हो रही है। माह-दर-माह आँकड़े इसकी जाँच हैं: जुलाई से कुल उत्पादन 1.8% और विनिर्माण 1.4% गिरा। इसका कुछ हिस्सा मानसून की मौसमी प्रवृत्ति के कारण है, विशेषकर खनन में। उचित निष्कर्ष यह है कि उद्योग अच्छी वृद्धि कर रहा है, पर गति उतनी तेज़ नहीं हो रही जितना 8% का आँकड़ा सुझाता है।
- उपभोग का विभाजन बताता है कि किसकी माँग मज़बूत है** — टिकाऊ वस्तुएँ 11.1% और गैर-टिकाऊ वस्तुएँ 2.1% बढ़ीं। टिकाऊ वस्तुएँ अपेक्षाकृत संपन्न परिवार खरीदते हैं और उत्तरोत्तर उधार पर, जब बैंकों के व्यक्तिगत ऋण 16.2% और गैर-बैंक व्यक्तिगत ऋण 21.4% बढ़े हैं। गैर-टिकाऊ वस्तुएँ वे हैं जो हर परिवार हर सप्ताह खरीदता है। कमज़ोर मानसून और बढ़ती कीमतों के बीच वहाँ कमज़ोर वृद्धि ग्रामीण और निम्न-आय वाले परिवारों के बजट पर दबाव की ओर संकेत करती है। संपन्न लोगों की ऋण-वित्तपोषित खरीदारी से चली रिकवरी, बढ़ती मज़दूरी से चली रिकवरी की तुलना में कम टिकाऊ होती है, और ब्याज दरें बढ़ने पर, जिसकी अब बाज़ार अपेक्षा कर रहे हैं, अधिक जोखिम में होती है।
- पूँजीगत और मध्यवर्ती वस्तुएँ निवेश चक्र का संकेत देती हैं, एक सावधानी के साथ** — पूँजीगत वस्तुएँ 16.9%, मध्यवर्ती वस्तुएँ 13.7% और विद्युत उपकरण 30.9% बढ़े। यह उस अर्थव्यवस्था से मेल खाता है जो बिजली, गिड और वाहनों में निवेश कर रही है, और इंडिया रेटिंग्स विद्युत सामान की घरेलू और निर्यात माँग की ओर संकेत करती है। सावधानी यह है कि पूँजीगत वस्तुओं की वृद्धि जुलाई के 19% से धीमी हुई है, और तेल संकट आगत लागत और ब्याज दरें बढ़ा रहा है, जिससे कंपनियाँ निवेश टाल सकती हैं। यदि निजी पूँजी निवेश को वृद्धि का भार उठाना है, तो उसे गैर-टिकाऊ वस्तुओं की ओर से भी स्थिर माँग चाहिए।
- ऊर्जा संकट सूचकांक के भीतर ही दिखने लगा है** — गैस आपूर्ति 2.4% घटी और गैस-आधारित उत्पादन गिरा, जबकि नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों पर बिजली उत्पादन 13.3% बढ़ा। आँकड़ों में यही पश्चिम एशिया का युद्ध है: मंहंगी, दुर्लभ LNG उपयोगिताओं को गैस से दूर

	धकेलती है। यह ऊर्जा सुरक्षा के लिए बचाव-साधन के रूप में नवीकरणीय क्षमता का महत्व भी दिखाता है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि उर्वरक और शहरी गैस जैसे गैस पर निर्भर उद्योगों को महंगे आगत झेलने पड़ेंगे, जो आने वाले महीनों में दिखेगा। 5. नए आधार को विश्वास अर्जित करने में समय लगता है — यह 2022-23 आधार पर केवल पाँचवीं विज्ञप्ति है, और इंडियन एक्सप्रेस के पाठ में पिछले अगस्त की वृद्धि भी भ्रामक ढंग से छपी है, जो दिखाता है कि नई शृंखला को गलत पढ़ना कितना आसान है। पहले वर्ष में संशोधन सामान्य हैं, और पुरानी शृंखला से तुलना समान आधार पर नहीं होती। नीति-निर्माताओं को IIP को अकेले नहीं, बल्कि GST संग्रह, बिजली माँग और ऋण आँकड़ों के साथ पढ़ना चाहिए। नई शृंखला की ताकत यह है कि उसके भार आज की अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं, जिसमें विनिर्माण 76.1% है, और पूरे वर्ष के आँकड़े मिलने पर यह बेहतर मार्गदर्शक बनेगी।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“उच्च आवृत्ति के संकेतक सुदृढ़ औद्योगिक वृद्धि सुझाते हैं, परंतु उसकी संरचना असमान रिकवरी की ओर इशारा करती है।” औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नवीनतम आँकड़ों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए, और चर्चा कीजिए कि उपभोग माँग का आधार व्यापक बनाने के लिए कौन-से नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — अगस्त 2026 का IIP दीजिए: नए 2022-23 आधार पर 8% वृद्धि, विनिर्माण में 9%, पूँजीगत वस्तुओं में 16.9%, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 11.1%, और गैर-टिकाऊ में केवल 2.1%। 2. मुख्य भाग: मजबूती — व्यापकता (23 में से 18 समूह), तीन महीनों से विनिर्माण में 8% या अधिक, पूँजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं की मजबूती, और अप्रैल-अगस्त में औसतन 6.7% की वृद्धि (एक वर्ष पहले 4.2%) दिखाइए। 3. मुख्य भाग: असमानता — अगस्त 2025 के माल-भंडार घटाने से आया आधार प्रभाव, माह-दर-माह गिरावट, टिकाऊ और गैर-टिकाऊ वस्तुओं का अंतर, ऋण-वित्तपोषित उपभोग, तथा गैस आपूर्ति और खनन में ऊर्जा-जनित कमजोरी समझाइए। 4. मुख्य भाग: नीति — व्यापक माँग के लिए उपाय सुझाइए: कमजोर मानसून वाले वर्ष में ग्रामीण रोजगार और मजदूरी सहायता, खाद्य कीमतों का प्रबंधन, GST दर कटौतियों का लाभ आगे पहुँचाना, MSME को ऋण और श्रम-प्रधान विनिर्माण; साथ ही स्थिर नए आधार के माध्यम से बेहतर आँकड़े। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि टिकाऊ वृद्धि के लिए व्यापक उपभोग और निजी निवेश को साथ-साथ आगे बढ़ना होगा, और नीति-निर्माताओं को केवल शीर्ष आँकड़े को नहीं, बल्कि वृद्धि की संरचना को पढ़ना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं। इस IIP विज्ञप्ति पर आप मंत्री को कैसे जानकारी देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं 8% का शीर्ष आँकड़ा उसकी दो शर्तों के साथ प्रस्तुत करूँगा: अगस्त 2025 का अनुकूल आधार और माह-दर-माह गिरावट। मैं मजबूत क्षेत्रों, यानी विद्युत उपकरण और वाहन, तथा कमजोर क्षेत्रों, यानी गैर-टिकाऊ वस्तुओं, गैस और खनन, को रेखांकित करूँगा। मैं सुझाव दूँगा कि कोई टोस निष्कर्ष निकालने से पहले अगली दो विज्ञप्तियों में त्योहारी मौसम, ईंधन लागत और ऋण की स्थितियों पर नज़र रखी जाए। जो मंत्री बड़े हुए आँकड़े पर अतिदावा करता है, वह आधार सामान्य होने पर अपनी विश्वसनीयता खो देता है। प्रश्न 2. आप ऐसे ज़िले के कलेक्टर हैं जहाँ बहुत-सी छोटी खाद्य प्रसंस्करण और FMCG इकाइयाँ हैं। गैर-टिकाऊ वस्तुओं के कमजोर उत्पादन के बारे में आप क्या कर सकते हैं? दृष्टिकोण (Approach): मैं ज़िला उद्योग केंद्र के माध्यम से इकाइयों से मिलूँगा ताकि पता चले कि समस्या माँग की है, आगत लागत की या ऋण की। जहाँ ऋण की समस्या हो, वहाँ ज़िला परामर्शदात्री समिति के माध्यम से बैंकों पर कार्यशील पूँजी के आवेदन निपटाने का दबाव डालूँगा। जहाँ नियम अनुमति दें, वहाँ पोषण योजनाओं जैसी सरकारी खरीद और निर्यात संवर्धन माध्यमों से इकाइयों को जोड़ूँगा। इकाइयों के बंद होने और रोजगार के स्थानीय आँकड़े राज्य सरकार को पूर्व-चेतावनी के रूप में भेजूँगा। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: भारत आधार वर्ष क्यों बदलता रहता है? क्या इससे आँकड़े कम तुलनीय नहीं हो जाते? दृष्टिकोण (Approach): आधार वर्ष इसलिए बदलने पड़ते हैं कि अर्थव्यवस्था बदलती है; पुराने वर्ष के भारों पर आधारित सूचकांक घटते उद्योगों को बढ़ाकर दिखाता है और नए उद्योगों को छोड़ देता है। इसकी कीमत तुलनीयता में टूटन है, जिसे सांख्यिकीविद संयोजक गुणांक और पिछली शृंखलाएँ प्रकाशित करके संभालते हैं। असली जोखिम संशोधन नहीं, बल्कि खराब

संप्रेषण है, जो संदेह को न्योता देता है। नियमित, पूर्व-घोषित संशोधन और स्पष्ट दस्तावेजीकरण ही किसी सूचकांक को विश्वसनीयता देते हैं।

2.3 लघु बचत में आवक 56% उछली, 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल दो वर्ष के उच्चतम स्तर 7.19% पर

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और मुंबई। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ नागरिकों की योजनाओं जैसी लघु बचत योजनाओं में शुद्ध संग्रह 2026-27 के ₹3.59 लाख करोड़ के बजट लक्ष्य को काफ़ी अंतर से पार करने की ओर है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF), यानी वह खाता जिसमें ये बचतें जाती हैं, के अंतर्गत जमा और प्रमाणपत्र अप्रैल-जुलाई 2026 में ₹1.54 लाख करोड़ रहे, जबकि एक वर्ष पहले ₹98,259 करोड़ थे, यानी 56% की वृद्धि; चार महीनों की यह आवक पहले ही पूरे वर्ष के लक्ष्य का लगभग 43% है। ऐसी बचत का अधिकांश हिस्सा प्रायः मार्च तिमाही में वर्षात कर-नियोजन के साथ आता है। 2025-26 में सरकार ने ₹3.06 लाख करोड़ का बजट रखा था, उसे संशोधित कर ₹3.42 लाख करोड़ किया, और वास्तविक संग्रह संशोधित अनुमान से ₹1 लाख करोड़ से अधिक ऊपर रहा; FY27 का लक्ष्य पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 5% ऊपर है। केंद्र ने इस वर्ष लघु बचत के माध्यम से ₹3.87 लाख करोड़ के शुद्ध वित्तपोषण का बजट रखा है, और अप्रैल-जुलाई में शुद्ध NSSF वित्तपोषण ₹1.16 लाख करोड़ रहा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि “पूर्वानुमेय, सरकार-समर्थित प्रतिफल” की मांग इक्विटी में बड़ी खुदरा भागीदारी से अप्रभावित रही है। जुलाई-सितंबर तिमाही की दरें एक वर्ष की जमा पर 6.9% से लेकर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना तथा सुकन्या समृद्धि पर 8.2% तक हैं, जबकि PPF 7.1% और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र 7.7% पर है। पिछले शुक्रवार के कार्ड में सकल बाज़ार उधारी को ₹17.2 लाख करोड़ से घटाकर ₹15.99 लाख करोड़ करने की चर्चा थी; आज की रिपोर्ट बताती है कि वित्तपोषण का एक हिस्सा कहाँ से आ रहा है, और बॉन्ड बाज़ार क्या सोचता है। ET की रिपोर्ट के अनुसार 10-वर्षीय बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल सोमवार को 7.12% से बढ़कर 7.19% पर बंद हुआ, जो कम उधारी के बावजूद अप्रैल 2024 के बाद सबसे ऊँचा है; डीलरों को 7.25% की, और तेल ऊँचा बना रहे तो कुछ को 7.50% की अपेक्षा है। एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ट्रेडर ने कहा, “बाज़ार ने निर्गम कैलेंडर को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है और उसका ध्यान तेल पर है।” भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने खुले बाज़ार परिचालन (OMO) के माध्यम से ₹25,000 करोड़ के बॉन्ड बेचे, जिसके लिए बैंकों ने ₹67,655 करोड़ की पेशकश की, ताकि FCNR(B) जमा की आवक के बाद फूली हुई चलनिधि घटाई जा सके; बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि इस माह के आरंभ के ₹11 लाख करोड़ से घटकर ₹4.39 लाख करोड़ रह गई, और मंगलवार को ₹2 लाख करोड़ की परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (VRRR) नीलामी होनी थी। द इंडियन एक्सप्रेस अमेरिकी 10-वर्षीय प्रतिफल को 5.2% से ऊपर, 2004 के बाद सर्वाधिक, बताता है; ET के अनुसार वे 5.23% को छू गए, जो 2007 के बाद सर्वाधिक है। रुपया 95.98 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। IE का एक संपादकीय अमेरिकी फ़ेड की हाल की दर-वृद्धि का उल्लेख करता है और कहता है कि RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक अगले सप्ताह वृद्धि की अपेक्षाओं के बीच होगी। पाठ्यक्रम: GS3 सरकारी उधारी, घरेलू बचत और मौद्रिक नीति।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पश्चिम एशिया का युद्ध तेल और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ बढ़ाता है; अमेरिकी फ़ेड दरें बढ़ाता है और वैश्विक प्रतिफल चढ़ते हैं → FCNR(B) की आवक रुपया चलनिधि फुला देती है, जिसे RBI OMO बिक्री और VRRR से सोखता है → केंद्र द्वारा सकल उधारी घटाने के बावजूद 10-वर्षीय G-sec प्रतिफल दो वर्ष के उच्चतम 7.19% पर पहुँचता है → सुरक्षित निश्चित प्रतिफल चाहने वाले परिवार लघु बचत में 56% अधिक धन डालते हैं → NSSF प्रशासित दरों पर राजकोषीय घाटे के बड़े हिस्से का वित्तपोषण करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. राष्ट्रीय लघु बचत निधि लोक लेखे में रहती है और सरकार को उधार देती है — राष्ट्रीय लघु बचत निधि की स्थापना 1999 में भारत के लोक लेखे (Public Account) में की गई थी, जो अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत वह खाता है जिसमें सरकार के पास बैंकर या न्यासी के रूप में आया धन रखा जाता है, न कि उसके अपने राजस्व के रूप में। लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत सभी संग्रह इसमें जमा होते हैं और सभी निकासी तथा ब्याज इसी से चुकाए जाते हैं। शुद्ध शेष मुख्यतः केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश होता है, और सार्वजनिक संस्थाओं को भी उधार दिया गया है। चूँकि केंद्र ये निधियाँ उधार लेता है, इसलिए शुद्ध NSSF वित्तपोषण, दिनांकित प्रतिभूतियों और खज़ाना बिलों के माध्यम से बाज़ार उधारी के साथ, राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोतों में से एक है।
2. लघु बचत की दरें प्रशासित हैं और बाज़ार से जुड़े सूत्र पर प्रत्येक तिमाही तय होती हैं — RBI की पूर्व उप गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिशों के बाद, लघु बचत दरों को समान परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल और एक छोटे स्प्रेड से जोड़ा गया, जो वरिष्ठ नागरिकों और बालिकाओं की योजनाओं के लिए अधिक है। वित्त मंत्रालय हर तिमाही दरें पुनर्निर्धारित करता है। व्यवहार में सरकार के पास विवेकाधिकार है और वह कभी-कभी तब भी दरें अपरिवर्तित रखती रही है जब सूत्र कुछ और संकेत दे रहा था, इसलिए दरें सिद्धांत में बाज़ार-संबद्ध हैं पर व्यवहार में प्रशासित। ये योजनाएँ अब सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (Government Savings Promotion Act, 1873) पर आधारित हैं, जिसमें बचत प्रमाणपत्रों और PPF के लिए पहले के अलग-अलग कानूनों को मिला दिया गया।
3. OMO बिक्री और VRRR दोनों चलनिधि सोखते हैं, एक स्थायी रूप से और दूसरा अस्थायी रूप से — चलनिधि का अर्थ है बैंकों के पास उनकी ज़रूरत से अधिक रुपया निधियाँ। खुले बाज़ार परिचालन में RBI सरकारी प्रतिभूतियाँ सीधे खरीदता या बेचता है; जब वह बेचता है, तो बैंक RBI को रुपये चुकाते हैं, इसलिए चलनिधि स्थायी रूप से निकल जाती है। परिवर्तनीय दर

	प्रतिवर्ती रेपो में RBI प्रतिभूतियों के बदले बैंकों से एक निश्चित अल्प अवधि के लिए धन उधार लेता है, ऐसी दर पर जो नीलामी में तय होती है, और परिपक्वता पर उसे लौटा देता है, इसलिए अवशोषण अस्थायी होता है। दोनों RBI के चलनिधि प्रबंधन ढाँचे के उपकरण हैं, जिसका गलियारा निचले सिरे पर स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility) दर और ऊपरी सिरे पर सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility) दर के बीच चलता है, और नीतिगत रेपो दर बीच में होती है। 4. बॉन्ड की कीमत और प्रतिफल विपरीत दिशाओं में चलते हैं — बॉन्ड एक निश्चित कूपन देता है। यदि बाज़ार की ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो कम कूपन वाले पुराने बॉन्ड कम आकर्षक हो जाते हैं, इसलिए उनकी कीमत तब तक गिरती है जब तक नए खरीदार को मिलने वाला प्रतिफल बाज़ार के बराबर न हो जाए। इसलिए बढ़ते प्रतिफल का अर्थ है गिरती बॉन्ड कीमतें और बॉन्ड रखने वाले बैंकों को घाटा। 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक उधारी लागत का बेंचमार्क है, जो राज्य सरकारों के ऋण, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गृह-ऋण की कीमत तय करने को प्रभावित करता है। ऊँची मुद्रास्फीति या नीतिगत दर वृद्धि की अपेक्षाएँ प्रतिफल को तब भी ऊपर धकेलती हैं जब सरकारी उधारी घट रही हो।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 में संसाधनों का जुटाव और सरकारी बजट शामिल हैं — राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण कैसे होता है, NSSF की भूमिका और बहिर्वेशन (crowding out) पर प्रश्न कई वर्षों में आते रहे हैं। घटती सकल उधारी और बढ़ते प्रतिफल का अंतर इस बात का उत्तम उदाहरण है कि बाज़ार केवल बॉन्डों की आपूर्ति पर नहीं, बल्कि मुद्रास्फीति और वैश्विक दरों पर भी प्रतिक्रिया करता है। 2. प्रारंभिक परीक्षा नियमित रूप से चलनिधि उपकरणों और निधियों के स्थान को परखती है — UPSC ने रेपो, प्रतिवर्ती रेपो, MSF, OMO और उनमें से प्रत्येक के मुद्रा आपूर्ति पर प्रभाव के बारे में, तथा संचित निधि बनाम लोक लेखे में क्या आता है, इस बारे में पूछा है। लोक लेखे में NSSF और OMO बिक्री तथा VRRR के अंतर्गत चलनिधि की दिशा ठीक ऐसे ही प्रश्न हैं। 3. घरेलू बचत मुख्य परीक्षा का जीवंत विषय है — बैंक जमा, इक्विटी और लघु बचत के बीच घरेलू बचत का स्थानांतरण, और शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत में गिरावट आर्थिक सर्वेक्षणों में चर्चित रही है; यह खबर इसका प्रमाण जोड़ती है कि सुरक्षित सरकार-समर्थित साधन लोकप्रिय बने हुए हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● राष्ट्रीय लघु बचत निधि की स्थापना 1999 में हुई थी और यह भारत के लोक लेखे में रखी जाती है। ● लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत शुद्ध संग्रह केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत हैं। ● लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाती हैं और प्रत्येक तिमाही पुनर्निर्धारित होती हैं। ● RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाज़ार परिचालन बिक्री बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि सोखती है। ● परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी में RBI एक निश्चित अवधि के लिए बैंकों से धन उधार लेता है, जिससे चलनिधि अस्थायी रूप से सोख ली जाती है। ● किसी बॉन्ड की कीमत और उसका प्रतिफल विपरीत दिशाओं में चलते हैं। ● सरकार के पास बैंक या न्यासी के रूप में रखा धन, जैसे लघु बचत जमा और भविष्य निधियाँ, अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत लोक लेखे में जमा होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. बाज़ार प्रतिफल चढ़ने के साथ लघु बचत केंद्र के लिए सस्ता स्रोत बनती जा रही है — 10-वर्षीय प्रतिफल 7.19% और PPF 7.1% देने के साथ, कुछ योजनाओं के लिए प्रशासित और बाज़ार दरों का अंतर घट गया है या उलट गया है। इससे आवक में 56% की उछाल केंद्र के लिए सुविधाजनक है, जो घबराए बाज़ार में बॉन्ड जोड़े बिना अपने घाटे का अधिक हिस्सा वित्तपोषित कर सकता है। परंतु लघु बचत मुफ्त नहीं है; उसमें दीर्घकालिक ब्याज दायित्व होते हैं, कुछ योजनाओं पर कर लाभ मिलते हैं, और उन्हें जल्दबाज़ी में घटाना कठिन है। उन पर निर्भर होना वित्तपोषण को उस बाज़ार से, जो सरकार पर अनुशासन रखता है, उन परिवारों की ओर मोड़ देता है जो ऐसा नहीं करते। 2. तिमाही पुनर्निर्धारण अब एक राजनीतिक परीक्षा है — सूत्र लघु बचत दरों को सरकारी बॉन्ड प्रतिफल से बाँधता है। प्रतिफल दो वर्ष के उच्चतम स्तर पर होने से सूत्र दरें घटाने के विरुद्ध और शायद कुछ दरें बढ़ाने के पक्ष में तर्क देता है। NSSF से अधिक वित्तपोषण कर रही सरकार का हित दरें स्थिर रखने में है, और उसके पास विवेकाधिकार है। बाज़ार प्रतिफल बढ़ते समय दरें रोके रखना मुद्रास्फीति बढ़ने पर बचतकर्ताओं के वास्तविक प्रतिफल को चुपचाप घटा देगा। सूत्र का

पारदर्शी अनुप्रयोग योजना की और उधारकर्ता के रूप में सरकार की विश्वसनीयता की रक्षा करेगा।

3. **लघु बचत की ओर जाते परिवार बैंक जमा को निचोड़ सकते हैं** — NSSF में जाने वाला धन बैंक जमा से निकलता है। ऐसे समय में जब RBI चलनिधि सोख रहा है और व्यक्तिगत ऋणों की माँग मज़बूत है, बैंकों को प्रतिस्पर्धा के लिए जमा दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। इससे MPC के कदम उठाने से पहले ही उधारकर्ताओं तक कड़ी परिस्थितियाँ पहुँच जाती हैं। प्रतिवादी मत यह है कि NSSF का धन सरकारी व्यय के रूप में अर्थव्यवस्था में लौट आता है, इसलिए प्रभाव उसकी संरचना पर पड़ता है, कुल चलनिधि पर नहीं।
4. **RBI ने बॉन्ड बाज़ार की जगह रुपये और मुद्रास्फीति को चुना है** — जब प्रतिफल पहले से बढ़ रहे हों, तब ₹25,000 करोड़ के बॉन्ड बेचना प्रतिफल पर ऊपर की ओर दबाव बढ़ाता है। फिर भी RBI ने ऐसा किया, क्योंकि FCNR(B) की आवक से बनी अधिशेष रुपया चलनिधि प्रति डॉलर 96 के आसपास के रुपये के विरुद्ध सट्टेबाज़ी को धन दे सकती है और मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है। पेशकश का ₹67,655 करोड़ होना, यानी राशि से ढाई गुना से अधिक, दिखाता है कि बैंक अपनी अधिशेष निधियाँ रखने को तैयार थे। इसकी कीमत राज्यों और कंपनियों के लिए महँगी उधारी है, और अगले सप्ताह की MPC बैठक तय करेगी कि यह नीतिगत दर वृद्धि में बदलता है या नहीं।
5. **उधारी घटाने से कम प्रतिफल नहीं मिला, जो राजकोषीय विश्वसनीयता के बारे में कुछ कहता है** — केंद्र ने सकल उधारी और 10-वर्षीय पत्रों का हिस्सा घटाया, फिर भी प्रतिफल बढ़े। ट्रेडरों का कहना है कि बाज़ार तेल को देख रहा है, कैलेंडर को नहीं। यह दिखाता है कि वैश्विक संकट में घरेलू आपूर्ति प्रबंधन एक सीमा तक ही काम कर सकता है; प्रतिफल मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं और लगभग दो दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुँचे अमेरिकी प्रतिफल पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह चेतावनी भी देता है कि यदि तेल संकट ईंधन सैंड्सिडी या कर कटौती को विवश करे, तो राजकोषीय आँकड़े फिसल सकते हैं और प्रतिफल और बढ़ सकते हैं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

लघु बचत केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरी है। इस निर्भरता के लाभों और जोखिमों की चर्चा कीजिए, विशेषकर बढ़ते बाज़ार प्रतिफल और कसती चलनिधि के समय में। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — खबर का उल्लेख कीजिए: अप्रैल-जुलाई 2026 में शुद्ध लघु बचत आवक 56% बढ़कर ₹1.54 लाख करोड़ हुई, FY27 में लघु बचत से ₹3.87 लाख करोड़ के शुद्ध वित्तपोषण का बजट है, जबकि 10-वर्षीय G-sec प्रतिफल 7.19% पर पहुँचा है।
2. **मुख्य भाग : NSSF घाटे का वित्तपोषण कैसे करती है** — लोक लेख में NSSF, केंद्र की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश, और बाज़ार उधारी तथा खज़ाना बिलों के साथ घाटा-वित्तपोषण के स्रोतों में उसका स्थान; दर-निर्धारण सूत्र और तिमाही पुनर्निर्धारण समझाइए।
3. **मुख्य भाग : लाभ** — परिवारों से स्थिर, दीर्घकालिक धन; बाज़ार की अस्थिरता के समय बॉन्ड आपूर्ति में कमी; बचतकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय समावेशन और सुरक्षित प्रतिफल।
4. **मुख्य भाग : जोखिम** — प्रशासित दरों की जड़ता; दीर्घकालिक व्याज दायित्व; राजकोषीय नीति पर कमज़ोर बाज़ार अनुशासन; चलनिधि कसने के दौरान बैंक जमा से प्रतिस्पर्धा; दरों को सूत्र से नीचे रखने का प्रलोभन।
5. **निष्कर्ष** — दर-सूत्र के कड़ाई से अनुप्रयोग, बजट में NSSF दायित्वों की पारदर्शी रिपोर्टिंग, और ऐसे वित्तपोषण मिश्रण का पक्ष रखिए जो सरकार को बाज़ार के प्रति जवाबदेह बनाए रखे।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप बजट प्रभाग में हैं। सूत्र अगली तिमाही में कुछ लघु बचत दरें बढ़ाने का सुझाव देता है। आप क्या सलाह देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सूत्र का परिणाम और प्रत्येक विकल्प की राजकोष को लागत प्रस्तुत करूँगा। मैं बताऊँगा कि आवक पहले ही मज़बूत है, इसलिए धन आकर्षित करने के लिए वृद्धि की ज़रूरत नहीं, पर जब सूत्र बचतकर्ताओं के पक्ष में हो तब उसे अनदेखा करने से विश्वास को क्षति पहुँचती है। मेरी सलाह होगी कि सूत्र को निष्ठापूर्वक लागू किया जाए, शायद वरिष्ठ नागरिकों और बालिकाओं की योजनाओं को प्राथमिकता देकर, और गणना प्रकाशित की जाए। छोटे बचतकर्ताओं के बीच विश्वसनीयता सरकार की दीर्घकालिक संपत्ति है।

प्रश्न 2. आप बाज़ार परिचालन देखने वाले उप गवर्नर हैं। एक बैंक शिकायत करता है कि OMO बिक्री प्रतिफल बढ़ा रही है और उसे घाटा हो रहा है। आप क्या उत्तर देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं समझाऊँगा कि चलनिधि प्रबंधन का लक्ष्य कीमतों और मुद्रा की

स्थिरता है, बॉन्ड पोर्टफोलियो की रक्षा नहीं। बैंकों को खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया गया था; उन्होंने बिक्री की राशि के ढाई गुना से अधिक की पेशकश की। RBI अपनी चलनिधि संबंधी रुख की सूचना देता है ताकि बैंक व्याज-दर जोखिम सँभाल सकें, और बैंकों से अपेक्षा है कि वे बचाव करें और मूल्यांकन मानदंडों का पालन करें। फिर भी मैं बाज़ार के तनाव के संकेतों पर ध्यान दूँगा, क्योंकि अव्यवस्थित बॉन्ड बाज़ार स्वयं स्थिरता के लिए जोखिम है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: जब इक्विटी बाज़ारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तब भी भारतीय परिवार डाकघर योजनाओं को क्यों पसंद करते हैं?

दृष्टिकोण (Approach): कई परिवारों के लिए, विशेषकर सेवानिवृत्तों, महिलाओं और ग्रामीण बचतकर्ताओं के लिए, ऊँचे पर अनिश्चित प्रतिफल से अधिक सुरक्षा और पूर्वानुमेयता मायने रखती है। डाकघर योजनाओं को संप्रभु गारंटी, निश्चित दरें और कुछ में कर लाभ प्राप्त हैं, और वे घर के पास उपलब्ध हैं। इस वर्ष इक्विटी बाज़ारों की गिरावट इस पसंद को और मज़बूत करती है। नीतिगत कार्य उन्हें जोखिम भरी परिसंपत्तियों की ओर मोड़ना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षित विकल्प उचित, मुद्रास्फीति-सजग प्रतिफल दे।

2.4 CAG ने पाया कि ओडिशा के खनिज फ़ाउंडेशनों ने ₹2,578.73 करोड़ ऐसी श्रेणी में खर्च किए जिसे नियमों ने कभी बनाया ही नहीं

समाचार (THE NEWS) भुवनेश्वर। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने ओडिशा में खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के लिए निर्धारित ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन (District Mineral Foundation - DMF) की निधियों के व्यय में अनियमितताएँ पाई हैं। DMF प्रत्येक खनन ज़िले में बनाया गया एक न्यास है, जिसे खनन पट्टाधारियों के अंशदान से वित्तपोषित किया जाता है, ताकि प्रभावित समुदायों के कल्याण पर व्यय किया जा सके। CAG की निष्पादन लेखा परीक्षा, जिसका विषय था “ओडिशा में ज़िला खनिज फ़ाउंडेशनों के कार्यकरण सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन, मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए”, ने कहा कि खनिज-समृद्ध ज़िलों ने खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों की पहचान करने में विलंब किया। प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र वे हैं जहाँ खनन होता है; अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र वे हैं जो उसके आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय परिणाम भुगतते हैं। ओडिशा DMF नियम, 2015 के नियम 10(D) के अंतर्गत DMF निधियों का 40% से अधिक अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जा सकता। CAG ने कहा, “अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयोग की गई राशि निर्धारित सीमा से आगे बढ़कर DMF के औझर में 45.68% और DMF सुंदरगढ़ में 41.10% हो गई।” उसने यह भी बताया कि केओझर और सुंदरगढ़ में स्वीकृत राशियों का क्रमशः 30.67% और 22.67% “सामान्य प्रभावित क्षेत्र” नामक एक नई श्रेणी के अंतर्गत खर्च दिखाया गया, और जाजपुर के DMF की 19.86% निधियाँ भी इसी के अंतर्गत खर्च हुईं। जाजपुर, केओझर और सुंदरगढ़ के तीन DMF में “सामान्य प्रभावित क्षेत्रों” की 1,114 परियोजनाओं के लिए ₹4,541.66 करोड़ स्वीकृत हुए, जिनमें से ₹2,578.73 करोड़ “नियमों में किसी प्रावधान के बिना” उपयोग किए गए। रिपोर्ट ने कहा, “इससे संकेत मिलता है कि नई श्रेणी बनाने का उद्देश्य केवल अपात्र उपयोग को निर्धारित सीमाओं के भीतर समायोजित करना था।” उसी दिन, जैसा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 पर हमारे 25 सितंबर के कार्ड ने पूर्वानुमान किया था, द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने राज्य विधानसभा के सामने प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जो 2024 में BJP द्वारा 24 वर्ष के शासन का अंत करने के बाद पार्टी का इतने बड़े पैमाने का पहला विरोध है। विरोध उस खंड को लक्ष्य करता है जो खनिज-समृद्ध राज्यों को खनन पट्टाधारियों पर कर लगाने से रोकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2024 में उन्हें ऐसे कर लगाने और अप्रैल 2005 से बकाया वसूलने का अधिकार दिया था। दल बकाया में ₹1 लाख करोड़ और प्रति वर्ष ₹12,000 करोड़ की हानि का अनुमान लगाते हैं; राज्य सरकार ने अभी प्रभाव का आकलन नहीं किया है। श्री पटनायक ने कहा कि विधेयक “बिना किसी चर्चा के” पारित हुआ, पृच्छा कि ओडिशा के 20 BJP लोकसभा सांसद चुप क्यों रहे, और कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लिखे उनके दो पत्रों का उत्तर नहीं मिला। BJD नेता खदानों से खनिज परिवहन रोकने की योजना बना रहे हैं; INDIA गठबंधन ने 29 सितंबर को प्रदर्शन का आह्वान किया है। पाठ्यक्रम: GS2 संघवाद और जवाबदेही; GS3 खनन और समावेशी विकास।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

खनन विस्थापित करता और प्रदूषित करता है, परंतु उसका राजस्व सरकारों को जाता है, प्रभावित गाँवों को नहीं → MMDR संशोधन अधिनियम, 2015 खनिकों द्वारा वित्तपोषित ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन बनाता है, और PMKKKY प्राथमिकताएँ तय करती है → ओडिशा के नियम अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में व्यय को 40% तक सीमित करते हैं → ज़िले एक अमान्य “सामान्य प्रभावित क्षेत्र” श्रेणी बनाकर उसके माध्यम से ₹2,578.73 करोड़ खर्च करते हैं → CAG अपात्र उपयोग को चिह्नित करता है, ऐसे समय में जब ओडिशा के दल राज्य की खनिज कर लगाने की शक्ति को लेकर केंद्र से लड़ रहे हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. MMDR अधिनियम के 2015 के संशोधन ने ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन बनाए — खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957) में 2015 में संशोधन किया गया ताकि खनिज रियायतें नीलामी की ओर जाएँ, और धारा 9B जोड़ी गई, जो राज्य सरकार से अपेक्षा करती है कि वह खनन कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में एक गैर-लाभकारी न्यास के रूप में ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन स्थापित करे। इसका उद्देश्य खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करना है। पट्टाधारी DMF को रॉयल्टी से जुड़ी राशि देते हैं, जिसमें नीलामी वाले पट्टों की तुलना में पुराने पट्टों के लिए हिस्सा अधिक है। उसी संशोधन ने धारा 9C जोड़ी, जिसने पट्टाधारियों द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (National Mineral Exploration Trust) बनाया,

ताकि खनिज अन्वेषण का वित्तपोषण हो सके।

2. **PMKKKY DMF के धन के व्यय के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ तय करती है** — प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना खान मंत्रालय ने 2015 में DMF निधियों के उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए शुरू की, और इसके दिशानिर्देश 2024 में संशोधित हुए। यह व्यय को उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांगों का कल्याण, तथा कौशल विकास, और अन्य प्राथमिकताओं, जैसे भौतिक अवसंरचना और सिंचाई, में बाँटती है, जिसमें अधिकांश धन उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए आरक्षित है। यह प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों, जहाँ खनन कार्य होते हैं, को अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों से भी अलग करती है, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव झेलते हैं, और बड़ा हिस्सा पहले के लिए आरक्षित करती है। राज्य इस ढाँचे के भीतर अपने DMF नियम बनाते हैं, जैसा ओडिशा ने 2015 में किया।
3. **CAG संघ और राज्यों के लेखों की लेखा परीक्षा करता है और विधायिका को रिपोर्ट देता है** — संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान करते हैं, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और जिसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति ही हटाया जा सकता है। उसके कर्तव्य और शक्तियाँ नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में दी गई हैं। अनुच्छेद 151 के अंतर्गत किसी राज्य के लेखों पर रिपोर्टें राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती हैं, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं, जहाँ लोक लेखा समिति उनकी जाँच करती है। निष्पादन लेखा परीक्षा यह जाँचने से आगे जाती है कि धन वैध रूप से खर्च हुआ या नहीं, और पूछती है कि क्या उसने अपना उद्देश्य मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ पूरा किया।
4. **खनन क्षेत्र प्रायः पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने रॉयल्टी को कर से अलग किया है** — ओडिशा की खनिज पट्टी का बड़ा भाग पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में है, जहाँ पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं के अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श में भूमिका देता है। Orissa Mining Corporation v. Ministry of Environment and Forests (2013), यानी नियमगिरिवाद, में सर्वोच्च न्यायालय ने बाँक्साइट खनन का निर्णय स्थानीय ग्राम सभाओं पर छोड़ा। Mineral Area Development Authority v. Steel Authority of India (2024) में नौ सदस्यीय पीठ ने 8:1 से कहा कि रॉयल्टी कर नहीं है और राज्यों के पास खनिज अधिकारों तथा खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की शक्ति है, जिसे 2026 का संशोधन अब सीमित करता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **खनन शासन में GS2 और GS3 मिलते हैं** — पाठ्यक्रम में CAG की भूमिका, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, समाज के संवेदनशील वर्गों का कल्याण और समावेशी विकास शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में विस्थापन, जनजातीय समुदायों के साथ लाभ-साझेदारी और संसाधन-अभिशाप पर प्रश्न पूछे गए हैं। DMF की यह लेखा परीक्षा टोस आँकड़े देती है कि लाभ-साझेदारी वास्तव में कैसे काम कर रही है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा MMDR अधिनियम और CAG के प्रावधानों को परखती है** — संवैधानिक निकायों पर प्रश्न नियमित रूप से अनुच्छेद 148-151 परखते हैं, और 2015 के सुधारों के बाद MMDR ढाँचा, यानी DMF, NMET, नीलामियाँ, मानक सामग्री है। 2024 का रॉयल्टी निर्णय और 2026 का संशोधन इसे संभावित क्षेत्र बनाते हैं।
3. **जवाबदेही पर नैतिकता और शासन के प्रश्न** — GS4 के केस स्टडी में प्रायः लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निधियों को उनके प्रयोजन से बाहर खर्च करना आता है। अधिक व्यय को छिपाने के लिए नई श्रेणी बनाना नियम तोड़ने-मरोड़ने का पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है, जिसे एक प्रशासक को पहचानना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9B, जो 2015 में जोड़ी गई, खनन कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन का प्रावधान करती है।
- MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 9C राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास का प्रावधान करती है।
- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना खनन पट्टाधारियों द्वारा दिए गए धन का उपयोग करते हुए ज़िला खनिज फ़ाउंडेशनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित हैं।
- अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत किसी राज्य के लेखों से संबंधित CAG की रिपोर्टें राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती हैं, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
- Mineral Area Development Authority v. Steel Authority of India (2024) में सर्वोच्च

	न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ ने 8:1 से कहा कि रॉयल्टी कर नहीं है। ● पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को योजनाओं के अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श में भूमिका देता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. व्यय का नाम बदलना किसी सीमा-रेखा को निष्प्रभावी करने का तरीका है — अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों पर 40% की सीमा इसलिए है कि धूल, विस्फोट और खोई ज़मीन झेलने वाले गाँवों को अधिकांश धन मिले। “सामान्य प्रभावित क्षेत्र” बनाकर ज़िला निकाय ऐसी परियोजनाओं को धन दे सके जो किसी भी श्रेणी के लिए पात्र नहीं थीं, जबकि रिपोर्ट किए गए हिस्से सीमाओं के भीतर बने रहे। CAG का वाक्यांश, “केवल अपात्र उपयोग को समायोजित करने के लिए”, असामान्य रूप से सीधा है। रचना का सबक यह है कि श्रेणियों की बंद सूची के बिना लगाई गई सीमा रचनात्मक लेखांकन को न्योता देती है। 2. DMF का धन राज्य के बजट के विकल्प के रूप में लुभावना है — केओझर, सुंदरगढ़ और जाजपुर जैसे ज़िलों में DMF निधियाँ बड़ी हैं, और उन पर ज़िला प्रशासन का नियंत्रण है। इससे वे सड़कों, भवनों और उन योजनाओं के लिए आसान स्रोत बन जाती हैं जिनका खर्च राज्य के अपने बजट को उठाना चाहिए, और जो व्यापक क्षेत्रों में पतली परत की तरह फैलाई जाती हैं। तब प्रभावित गाँव को अपने ही मुआवज़े के लिए ज़िला मुख्यालय से होड़ करनी पड़ती है। जब तक व्यय प्रभावित ग्राम सभाओं के साथ बनी योजनाओं से न जुड़ा हो, DMF के लाभ-साझेदारी निधि की जगह दूसरा ज़िला बजट बन जाने का जोखिम है। 3. ओडिशा का केंद्र के विरुद्ध मामला इस बात से कमज़ोर होता है कि वह अपने पास मौजूद धन कैसे खर्च करता है — BJD का विरोध राज्य के खनिजों पर कर लगाने के अधिकार को लेकर है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में बरकरार रखा और 2026 का संशोधन सीमित करता है। संघीय तर्क मज़बूत है: खनिज राज्य की प्राकृतिक पूँजी हैं, और दाँव पर लगा बकाया बड़ा है। परंतु उसी सप्ताह लेखा परीक्षक दिखाता है कि स्थानीय लाभ के लिए पहले से दिया गया खनिज धन गलत दिशा में गया। जो राज्य अधिक राजकोषीय स्वायत्तता चाहता है, वह यह दिखाकर अपना पक्ष मज़बूत करता है कि वह अपने पास आए धन का हिसाब दे सकता है। प्रतिवादी मत भी उचित है: लेखा परीक्षा ज़िला न्यासों के बारे में है, राज्य की कर-राजस्व के बारे में नहीं, और एक स्तर पर दुरुपयोग दूसरे स्तर की शक्तियाँ घटाने को उचित नहीं ठहराता। 4. लाभार्थियों की पहचान में विलंब मूल विफलता है — CAG ने पाया कि ज़िलों ने खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों की पहचान में विलंब किया। उस सूची के बिना बाकी हर नियम लागू करना कठिन है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि कोई परियोजना इच्छित लोगों के काम आई या नहीं। पहचान वह जगह भी है जहाँ जनजातीय और भूमिहीन परिवार सबसे आसानी से छूट जाते हैं। इसका उपाय प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की प्रकाशित, गाँव-वार सूची है, जो खदानों के खुलने और बंद होने के साथ अद्यतन हो और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित हो। 5. लेखा परीक्षाएँ तभी मायने रखती हैं जब विधायिका उन पर कार्रवाई करे — CAG की रिपोर्ट जवाबदेही तभी बनती है जब लोक लेखा समिति उसकी जाँच करे और सरकार कार्रवाई-टिप्पणियाँ दाखिल करे। ओडिशा की राजनीति अब खनिज राजस्व पर केंद्रित है, जो सभी दलों को रिपोर्ट उठाने का प्रोत्साहन देती है। वसूली, जहाँ नियम जानबूझकर तोड़े गए वहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई, और चोर-दरवाज़ा बंद करने वाला नियम-परिवर्तन दिखाएंगे कि लेखा परीक्षा काम कर गई। अन्यथा रिपोर्टों के धूल खाने का पैटर्न दोहराया जाएगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन खनन के लाभों को प्रभावित समुदायों के साथ साझा करने के लिए बनाए गए थे। हाल के लेखा परीक्षा निष्कर्षों के आलोक में उनके कार्यकरण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उन्हें उन लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सुधार सुझाइए जिनकी सेवा के लिए वे बने हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — MMDR अधिनियम (2015) की धारा 9B के अंतर्गत DMF और PMKKKY का परिचय दीजिए, और मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ओडिशा की CAG लेखा परीक्षा का उल्लेख कीजिए। 2. मुख्य भाग: निष्कर्ष — आँकड़े दीजिए: 40% की सीमा के विरुद्ध केओझर में 45.68% और सुंदरगढ़ में 41.10% अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र व्यय; “सामान्य प्रभावित क्षेत्र” श्रेणी, जिसमें ₹2,578.73 करोड़ नियमों में प्रावधान के बिना उपयोग हुए; और लाभार्थियों की पहचान में विलंब। 3. मुख्य भाग: संरचनात्मक कारण — कमज़ोर सामुदायिक आवाज़ के साथ ज़िला-स्तरीय नियंत्रण, राज्य बजट के दायित्वों का प्रतिस्थापन, खुली श्रेणियाँ, और कमज़ोर निगरानी; PESA और पाँचवीं अनुसूची के अधिकारों से जोड़िए।

4. मुख्य भाग : सुधार — कठोर सीमाओं वाली बंद श्रेणियाँ, गाँव-वार लाभार्थी सूचियाँ, योजनाओं का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन, सामाजिक अंकेक्षण, DMF व्यय के सार्वजनिक डैशबोर्ड, और CAG रिपोर्टों पर लोक लेखा समिति की समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई।

5. निष्कर्ष — खनिज राजस्व पर व्यापक संघीय बहस से जोड़िए: लाभ-साझेदारी तभी विश्वसनीय है जब राज्य और ज़िले दोनों दिखा सकें कि खनिज धन कहाँ जाता है।

प्रश्न 1. आप केओडर के नए कलेक्टर और उसके DMF के अध्यक्ष हैं। CAG की रिपोर्ट अभी आई है। आपके पहले कदम क्या होंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं “सामान्य प्रभावित क्षेत्रों” के अंतर्गत दर्ज सभी परियोजनाओं की सूची बनवाऊँगा और प्रत्येक को नियमों के अंतर्गत पात्र, सुधार-योग्य या अपात्र के रूप में वर्गीकृत कराऊँगा। चालू अपात्र परियोजनाओं को रोका जाएगा और राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा। मैं प्रभावित गाँवों और व्यक्तियों की विलंबित पहचान ग्राम सभा के सत्यापन के साथ शुरू करूँगा और उसे प्रकाशित करूँगा। मैं DMF की स्वीकृतियाँ और व्यय एक सार्वजनिक वेबसाइट पर भी रखूँगा ताकि ग्रामीण देख सकें कि उनके नाम पर क्या खर्च हो रहा है।

प्रश्न 2. आप राज्य के इस्पात और खान विभाग में सचिव हैं। आप इस चोर-दरवाज़े को कैसे बंद करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं राज्य के DMF नियमों में संशोधन करूँगा ताकि अनुमत श्रेणियाँ संपूर्ण रूप से सूचीबद्ध हों और यह कहा जाए कि उनके बाहर का कोई भी व्यय अपात्र है। प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों का हिस्सा लक्ष्य नहीं, न्यूनतम सीमा हो, और उसे तिमाही आधार पर देखा जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में वार्षिक योजनाओं के लिए प्रभावित ग्राम सभाओं का अनुमोदन और हर वर्ष स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण अपेक्षित होगा। मैं DMF से यह भी अपेक्षा करूँगा कि वह लोक लेखा समिति की अनुवर्ती कार्रवाई को एक निश्चित समय में रिपोर्ट करे।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या BJD सही है कि नया खनन कानून ओडिशा को नुकसान पहुँचाता है, और क्या CAG की रिपोर्ट उसके पक्ष को कमज़ोर करती है?

दृष्टिकोण (Approach): चिंता वैध है: सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों की खनिजों पर कर लगाने की शक्ति को मान्यता दी थी, और उसे सीमित करने वाला कानून खनिज-समृद्ध राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है; परंतु राज्य ने स्वयं अभी हानि का आकलन नहीं किया है, इसलिए आँकड़े अनुमान हैं। CAG की रिपोर्ट ज़िला न्यायों के बारे में है, राज्य की कर शक्ति के बारे में नहीं, इसलिए वह संघीय प्रश्न का उत्तर नहीं देती। पर वह हर सरकार को याद दिलाती है कि खनिज राजस्व पर उसके दावे इस बात पर टिके हैं कि प्रभावित समुदायों को लाभ मिले। दोनों बहसों एक ही सिद्धांत की ओर इशारा करती हैं: खनिज संपदा उस क्षेत्र के लोगों की है, और सरकार के हर स्तर को उसका हिसाब देना होगा।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

2.5 पश्चिम एशिया युद्ध का भारत के लिए बिल: कच्चा तेल 108 डॉलर के पार, रूसी आयात पाँच माह के निचले स्तर पर, डीज़ल की राशनिंग

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें युद्ध समाप्त करने और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने की बात थी। यह संकरा समुद्री मार्ग, द हिंदू के अनुसार, दुनिया के लगभग पाँचवें हिस्से के तेल और गैस का वहन करता है। अखबारों ने प्रस्ताव का वर्णन अलग-अलग किया है: द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की समाचार रिपोर्ट इसे सात दिन का प्रस्ताव बताती हैं, जबकि द हिंदू का एक संपादकीय इसे सात सूत्रीय कहता है। आईई के एक व्याख्यात्मक लेख के अनुसार, इसमें माँग थी कि अमेरिका ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटाए, लगभग 12 अरब डॉलर की ज्वट संपत्ति जारी करे और अपनी नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त करे, तथा इज़राइल लेबनान में युद्ध रोकें; इसके बाद ईरान सातवें दिन होर्मुज़ खोल देता। ट्रंप ने एक्सियोस से कहा कि उन्हें इस सप्ताह और वार्ता की उम्मीद है; क्रतर के मध्यस्थ न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मिलने वाले थे। द इकोनॉमिक टाइम्स में रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार सुबह ब्रेट वायदा भाव 3.98 डॉलर चढ़कर 108.30 डॉलर प्रति बैरल पर पहुँचा और फिर घटकर 105.13 डॉलर रह गया। लेकिन रिफ़ाइनरियाँ सुखी वाले भाव से अधिक चुकाती हैं। 1 से 22 सितंबर के बीच हाज़िर (स्पॉट) ब्रेट, यानी भौतिक बाज़ार में असली खेपों का भाव, नवंबर के ब्रेट वायदा (भविष्य की आपूर्ति के अनुबंध, जो मुख्यतः जोखिम-बचाव के लिए होते हैं) से औसतन लगभग 12 डॉलर प्रति बैरल ऊपर रहा; ईटी के अनुसार अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (US Energy Information Administration) के आँकड़ों में 15 सितंबर को यह अंतर 22 डॉलर तक पहुँच गया। खाड़ी की आपूर्ति सीमित रहने से आपूर्तिकर्ता 20 डॉलर तक का प्रीमियम माँग रहे हैं। भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात सितंबर में घटकर लगभग 17.5 लाख बैरल प्रतिदिन (mbpd) रह गया, जो अप्रैल के 15.8 लाख बैरल प्रतिदिन के बाद सबसे कम है; अगस्त में यह 20.2 लाख और जुलाई में 26.5 लाख बैरल प्रतिदिन था। केप्टर ने इसे 17.4 लाख बैरल प्रतिदिन बताया और गिरावट को अमेरिकी दबाव से जोड़ा। इराक की आपूर्ति 1,63,000 से बढ़कर 5,75,000 बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरब की 3,47,000 से बढ़कर 5,66,000 हो गई, जबकि यूएई की 5,46,000 से घटकर 4,80,000 रह गई। कुल आयात औसतन लगभग 53 लाख बैरल प्रतिदिन रहा। 18 सितंबर को हस्ताक्षरित अमेरिकी कानून, रूस एवं ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम (Sanctioning Russia and Iran Act), रूसी तेल के चुनिंदा बड़े खरीदारों पर 100% तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है; ईटी के अनुसार नए शुल्क 18 अक्टूबर से लागू होंगे। निजी खुदरा विक्रेता राशनिंग कर रहे हैं: जियो-बीपी ने प्रति ग्राहक प्रतिदिन डीज़ल 50 लीटर और नायरा एनर्जी ने 70 से 200 लीटर तक

सीमित कर दिया है, क्योंकि थोक खरीदार सस्ते पंप-ईंधन की ओर जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोलकाता में कहा, “हमने खुद को इस उथल-पुथल से सुरक्षित कर लिया है,” हालाँकि उन्होंने स्थिति को चुनौतीपूर्ण भी बताया, और कहा कि भारत के पास “अस्सी से अधिक दिनों” की भंडारण क्षमता है। संसेक्स 1,124.02 अंक गिरकर 72,771.72 पर और रुपया 95.98 प्रति डॉलर पर बंद हुआ; आईई के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने सितंबर में इक्विटी से लगभग 2.1-2.2 अरब डॉलर निकाले। पाठ्यक्रम: GS3 ऊर्जा सुरक्षा एवं बाह्य क्षेत्र; GS2 अन्य देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अमेरिका-ईरान युद्ध और परस्पर नाकाबंदी से होमुज़ जलडमरूमध्य में अवरोध → खाड़ी की आपूर्ति तंग, भौतिक कच्चा तेल वायदा भाव से 22 डॉलर तक ऊपर → अमेरिकी प्रतिबंध क़ानून से भारतीय रिफ़ाइनर रूसी तेल से हटकर महंगे खाड़ी तेल की ओर → ऊँचा आयात बिल चालू खाता घाटे को बढ़ाता है, FPI बिकवाली करते हैं और रुपया लगभग 96 प्रति डॉलर तक गिरता है → जमे हुए पंप-मूल्यों से खुदरा और थोक डीज़ल के बीच अंतर, निजी पंपों पर राशनिंग, और महंगाई का दबाव RBI को दर-वृद्धि की ओर धकेलता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- होमुज़ और बाब-अल-मंदेब भारत की ऊर्जा जीवनरेखा के दो अवरोध-बिंदु (Chokepoints) हैं** — होमुज़ जलडमरूमध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के बीच स्थित है और फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। इराक़, कुवैत, क़तर तथा सऊदी अरब और यूएई के अधिकांश हिस्से से निर्यात होने वाला लगभग सारा कच्चा तेल और एलएनजी इसी से होकर गुज़रना पड़ता है। बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य यमन तथा जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और स्वेज़ नहर का मार्ग है। इनमें से किसी पर भी ख़तरा उभरे तो भारत के लिए माल-भाड़ा, बीमा और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से ख़रीदता है।
- भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार छोटा है, और अधिकांश भंडार वाणिज्यिक स्टॉक है** — भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड (Indian Strategic Petroleum Reserves Limited), जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड (Oil Industry Development Board) की विशेष प्रयोजन इकाई (SPV) है, ने विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में भूमिगत चट्टानी गुफाएँ बनाई हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 53.3 लाख टन कच्चे तेल की है। यह राष्ट्रीय खपत के केवल कुछ ही दिनों के लिए पर्याप्त है। मंत्री जो बड़ा आँकड़ा बताते हैं, जैसे पुरी द्वारा उल्लिखित “80 से अधिक दिन”, उसमें सामरिक भंडार के साथ रिफ़ाइनरी और विपणन कंपनियों के स्टॉक भी जोड़े जाते हैं, जो कार्यालयी भंडार होते हैं और संकट में पूरे नहीं निकाले जा सकते। भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency) का सहयोगी देश है, जबकि उसके पूर्ण सदस्यों को शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर भंडार रखना अनिवार्य है।
- हाज़िर भाव, वायदा भाव और मूल्य सीमा से पता चलता है कि भारत वास्तव में कितना चुकाता है** — वायदा अनुबंध भविष्य की किसी तिथि पर तय भाव से एक मानक मात्रा ख़रीदने का समझौता होता है; अधिकांश व्यापारी इसका उपयोग जोखिम से बचाव या स्ट्रेबाज़ी के लिए करते हैं, डिलीवरी लेने के लिए नहीं। हाज़िर या भौतिक भाव वह है जो रिफ़ाइनरियाँ असली खेपों के लिए चुकाती हैं, और इसमें ग्रेड-अंतर तथा प्रीमियम शामिल होते हैं। आपूर्ति तंग होने पर हाज़िर भाव वायदा से बहुत ऊपर जा सकता है, जैसा अभी हो रहा है। रूसी कच्चे तेल पर दिसंबर 2022 से जी7, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया द्वारा तय मूल्य सीमा (Price Cap) लागू है, जो सीमा से ऊपर बिकने वाले रूसी तेल के लिए पश्चिमी जहाज़रानी और बीमा सेवाओं पर रोक लगाती है; ओपेक+ (OPEC+), यानी ओपेक और रूस तथा अन्य उत्पादकों का 2016 में बना गठबंधन, उत्पादन कोटा के ज़रिए आपूर्ति का प्रबंधन करता है।
- पेट्रोल और डीज़ल के दाम क़ानूनन नियंत्रणमुक्त हैं, इसीलिए जमे हुए दाम विकृतियाँ पैदा करते हैं** — सरकार ने पेट्रोल के दाम जून 2010 में और डीज़ल के दाम अक्टूबर 2014 में नियंत्रणमुक्त किए, जिससे तेल विपणन कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय लागत के अनुसार दाम तय कर सकती हैं, और 2017 से दैनिक संशोधन शुरू हुआ। व्यवहार में, मौजूदा मूल्य-उछाल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने खुदरा दाम अपरिवर्तित रखे हैं। थोक या औद्योगिक डीज़ल बाज़ार से जुड़े दामों पर बिकता है, इसलिए जब खुदरा दाम लागत से नीचे जमे हों तो कारख़ाने और परिवहनकर्ता जैसे थोक ख़रीदार खुदरा पंपों से ख़रीदने लगते हैं। सरकारी सहारे के बिना पूरी लागत उठाने वाले निजी खुदरा विक्रेता तब घाटा सीमित करने के लिए बिक्री की राशनिंग करते हैं, जैसा जियो-बीपी और नायरा ने किया है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- GS3 में ऊर्जा सुरक्षा और बाह्य क्षेत्र** — पाठ्यक्रम में ऊर्जा सहित अवसंरचना और उदारीकरण तथा बाह्य आघातों के प्रभाव शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक भंडार और कच्चे तेल के स्रोतों के विविधीकरण पर प्रश्न पूछे गए हैं। मौजूदा आघात दुर्लभ और सटीक साक्ष्य देता है: हाज़िर-वायदा अंतर, रूसी से खाड़ी आपूर्ति की ओर बदलाव, और ईंधन की राशनिंग।
- GS2 में अन्य देशों की नीतियों के भारत पर प्रभाव के प्रश्न** — रूसी तेल के ख़रीदारों पर

अमेरिकी प्रतिबंध कानून और अमेरिका-ईरान वार्ता सीधे भारत के आयात-विकल्पों को आकार देते हैं। UPSC ने अमेरिका, रूस और ईरान के बीच भारत के संतुलन-साधन पर प्रश्न पूछे हैं; यह खबर उस संतुलन की आर्थिक कीमत जोड़ती है।

3. प्रारंभिक परीक्षा में समुद्री अवरोध-बिंदु और भंडारों की अवस्थिति पसंदीदा विषय — जलडमरूमध्यों और सामरिक पेट्रोलियम भंडारों की अवस्थिति पर मानचित्र-आधारित प्रश्न बार-बार आते हैं। परीक्षक पेट्रोल और डीज़ल के नियंत्रणमुक्त होने की तिथियों के अंतर तथा ISPRL के संस्थागत आधार की भी जाँच करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- होर्मुज़ जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है और फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
- बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और एक ओर यमन तथा दूसरी ओर जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है।
- भारत के सामरिक कच्चे तेल भंडार भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड द्वारा विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में बनाए गए हैं।
- भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड की एक विशेष प्रयोजन इकाई है।
- भारत में पेट्रोल के दाम 2010 में और डीज़ल के दाम 2014 में नियंत्रणमुक्त किए गए।
- रूस के समुद्री मार्ग से आने वाले कच्चे तेल पर मूल्य सीमा जी7, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2022 में लागू की थी।
- ओपेक+ ओपेक के सदस्यों और रूस सहित अन्य तेल उत्पादकों का समूह है, जो 2016 से उत्पादन का समन्वय करता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. सुखी वाला भाव भारत के वास्तविक तेल बिल को कम करके दिखाता है —** समाचार रिपोर्टों में ब्रेट वायदा लगभग 108 डॉलर बताया जाता है, पर भारतीय रिफ़ाइनर भौतिक खेपें खरीदते हैं जिनका औसत भाव 12 डॉलर अधिक रहा, और प्रीमियम 20 डॉलर तक है। चूँकि सितंबर की खरीद का मूल्य अक्टूबर में लदान वाली खेपों के औसत पर तय होता है, इसलिए ऊँची लागत आयात बिल में देर से दिखेगी। इसलिए वायदा भाव पर टिके चालू खाता घाटे, तेल विपणन कंपनियों के घाटे और महँगाई के अनुमान अत्यधिक आशावादी होंगे। नीति-निर्माताओं को स्क्रीन के भाव पर नहीं, भौतिक भाव पर योजना बनानी चाहिए।
- 2. रूस से दूरी बनाने से खाड़ी पर निर्भरता बढ़ी है, ठीक तब जब खाड़ी सबसे कम भरोसेमंद है —** अमेरिकी दबाव में और 18 अक्टूबर के शुल्क की धमकी से पहले, भारतीय रिफ़ाइनरों ने रूसी कच्चा तेल जुलाई के 26.5 लाख बैरल प्रतिदिन से घटाकर सितंबर में 17.5 लाख कर दिया और इराक़ तथा सऊदी अरब से अधिक खरीदा। इससे प्रतिबंधों का जोखिम घटता है, पर आपूर्ति उस क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है जिसका निकास-मार्ग विवादित है। यह महँगा भी है, क्योंकि रूसी तेल पर छूट मिलती थी। इसके विपरीत मत यह है कि भारतीय निर्यात पर 100% शुल्क की कीमत बचाई गई छूट से कहीं अधिक होगी, अतः यह बदलाव एक तर्कसंगत जोखिम-बचाव है। सबक यह है कि भारत को दोनों क्षेत्रों से बाहर आपूर्ति के और विकल्प चाहिए।
- 3. जमे हुए पंप-मूल्य उपभोक्ताओं को बचाते हैं, पर दोहरा बाज़ार बना देते हैं जिसकी कीमत किसी को चुकानी पड़ती है —** खुदरा दाम स्थिर रखने से परिवार अचानक लगे झटके से बचते हैं, जो संकट की शुरुआत में उचित है। पर जब खुदरा डीज़ल थोक डीज़ल से सस्ता होता है, तो कारखाने और परिवहनकर्ता पंपों पर भीड़ लगाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का घाटा बढ़ता है और निजी कंपनियाँ राशनिंग करती हैं। लागत गायब नहीं होती; वह तेल कंपनियों की बैलेंस शीट में और अंततः बजट में पहुँच जाती है। किसानों और सार्वजनिक परिवहन के लिए लक्षित सहायता के साथ, घोषित और नपी-तुली दर पर लागत का अंतरण इस विकृति को घटाएगा।
- 4. तेल का झटका अब समष्टि-आर्थिक झटका बन चुका है —** डॉलर के मुकाबले 96 के आसपास गिरता रुपया, सितंबर में विदेशी निवेशकों द्वारा इक्विटी से लगभग 2 अरब डॉलर की निकासी, बॉन्ड प्रतिफल का दो वर्ष के उच्चतम स्तर पर होना और दर-वृद्धि की अपेक्षाएँ, सब तेल से जुड़े हैं। कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक होने के नाते भारत ईंधन, माल-भाड़े और उर्वरक के रास्ते महँगाई का आयात करता है। RBI रुपये की रक्षा कर सकता है और दरें बढ़ा सकता है, पर इससे वृद्धि धीमी होती है, वह भी तब जब औद्योगिक उत्पादन मजबूत है। नीतिगत मिश्रण में मौद्रिक कार्रवाई के साथ ईंधन कर और ऊर्जा दक्षता पर राजकोषीय कार्रवाई भी चाहिए।
- 5. “अस्सी दिन” आश्वस्त करता है, पर यह सामरिक सुरक्षा-कवच के बराबर नहीं है —** पुरी का आँकड़ा सामरिक गुफाओं में रखे तेल को रिफ़ाइनरी और विपणन कंपनियों के स्टॉक के साथ जोड़ता है। वाणिज्यिक स्टॉक रिफ़ाइनरियों को चालू रखते हैं; आपूर्ति में बाधा डाले बिना उन्हें आपात स्थिति में पूरा नहीं निकाला जा सकता। भारत का समर्पित सामरिक भंडार आईईए के

	सदस्यों के दायित्वों की तुलना में छोटा है। यह संकट नियोजित भंडार-विस्तार पूरा करने और कम कीमत के दौर में गुफाएँ भरने का कारण है, क्योंकि सुरक्षा-कवच सबसे सस्ता तब पड़ता है जब उसे ज़रूरत पड़ने से पहले खरीद लिया जाए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	पश्चिम एशिया के संघर्ष ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है। तेल की कीमतों के झटके से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के माध्यमों का परीक्षण कीजिए और ऐसे झटकों के प्रति भारत का जोखिम घटाने की रणनीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — तथ्यों से आरंभ कीजिए: ब्रेंट वायदा लगभग 108 डॉलर, भौतिक कच्चा तेल वायदा से औसतन 12 डॉलर ऊपर, रूसी आयात पाँच माह के निचले स्तर पर, और निजी पंपों पर डीज़ल की राशनिंग। मुख्य भाग — प्रभाव के माध्यम — आयात बिल और चालू खाता घाटा, रुपये का अवमूल्यन और FPI की निकासी, आयातित महँगाई और मौद्रिक सख्ती, जमे हुए दामों से राजकोषीय और तेल कंपनियों का घाटा, तथा अवरोध-विंदुओं पर आपूर्ति में व्यवधान की व्याख्या कीजिए। मुख्य भाग — भू-राजनीति — रूसी तेल के खरीदारों पर अमेरिकी प्रतिबंध कानून, खाड़ी के कच्चे तेल की ओर बदलाव, तथा होमुज़ और बाब-अल-मंदेब के जोखिमों की चर्चा कीजिए; विविधीकरण और संकेंद्रण को तौलिए। मुख्य भाग — रणनीति — सामरिक भंडार बढ़ाना और कम कीमतों पर उन्हें भरना; पश्चिम एशिया और रूस से परे आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण; दीर्घकालिक अनुबंध; लक्षित सब्सिडी के साथ तर्कसंगत ईंधन मूल्य निर्धारण; परिवहन का विद्युतीकरण, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा; उद्योग में कुशल उपयोग। निष्कर्ष — निष्कर्ष यह दें कि आयातक देश की ऊर्जा सुरक्षा संकट में तात्कालिक उपायों से नहीं, बल्कि शांति के वर्षों में भंडार, विविधता और माँग में कमी के ज़रिए बनती है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. ज़िला आपूर्ति अधिकारी के रूप में आपको सूचना मिलती है कि आपके ज़िले के पंपों पर थोक खरीदार डीज़ल का स्टॉक खाली कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं सबसे पहले तेल कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ सभी आउटलेटों की स्टॉक-स्थिति का नक्शा बनवाऊँगा ताकि पता चले कि कमी वास्तविक कहाँ है। मैं बुवाई के मौसम में किसानों, सार्वजनिक परिवहन, अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता से आपूर्ति सुनिश्चित करूँगा। जहाँ थोक खरीदार मानकों का उल्लंघन कर खुदरा डीज़ल औद्योगिक उपयोग के लिए मोड़ रहे हों, वहाँ मैं लागू आपूर्ति आदेशों के तहत कार्रवाई करूँगा। स्टॉक के बारे में स्पष्ट सार्वजनिक सूचना घबराहट में की जाने वाली खरीद को रोकेंगी, जो मूल्य की समस्या को क्लिलत में बदल देती है। प्रश्न 2. पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में आप अभी ईंधन के मूल्य निर्धारण पर क्या सलाह देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं तेल कंपनियों के घाटे, थोक और खुदरा डीज़ल के बीच की विकृति, और किसी भी वृद्धि के महँगाई पर प्रभाव को सामने रखूँगा। मैं चरणबद्ध, घोषित वृद्धि की सिफ़ारिश करूँगा, साथ में उत्पाद शुल्क में अस्थायी कटौती, ताकि बोझ केंद्र, कंपनियों और उपभोक्ताओं में बँटे। सर्वव्यापी मूल्य-स्थिरीकरण की तुलना में असुरक्षित उपयोगकर्ताओं को लक्षित सहायता बेहतर है। मैं यह भी सुझाव दूँगा कि दाम घटते ही संकट का उपयोग भंडार भरने की प्रक्रिया तेज़ करने में किया जाए। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या अमेरिकी कानून के बावजूद भारत को रूसी तेल खरीदते रहना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): भारत का पहला कर्तव्य अपने लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना है, और रूसी कच्चा तेल सस्ता रहा है। पर भारतीय निर्यात पर 100% शुल्क रोज़गार और निर्यातकों को छूट के लाभ से कहीं अधिक चोट पहुँचाएगा। समझदारी इसी में है कि विकल्प बनाए रखा जाए, जहाँ प्रतिबंधों का जोखिम अधिक हो वहाँ मात्रा घटाई जाए, अन्य आपूर्तिकर्ताओं की ओर विविधीकरण किया जाए, और वाशिंगटन से बातचीत की जाए। सामरिक स्वायत्तता का अर्थ है विकल्प खुले रखना, हर जोखिम एक साथ मोल लेना नहीं।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

आज की दोनों खबरें उस अन्न की हैं जिसे भारत उगाता तो है, पर थाली तक पहुँचा नहीं पाता। एक अन्न बुवाई से पहले ही हाथ से फिसल रहा है, क्योंकि अगस्त और सितंबर की सूखी मार ने खेतों को रबी के लिए इतना रूखा छोड़ दिया है कि दालों के दाम दोहरे अंकों में चढ़ गए हैं। दूसरा अन्न कटाई के बाद गँवाया जाता है, मंडियों, शीत-भंडारों और रसोइयों में, जिनका हिसाब कोई ठीक से नहीं रखता। जो देश सूखा-राहत तो तालुका-दर-तालुका तय करता है, पर घरों में बर्बाद होते भोजन को लगभग गिनता ही नहीं, वह अपनी खाद्य समस्या के आधे हिस्से को ही संभाल रहा है।

3.1 सूखे से रबी की बुवाई पर संकट के बीच एक माह में दालों के दाम 10% तक उछले

समाचार (THE NEWS) पुणे और नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा खाद्य तेल और चीनी के दाम थामने के कदम उठाने के बावजूद दालों के दाम चढ़ रहे हैं; 28 सितंबर के कार्ड के बाद नया यह है कि मूल्य-आँकड़े, केंद्र की रबी योजना और सूखाग्रस्त घोषित एक तालुका की ज़मीनी रिपोर्ट सामने आई है। व्यापारिक संस्था इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (IPGA) के थोक आँकड़ों के अनुसार सबसे अधिक खपत वाली दाल चना एक माह में 11% (दिल्ली से बाहर की डिलीवरी पर) और एक सप्ताह में 5.5% बढ़ी; दूसरी सबसे अधिक खपत वाली तुअर क्रमशः 6.5% और 2.4%; मूंग 10.6% और 4.3%; तथा मटर (सूखी) 6% और 3% बढ़ी। वार्षिक आधार पर चना 23%, उड़द 24% और मटर 47% महँगी हुई है, जबकि मसूर और मूंग केवल 2% और 4% बढ़ीं। IPGA के सचिव सतीश उपाध्याय ने इसका दोष नमी के तनाव के कारण रबी बुवाई की आशंकाओं, ऑस्ट्रेलिया से चने की कम आपूर्ति, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी आपूर्ति घटने से महँगे हुए पीले मटर (चने का विकल्प) और त्योहारी माँग को दिया। व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक माह में अल नीनो का असर स्पष्ट हो गया, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र ने बड़े इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर का आवधिक तापन है, जो भारत के मानसून को कमज़ोर करता है। सोमवार को राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन - रबी अभियान 2026 में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों और ज़िलों से कहा कि फसल-योजनाएँ अंतिम रूप देने से पहले सिंचाई की उपलब्धता और मिट्टी की नमी जाँच लें, और जल-संकट वाले क्षेत्र कम पानी माँगने वाली दलहन और तिलहन को प्राथमिकता दें ताकि आयात-निर्भरता घटे। उन्होंने कहा कि कमी इतनी गंभीर नहीं है कि देश भर में जल-उपलब्धता प्रभावित हो, पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के सूखे को उन्होंने रेखांकित किया, जहाँ केंद्रीय दल ज़मीनी आकलन करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस ने धुले ज़िले के साक्री से रिपोर्ट दी है, जो महाराष्ट्र के 358 में से उन 265 तालुकाओं में है जिन्हें पिछले सप्ताह सूखा-प्रभावित घोषित किया गया, और ये 36 में से 32 ज़िलों में फैले हैं। राज्य में 1 जून से 26 सितंबर के बीच 798.2 मिमी वर्षा हुई, जबकि सामान्य 970.9 मिमी है, यानी 18% की कमी। साक्री का कुल योग औसत के आसपास था, पर 11 सितंबर तक के 102 दिनों में से 67 दिन वर्षा नहीं हुई, जिसमें 22 दिन का सूखा दौर भी था। सूखा प्रबंधन संहिता (Drought Management Code) के तहत घोषणा में कम से कम लगातार 21 दिन तक उल्लेखनीय वर्षा न होने को आधार माना जाता है, और इससे भू-राजस्व माफ़ी, फसल-ऋण का पुनर्गठन और ऋण-वसूली पर रोक मिलती है; फसल-मुआवज़ा पंचनामों (खेत के निरीक्षण प्रतिवेदन) की प्रतीक्षा में रहता है। साक्री के अधिकांश किसान भील, कोकणा, गामित, नाईकड़ा और पारधी आदिवासी हैं, जो पीढ़ियों से वन-भूमि जोतते आ रहे हैं और जिनके व्यक्तिगत वन-अधिकार दावे लंबित हैं; 2019 के एक शासनादेश में ऐसे दावेदारों को राहत का वादा था, पर उनका कहना है कि साक्री को कुछ नहीं मिला। द हिंदू में इतिहासकार प्रियंबदा जयकुमार ने एम.एस. स्वामीनाथन की पुण्यतिथि पर तर्क दिया है कि उनके राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि-संकट को उपज की नहीं, आय की समस्या माना था। पाठ्यक्रम से संबंध: GS3 में फसल प्रतिरूप, MSP और खाद्य सुरक्षा, तथा GS1 में सूखा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अल नीनो से मानसून कमज़ोर, जून की आशाओं के बाद अगस्त-सितंबर सूखे → खरीफ़ की दलहन और मोटे अनाज मुरझाए, रबी के लिए मिट्टी की नमी ध्वस्त → महाराष्ट्र के 265 तालुके और कर्नाटक के बड़े इलाके सूखाग्रस्त घोषित → व्यापारियों ने चने की छोटी फसल, ऑस्ट्रेलिया और रूस से महँगे आयात तथा त्योहारी माँग को दाम में जोड़ा → एक माह में दालें 10% तक महँगी → केंद्र ने राज्यों से जल-उपलब्धता के आधार पर रबी की योजना बनाने और दलहन-तिलहन को बढ़ावा देने को कहा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. सूखा राज्य राष्ट्रीय नियमावली के अनुसार घोषित करते हैं, और आधार केवल वर्षा नहीं, संकेतकों का संयोजन है — कृषि मंत्रालय की सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management), जो पहली बार 2016 में जारी हुई और बाद में संशोधित की गई, बताती है कि सूखे का आकलन और घोषणा कैसे होती है। इसमें पहले अनिवार्य वर्षा संकेतक लिए जाते हैं, जैसे सामान्य वर्षा से विचलन और लंबे सूखे दौर, और उसके बाद प्रभाव संकेतक, जिनमें फसलों की बुवाई, उपग्रह-आधारित वनस्पति स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी तथा जलाशयों और भूजल के स्तर जैसी जल-विज्ञानीय स्थितियाँ शामिल हैं। राज्य सरकार, प्रायः तालुका या ब्लॉक के स्तर पर, सूखा घोषित करती है और क्षेत्र-स्त्यापन के बाद उसे मध्यम या गंभीर श्रेणी में रखती है। महाराष्ट्र की अपनी सूखा प्रबंधन संहिता इन्हीं सिद्धांतों को लागू करती है, इसीलिए साक्री की रिपोर्ट में 21 दिन के सूखे दौर के आधार और उसके बाद पंचनामों की बात है।
2. सूखा-राहत का वित्तपोषण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपदा प्रतिक्रिया कोषों से होता है — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) की धारा 48 के तहत हर राज्य में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और धारा 46 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) का प्रावधान है। सूखा एक अधिसूचित आपदा है जिसके लिए राहत गृह मंत्रालय द्वारा तय मानकों के अनुसार SDRF से दी जाती है, और SDRF में बड़ा अंशदान केंद्र का होता है। गंभीर प्रकृति के सूखे में राज्य एक ज्ञापन प्रस्तुत करता है और NDRF से अतिरिक्त धन जारी होने से पहले अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल नुकसान का आकलन करने आता है। चौहान ने जिन केंद्रीय दलों का उल्लेख किया, वे इसी आकलन-प्रक्रिया का

हिस्सा हैं।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य और PM-AASHA वे साधन हैं जो दलहन को उगाने लायक बनाने के लिए हैं — न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price, MSP) की घोषणा केंद्र सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर 22 अधिदेशित फसलों के लिए करती है, जिनमें प्रमुख दलहन भी हैं; इसे कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA), जो 2018 में शुरू हुआ, के तीन घटक हैं: दलहन, तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना, MSP और बाज़ार भाव के अंतर का भुगतान किसानों को करने वाली मूल्य कमी भुगतान योजना, और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट का पायलट। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित मूल्य स्थिरीकरण कोष दलहन के बफ़र स्टॉक का वित्तपोषण करता है, जिसे दाम उछलने पर बाज़ार में उतारा जाता है। इन सबका उद्देश्य दाम गिरने पर किसानों को और दाम चढ़ने पर उपभोक्ताओं को बचाना है।
4. राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि नीति को उत्पादन के बजाय आय के इर्द-गिर्द पुनर्परिभाषित किया — राष्ट्रीय किसान आयोग (National Commission on Farmers) का गठन 2004 में प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ और उसने पाँच रिपोर्टें सौंपीं, अंतिम 2006 में, साथ में किसानों के लिए एक प्रारूप राष्ट्रीय नीति भी। उसकी सबसे प्रसिद्ध सिफारिश थी कि MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक हो, जिसे सामान्यतः व्यापक C2 लागत में 50% जोड़कर पढ़ा जाता है। आयोग ने भूमि सुधार, जल-उपयोग दक्षता, सस्ते संस्थागत ऋण, पूरे देश को कवर करने वाली फसल बीमा व्यवस्था और किसानों के लिए ज्ञान-संपर्क नेटवर्क की भी सिफारिश की। आयोग की केंद्रीय अंतर्दृष्टि, जैसा द हिंदू का लेख ज़ोर देकर कहता है, यह थी कि कृषि नीति की कसौटी किसानों की आय और आजीविका की सुरक्षा होनी चाहिए।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 में फसल प्रतिरूप, MSP और दलहन के अर्थशास्त्र पर सीधे प्रश्न आते हैं — GS3 के पाठ्यक्रम में प्रमुख फसलें और फसल प्रतिरूप, सिंचाई, MSP और सार्वजनिक वितरण, तथा खाद्य सुरक्षा शामिल हैं। UPSC ने बार-बार पूछा है कि आत्मनिर्भरता मिशन के बावजूद भारत दालों और खाद्य तेलों का आयातक क्यों बना हुआ है, और MSP फसल-चयन को कैसे विकृत करता है। जल-संकट वाले क्षेत्रों को दलहन और तिलहन की ओर मोड़ने का रबी अभियान 2026 का निर्देश फसल-विविधीकरण पर किसी भी उत्तर के लिए जीवंत उदाहरण है।
2. सूखा प्रबंधन की परीक्षा GS3 के आपदा प्रबंधन और GS1 के भूगोल में होती है — प्रश्नों में मौसम-विज्ञानीय, जल-विज्ञानीय और कृषि सूखे के अंतर तथा सूखा-प्रवण क्षेत्र प्रबंधन के बारे में पूछा गया है। साक्री का मामला, जहाँ कुल वर्षा औसत के निकट थी पर 22 दिन के सूखे दौर ने फसलें चौपट कर दीं, दिखाता है कि कृषि सूखा केवल वर्षा की मात्रा का नहीं, उसके समय का भी प्रश्न है। प्रारंभिक परीक्षा में अल नीनो और हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole) पर प्रश्न आए हैं, इसलिए दामों के पीछे का मानसूनी तंत्र भी पूछा जा सकता है।
3. आदिवासी भूमि अधिकार और राहत तक पहुँच इस ख़बर को GS2 के कमज़ोर वर्गों के कल्याण से जोड़ते हैं — वन अधिकार अधिनियम, 2006 और यह प्रश्न कि क्या लंबित दावे वाले कृषक फसल-मुआवज़ा पा सकते हैं, कृषि को GS2 के कमज़ोर वर्गों के संरक्षण वाले खंड से जोड़ते हैं। मानवविज्ञान और समाजशास्त्र के वैकल्पिक विषयों में आदिवासी भूमि-अन्यसंक्रामण और कृषि-असुरक्षा पर प्रश्न आते हैं, और यह रिपोर्ट उसका सटीक केस-अध्ययन है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन धारा 46 के तहत और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन धारा 48 के तहत होता है।
- सूखा राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, जिसका आधार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सूखा प्रबंधन नियमावली में दिए संकेतक हैं।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर करती है और इसे वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है।
- PM-AASHA (2018) में मूल्य समर्थन योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना शामिल हैं।
- दलहन के बफ़र स्टॉक का वित्तपोषण करने वाला मूल्य स्थिरीकरण कोष उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रशासित होता है।
- राष्ट्रीय किसान आयोग (2004-06) की अध्यक्षता एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी और उसने MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक रखने की सिफारिश की थी।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 [Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers]

(Recognition of Forest Rights) Act, 2006] के अंतर्गत ग्राम सभा वह प्राधिकारी है जो व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. मूल्य-आँकड़े आपूर्ति के ऐसे झटके को दर्शाते हैं जिसे आयात अब आसानी से नहीं पाट सकते** — वार्षिक आधार पर सबसे तीव्र वृद्धि मटर में है, 47%, और मटर अधिकांशतः आयातित दलहन है जिसका उपयोग चने के सस्ते विकल्प के रूप में होता है। जब रूसी आपूर्ति घटने से यह विकल्प महंगा हो जाए और ऑस्ट्रेलिया का चना भी कम पड़े, तो सस्ते आयात का परिचित सुरक्षा-वाल्फ काम करना बंद कर देता है। इसीलिए 28 सितंबर के एक संपादकीय ने शुल्क-मुक्त आयात की वकालत की थी। इसके विपरीत मत यह है कि अभी शुल्क घटाने से उपभोक्ताओं को राहत तो मिलेगी, पर रबी बुवाई से ठीक पहले किसानों को यह संकेत जाएगा कि सरकार दाम ऊँचे नहीं रहने देगी, जिससे उसी प्रोत्साहन का ह्रास होगा जिस पर प्रतिक्रिया की चौहान अपेक्षा करते हैं।
- 2. किसानों को दलहन की ओर मुड़ने की सलाह उचित है, पर मूल्य-आश्वासन के बिना सलाह से बुवाई शायद ही बदलती है** — दलहन को गेहूँ या धान से कम पानी चाहिए और वे मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करती हैं, इसलिए रबी अभियान का तर्क कृषि-विज्ञान की दृष्टि से सही है। पर किसान फसल का चुनाव प्रतिफल की निश्चितता के आधार पर करते हैं, और गेहूँ-धान की MSP पर खरीद सुनिश्चित है जबकि PM-AASHA के अंतर्गत दलहन की खरीद सीमित और राज्यों में असमान है। जल-संकट वाले जिले का किसान तभी बदलेगा जब उसे भरोसा हो कि फसल आने और दाम गिरने पर सरकार चना या मसूर MSP पर खरीदेगी। इसलिए अभियान की कसीटी सितंबर की सलाहें नहीं, मार्च-अप्रैल की खरीद है।
- 3. साक्री दिखाता है कि सूखे की घोषणा अब समय को पहले से बेहतर पकड़ती है, पर राहत अब भी कागज़ पर निर्भर है** — साक्री में मौसमी वर्षा लगभग औसत रही और केवल कुल वर्षा पर आधारित घोषणा में वह छूट जाता; सूखे दौर के आधार ने ही उसे शामिल कराया। सूखा-आकलन में यह वास्तविक सुधार है। फिर भी वहाँ के आदिवासी किसान ऐसी वन-भूमि जोतते हैं जिस पर उनके व्यक्तिगत वन-अधिकार दावे लंबित हैं, और स्वामित्व-पत्र के बिना उनके नुकसान पंचनामों में दर्ज या भू-अभिलेखों से जुड़े नहीं हो पाते। जो घोषणा तालुके तक पहुँचे पर कृषक तक नहीं, वह वही अंतर दोहराती है जिसकी चेतावनी स्वामीनाथन आयोग ने दी थी, जहाँ नीति को सुरक्षित की गई आय से नहीं, कागज़ी कवरेज से आँका जाता है।
- 4. स्वामीनाथन पर लेख बताता है कि हर सूखा कर्ज-संकट में क्यों बदल जाता है** — द हिंदू के लेख के अनुसार लगभग 86% किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है और खेती-योग्य लगभग आधी भूमि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है, जबकि कृषि GDP में 15-18% का योगदान देती है पर लगभग 46% कार्यबल को रोज़गार देती है। ऐसे किसानों के पास बचत का कोई सुरक्षा-कवच नहीं होता, इसलिए जब सब कुछ लगा देने के बाद खरीफ़ चौपट होती है तो वे रबी के लिए उधार लेते हैं, और दूसरी विफलता कर्ज को दोगुना कर देती है। साक्री के एक किसान ने ठीक यही कहा: कर्ज के दो चक्र। ऋण-पुनर्गठन बोझ को टालता है, मिटाता नहीं। गहरा उत्तर आयोग की आजीविका-सुरक्षा की अवधारणा में है, जिसमें गैर-कृषि आय भी शामिल है, ताकि एक बुरा मानसून पूरे परिवार को न बहा ले जाए।
- 5. दालों से खाद्य मुद्रास्फीति गरीबों पर दोहरी मार करती है, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों रूपों में** — दालें शाकाहारी और गरीब परिवारों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं, इसलिए चने में 23% की वार्षिक वृद्धि केवल मूल्य की नहीं, पोषण की समस्या है। साथ ही, सूखा-प्रभावित इलाकों के जो छोटे किसान ऊँचे दामों से लाभ उठा सकते थे, उनके पास बेचने के लिए फसल ही नहीं है। इसलिए लाभ सिंचित क्षेत्रों के किसानों और स्टॉक रखने वाले व्यापारियों को मिलता है। इसीलिए सूखे के वर्ष में व्यापक आयात-शुल्क कटौती की तुलना में मूल्य स्थिरीकरण कोष का बफ़र और लक्षित वितरण अधिक मायने रखते हैं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“भारत में दालों की आवर्ती महंगाई उत्पादन की विफलता से अधिक जल, मूल्य और खरीद के बीच तालमेल की विफलता है।” 2026 के सूखे और जल-संकट वाले क्षेत्रों को दलहन-तिलहन की ओर मोड़ने के केंद्र के आह्वान के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका** — IPGA के आँकड़ों से आरंभ कीजिए: चना एक माह में 11% और एक वर्ष में 23% चढ़ा, जबकि अल नीनो से जुड़ा सूखा महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुकाओं और कर्नाटक के बड़े हिस्सों में घोषित हुआ। जल-संकट वाले क्षेत्रों में दलहन और तिलहन को प्राथमिकता देने की रबी अभियान 2026 की सलाह का उल्लेख कीजिए।
- 2. मुख्य भाग** — जल का आयाम — स्पष्ट कीजिए कि दलहन को गेहूँ और धान से कम पानी चाहिए, और सूखे की घोषणा में सूखे-दौर का आधार दिखाता है कि कृषि सूखा वर्षा के समय का प्रश्न है। साक्री के 102 दिनों में से 67 शुष्क दिनों को साक्ष्य के रूप में प्रयोग कीजिए।
- 3. मुख्य भाग** — मूल्य और खरीद का आयाम — समझाइए कि गेहूँ-धान के लिए MSP-समर्थित

खरीद सुनिश्चित है पर PM-AASHA के अंतर्गत दलहन के लिए कम, इसलिए किसान तर्कसंगत ढंग से दलहन से बचते हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के बफर और शुल्क-मुक्त आयात की दुविधा की चर्चा कीजिए, जो उपभोक्ताओं की मदद करता है पर बुवाई के प्रोत्साहन को कमजोर करता है।

4. **मुख्य भाग — आजीविका का आयाम** — राष्ट्रीय किसान आयोग का सहारा लीजिए: छोटी जातें, वर्षा-निर्भरता और गैर-कृषि आय की कमी हर सूखे को कर्ज के दुष्चक्र में बदल देती हैं। लंबित वन-अधिकार दावे वाले उन आदिवासी कृषकों का उल्लेख कीजिए जो मुआवज़े से वंचित रह सकते हैं।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए सुनिश्चित खरीद, जल-बजट पर आधारित फसल योजनाएँ और त्वरित, समावेशी सूखा-राहत चाहिए, ताकि सफलता का पैमाना केवल उत्पादन नहीं, किसान की आय बने।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप धुले के कलेक्टर हैं। वन-अधिकार दावे लंबित रखने वाले आदिवासी किसानों को आशंका है कि वे सूखा-मुआवज़े से छूट जाएंगे। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं राजस्व और वन कर्मचारियों को निर्देश दूँगा कि स्वामित्व-पत्र लंबित होने पर भी वन-भूमि पर फसल-हानि को पंचनामों में दर्ज करें, और खेती के प्रमाण के रूप में उपखंड स्तरीय समिति के पास रखे दावा-अभिलेखों का उपयोग करें। मैं 2019 के संबंधित शासनादेश को राज्य के समक्ष रखूँगा ताकि स्पष्ट हो कि वह इस वर्ष लागू होता है या नहीं। साथ ही मैं विशेष ग्राम सभा बैठकों के ज़रिए लंबित व्यक्तिगत दावों के निपटारे में तेज़ी लाऊँगा। जो राहत सबसे कमज़ोर कृषकों को बाहर रखे, वह घोषणा का उद्देश्य ही विफल कर देती है।

प्रश्न 2. सूखा-प्रभावित राज्य के कृषि सचिव के रूप में आप रबी अभियान की दलहन उगाने की सलाह को वास्तव में कैसे कारगर बनाएँगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं जलाशय, भूजल और मिट्टी की नमी के आँकड़ों के आधार पर ब्लॉक स्तर पर फसल-योजनाएँ तैयार करूँगा, और बुवाई से पहले सहकारी समितियों के माध्यम से प्रमाणित दलहन और तिलहन के बीज उपलब्ध कराऊँगा। मैं मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खरीद पर केंद्र से पहले से प्रतिबद्धता माँगूँगा और खरीद केंद्रों की जानकारी कटाई के बाद नहीं, बुवाई से पहले प्रचारित करूँगा। मैं फसल बीमा नामांकन अभियान भी चलाऊँगा ताकि बदलाव करने वाले किसान पूरा जोखिम अकेले न उठाएँ।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या दाम बढ़ने पर भारत को दालों का आयात शुल्क घटा देना चाहिए, भले ही इससे किसानों को चोट पहुँचे?

दृष्टिकोण (Approach): उपभोक्ता, विशेषकर गरीब परिवार, प्रोटीन के लिए दालों पर निर्भर हैं, इसलिए दामों को बेलगाम नहीं होने दिया जा सकता। पर बुवाई से ठीक पहले अचानक शुल्क-कटौती किसानों को संकेत देती है कि ऊँचे दाम टिकेंगे नहीं, जिससे समय के साथ आयात-निर्भरता गहरी होती है। बेहतर रास्ता यह है कि पहले बफर स्टॉक और लक्षित बिक्री का उपयोग किया जाए, शुल्क-राहत समयबद्ध हो और पहले से घोषित हो, और उसके साथ अगली फसल के लिए सुनिश्चित खरीद जोड़ी जाए। नीति की पूर्वानुमेयता किसान और उपभोक्ता, दोनों के हित में है।

3.2 FAO: कटाई-उपरांत हानि के आँकड़ों में भारत अग्रणी, पर खुदरा और घरेलू बर्बादी में पीछे

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। 29 सितंबर खाद्य हानि एवं अपव्यय जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस है, और द हिंदू में खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के भारत प्रतिनिधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी कोंडा रेड्डी चावा तर्क देते हैं कि खाद्य हानि और अपव्यय घटाने से भारत को “तिहरा लाभ” मिल सकता है: बेहतर खाद्य सुरक्षा और पोषण, प्राकृतिक संसाधनों और उत्सर्जन पर कम दबाव, तथा बेहतर आय और उत्पादकता। खाद्य हानि (Food Loss) का अर्थ है वह भोजन जो खराब भंडारण, सुखाई या परिवहन के कारण कटाई और दुकान के बीच की श्रृंखला से बाहर हो जाता है; खाद्य अपव्यय (Food Waste) का अर्थ है दुकानों, रेस्तराँ और घरों द्वारा फेंका गया भोजन। वे लिखते हैं कि भारत अपने 1.4 अरब लोगों को खिलाने लायक उत्पादन करता है, फिर भी मूल्य श्रृंखला में उसका उल्लेखनीय हिस्सा गँवा देता है। भारत एकमात्र देश है जिसने तीन राष्ट्रीय कटाई-उपरांत हानि सर्वेक्षण किए हैं: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2005-07, 2012-14 और 2020-22 में खेत से खुदरा तक क्रमशः 45, 45 और 54 वस्तुओं का आकलन किया, और चौथा दौर जारी है। ये सर्वेक्षण सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अंतर्गत खाद्य हानि सूचकांक की भारत की रिपोर्टिंग में सहायक हैं, पर वे मुख्यतः खेत और आपूर्ति-श्रृंखला की हानियों को ही समेटते हैं; खुदरा, होटलों, रेस्तराँ और घरों में अपव्यय के आँकड़े कहीं कम विकसित हैं। वे लिखते हैं कि हानि घटाने की सबसे बड़ी गुंजाइश बेहतर भंडारण, सुखाई, शीतलन, नमी-प्रबंधन और प्रसंस्करण में है, और डिजिटल अनुरेखणीयता (traceability) इसमें और मदद करती है। FAO और राज्य कृषि विपणन बोर्डों की परिषद (COSAMB) के आकलनों में पाया गया कि प्रमुख थोक मंडियाँ प्रतिदिन 100 टन तक जैविक कचरा पैदा कर सकती हैं, और कुछ शहरों में लैंडफिल पहुँचने वाले कुल शहरी जैविक कचरे का पाँचवाँ हिस्सा तक इन्हीं से आता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 35 लाख टन प्रतिवर्ष बैठता है, जिसका उपचार किया जाए तो प्रतिवर्ष लगभग 33 लाख टन CO₂-समतुल्य उत्सर्जन की भरपाई हो सकती है, जो लगभग 3 करोड़ डॉलर के कार्बन क्रेडिट के बराबर है। सूरत में निजी भागीदारी से पाँच वर्ष से अधिक समय से चल रहा 50 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-सीएनजी संयंत्र कथित तौर पर

मीथेन-संबंधी उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 7,500 टन की कमी करता है। FAO और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) खाद्य-हानि के संकट-बिंदुओं को सुखाई, नमी-नियंत्रण, दक्ष शीतलन और भंडारण जैसी जलवायु-सहनशील प्रौद्योगिकियों से जोड़ने का मानचित्रण कर रहे हैं, जिसमें SIDBI लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। FAO घरों, थोक मंडियों, खुदरा और खाद्य सेवा में अपव्यय को मापने, रोकने, घटाने, पुनर्वितरित करने और उसका मूल्य-संवर्धन करने में शहरों की मदद के लिए एक “कार्य-पद्धतियों का पैकेज” भी तैयार कर रहा है। उनका निष्कर्ष: भारत के पास अब आँकड़े, प्रौद्योगिकी और व्यवहार्य मॉडल हैं, और उसे आँकड़ों की कमियाँ पाटनी चाहिए, निवेश को दिशा देनी चाहिए और हानि-न्यूनीकरण को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, शहरी और जलवायु नीति में समाहित करना चाहिए। पाठ्यक्रम से संबंध: GS3 में खाद्य प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, तथा खाद्य सुरक्षा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बढ़ता उत्पादन भंडारण, सुखाई और शीत-श्रृंखला की क्षमता से आगे निकला → खेत और खुदरा के बीच उपज का उल्लेखनीय हिस्सा नष्ट, मंडियाँ जैविक कचरा लैंडफिल में डालती हैं जहाँ से मीथेन निकलती है → भारत तीन राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से खेत से खुदरा तक की हानि मापता है, पर घरेलू और खुदरा अपव्यय नहीं → SDG 12.3 और खाद्य हानि सूचकांक रिपोर्टिंग का दायित्व बनाते हैं → FAO वित्त-आधारित हानि-न्यूनीकरण और सूरत के बायो-सीएनजी संयंत्र जैसे अपशिष्ट-से-ऊर्जा मॉडलों पर जोर देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- SDG लक्ष्य 12.3 खाद्य हानि और खाद्य अपव्यय को अलग करता है और दोनों के लिए अलग सूचकांक देता है** — सतत विकास लक्ष्य 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन से जुड़ा है। लक्ष्य 12.3 का उद्देश्य 2030 तक खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर वैश्विक प्रति व्यक्ति खाद्य अपव्यय को आधा करना और कटाई-उपरांत हानियों सहित उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में होने वाली खाद्य हानियों को घटाना है। इसे दो संकेतकों से मापा जाता है: खाद्य हानि सूचकांक, जिसकी संरक्षक एजेंसी FAO है और जो कटाई के बाद से खुदरा तक (खुदरा को छोड़कर) की हानियों को समेटता है, तथा खाद्य अपव्यय सूचकांक, जिसकी संरक्षक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) है और जो खुदरा, खाद्य सेवा और घरों को समेटता है। भारत के तीन कटाई-उपरांत सर्वेक्षण पहले को आँकड़े देते हैं; घरेलू आँकड़ों का अभाव ही दूसरे को कमजोर बनाता है।
- खाद्य हानि एवं अपव्यय जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्धारित किया** — संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में 29 सितंबर को खाद्य हानि एवं अपव्यय जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस निर्धारित किया, और इसे पहली बार 2020 में मनाया गया। इसके आयोजन का नेतृत्व FAO और UNEP करते हैं। यह 16 अक्टूबर के विश्व खाद्य दिवस से भिन्न है, जो 1945 में FAO की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। FAO का मुख्यालय रोम में है।
- भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया मुख्यतः प्रसंस्करण और शीत श्रृंखलाओं के इर्द-गिर्द बनी है** — खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana) एक छत्र योजना है जो मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य-संवर्धन अवसंरचना, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर तथा पशुचामी और अग्रगामी संबंधों को वित्त देती है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित ऑपरेशन ग्रीन्स का लक्ष्य टमाटर, प्याज और आलू (TOP फ़सलों) के दामों में स्थिरता था, और बाद में इसे और नाशवान फलों-सब्जियों तक बढ़ाया गया। 2020 में शुरू हुआ कृषि अवसंरचना कोष गोदामों और शीत-भंडारों जैसी कटाई-उपरांत अवसंरचना के ऋणों पर व्याज-अनुदान देता है। ये योजनाएँ खाद्य हानि को संबोधित करती हैं; घरेलू खाद्य अपव्यय को कोई राष्ट्रीय योजना लगभग संबोधित नहीं करती।
- अपशिष्ट-से-ऊर्जा खाद्य हानि को जलवायु नीति से जोड़ती है** — लैंडफिल में सड़ता जैविक कचरा मीथेन पैदा करता है, जो अल्प अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक प्रबल ग्रीनहाउस गैस है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 2018 में शुरू हुई SATAT पहल (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों को प्रोत्साहित करती है जो बायोमास और जैविक कचरे को ईंधन में बदलते हैं, और गोबरधन (GOBARdhan) पशु-गोबर और कृषि अपशिष्ट से ऐसे ही संयंत्रों को सहायता देता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016) घरों और थोक अपशिष्ट-उत्पादकों से स्रोत पर ही कचरा पृथक्करण अनिवार्य करते हैं, जो मंडी और रसोई के कचरे को संसाधन के रूप में बरतने की पूर्व-शर्त है।
- GS3 में भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य प्रसंस्करण का स्पष्ट उल्लेख है** — पाठ्यक्रम में कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन शामिल हैं। UPSC ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण की बाधाओं और बर्बादी घटाने में शीत श्रृंखलाओं की भूमिका पर पूछा है। FAO का यह लेख वर्तमान और उद्घरण-योग्य साक्ष्य देता है: तीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 35 लाख टन मंडी कचरा और एक चालू बायो-सीएनजी मॉडल।
- प्रारंभिक परीक्षा को संरक्षक एजेंसियों और संकेतकों का भेद पसंद है** — SDG और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों पर प्रश्न प्रायः यह परखते हैं कि कौन-सी एजेंसी क्या प्रकाशित करती है। FAO के खाद्य हानि सूचकांक और UNEP के खाद्य अपव्यय सूचकांक का अंतर तथा अंतरराष्ट्रीय दिवसों की तिथियाँ इसी ढाँचे में ठीक बैठती हैं।

	3. निबंध और GS3 के उत्तर खाद्य सुरक्षा को अब अधिकाधिक जलवायु से जोड़ते हैं — UPSC के निबंध-विषयों ने सततता और उपभोग को छुआ है। जो अभ्यर्थी दिखा सके कि खाद्य हानि घटाना एक साथ खाद्य सुरक्षा, उत्सर्जन-कटौती और कृषि-आय नीति है, वह उसकी तुलना में बेहतर उत्तर लिखता है जो इन्हें अलग-अलग बरतता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● SDG लक्ष्य 12.3 का उद्देश्य 2030 तक खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर वैश्विक प्रति व्यक्ति खाद्य अपव्यय को आधा करना और उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को घटाना है। ● SDG संकेतक 12.3.1 के अंतर्गत FAO खाद्य हानि सूचकांक की और UNEP खाद्य अपव्यय सूचकांक की संरक्षक एजेंसी है। ● खाद्य हानि एवं अपव्यय जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ● प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय करता है। ● 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषित ऑपरेशन ग्रीन्स में आरंभ में टमाटर, प्याज और आलू शामिल थे। ● संपीड़ित जैव गैस के लिए SATAT पहल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है। ● टोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 स्रोत पर कचरे के पृथक्करण को अनिवार्य बनाते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. भारत उस हानि को मापता है जिसका दोष वह अवसंरचना पर डाल सकता है, उस अपव्यय को नहीं जिसका दोष उसे उपभोक्ताओं पर डालना पड़ेगा — तीनों सर्वेक्षण खेत से खुदरा तक को समेटते हैं, जहाँ हानियाँ शीत-भंडार और गोदाम बनाकर ठीक की जा सकती हैं, और ऐसी परियोजनाएँ सरकारें घोषित करना पसंद करती हैं। घरेलू और रेस्तराँ का अपव्यय कठिन है: उसके लिए व्यवहार-परिवर्तन, नगरपालिका प्रणालियाँ और घरों के भीतर आँकड़ा-संग्रह चाहिए। भारत का पहले में विश्व में अग्रणी और दूसरे में पिछड़ा होना संयोग नहीं, बल्कि इसका द्योतक है कि राजनीतिक रूप से क्या आसान है। जब तक घरेलू अपव्यय नहीं मापा जाता, भारत SDG 12.3 के आधे हिस्से की विश्वसनीय रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। 2. मंडी-कचरे के आँकड़े स्वच्छता की समस्या को ऊर्जा के कारोबार में बदल देते हैं — थोक बाजारों से प्रतिवर्ष लगभग 35 लाख टन जैविक कचरा केंद्रित, अपेक्षाकृत साफ़ और मात्रा में पूर्वानुमेय होता है, जो ठीक वही है जो जैव गैस संयंत्र को चाहिए। सूरत का संयंत्र दिखाता है कि यह निजी भागीदारी से पाँच वर्ष चल सकता है। बाधा प्रौद्योगिकी नहीं, संस्थाएँ हैं: कृषि उपज विपणन समितियाँ मंडियाँ चलाती हैं, नगरपालिकाएँ कचरा सँभालती हैं और तेल कंपनियाँ गैस खरीदती हैं, और समस्या पूरी तरह किसी की नहीं है। इनके बीच भूमिकाएँ बाँटने वाला एक आदर्श अनुबंध एक और सब्सिडी से अधिक काम करेगा। 3. 3 करोड़ डॉलर का कार्बन-क्रेडिट आँकड़ा मामूली है, और यह यथार्थ की उपयोगी परख है — 33 लाख टन CO₂-समतुल्य की भरपाई का मूल्य प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ डॉलर है, जो राष्ट्रीय अवसंरचना की लागत के सामने छोटा है। इसलिए कार्बन-वित्त अकेले अपशिष्ट-उपचार का खर्च नहीं उठा सकता। असली मूल्य बचे हुए लैंडफिल-खर्च, उत्पादित ईंधन और मिट्टी के लिए खाद में है। कार्बन क्रेडिट को मुख्य प्रोत्साहन के रूप में पेश करने से निराशा का जोखिम है; वे पूरक हैं, कारोबारी मॉडल नहीं। 4. सूखे के वर्ष में प्रभावी खाद्य आपूर्ति बढ़ाने का सबसे सस्ता तरीका हानि-न्यूनीकरण है — ऐसे वर्ष में जब सूखा रबी की संभावनाएँ घटा रहा है और दलहन के दाम चढ़ रहे हैं, कटाई के बाद बचाया गया हर टन वह टन है जिसे आयात नहीं करना पड़ेगा। दलहन और अनाज की बेहतर सुखाई और नमी-नियंत्रण किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाते हैं, क्योंकि भंडारित उपज बेहतर दामों की प्रतीक्षा कर सकती है। इससे कटाई-उपरांत निवेश केवल दक्षता का उपाय नहीं, महंगाई-विरोधी साधन बन जाता है। विपरीत मत यह है कि बाज़ार-पहुँच के बिना भंडारण केवल संकट को टालता है, इसलिए गोदामों के साथ गोदाम-रसीद वित्त भी आना चाहिए। 5. अनाज का ईंधन में उपयोग यही प्रश्न दूसरी ओर से उठाता है — द इकोनॉमिक टाइम्स में एक पत्र चावल के एथनॉल में डाले जाने को तुरंत रोकने की माँग करता है, यह कहते हुए कि लगभग 65% आबादी मुख्यतः चावल खाती है, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 14.5 करोड़ टन का खपत होती है, और 16 राज्यों में वर्षा की कमी 15-40% है। अधिशेष अनाज को ईंधन में लगाना विवेकपूर्ण है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि बुरे मानसून के बाद अधिशेष वास्तव में कितना बड़ा है। खाद्य हानि का तर्क यहाँ भी लागू होता है: जो भोजन खाद्य श्रृंखला से बाहर जाता है, चाहे लैंडफिल में या भट्टी में, वह खाया नहीं जाता, और सूखे का वर्ष वह समय है जब इस समझौते की

	समीक्षा होनी चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत के पास कटाई-उपरांत खाद्य हानि के विश्व के सर्वोत्तम आँकड़े हैं और खाद्य अपव्यय के सबसे कमज़ोर आँकड़ों में से हैं।” इस असंतुलन के भारत की खाद्य सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं पर निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और मूल्य श्रृंखला में खाद्य हानि और अपव्यय से निपटने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — SDG 12.3 और उसके दो सूचकांकों के आधार पर खाद्य हानि और खाद्य अपव्यय को परिभाषित कीजिए। उल्लेख कीजिए कि भारत ने 2005-07, 2012-14 और 2020-22 में क्रमशः 45, 45 और 54 वस्तुओं को समेटते हुए तीन राष्ट्रीय कटाई-उपरांत हानि सर्वेक्षण किए हैं। 2. मुख्य भाग — असंतुलन — समझाइए कि सर्वेक्षण खेत से खुदरा तक को समेटते हैं, जबकि खुदरा, होटल और घरेलू अपव्यय का मापन कमज़ोर है। तर्क दीजिए कि इससे नीति PM किसान संपदा और ऑपरेशन ग्रीन्स जैसी अवसंरचना योजनाओं की ओर झुकती है और नगरपालिका तथा व्यवहारगत उपायों से दूर हटती है। 3. मुख्य भाग — खाद्य सुरक्षा और जलवायु — हानि-न्यूनीकरण को सूखे के वर्षों में खाद्य उपलब्धता और लैंडफ़िल की मीथेन से जोड़िए। साक्ष्य के रूप में FAO-COSAMB का प्रतिवर्ष 35 लाख टन मंडी-कचरे का आकलन और सूरत का बायो-सीएनजी संयंत्र प्रयोग कीजिए। 4. मुख्य भाग — उपाय — घरेलू और खाद्य-सेवा अपव्यय के सर्वेक्षण, टोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत स्रोत पर पृथक्करण, SATAT के माध्यम से मंडी-स्तरीय जैव गैस, SME में सुखाई और शीतलन प्रौद्योगिकियों के लिए SIDBI-समर्थित वित्त, और किसानों के लिए गोदाम-रसीद वित्त सुझाइए। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि खाद्य हानि को केवल अवसंरचना की कमी नहीं, आँकड़ों, वित्त और संस्थागत समस्या मानने से भारत को खाद्य सुरक्षा, जलवायु और कृषि-आय पर तिहरा लाभ मिलता है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. बड़ी थोक सब्ज़ी मंडी वाले शहर के नगर आयुक्त के रूप में आप उसके दैनिक जैविक कचरे से कैसे निपटेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले मंडी समिति के साथ कचरे की धारा को मापूँगा, फिर मंडी के भीतर ही स्रोत पर जैविक कचरे का पृथक्करण लागू कराऊँगा। मैं निजी भागीदारी मॉडल पर संपीड़ित जैव गैस संयंत्र के लिए निविदाएँ आमंत्रित करूँगा, जिसमें मंडी समिति भूमि और सुनिश्चित कच्चा माल देगी, और संयंत्र को SATAT के तहत किसी तेल कंपनी की खरीद से जोड़ूँगा। अवशेष से बनी खाद किसानों को दी जा सकती है। नगर निकाय और मंडी समिति के बीच ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट बँटवारा ही कुंजी है। प्रश्न 2. आप ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय के प्रमुख हैं। भंडारण में अनाज की हानि आप कैसे घटाएंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं सभी गोदामों में भंडारण की स्थितियों का अंकेक्षण कराऊँगा, जिसमें ढके और चबूतरे वाले भंडारण भी शामिल होंगे, और वर्षा से पहले खुले भंडारण से अनाज हटाने को प्राथमिकता दूँगा। मैं पहले आओ-पहले निकालो के आधार पर निर्गमन, धूमन की समय-सारणी और नमी-जाँच लागू कराऊँगा, और गोदाम-वार मासिक हानि के आँकड़े प्रकाशित करूँगा। जिन अधिकारियों की ज़िम्मेदारी में टालने योग्य हानि हुई, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुआ अनाज सार्वजनिक धन है और लाभार्थियों से छीना गया भोजन है। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या घरेलू खाद्य अपव्यय राज्य का विषय है भी? दृष्टिकोण (Approach): घरेलू चुनाव निजी हैं, पर उनके परिणाम, लैंडफ़िल की मीथेन, नगरपालिका के खर्च और खाद्य आपूर्ति पर दबाव, सार्वजनिक हैं। राज्य को रसोइयों की निगरानी नहीं करनी, पर वह अपव्यय को माप सकता है, जागरूकता अभियान चला सकता है, पृथक्करण लागू कर सकता है और आयोजनों तथा रेस्तराँओं के अधिशेष भोजन के पुनर्वितरण को संभव बना सकता है। मापन पहले आता है, क्योंकि जो गिना नहीं जाता, उसका प्रबंधन नहीं होता।

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

आज भारत की कूटनीति भाषणों से नहीं, बल्कि आधारभूत ढाँचे और संस्थाओं के रास्ते चल रही है। पाकिस्तान से वह केवल शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के नियम-कायदों के भीतर बात करता है; नेपाल और भूटान में चीन के ऋणों का जवाब वह पारेषण लाइनों और उनकी बिजली के लिए बाज़ार देकर देता है; और होमरुज पर संकट के बीच व्यापार को चालू रखने वाले रुपया-दिरहम निपटान माध्यम तथा निवेश-प्रतिबद्धताओं से वह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को अपने साथ बाँधता है। इन सबमें साझा सूत्र यह है कि सोच-समझकर चुनी गई अंतर-निर्भरता ही भारत का सबसे कारगर दबाव-साधन है।

4.1 भारत इस्लामाबाद में SCO समन्वयकों की बैठक में शामिल: लगभग दो वर्ष में पाकिस्तान में यह उसकी पहली भागीदारी

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और इस्लामाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के डेढ़ वर्ष बाद भारत ने विदेश मंत्रालय (MEA) के एक वरिष्ठ अधिकारी को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की एक बैठक के लिए पाकिस्तान भेजा है, ऐसा द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया। MEA में अपर सचिव और भारत के SCO समन्वयक आलोक डिमरी वर्ष 2026-27 के लिए पाकिस्तान की अध्यक्षता में SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद (CHS) की पहली राष्ट्रीय समन्वयक परिषद (CNC) की बैठक में भाग ले रहे हैं, जो सोमवार से बुधवार तक इस्लामाबाद में हो रही है। राष्ट्रीय समन्वयक वे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिन्हें हर सदस्य देश संगठन का दैनिक एजेंडा संभालने और उसकी बैठकों की तैयारी के लिए नियुक्त करता है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने रविवार को कहा कि समन्वयक उसकी अध्यक्षता के अंतर्गत गतिविधियों के कार्यक्रम, आगामी SCO बैठकों और आयोजनों की तैयारियों तथा अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता SCO के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. एम. फ़ैसल कर रहे हैं और इसमें सदस्य देशों के समकक्ष तथा SCO सचिवालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। पाकिस्तान के कार्यकाल का विषय है 'दृष्टि को कार्य में बदलना: संपर्कता, नवाचार और साझा समृद्धि'। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति लगभग दो वर्ष बाद पाकिस्तान में हो रही किसी SCO बैठक में भारत की भागीदारी है। नई दिल्ली का घोषित रुख यह है कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए आतंकवाद से मुक्त वातावरण चाहिए और "आतंक और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकते", विशेषकर पहलगाम आतंकी हमले और पिछले वर्ष मई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए सैन्य टकराव के बाद; फिर भी वह SCO के ढाँचे के भीतर पाकिस्तान से संवाद करेगा। सूत्रों ने अखबार को बताया कि भारत SCO से जुड़ाव रखना चाहता है और इसीलिए समन्वयक को भेजा गया है। पाकिस्तान द्वारा शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किए जाने की संभावना है। उसी दिन, द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाशिये पर न्यूयॉर्क में मिले IBSA (भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका) के विदेश मंत्रियों ने अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की और अल कायदा, ISIS/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अन्य छद्म समूहों तथा उनके सहायकों सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सभी आतंकवादियों और संस्थाओं के विरुद्ध संगठित कार्रवाई का आह्वान किया। अलग से, अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान-संचालित रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके बलों ने दाएश या ISIS के चरमपंथियों सहित 28 लड़ाकों को मार गिराया और 32 को घायल किया, जो उसके अनुसार पाकिस्तानी सेना के समर्थन से पाकिस्तान से नूरिस्तान प्रांत के कामदेश ज़िले में घुस आए थे; यह 21 सितंबर को अफ़ग़ानिस्तान के भीतर पाकिस्तानी हवाई हमलों के एक सप्ताह से भी कम समय बाद की घटना है। पाकिस्तान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पाठ्यक्रम से संबंध: GS2 में भारत और उसके पड़ोसी देश तथा भारत से जुड़े क्षेत्रीय समूह।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अप्रैल 2025 में पहलगाम हमला → मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर और सैन्य टकराव → "आतंक और वार्ता साथ नहीं" के सिद्धांत पर भारत द्वारा द्विपक्षीय संवाद स्थगित → पाकिस्तान को 2026-27 के लिए SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता और उसके यहाँ समन्वयकों की पहली बैठक → बहुपक्षीय प्रक्रिया में बने रहने के लिए भारत ने अपने SCO समन्वयक को इस्लामाबाद भेजा, साथ ही IBSA में आतंकवाद-विरोधी सहमति बनाई

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. SCO का उद्भव सीमा-सुरक्षा मंच से हुआ और आज यह यूरेशिया के अधिकांश भाग में फैला है — शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में चीन, रूस, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने की थी; यह पहले के 'शंघाई फ़ाइव' समूह पर आधारित था। इसके चार्टर पर 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में हस्ताक्षर हुए। भारत और पाकिस्तान 2017 के अस्ताना शिखर सम्मेलन में एक साथ पूर्ण सदस्य बने; ईरान 2023 में और बेलारूस 2024 में जुड़ा। इसकी आधिकारिक भाषाएँ रूसी और चीनी हैं।
2. SCO की बहुस्तरीय संरचना है, राष्ट्राध्यक्षों से लेकर राष्ट्रीय समन्वयकों तक — राष्ट्राध्यक्ष परिषद सर्वोच्च निर्णायकारी निकाय है और प्रतिवर्ष बैठक करती है; अध्यक्षता करने वाला सदस्य देश शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करता है। शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक अलग से होती है और उसमें मुख्यतः आर्थिक एवं बजटीय विषय देखे जाते हैं। राष्ट्रीय समन्वयक परिषद संगठन का चालू कामकाज संभालती है तथा मंत्रिस्तरीय एवं शिखर बैठकों की तैयारी करती है। दो स्थायी निकाय हैं: बीजिंग में सचिवालय और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।
3. भारत ने SCO का उपयोग जुड़ाव और असहमति, दोनों के लिए किया है — भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का समर्थन करने वाले SCO वक्तव्यों को लगातार अनुमोदित करने से इनकार किया है, क्योंकि उसकी प्रमुख परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर से गुज़रती है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में हुई SCO शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लिया, जो वर्षों में पाकिस्तान की

	सबसे वरिष्ठ भारतीय यात्रा थी; उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल बहुपक्षीय बैठक के लिए आए हैं। 2025 में भारत ने SCO रक्षा मंत्रियों के उस संयुक्त दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसमें पहलूगाम का उल्लेख नहीं था, और उसी वर्ष बाद में नेताओं की घोषणा में इस हमले की निंदा की गई। 4. IBSA और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध व्यवस्था भारत के अन्य आतंकवाद-विरोधी मंच हैं — IBSA का गठन 2003 की ब्रासीलिया घोषणा से हुआ था; यह तीन महाद्वीपों के तीन बड़े, बहु-नृजातीय लोकतंत्रों का त्रिपक्षीय संवाद मंच है और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से निर्धन देशों में विकास परियोजनाओं के लिए IBSA कोष चलाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी वे हैं जिन्हें सुरक्षा परिषद की उस समिति की प्रतिबंध व्यवस्था के अंतर्गत नामित किया गया है, जो प्रस्ताव 1267 (1999) से बनी थी और जो अल क़ायदा तथा ISIL को कवर करती है। भारत 1996 से संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय के लिए प्रयासरत है, जो आतंकवाद की परिभाषा पर अटका हुआ है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 में क्षेत्रीय समूहों और उनमें भारत की स्थिति पर प्रश्न पूछे जाते हैं — पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और भारत से जुड़े क्षेत्रीय समूह शामिल हैं। UPSC ने पूछा है कि क्या SCO में चीन और पाकिस्तान की उपस्थिति को देखते हुए वह भारत के हितों की पूर्ति करता है, तथा मध्य एशिया के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर भी। यह खबर भारत के लिए SCO का विशिष्ट मूल्य दिखाती है: पाकिस्तान तक पहुँचने का ऐसा माध्यम जिसे द्विपक्षीय वार्ता नहीं गिना जाता। 2. भारत-पाकिस्तान संबंध GS2 और साक्षात्कार का बारंबार आने वाला विषय है — प्रश्नों में सीमा-पार आतंकवाद को सामान्य संबंधों की मुख्य बाधा बताते हुए तथा शत्रुतापूर्ण संबंधों के प्रबंधन में बहुपक्षीय मंचों की भूमिका पर पूछा गया है। ठप द्विपक्षीय संबंधों और SCO में जारी भागीदारी का यह अंतर ठीक वही सूक्ष्मता है जिसे परीक्षक सराहते हैं। 3. प्रारंभिक परीक्षा में SCO की संरचना और सदस्यता की परख होती है — प्रारंभिक परीक्षा में SCO की सदस्यता और RATS के स्थान पर प्रश्न आ चुके हैं। राष्ट्राध्यक्ष परिषद, शासनाध्यक्ष परिषद और राष्ट्रीय समन्वयक परिषद का अंतर एक स्वाभाविक प्रश्न बन सकता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में शंघाई में हुई थी; भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने। ● SCO के दो स्थायी निकाय हैं: बीजिंग में सचिवालय और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना की कार्यकारी समिति। ● राष्ट्राध्यक्ष परिषद SCO का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है, जबकि राष्ट्रीय समन्वयक परिषद उसकी चालू गतिविधियों का समन्वय करती है। ● SCO की आधिकारिक भाषाएँ रूसी और चीनी हैं। ● IBSA भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का त्रिपक्षीय मंच है, जिसकी शुरुआत 2003 की ब्रासीलिया घोषणा से हुई। ● संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति अल क़ायदा और ISIL (दाएश) से जुड़े व्यक्तियों तथा संस्थाओं को सूचीबद्ध करती है। ● कामदेश ज़िला अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वी नूरिस्तान प्रांत में है और पाकिस्तान की सीमा से लगा है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. मंत्री नहीं, समन्वयक को भेजना एक नपा-तुला संकेत है — समन्वयकों की बैठक में अपर सचिव का जाना वह न्यूनतम स्तर है जिस पर भारत अनुपस्थित हुए बिना उपस्थिति दर्ज करा सकता है। इससे भारत उस समय SCO के एजेंडा-निर्धारण में बना रहता है जब अध्यक्षता पाकिस्तान के पास है और वह भारत के सुझाव के बिना कार्यक्रम गढ़ सकता था। साथ ही, ऐसी कोई तस्वीर भी नहीं बनती जिसे द्विपक्षीय संबंधों में नरमी के रूप में पढ़ा जाए। आगे की मंत्रिस्तरीय बैठकों में प्रतिनिधिमंडल का स्तर, और प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं या नहीं, ये भारत की मंशा के असली संकेतक होंगे। 2. बहुपक्षीय जुड़ाव भारत को SCO और पाकिस्तान को अलग-अलग रखने की गुंजाइश देता है — SCO में भारत के हित मध्य एशिया, रूस, ऊर्जा और RATS के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग में हैं, और इस वर्ष पाकिस्तान के अध्यक्ष होने के कारण इनमें से किसी को छोड़ना उचित नहीं। बहिष्कार से पाकिस्तान और चीन को यह कथानक मिल जाता कि क्षेत्रीय सहयोग में बाधा भारत है। प्रतिपक्ष का तर्क है कि इस्लामाबाद में उपस्थित होने से पाकिस्तान की अध्यक्षता को वैधता मिलती है, जबकि भारत और अफ़ग़ानिस्तान दोनों उस पर आतंकवाद के आरोप लगा रहे हैं। भारत का उत्तर है कि उपस्थिति संगठन के प्रति कर्तव्य है, मेज़बान को दी गई रियायत नहीं।

3. **SCO शिखर निमंत्रण “आतंक और वार्ता” सिद्धांत की कसौटी बनेगा** — यदि पाकिस्तान श्री मोदी को औपचारिक निमंत्रण देता है, तो भारत के सामने तीन विकल्प हैं: न जाना, निम्न स्तर का प्रतिनिधि भेजना, या पहले सदस्यों द्वारा किए जा चुके तरीके से आभासी रूप में जुड़ना। हर विकल्प की कीमत है: अनुपस्थिति से घोषणा-पत्र में भारत की आवाज़ कमज़ोर पड़ती है, जबकि उपस्थिति को देश के भीतर पहलूगाम के बाद नरमी के रूप में पढ़ा जा सकता है। भारत की पिछली परिपाटी के आधार पर संभावित रास्ता यह है कि कोई मंत्री प्रतिनिधित्व करे और भारत घोषणा-पत्र में सीमा-पार आतंकवाद की निंदा पर ज़ोर दे, यानी मुकाबला उपस्थिति पर नहीं, पाठ पर हो।
4. **तालिबान का आरोप भारत का पक्ष मज़बूत करता है, पर उसे बिना जाँचे नहीं अपनाना चाहिए** — अफ़ग़ान रक्षा मंत्रालय का यह दावा कि पाकिस्तान ने ISIS लड़ाकों को नूरिस्तान में घुसने में मदद की, उस पड़ोसी की ओर से राज्य की संलिप्तता का सीधा आरोप है जिसे पाकिस्तान कभी अपना आश्रित मानता था। यह भारत के पुराने तर्क से मेल खाता है कि पाकिस्तान आतंकी छद्म समूहों का उपयोग करता है। पर यह दावा असत्यापित है, 21 सितंबर के पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद खुली शत्रुता के बीच आया है, और तालिबान का अपना रिकॉर्ड भी उग्रवादी समूहों के साथ रहा है। किसी एक पक्ष के युद्धक्षेत्रीय दावों को बढ़ाने के बजाय IBSA जैसे बहुपक्षीय वक्तव्यों का उपयोग करना, जो संयुक्त राष्ट्र-सूचीबद्ध समूहों के नाम लेते हैं, भारत के लिए अधिक लाभकारी है।
5. **IBSA की निंदा मध्यम शक्तियों के गठजोड़ का मूल्य दिखाती है** — ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका BRICS के भी सदस्य हैं और पाकिस्तान के बारे में हमेशा भारत जैसा दृष्टिकोण नहीं रखते। हमले के एक वर्ष से अधिक बाद पहलूगाम की उनकी संयुक्त निंदा और लश्कर-ए-तैयबा तथा जैश-ए-मोहम्मद का नाम लेना इस मुद्दे को वैश्विक दक्षिण के एजेंडे पर बनाए रखता है। इससे यह भी दिखता है कि भारत पश्चिमी राजधानियों पर निर्भर हुए बिना दक्षिण के लोकतंत्रों से आतंकवाद पर वांछित भाषा हासिल कर सकता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“बहुपक्षीय मंच भारत को विरोधियों को वैधता दिए बिना उनसे संवाद करने का अवसर देते हैं।” पाकिस्तान द्वारा आयोजित SCO बैठकों में भारत की भागीदारी के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस दृष्टिकोण की सीमाएँ क्या हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — बताइए कि भारत ने पाकिस्तान की 2026-27 की अध्यक्षता में हो रही राष्ट्रीय समन्वयक परिषद की बैठक के लिए अपने SCO समन्वयक, अपर सचिव आलोक डिमरी को इस्लामाबाद भेजा, जो लगभग दो वर्ष में पाकिस्तान में किसी SCO बैठक में उसकी पहली भागीदारी है, जबकि वह यह रुख बनाए हुए है कि आतंक और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकते।
2. **मुख्य भाग** — **बहुपक्षीय जुड़ाव भारत के लिए क्यों कारगर है** — SCO में भारत के हितों की व्याख्या कीजिए: मध्य एशिया, रूस, RATS और घोषणा-पत्रों में अपनी आवाज़। दिखाइए कि भागीदारी से एजेंडा-निर्धारण पाकिस्तान और चीन के हाथ में जाने से कैसे बचता है। केवल बहुपक्षीय ढाँचे के भीतर जुड़ाव की मिसाल के रूप में जयशंकर की 2024 की इस्लामाबाद यात्रा का उल्लेख कीजिए।
3. **मुख्य भाग** — **सीमाएँ** — इंगित कीजिए कि SCO के निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं, इसलिए पाकिस्तान और चीन सीमा-पार आतंकवाद पर भाषा को रोक सकते हैं, जैसा 2025 में देखा गया जब भारत ने रक्षा मंत्रियों के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह भी बताइए कि बार-बार उपस्थित होने से पाकिस्तान के आचरण में बदलाव के बिना ही संबंध धीरे-धीरे सामान्य होते जा सकते हैं।
4. **मुख्य भाग** — **पूरक मंच** — दिखाइए कि पहलूगाम पर IBSA की निंदा और संयुक्त राष्ट्र 1267 के तहत सूचीबद्धता SCO के रास्ते की कैसे पूरक हैं, और पाकिस्तान पर तालिबान का आरोप क्षेत्रीय तस्वीर को कैसे बदलता है।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि बहुपक्षीय जुड़ाव एक उपयोगी यथास्थिति-रणनीति है जो भारत के क्षेत्रीय हितों को जीवित रखती है, पर यह द्विपक्षीय समाधान का विकल्प नहीं बन सकती, जो अब भी इस पर निर्भर है कि पाकिस्तान आतंकी समूहों के विरुद्ध कार्रवाई करे।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप इस्लामाबाद में भारत के SCO समन्वयक हैं। मेज़बान संपर्कता पर एक कार्यक्रम-मद प्रस्तावित करता है जिसमें CPEC की प्रशंसा है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं भारत की आपत्ति को अभिलेख में दर्ज कराऊँगा और बताऊँगा कि CPEC उस भू-भाग से गुज़रता है जो भारत का अंग है तथा संपर्कता परियोजनाओं को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। चूँकि SCO के दस्तावेज़ सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं, मैं सुनिश्चित करूँगा कि भारत बेल्ट एंड रोड पहलू का समर्थन करने वाले किसी अनुच्छेद से न जुड़े। शेष कार्यक्रम में मैं सक्रिय रहूँगा ताकि भारत रचनात्मक दिखे, अवरोधक

नहीं।

प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या भारत का पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता से इनकार करना और इस्लामाबाद की SCO बैठकों में जाना असंगत नहीं है?

दृष्टिकोण (Approach): यह असंगत नहीं है, यदि किसी संगठन के प्रति दायित्वों को द्विपक्षीय संबंध के चुनावों से अलग करके देखा जाए। SCO सदस्य के रूप में भारत का कर्तव्य है कि वह उसकी प्रक्रियाओं में भाग ले, चाहे अध्यक्षता कोई भी देश करे। द्विपक्षीय वार्ता एक राजनीतिक चुनाव है जिसे भारत ने सीमा-पार आतंकवाद की समाप्ति से जोड़ रखा है। SCO के लिए इस्लामाबाद में उपस्थित होने का अर्थ पाकिस्तान से वार्ता करना नहीं है।

प्रश्न 3. MEA में संयुक्त सचिव के रूप में आप IBSA के वक्तव्य का उपयोग कैसे करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं इसे वैश्विक दक्षिण में स्थित मिशनों के माध्यम से प्रसारित कराऊंगा, इस प्रमाण के रूप में कि पहलगाम पर भारत के रुख को पश्चिम से परे भी समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र-सूचीबद्ध समूहों के नामोल्लेख का उपयोग मैं BRICS और SCO के दस्तावेजों में भी ऐसी ही भाषा के लिए दबाव डालने में करूंगा। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद-विरोधी सूचीबद्धताओं पर मैं ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ समन्वय करूंगा, जहाँ विकासशील देशों की आम सहमति का वज़न होता है।

4.2 चीन-वित्तपोषित ऊपरी त्रिशूली परियोजना ढहने के बाद नेपाल ने भारत से बिजली माँगी; पारेषण बना BRI की भारत की काट

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स में अपने 'स्टेट ऑफ़ प्ले' स्तंभ में प्रणव ढल सामंता का तर्क है कि पड़ोस में भारत की राजनीतिक शक्ति के नए मार्ग पारेषण लाइन हैं और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) की अब तक की सबसे प्रभावी काट भी यही हैं; 19 और 21 सितंबर के कार्डों में भारत-नेपाल पुनर्संयोजन का उल्लेख था, और आज का नया पहलू है एक सामरिक साधन के रूप में बिजली। BRI ऋण-वित्तपोषित विदेशी आधारभूत ढाँचे का चीन का कार्यक्रम है। वे लिखते हैं कि अगस्त की विनाशकारी हिमालयी बाढ़ में चीन-वित्तपोषित ऊपरी त्रिशूली बिजली परियोजना ढहने से नेपाल की ग्रिड से 300-400 मेगावाट बिजली बह गई, जिसके बाद नेपाल पुनर्विचार कर रहा है और उसने कमी पूरी करने के लिए भारत से बिजली माँगी है। परियोजना का वित्तपोषण 149.4 मिलियन डॉलर के संप्रभु ऋण से हुआ था। अर्थशास्त्र भारत के पक्ष में है, क्योंकि उपमहाद्वीप में वही एकमात्र देश है जो बड़ी मात्रा में बिजली आयात कर सकता है: "चीन निर्माण करता है, पर खरीदता नहीं।" भारत ने पिछले कुछ वर्षों में स्पष्ट कर दिया है कि वह नेपाल में चीन-वित्तपोषित उत्पादन से बिजली आयात नहीं करेगा, इसलिए ऐसी परियोजनाएँ निर्यात-राजस्व नहीं कमा सकती और काठमांडू पर वित्तीय बोझ बढ़ाती हैं। भारत नेपाल की बिजली का सबसे बड़ा आयातक है, जिससे 2025-26 में नेपाल को 130.8 मिलियन डॉलर मिले, यानी पिछले वर्ष से लगभग 40 मिलियन डॉलर अधिक। फिर भी छह भारतीय परियोजनाएँ और 5,040 मेगावाट की पंचेश्वर परियोजना, जिसे स्तंभ उत्तराखंड में बताता है, काठमांडू की राजनीति में अटकी हुई हैं। भूटान, जिसके चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, बेहतर रहा है: भारत-भूटान की अधिकांश सरकार-से-सरकार परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और उसकी नीति भारतीय निजी निवेश को आमंत्रित करती है। थिम्पू ने 2025 में भारत को बिजली निर्यात से लगभग 250 मिलियन डॉलर कमाएँ, जो नेपाल से कोई 120 मिलियन डॉलर अधिक है, और पिछले वर्ष की 190 मिलियन डॉलर से अधिक की आय से भी ऊपर है; यह अंतर और बढ़ेगा क्योंकि टाटा और अदाणी समूह भूटान सरकार के साथ अलग-अलग संयुक्त उद्यमों के जरिये प्रत्येक 5,000 मेगावाट उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं। श्रीलंका अभी भारत की ग्रिड से नहीं जुड़ा है, पर न्यू मद्रुरै को मन्नार से जोड़ने वाली 500 मेगावाट की लाइन आगे चलकर भारत को श्रीलंका की सौर और पवन क्षमता से बिजली लेने देगी; द्वीप अब भी बिजली के लिए फ्रेंस ऑयल जलाता है और वहाँ शुल्क ऊँचे हैं। लेखक ध्यान दिलाते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश में नई सरकारें बनने पर उनकी पहली आवश्यकता अतिरिक्त बिजली थी, और वे केवल भारत की ओर मुड़ सकते थे। उनका तर्क है कि चीन के ऋण का मुकाबला इन देशों को विश्वसनीय संप्रभु आय देकर ही हो सकता है, कि टर्नकी परियोजनाओं में सबके लाभ वाले मॉडल पर निजी निवेश चीन की "संप्रभु ऋण-निर्भरता" वाली संरचना से बेहतर है, जिसका अनुभव कोलंबो को अपने IMF बचाव-पैकेज में हुआ, और कि गहरे ग्रिड-संबंध भारत-विरोधी जन-भावनाओं के विरुद्ध परस्पर गुंथे हितों का निर्माण करते हैं। पाठ्यक्रम से संबंध: GS2 में भारत और उसके पड़ोसी तथा GS3 में ऊर्जा आधारभूत ढाँचा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

चीन BRI संप्रभु ऋणों से नेपाल की जलविद्युत को वित्त देता है → भारत चीन-वित्तपोषित संयंत्रों से बिजली खरीदने से इनकार करता है और क्षेत्र में एकमात्र बड़ा खरीदार है → अगस्त की बाढ़ ऊपरी त्रिशूली परियोजना को नष्ट कर देती है और नेपाल 300-400 मेगावाट खो देता है → काठमांडू आपूर्ति के लिए भारत की ओर मुड़ता है → भारत को निर्यात से भूटान की आय नेपाल से आगे निकल जाती है, जो दिखाता है कि ग्रिड-एकीकरण लाभकारी है → नेपाल से श्रीलंका तक पारेषण क्षमता भारत का सामरिक साधन बन जाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. सीमा-पार बिजली व्यापार विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों और नियामक नियमों से शासित है — विद्युत मंत्रालय ने 2018 में सीमा-पार बिजली के आयात-निर्यात पर दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को अनुमोदनों के लिए नोडल प्राधिकारी बनाया गया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) ने 2019 में बिजली के सीमा-पार व्यापार पर विनियम बनाएँ, जिनमें पारेषण-अभिगम और व्यापार शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत 2021 की CEA प्रक्रिया ऐसे देश की संस्थाओं के स्वामित्व या वित्तपोषण वाले उत्पादन संयंत्रों से आयात

को प्रतिबंधित करती है जिसकी भारत के साथ भू-सीमा है और जिसके साथ बिजली-क्षेत्र का कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है; यही नेपाल में चीन-वित्तपोषित संयंत्रों से बिजली न खरीदने के भारत के निर्णय का वैधानिक आधार है। सीमा-पार व्यापार बिजली एक्सचेंजों के माध्यम से भी होता है।

2. **भारत-नेपाल बिजली संबंध नदी संधियों और दीर्घकालिक व्यापार समझौते पर टिके हैं** — 1996 की महाकाली संधि महाकाली नदी के समन्वित विकास का प्रावधान करती है, जिसमें भारत-नेपाल सीमा पर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भी शामिल है। ढलकेबार-मुजफ्फरपुर 400 kV लाइन दोनों देशों के बीच पहली उच्च-क्षमता की सीमा-पार कड़ी थी। 2024 में भारत और नेपाल ने दस वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली भारत द्वारा आयात करने का समझौता किया, और नेपाल ने भारतीय ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात शुरू किया। 1950 के दशक के कोसी और गंडक समझौते जल एवं बिजली सहयोग के पहले के उदाहरण हैं।
3. **भूटान भारत के साथ जलविद्युत साझेदारी का आदर्श है** — भारत ने भूटान की प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ, जैसे चूखा, ताला और मांगदेछू, अनुदान और ऋण को मिलाने वाले अंतर-सरकारी समझौतों के तहत बनाई हैं और वह अधिशेष बिजली खरीदता है। भारत को जलविद्युत की बिक्री भूटान की राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। भूटान के चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं और उसकी सीमा अनिर्धारित है। स्तंभ जिस बदलाव का वर्णन करता है, वह सरकार-से-सरकार परियोजनाओं से भारतीय निजी निवेश की ओर का है।
4. **‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ और बिम्स्टेक संपर्कता व्यापक ढाँचा तैयार करते हैं** — प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा में ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ (OSOWOG) का प्रस्ताव समय-क्षेत्रों के आर-पार परस्पर जुड़ी सौर ग्रिड की परिकल्पना के रूप में रखा। ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव-OSOWOG को भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2021 में ग्लासगो में COP26 में संयुक्त रूप से शुरू किया। बिम्स्टेक सदस्यों ने 2018 के काठमांडू शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक ग्रिड अंतर्संबंध की स्थापना के समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) ढाँचे में भी ऊर्जा सहयोग शामिल है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS2 में भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर नियमित रूप से प्रश्न आते हैं** — प्रश्नों में पूछा गया है कि चीन की BRI और ‘ऋण कूटनीति’ भारत के पड़ोस को कैसे प्रभावित करती है और भारत को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह स्तंभ एक ठोस, साक्ष्य-आधारित उत्तर देता है: बिजली के लिए भारत का बाज़ार ऐसी संपदा है जिसकी बराबरी चीन नहीं कर सकता और उसे प्रभाव में बदला जा सकता है।
2. **GS3 में ऊर्जा सुरक्षा को आधारभूत ढाँचे और नवीकरणीय एकीकरण से जोड़ा जाता है** — सीमा-पार ग्रिड क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाकर परिवर्तनशील सौर और पवन ऊर्जा के एकीकरण में सहायता करते हैं। UPSC ने OSOWOG और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर पूछा है। हिमालय की जलविद्युत भारत के सौर-शिखरों को संतुलित कर सकती है, जिससे पड़ोस की ग्रिड को कूटनीति से परे ऊर्जा-संक्रमण का भी औचित्य मिलता है।
3. **प्रारंभिक परीक्षा में पड़ोस की संधियों और परियोजनाओं से प्रश्न आते हैं** — महाकाली संधि, पंचेश्वर, बिम्स्टेक ग्रिड समझौता-ज्ञापन और OSOWOG प्रारंभिक परीक्षा की मानक सामग्री हैं। भूटान की परियोजनाएँ और वे किन देशों की हैं, यह भी प्रायः पूछा जाता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारत और नेपाल के बीच 1996 की महाकाली संधि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का प्रावधान करती है।
- बिजली के सीमा-पार व्यापार पर भारत के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमोदनों के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण निर्दिष्ट प्राधिकारी है।
- चूखा, ताला और मांगदेछू भूटान की जलविद्युत परियोजनाएँ हैं जो भारतीय सहायता से बनी हैं।
- ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ का प्रस्ताव 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा में रखा गया था, और ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव 2021 में COP26 में शुरू हुआ।
- बिम्स्टेक सदस्यों ने 2018 में बिम्स्टेक ग्रिड अंतर्संबंध पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- भूटान के चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **भारत की शक्ति निर्माता होने से नहीं, खरीदार होने से आती है** — बाँध बनाने में चीन भारत से आगे निकल सकता है, पर बिजली के बाज़ार के बिना बाँध का कोई मूल्य नहीं, और तार से पहुँचा जा सकने वाला एकमात्र बड़ा बाज़ार भारत है। चीन-वित्तपोषित संयंत्रों से खरीदने से इनकार कर भारत चीनी ऋणों को संभावित देनदारी बना देता है, जैसा ऊपरी त्रिशूली का ढहना दिखाता

है। यह केता-एकाधिकार की शक्ति है: एकमात्र खरीदार की शक्ति। प्रतिपक्ष का तर्क है कि पड़ोसियों को यह बताया जाना कि वे किससे उधार लें, अखरता है, और आर्थिक दबाव जैसा दिखने वाला नियम उसी भारत-विरोधी भावना को हवा दे सकता है जिसे स्तंभ रोकना चाहता है।

2. भूटान और नेपाल दिखाते हैं कि अंतर-निर्भरता का लाभ किसे मिलेगा, यह घरेलू राजनीति तय करती है — दोनों देशों के पास वही नदियाँ और वही भारतीय बाज़ार है, फिर भी भूटान कहीं अधिक कमाता है। अंतर राजनीतिक स्थिरता और निवेश का स्वागत करने वाली स्पष्ट नीति का है, जबकि नेपाल में छह भारतीय परियोजनाएँ और पंचेश्वर वर्षों से अटकी हैं। भारत नेपाल की राजनीति नहीं सुधार सकता, पर ऐसी पूर्वानुमेय शर्तें दे सकता है जिनसे देरी काठमांडू के लिए महंगी पड़े। ग्रिड कूटनीति वहीं सफल होगी जहाँ साझेदार सरकार परियोजनाएँ पूरी कर सके।

3. निजी पूँजी भारत की रणनीति के लिए बल भी है और जोखिम भी — सरकारी अनुदानों की जगह निजी निवेश, जैसे भूटान में टाटा और अदाणी के संयुक्त उद्यम, भारत के बजट का बोझ घटाते हैं और परियोजनाओं को व्यावसायिक अनुशासन देते हैं। पर इससे भारत की कूटनीतिक छवि निजी कंपनियों के आचरण से भी बँध जाती है। यदि किसी परियोजना में शुल्क, भूमि या पर्यावरण पर विवाद खड़ा हो, तो पड़ोसी दोष कंपनी को नहीं, भारत को देगा। इसीलिए, क्योंकि ये केवल व्यावसायिक नहीं बल्कि सामरिक परिसंपत्तियाँ हैं, सरकार को अनुबंध की शर्तों पर निगरानी रखनी होगी।

4. श्रीलंका की कड़ी दिखाती है कि ग्रिड में बिजली दोनों दिशाओं में बहती है — न्यू मद्रै-मन्नार लाइन को केवल श्रीलंका को बिजली बेचने के नहीं, बल्कि भारत के लिए श्रीलंका की सौर और पवन ऊर्जा तक पहुँचने के रास्ते के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे भारत के आपूर्तिकर्ता होने की सामान्य तस्वीर उलट जाती है और साझेदारी अधिक बराबरी की बनती है, जो कोलंबो की राजनीति में महत्वपूर्ण है। इससे भारत को अपनी ग्रिड को किसी अन्य क्षेत्र की नवीकरणीय बिजली से संतुलित करने में भी मदद मिलती है। बाधाएँ हैं लागत और सामरिक आधारभूत ढाँचे पर भारत के दबाव को लेकर श्रीलंका की संवेदनशीलता।

5. यह तर्क हिमालयी जलविद्युत के पारिस्थितिक जोखिमों को कम आँकता है — बाढ़ में ऊपरी त्रिशूली का ढहना एक नाजुक, आपदा-प्रवण पर्वतमाला में बड़ी परियोजनाएँ बनाने की चेतावनी भी है। यदि भारत नेपाल और भूटान से बिजली खरीदता है, तो इन परियोजनाओं की सुरक्षा में उसकी भी साझा ज़िम्मेदारी बनती है, और हिमालयी बाढ़ों ने भारतीय परियोजनाओं को भी क्षति पहुँचाई है। इसलिए ग्रिड-रणनीति में जोखिम-आकलन, जलवायु-सहनीय डिज़ाइन और संयुक्त पूर्व-चेतावनी शामिल होनी चाहिए, अन्यथा जिन बाढ़ों ने चीन की परियोजनाओं को हानि पहुँचाई, वही भारत की परियोजनाओं को भी पहुँचाएँगी।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“दक्षिण एशिया में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का भारत का सबसे कारगर उत्तर अधिक निर्माण करना नहीं, बल्कि अधिक खरीदना है।” नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ सीमा-पार बिजली व्यापार के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — अगस्त की हिमालयी बाढ़ में चीन-वित्तपोषित ऊपरी त्रिशूली परियोजना के ढहने से आरंभ कीजिए, जिसने नेपाल की ग्रिड से 300-400 मेगावाट बिजली हटा दी और नेपाल को भारत से बिजली माँगने पर प्रेरित किया।

2. मुख्य भाग — खरीदने का तर्क — समझाइए कि उपमहाद्वीप में भारत ही बिजली का एकमात्र बड़ा आयातक है, और सीमा-पार बिजली दिशानिर्देशों के आधार पर चीन-वित्तपोषित संयंत्रों से खरीदने से उसका इनकार ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अव्यवहार्य बना देता है। इसके लिए नेपाल के 130.8 मिलियन डॉलर और भारत को निर्यात से भूटान की लगभग 250 मिलियन डॉलर की आय का उपयोग कीजिए।

3. मुख्य भाग — देशवार उदाहरण — भूटान की पूर्ण परियोजनाओं और निजी संयुक्त उद्यमों की तुलना नेपाल की अटकी परियोजनाओं और पंचेश्वर से कीजिए। इसमें प्रस्तावित 500 मेगावाट की न्यू मद्रै-मन्नार लाइन और भारत के माध्यम से नेपाल-बांग्लादेश व्यापार जोड़िए।

4. मुख्य भाग — सीमाएँ — चीन-वित्तपोषित संयंत्रों पर प्रतिबंधों को लेकर नाराज़गी, निजी कंपनियों पर निर्भरता, साझेदारों की राजनीतिक अस्थिरता और हिमालयी जलविद्युत के पारिस्थितिक जोखिमों की चर्चा कीजिए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि ग्रिड की अंतर-निर्भरता स्थायी साझा हित बनाती है और पड़ोसियों को संप्रभु ऋण के बजाय संप्रभु आय देती है, पर उसे साझेदारी के रूप में देखे जाने के लिए, न कि दबाव के रूप में, पारदर्शी और न्यायसंगत शर्तों पर आगे बढ़ाना होगा।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S)

प्रश्न 1. MEA में नेपाल के संयुक्त सचिव के रूप में, बाढ़ के बाद काठमांडू भारत से आपातकालीन बिजली माँगता है। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

BRAINSTORM — Q & APPROACH

दृष्टिकोण (Approach): मैं विद्युत मंत्रालय और ग्रिड संचालक के साथ समन्वय कर पारदर्शी व्यावसायिक शर्तों पर मौजूदा सीमा-पार लाइनों से बिजली की आपूर्ति कराऊंगा। आपातकालीन आपूर्ति के साथ मैं अटकी हुई भारतीय परियोजनाओं के समाधान के लिए भी पहल करूंगा, पर राहत को शर्तों से नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि संकट में शर्तें रखने से नाराज़गी बढ़ेगी। अभी दी गई त्वरित मदद वह विश्वास बनाती है जो दीर्घकालिक परियोजनाओं को चाहिए।

प्रश्न 2. आप एक सीमावर्ती राज्य के मुख्य सचिव हैं जिससे होकर एक नई सीमा-पार पारेषण लाइन गुज़रनी है। किसान टावरों का विरोध कर रहे हैं। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं विद्युत मंत्रालय के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार टावरों के नीचे की भूमि और मार्ग-अधिकार गलियारे के लिए उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करूंगा और मार्ग समझाने के लिए जन-परामर्श करूंगा। मैं ऐसे मार्ग-परिवर्तन खोजूंगा जिनसे घर और बाग बचें। चूँकि लाइन सामरिक है, देरी की राष्ट्रीय कीमत है, इसलिए मैं निश्चित समय-सीमा वाला एक समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करूंगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या नेपाल में चीन-वित्तपोषित संयंत्रों से बिजली न खरीदना नेपाल के प्रति उचित है?

दृष्टिकोण (Approach): संप्रभु खरीदार के रूप में भारत को यह तय करने का अधिकार है कि वह सुरक्षा के आधार पर क्या आयात करे, विशेषकर बिजली ग्रिड जैसी महत्वपूर्ण प्रणाली के लिए। पर भारत को यह नियम पहले से स्पष्ट बताना चाहिए ताकि नेपाल सोच-समझकर उधार के निर्णय ले सके, और उसे विश्वसनीय वैकल्पिक वित्तपोषण भी देना चाहिए। नीति की न्यायसंगतता इस पर निर्भर है कि भारत केवल निषेधाधिकार नहीं, बल्कि बेहतर विकल्प देता है या नहीं।

4.3 UAE ने भारत के लिए 25 अरब डॉलर का एक और संकेत दिया; रुपया-दिरहम निपटान दहाई अंकों में पहुँचा

समाचार (THE NEWS) मुंबई और नई दिल्ली। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) निकट भविष्य में भारत में 25 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने का इरादा रखता है। उन्होंने यह बात मुंबई में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA), यानी अमीरात के संप्रभु संपदा कोष, के प्रबंध निदेशक शेख हमेद बिन ज़ायद अल नाहयान के साथ निवेश पर 14वें भारत-UAE उच्च-स्तरीय संयुक्त कार्य बल की सह-अध्यक्षता के बाद कही। UAE पहले ही भारत में लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सातवाँ सबसे बड़ा स्रोत है; द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नई राशि से निकट अवधि में कुल निवेश 50 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है, जिसका अंतिम लक्ष्य 100 अरब डॉलर है। दोनों पक्ष बंदरगाहों, पोत-निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए और उन्होंने निवेश, व्यापार सुविधा, कराधान, लाजिस्टिक्स, ऊर्जा, बाज़ार पहुँच तथा व्यापार में स्थानीय मुद्दों के उपयोग पर चर्चा की। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार श्री गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार का रुपया और दिरहमों में निपटारा जाने वाला हिस्सा दहाई अंकों में पहुँच गया है। इस स्थानीय मुद्रा प्रणाली के तहत भारतीय निर्यातकों को रुपये में और UAE के निर्यातकों को दिरहम में भुगतान किया जा सकता है, और आवश्यकता होने पर मुद्राओं को समय-समय पर डॉलर में बदला जाता है, इसलिए व्यापार को हर चरण में डॉलर से गुज़रने की आवश्यकता नहीं रहती। उनके अनुसार, कारोबारियों को लाभ समझ आने के साथ इसका उपयोग बढ़ रहा है। भू-राजनीतिक व्यवधान और भारत के ऊर्जा तथा माल-प्रवाह के एक प्रमुख मार्ग, होर्मुज़ जलडमरूमध्य, पर बढ़े जोखिम के बीच दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध-पूर्व स्तर के “बहुत निकट” है और आने वाले महीनों में उससे उबरकर आगे निकल जाना चाहिए; फिर भी 21 सितंबर तक वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में भारत का वस्तु निर्यात 15% से अधिक बढ़ा। उसी दिन वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, जहाँ 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को मिल्वाँकी, विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक होगी, और उसके हाशिये पर वे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर से मिलकर द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाएँगे और 7 फ़रवरी 2026 के संयुक्त वक्तव्य के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देंगे। G20 में भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) को केंद्र में रखने वाली नियम-आधारित, खुली, समावेशी, पारदर्शी, न्यायसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की तथा विकासशील देशों के लिए पर्याप्त नीतिगत गुंजाइश की पैरवी करेगा। पाठ्यक्रम से संबंध: GS2 में द्विपक्षीय संबंध और समझौते, तथा GS3 में निवेश मॉडल और बाह्य व्यापार।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत और UAE ने 2022 में CEPA और 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए → स्थानीय मुद्रा निपटान ढाँचा व्यापारियों को डॉलर से बचकर चलने देता है → पश्चिम एशिया का युद्ध होर्मुज़ को बाधित करता है और द्विपक्षीय व्यापार घटता है → व्यापार में रुपया-दिरहम का हिस्सा दहाई अंकों में पहुँचता है और व्यापार युद्ध-पूर्व स्तर के निकट लौटता है → UAE 100 अरब डॉलर के लक्ष्य के साथ 25 अरब डॉलर का और संकेत देता है, तथा सहयोग बंदरगाहों, पोत-निर्माण और अंतरिक्ष तक फैलता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. भारत-UAE संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी का स्तर मिला और फिर व्यापार समझौते ने उन्हें सुदृढ़ आधार दिया — भारत और UAE ने 2017 में अपने संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचाया, जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) पर फ़रवरी 2022 में हस्ताक्षर हुए और यह 1 मई 2022 से लागू हुआ; किसी खाड़ी देश के साथ भारत का यह पहला ऐसा समझौता है। इसने अधिकांश

शुल्क-पंक्तियों पर शुल्क हटाए या घटाए और सेवाओं में व्यापार को भी समेटा। UAE भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में है और उसके कच्चे तेल तथा LPG का एक प्रमुख स्रोत है।

2. **द्विपक्षीय निवेश संधि उस पूँजी की रक्षा करती है जिसे कार्य बल आकर्षित कर रहा है** — भारत और UAE ने फ़रवरी 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty, BIT) पर हस्ताक्षर किए, जो भारत की 2016 की मॉडल BIT पर आधारित है पर उसकी कुछ शर्तों को नरम करती है; इससे पहले भारत ने अपनी अधिकांश पुरानी निवेश संधियाँ समाप्त कर दी थीं। BIT एक देश के निवेशकों को दूसरे देश में बिना मुआवज़े के अधिग्रहण और अनुचित व्यवहार से बचाती है, और स्थानीय उपायों के बाद मध्यस्थता के ज़रिये विवाद-निपटान का प्रावधान करती है। निवेश पर उच्च-स्तरीय संयुक्त कार्य बल वह संस्थागत माध्यम है जो भारत में UAE के संप्रभु और निजी निवेश पर नज़र रखता है, और ADIA विश्व के सबसे बड़े संप्रभु संपदा कोषों में है।
3. **स्थानीय मुद्रा निपटान ढाँचा रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की भारत की कोशिश का हिस्सा है** — जुलाई 2023 में भारतीय रिज़र्व बैंक और UAE के केंद्रीय बैंक ने रुपये और दिरहम के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, साथ ही भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) को UAE के तात्कालिक भुगतान मंच से जोड़ने के लिए एक और समझौता-ज्ञापन भी किया। इससे पहले, जुलाई 2022 में RBI ने विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों में रखे विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रुपये में चालान और निपटान करने की अनुमति दी थी। स्थानीय मुद्रा निपटान से रूपांतरण की लागत तथा डॉलर और प्रतिबंधों से जुड़े व्यवधान का जोखिम घटता है, और यह सीधे रुपया-दिरहम विनिमय बाज़ार के विकास में भी सहायक है।
4. **भारत और UAE दो लघुपक्षीय ढाँचों में साथ जुड़े हैं** — I2U2 में भारत, इज़राइल, UAE और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं; इसका पहला नेताओं का शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में आभासी रूप से हुआ था, जिसका ध्यान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर था। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की घोषणा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में एक समझौता-ज्ञापन के माध्यम से की गई, जिस पर भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोपीय संघ, फ़्रांस, जर्मनी और इटली ने हस्ताक्षर किए। IMEC भारत से खाड़ी और आगे यूरोप तक जहाज़ और रेल का मार्ग परिकल्पित करता है, जो बंदरगाहों और पोत-निर्माण में नए सहयोग को सामरिक संदर्भ देता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS2 में खाड़ी और पश्चिम एशिया से भारत के संबंधों पर प्रश्न आते हैं** — प्रश्नों में भारत की 'लुक वेस्ट' या 'थिंक वेस्ट' नीति, ऊर्जा और प्रवासी भारतीयों की दृष्टि से खाड़ी के महत्त्व, और वैकल्पिक गलियारों के रूप में IMEC पर पूछा गया है। UAE की यह ख़बर संबंधों को तेल-और-श्रम से पूँजी, प्रौद्योगिकी और मुद्रा की ओर बढ़ता दिखाती है।
2. **GS3 में रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और बाह्य क्षेत्र की परख होती है** — UPSC ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ-जोखिम और निवेशक के रूप में संप्रभु संपदा कोषों पर पूछा है। रुपया-दिरहम का दहाई अंकों वाला हिस्सा डी-डॉलरीकरण और व्यापार-निपटान पर उत्तरी के लिए टोस प्रमाण है।
3. **प्रारंभिक परीक्षा में समझौतों, उनकी तिथियों और हस्ताक्षरकर्ताओं से प्रश्न आते हैं** — CEPA, BIT, स्थानीय मुद्रा समझौता-ज्ञापन, I2U2 और IMEC प्रारंभिक परीक्षा की मानक सामग्री हैं। IMEC पर किसने और कब हस्ताक्षर किए, यह जानना संपर्कता गलियारों पर प्रश्न बनाने के परीक्षा के ढंग का विशिष्ट उदाहरण है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर फ़रवरी 2022 में हस्ताक्षर हुए और यह 1 मई 2022 को लागू हुआ।
- जुलाई 2023 में भारतीय रिज़र्व बैंक और UAE के केंद्रीय बैंक ने रुपये और दिरहम के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- I2U2 भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका का समूह है।
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा सितंबर 2023 में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के हाशिये पर हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के माध्यम से की गई।
- RBI द्वारा 2022 में अनुमत विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भारतीय रुपये में चालान और निपटान करने देते हैं।
- अबू धाबी निवेश प्राधिकरण अबू धाबी अमीरात का संप्रभु संपदा कोष है।
- भारत और UAE ने 2017 में अपने संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी का स्तर दिया।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **संकेतित 25 अरब डॉलर एक इरादा है, और उसका मूल्य इस पर निर्भर है कि वह कहाँ जाता है**

— अखबारों के अनुसार UAE ने अपनी मंशा का “संकेत” या “इशारा” दिया है, जो प्रतिबद्धता से कमज़ोर बात है। संप्रभु कोष वहाँ निवेश करते हैं जहाँ प्रतिफल अच्छा हो, इसलिए धन के नए कारखानों के बजाय आधारभूत ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और सूचीबद्ध परिसंपत्तियों में जाने की संभावना है। फिर भी यह भारत की दीर्घकालिक पूँजी की आवश्यकता को हल्का करता है, खासकर तब जब विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह अस्थिर हैं। सफलता का पैमाना यह होगा कि कितना हिस्सा बंदरगाहों और पोत-निर्माण जैसी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में जाता है, जो रोज़गार पैदा करती हैं, न कि मौजूदा परिसंपत्तियों में।

2. **दहाई अंकों में रुपया-दिरहम निपटान महत्वपूर्ण है, पर डॉलर की जगह नहीं ली गई है** — लगभग तीन वर्षों में लगभग शून्य से दहाई अंकों तक पहुँचना दिखाता है कि जब स्थानीय मुद्रा का रास्ता सस्ता और सुरक्षित हो, तो कारोबारी उसका उपयोग करेंगे। फिर भी मुद्राओं को समय-समय पर डॉलर में बदला जाता है, यानी मूल्य-निर्धारण और शेष राशियों के लिए डॉलर अब भी आधार बना हुआ है। UAE का दिरहम स्वयं डॉलर से जुड़ा (पेग्ड) है, इसलिए विनिमय-दर का जोखिम घटता है, समाप्त नहीं होता। ईमानदार वर्णन यह है कि यह व्यवधान के विरुद्ध आंशिक, व्यावहारिक बचाव है, डी-डॉलरीकरण नहीं।
3. **युद्ध ने भारत के लिए UAE का और UAE के लिए भारत का महत्व बढ़ा दिया है** — होर्मुज़ जलडमरूमध्य के संकट में होने से भारत को ऊर्जा और व्यापार मार्गों के लिए भरोसेमंद खाड़ी साझेदार चाहिए, और UAE को भरोसेमंद, बड़े बाज़ार तथा निवेश गंतव्य चाहिए। बंदरगाहों और पोत-निर्माण में सहयोग दोनों पक्षों की वैकल्पिक मार्गों और जहाज़रानी क्षमता में रुचि को दर्शाता है। प्रतिपक्ष का तर्क है कि युद्ध फैलने पर किसी एक खाड़ी साझेदार पर बढ़ती निर्भरता जोखिम को केंद्रित कर देती है। भारत का उत्तर UAE, ओमान, सऊदी अरब और अन्य के बीच विविधीकरण रहा है।
4. **अमेरिका की यात्रा दिखाती है कि भारत द्विपक्षीय सौदों और बहुपक्षीय नियमों में संतुलन साध रहा है** — मिल्वाँकी में भारत WTO-केंद्रित, गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार प्रणाली और विकासशील देशों के लिए नीतिगत गुंजाइश का पक्ष लेगा, जबकि अमेरिका के साथ अंतरिम द्विपक्षीय समझौते पर वार्ता भी करेगा। ये रुख परस्पर विरोधी नहीं हैं, पर उनमें खिंचाव अवश्य है, क्योंकि द्विपक्षीय समझौते परिभाषा से ही तरजीही होते हैं। भारत द्विपक्षीय समझौतों का उपयोग बाज़ार पहुँच के लिए और WTO का एकतरफ़ा शुल्कों के विरुद्ध बीमा के रूप में करता है। G20 में उसकी विश्वसनीयता इस पर निर्भर होगी कि वह दिखा सके कि उसके द्विपक्षीय सौदे उन बहुपक्षीय नियमों को कमज़ोर नहीं करते जिनका वह बचाव करता है।
5. **व्यापार समझौते अब निवेश समझौते बनते जा रहे हैं** — UAE की यह कहानी भारत के हाल के सौदों की उसी परिपाटी पर चलती है, जिनमें शुल्क-कटौतियों के साथ निवेश-प्रतिबद्धताएँ आती हैं। CEPA के बाद BIT आई और अब 100 अरब डॉलर का घोषित लक्ष्य है। व्यापार को वृद्धि से जोड़ने का यह समझदार तरीका है, पर निवेश-लक्ष्य उस तरह लागू करवाएँ नहीं जा सकते जिस तरह शुल्क-प्रतिबद्धताएँ। भारत को कार्य बल के माध्यम से वास्तविक प्रवाह पर नज़र रखनी और उन्हें प्रकाशित करना चाहिए, ताकि प्रतिज्ञाएँ आर्थिक सार के बिना केवल कूटनीतिक सुर्खियाँ बनकर न रह जाएँ।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारत-UAE साझेदारी तेल और प्रेषण से आगे बढ़कर पूँजी, मुद्रा और संपर्कता तक पहुँच गई है।” इस कथन का परीक्षण कीजिए और पश्चिम एशिया में व्यवधान के बीच भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए इसके महत्व का आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — निवेश पर 14वें उच्च-स्तरीय संयुक्त कार्य बल, UAE द्वारा पहले से किए गए लगभग 25 अरब डॉलर के निवेश के ऊपर 25 अरब डॉलर के एक और संकेत, तथा रुपया-दिरहम निपटान के दहाई अंकों वाले हिस्से का उल्लेख कीजिए।
2. **मुख्य भाग** — **पूँजी** — निवेश की संरचना समझाइए: CEPA (2022), द्विपक्षीय निवेश संधि (2024), ADIA के माध्यम से संप्रभु कोष का निवेश और 100 अरब डॉलर का लक्ष्य। चर्चा कीजिए कि ऐसी पूँजी के कहाँ जाने की संभावना है।
3. **मुख्य भाग** — **मुद्रा** — स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (2023) और रुपया-निपटान की व्याख्या कीजिए, और दिखाइए कि यह व्यवधान वाले परिवेश में कैसे सहायक है, साथ ही यह भी बताइए कि डॉलर में रूपांतरण जारी रहता है।
4. **मुख्य भाग** — **संपर्कता और सुरक्षा** — बंदरगाहों, पोत-निर्माण और अंतरिक्ष में सहयोग को IMEC और I2U2 से तथा होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर जोखिम से जोड़िए। व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ भारत की समानांतर वार्ता और G20 में WTO के पक्ष में उसकी पैरवी का उल्लेख कीजिए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि यह साझेदारी भारत की आर्थिक सुरक्षा का एक स्तंभ बन गई है, पर इसका मूल्य इस पर निर्भर है कि प्रतिज्ञाएँ परियोजनाओं में बदलें और खाड़ी के साझेदारों के

बीच विविधीकरण हो।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप DPIIT में संयुक्त सचिव हैं और UAE की निवेश-प्रतिज्ञा पर नज़र रख रहे हैं। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वह वास्तविक निवेश में बदले?

दृष्टिकोण (Approach): मैं बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स पार्क और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के साथ परियोजनाओं की एक पाइपलाइन बनाऊंगा और उन्हें UAE कोष की प्राथमिकताओं से मिलाऊंगा। अनुमोदन और कराधान के मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए मैं एक एकल-खिड़की सुविधाकर्ता नियुक्त करूंगा। कार्य बल की हर बैठक में मैं प्रतिज्ञा के मुकाबले वास्तविक प्रवाह की रिपोर्ट दूंगा ताकि प्रगति मानी हुई नहीं, नापी हुई हो।

प्रश्न 2. RBI के विदेशी मुद्रा विभाग के एक अधिकारी के रूप में, आप रुपया-दिरहम निपटान का उपयोग कैसे बढ़ाएंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं बैंकों के साथ मिलकर रुपये और दिरहम के लेन-देन की लागत और दस्तावेज़ीकरण घटाऊंगा और निर्यातकों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश प्रकाशित करूंगा। मैं सीधे रुपया-दिरहम विनिमय बाज़ार के विकास को प्रोत्साहित करूंगा ताकि डॉलर के रास्ते रूपांतरण की ज़रूरत कम पड़े। निर्यात संवर्धन परिषदों के ज़रिये छोटे निर्यातकों तक पहुँच बनाने से इसका उपयोग बड़ी कंपनियों से आगे फैलेगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या किसी विदेशी राज्य का बड़ा संप्रभु संपदा निवेश भारत के लिए जोखिम है?

दृष्टिकोण (Approach): संप्रभु कोष प्रायः दीर्घकालिक, धैर्यवान निवेशक होते हैं, जो आधारभूत ढाँचे के लिए मूल्यवान हैं। जोखिम केवल संवेदनशील क्षेत्रों में उठता है, जहाँ किसी विदेशी राज्य का प्रभाव सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। भारत इसे क्षेत्रीय सीमाओं, सरकारी अनुमोदन मार्गों और सवीक्षा के ज़रिये संभालता है। इन रक्षोपायों के साथ, UAE जैसे मित्र साझेदार का निवेश खतरा नहीं, अवसर है।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

आज की दोनों खबरें संकट आने के बाद नहीं, उससे पहले योजना बनाने की हैं। दिल्ली ने सर्दियों के धुंध-नियमों को महीनों पहले एक कैलेंडर में लिख दिया है, और कमज़ोर मानसून के अंत में जलाशयों के आँकड़े देश को ठीक-ठीक बता देते हैं कि वह शुष्क मौसम में कितना पानी लेकर जा रहा है। दोनों में विज्ञान स्पष्ट है, और समस्या की इकाई, चाहे वायु-प्रवाह क्षेत्र (airshed) हो, जलभृत हो या नदी-द्रोणी, उस सरकार से बड़ी है जिसे कार्रवाई करनी है।

5.1 दिल्ली ने सर्दियों के प्रदूषण का कैलेंडर तय किया: गैर-BS-VI वाहनों पर प्रवेश-रोक, 50% वर्क फ्रॉम होम और निर्माण पर प्रतिबंध

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून के विदा होने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार, 28 सितंबर को पर्यावरण भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की, ताकि उस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया जा सके जिसे द हिंदू स्थायी संस्थागत “कार्य-योजना” दृष्टिकोण कहता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अधिकारी उपस्थित थे। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, प्रतिबंध 23 जून को अधिसूचित हुए थे, हर वर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे, और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के समानांतर चलेंगे, जो CAQM की वही सीढ़ीनुमा व्यवस्था है जिसमें रोकें वास्तविक वायु गुणवत्ता के आधार पर लगती हैं। पहली बार कई उपाय पहले से अनिवार्य हो रहे हैं। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत कोई भी गैर-BS-VI वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेगा; CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों तथा आपातकालीन सेवाओं को छूट है। BS-VI वाहनों के लिए वर्तमान राष्ट्रीय उत्सर्जन मानक है। सरकारी और निजी कार्यालयों को भौतिक उपस्थिति 50% रखनी होगी, जबकि अस्पताल, परिवहन, बिजली, जल, स्वच्छता और प्रदूषण-नियंत्रण एजेंसियाँ मुक्त हैं; MCD के कार्यालय सुबह 8.30 से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक चलेंगे। अधिकृत स्थलों पर पार्किंग शुल्क 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुना होगा (एक्सप्रेस), दिल्ली मेट्रो की सुविधाओं को छोड़कर। ईंधन केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) दिखाने पर ही मिलेगा, और 1 अक्टूबर से 500 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) अभियान चलेगा। अखबार निर्माण संबंधी रोकों को दो स्तरों में बताते हैं, और यह अंतर मायने रखता है। द हिंदू 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और ध्वस्तीकरण पर प्रतिबंध बताता है, जबकि धूल पैदा करने वाले ध्वस्तीकरण और बाहरी सिविल निर्माण पर प्रतिबंध 1 नवंबर से 31 जनवरी तक है, और सीमेंट-कंक्रीट का काम 31 अक्टूबर तक तथा बिटुमेन का काम 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। एक्सप्रेस 10 दिसंबर से 20 जनवरी के पूर्ण प्रतिबंध की पुष्टि “अत्यावश्यक सरकारी और आपातकालीन कार्यों को छोड़कर” करता है, और कहता है कि नवंबर-से-जनवरी की रोक आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को छोड़ देती है; वह निर्माण-स्थलों पर 100% CCTV कवरेज और ‘मलबा ऐप’ पर पंजीकरण भी जोड़ता है। एक्सप्रेस 72 लाख दैनिक मेट्रो यात्रियों और 5,088 इलेक्ट्रिक बसों के साथ DTC बसों में 42 लाख यात्रियों के लक्ष्य, 334 प्रवर्तन दलों वाले AI-सक्षम कमांड सेंटर, और सर्वेक्षित 11,271 इकाइयों में से 2,283 को सील या बंद किए जाने का भी ब्योरा देता है। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली अपना लगभग 30% प्रदूषण स्वयं पैदा करती है, जबकि 60-65% NCR से आता है या उससे प्रभावित होता है, और उन्होंने “क्षेत्रीय वायु-प्रवाह क्षेत्र दृष्टिकोण” का आह्वान किया। द इकोनॉमिक टाइम्स का एक संपादकीय शीघ्र कार्रवाई और पराली से वाहनों तथा निर्माण की ओर झुकाव का स्वागत करता है, पर पूछता है कि केंद्र की ओर से पूरे वायु-प्रवाह क्षेत्र की बड़ी योजना क्यों नहीं है, और चेतावनी है कि दिवाली के आसपास पटाखों पर प्रवर्तन कमज़ोर रहा है। पाठ्यक्रम से संबंध: GS3 (प्रदूषण) तथा GS2 (अंतर-राज्यीय समन्वय)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

ठंडी, ठहरी हवा स्थानीय और क्षेत्रीय उत्सर्जनों को रोक लेती है, इसलिए दिल्ली की सर्दियों की धुंध हर साल लौटती है → प्रतिक्रियाएँ तात्कालिक रहती हैं, GRAP की रोकें तभी लगती हैं जब हवा ‘खराब’ या उससे बदतर हो चुकी हो → दिल्ली सरकार 23 जून को पूरे वर्ष के कैलेंडर वाले प्रतिबंध अधिसूचित करती है → 28 सितंबर की केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की बैठक उन्हें 1 नवंबर से स्थायी शीतकालीन योजना के रूप में औपचारिक बनाती है → बहस इस पर आ जाती है कि क्या एक शहर उस हवा को सुधार सकता है जिसे पूरा वायु-प्रवाह क्षेत्र आकार देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. CAQM एक सांविधिक निकाय है जिसे NCR की वायु पर अधिभावी शक्तियाँ प्राप्त हैं — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) का गठन 2020 के अध्यादेश के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 द्वारा हुआ। इसका क्षेत्राधिकार NCR तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों को समेटता है, जो नियामक को उस क्षेत्र से मिलाने का प्रयास है जहाँ से प्रदूषण आता है। इसने उस पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण का स्थान लिया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता मुकदमे में गठित किया था। अपने कार्यक्षेत्र के मामलों में इसके निर्देश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के निर्देशों पर प्रभावी होते हैं, और अब GRAP का स्वामित्व और संशोधन भी इसी के पास है।
2. GRAP वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर श्रेणीबद्ध आपातकालीन ब्रेकों का समूह है — ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) पहली बार 2017 में एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद अधिसूचित हुआ था, और तब से CAQM ने इसे संशोधित किया है। इसके चार चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़े हैं: ‘खराब’ वायु (AQI 201-300) के लिए चरण I, ‘बहुत खराब’ (301-400) के लिए चरण II, ‘गंभीर’ (401-450) के लिए चरण III और ‘गंभीर प्लस’ (450 से ऊपर) के लिए चरण IV। उपाय धूल-नियंत्रण

और PUC जाँच से बढ़कर निर्माण, पुराने डीज़ल वाहनों और ट्रकों के प्रवेश पर रोक तक पहुँचते हैं। संशोधित GRAP को पूर्वानुमान के आधार पर पहले से भी लागू किया जा सकता है, पर वह अब भी खराब हवा की प्रतिक्रिया है, उसे रोकने की योजना नहीं।

3. **BS-VI एक छलाँग थी, और वायु अधिनियम वायु विनियमन का मूल कानून है** — भारत 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में भारत स्टेज IV से भारत स्टेज VI उत्सर्जन मानदंडों पर आ गया, BS-V को पूरी तरह छोड़कर; BS-VI विशेषकर डीज़ल वाहनों के लिए कणिका पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अनुमत उत्सर्जन को बहुत घटाता है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 वायु गुणवत्ता का मूल कानून है, जिसके प्रवर्तन निकाय केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं और जो वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति देता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 वह छत्र कानून है जिसके अंतर्गत केंद्र परिवेशी और उत्सर्जन मानक अधिसूचित करता है। 2014 में शुरू हुआ राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक आठ प्रदूषकों को 'अच्छा' से 'गंभीर' तक की छह श्रेणियों में दर्शाता है।
4. **NCAP शहरों के लिए लक्ष्य तय करता है, जबकि हवा जिस इकाई का पालन करती है वह वायु-प्रवाह क्षेत्र है** — राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme) पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2019 में अप्राप्ति वाले शहरों के लिए शुरू किया, यानी वे शहर जो पाँच वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते; लगभग 130 शहर इसमें आते हैं। इसका संशोधित लक्ष्य कणिका पदार्थ की सांद्रता में 40% तक की कमी है, और धन शहरों के प्रदर्शन से जुड़ा है। वायु-प्रवाह क्षेत्र (airshed) ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसके भीतर भू-आकृति और मौसम के कारण हवा और उसमें मौजूद प्रदूषक साथ-साथ मिलते और चलते हैं। सदियों में सिंधु-गंगा का मैदान एक ही वायु-प्रवाह क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है, इसलिए दिल्ली जैसी प्रशासनिक सीमा हरियाणा या उत्तर प्रदेश में पैदा हुए प्रदूषण को रोक नहीं सकती, और उलटा भी सच है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS3 के पाठ्यक्रम में पर्यावरण प्रदूषण का नाम है, और दिल्ली बार-बार आने वाला केस अध्ययन है** — मुख्य परीक्षा में शहरी वायु प्रदूषण के कारणों, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रभावशीलता और फसल अवशेष जलाने की भूमिका पर प्रश्न पूछे गए हैं। यह योजना एक नया कोण देती है: प्रतिक्रियात्मक, AQI-प्रेरित रोकों से पहले से तय कैलेंडर की ओर बढ़ना, और कई सरकारों वाले क्षेत्रीय वायु-प्रवाह क्षेत्र की शासन-संबंधी समस्या।
2. **प्रारंभिक परीक्षा सुर्खियों के पीछे की संस्थाओं और मानकों को परखती है** — UPSC राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रदूषकों, BS-VI मानदंडों और प्रदूषण को विनियमित करने वाले निकायों पर पूछ चुका है। CAQM का सांविधिक आधार, GRAP के चरण और अप्राप्ति वाले शहरों का अर्थ स्वाभाविक उम्मीदवार हैं, वैसे ही PUCC का अर्थ और वायु-प्रवाह क्षेत्र की अवधारणा भी।
3. **GS2 और निबंध वायु को संघवाद और अधिकारों से जोड़ते हैं** — अदालतें स्वच्छ वायु को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा मानती हैं, और एम.सी. मेहता के मामले प्रदूषण के न्यायिक शासन के मानक उदाहरण हैं। सामूहिक कार्रवाई की समस्याओं पर निबंध या नीतिशास्त्र के उत्तर में दिल्ली का अपना 30% बनाम NCR का 60-65% एक ठोस उदाहरण के रूप में इस्तेमाल हो सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग 2021 में पारित संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय है, और इसका क्षेत्राधिकार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों तक फैला है।
- ग्रेडेड रिस्यूम्स एक्शन प्लान के चार चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणियों से जुड़े हैं, जो 'खराब' वायु गुणवत्ता (AQI 201-300) से शुरू होकर 'गंभीर प्लस' (AQI 450 से ऊपर) पर समाप्त होते हैं।
- भारत ने 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में भारत स्टेज VI उत्सर्जन मानदंड अपनाए, भारत स्टेज V को छोड़कर।
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 में अधिनियमित हुआ था, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
- 2019 में शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अप्राप्ति वाले शहरों को समेटता है, जिन्हें ऐसे शहरों के रूप में परिभाषित किया गया है जो पाँच वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते।
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक आठ प्रदूषकों पर रिपोर्ट करता है, जिनमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन,

	अमोनिया और सीसा शामिल हैं। ● वायु-प्रवाह क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्रशासनिक सीमाओं की परवाह किए बिना, स्थलाकृति और मौसम विज्ञान के कारण, हवा और उसमें मौजूद प्रदूषक साथ-साथ मिलते और चलते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. पहले से तय कैलेंडर नियामकीय दर्शन में वास्तविक परिवर्तन है — GRAP तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक AQI सीमा पार न कर ले और फिर रोकें लगाता है, यानी तब तक फेफड़ों को नुकसान शुरू हो चुका होता है और कारोबार को अचानक ठप होना पड़ता है। जून में अधिसूचित कैलेंडर निर्माताओं, नियोक्ताओं और परिवहनकर्ताओं को पहले से बता देता है कि 1 नवंबर से वे क्या नहीं कर सकते, ताकि वे काम की योजना बना सकें, सामग्री जमा कर सकें और समय-सारणी बदल सकें। द हिंदू का यह ब्योरा कि कंक्रीट का काम 31 अक्टूबर तक और बिटुमेन का 15 नवंबर तक पूरा हो जाना चाहिए, तर्क दिखाता है: धूल वाले काम को खतरनाक महीनों से बाहर ले जाओ, बीच में रोकने की जगह। प्रतिपक्ष यह है कि निश्चित कैलेंडर भोथरा है, क्योंकि वह साफ़ हवा वाले सप्ताह में भी गतिविधि रोकता है, और GRAP के उन चरणों के साथ बेदंगे ढंग से चल सकता है जो अपनी, अतिव्यापी रोकें लगाते हैं। 2. निर्माण की दो खिड़कियाँ दिखाती हैं कि क्रीमत कौन चुकाता है — अखबार 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक के पूर्ण निर्माण और ध्वस्तीकरण प्रतिबंध और 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाले काम पर हल्की रोक पर सहमत हैं, पर छूटों का वर्णन अलग-अलग करते हैं। एक्सप्रेस कहता है कि आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को बरूना गया है और अत्यावश्यक सरकारी कार्य पूर्ण प्रतिबंध से भी मुक्त हैं; द हिंदू इन अपवादों का उल्लेख नहीं करता। व्यवहार में इसका अर्थ है कि निजी भवन-निर्माण रुकता है जबकि सार्वजनिक परियोजनाएँ चलती रहती हैं, और बोझ दिहाड़ी निर्माण मज़दूरों पर पड़ता है जिनकी आय हफ्तों तक गायब रहती है। पहले के प्रतिबंधों के साथ निर्माण कल्याण कोषों से अदालत-आदेशित निर्वाह-भुगतान होते रहे हैं, और रिपोर्ट की गई योजना उनके बारे में कुछ नहीं कहती; उसके बिना, स्थायी कैलेंडर हर वर्ष का स्थायी आय-आघात बन जाता है। 3. बाहर से आने वाले गैर-BS-VI वाहनों पर रोक लक्षित है, पर आसान विकल्प भी है — पुराने बाहरी-राज्य वाहन, ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों सहित, प्रति किलोमीटर सबसे अधिक उत्सर्जन करने वालों में हैं, और BS-VI डीज़ल इंजन BS-IV से कहीं स्वच्छ हैं, इसलिए यह नियम एक वास्तविक स्रोत पर प्रहार करता है। यह राजनीतिक रूप से सुविधाजनक भी है, क्योंकि प्रभावित वाहन अन्य राज्यों के मतदाताओं के हैं। दिल्ली के अपने पुराने वाहन PUC जाँच के भरोसे छोड़ दिए गए हैं, जो ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर रही है, और इसीलिए 500 पंप्पों पर ANPR से जुड़ा 'PUC नहीं, तो ईंधन नहीं' अभियान दिखने से अधिक महत्वपूर्ण है। CNG, इलेक्ट्रिक और आपातकालीन वाहनों की छूट के साथ दर्जनों सीमा-प्रवेश बिंदुओं पर प्रवर्तन ही तय करेगा कि नियम यातायात बदलता है या केवल कागज़ी कार्रवाई। 4. सिरसा का 30% का आँकड़ा वायु-प्रवाह क्षेत्र के पक्ष में तर्क है, और एक बहाना भी — यदि दिल्ली अपना केवल लगभग 30% प्रदूषण पैदा करती है, तो शहर के भीतर की पूर्ण कार्रवाई भी अधिकांश समस्या को अछूता छोड़ देती है, जो द इकोनॉमिक टाइम्स की पूरे वायु-प्रवाह क्षेत्र में केंद्र-नेतृत्व वाली योजना की माँग को मज़बूत करता है। किंतु यही संख्या एक शहरी सरकार को यह कहने देती है कि खराब हवा किसी और का दोष है। CAQM का क्षेत्राधिकार पहले से ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर है, इसलिए वायु-प्रवाह क्षेत्र की योजना के लिए संस्था मौजूद है; जो कमी है वह राज्यों में साझा लक्ष्य और साझा बजट की है। विश्वसनीय योजना हर मौसम में स्रोत-विभाजन के आँकड़े प्रकाशित करेगी, ताकि हर सरकार को उसके अपने हिस्से पर आँका जा सके। 5. वर्क फ्रॉम होम और पार्किंग की कीमतें माँग-प्रबंधन हैं, जिसे दिल्ली ने कम ही आजमाया है — पहले की अधिकांश प्रतिक्रियाओं ने उत्सर्जन को टेलपाइप या चिमनी पर नियंत्रित करने की कोशिश की; कार्यालय-उपस्थिति आधी करना, समय बाँटना और पार्किंग शुल्क दोगुना करना, यात्राओं की संख्या ही घटाने का प्रयास हैं। मेट्रो और बस सवारियों के 72 लाख और 42 लाख के लक्ष्य दिखाते हैं कि सरकार जानती है कि लोगों को कारों से हटाना तभी चलेगा जब सार्वजनिक परिवहन उन्हें समा सके। सीमा यह है कि निजी कार्यालयों में 50% की सीमा का सत्यापन कठिन है, और अनौपचारिक कामगार घर से काम कर ही नहीं सकते। यदि उपस्थिति-नियम केवल सरकारी कार्यालयों में लागू हुए, तो बोझ असमान होगा और लाभ सीमित।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“दिल्ली का वायु प्रदूषण एक क्षेत्रीय समस्या है जिसे शहर-स्तरीय और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से संभाला जाता है।” दिल्ली सरकार की स्थायी शीतकालीन कार्य-योजना और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। वायु-प्रवाह क्षेत्र दृष्टिकोण के लिए किन संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता होगी? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श	1. प्रस्तावना — 28 सितंबर 2026 को औपचारिक रूप दी गई योजना से आरंभ कीजिए: 23 जून को

दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

अधिसूचित प्रतिबंध, 1 नवंबर से लागू, जिनमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों पर प्रवेश-रोक, 50% भौतिक उपस्थिति और 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक पूर्ण निर्माण-प्रतिबंध शामिल हैं। श्री सिरसा के इस अनुमान का उल्लेख कीजिए कि दिल्ली अपना लगभग 30% प्रदूषण पैदा करती है।

- मुख्य भाग : तात्कालिक बनाम नियोजित** — GRAP के चार AQI-संबद्ध चरणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि वे प्रतिक्रियात्मक क्यों हैं। दिखाइए कि निश्चित कैलेंडर निर्माताओं और नियोक्ताओं के प्रोत्साहन कैसे बदलता है, और अतिव्यापन तथा मोथरेपन के जोखिम का उल्लेख कीजिए।
- मुख्य भाग : क्षेत्रीय समस्या** — वायु-प्रवाह क्षेत्र की अवधारणा और सिंधु-गंगा के मैदान के शीतकालीन मौसम विज्ञान की व्याख्या कीजिए। NCR के 60-65% योगदान, CAQM के बहु-राज्य क्षेत्राधिकार और द इकोनॉमिक टाइम्स की केंद्र-नेतृत्व वाली वायु-प्रवाह क्षेत्र योजना की मांग का प्रयोग कीजिए।
- मुख्य भाग : संस्थागत परिवर्तन** — NCAP के अंतर्गत साझा वायु-प्रवाह क्षेत्र लक्ष्य, हर राज्य के लिए प्रकाशित मौसमी स्रोत-विभाजन, परिणामों से जुड़ा साझा वित्त-पोषण, पेट्रोल पंपों और प्रवेश-बिंदुओं पर ANPR जैसी प्रवर्तन प्रौद्योगिकी, और प्रतिबंधों के दौरान निर्माण मजदूरों के लिए कल्याणकारी सहायता का सुझाव दीजिए।
- निष्कर्ष** — निष्कर्ष में कहिए कि पहले से योजना बनाना वास्तविक कदम है, पर दिल्ली में स्वच्छ हवा पूरे वायु-प्रवाह क्षेत्र की साझा जवाबदेही पर निर्भर है, जिसमें CAQM अपनी मौजूदा शक्तियों का प्रयोग करे।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप दिल्ली में उपायुक्त हैं। निर्माण मजदूरों के युनियन कहते हैं कि दिसंबर-जनवरी का प्रतिबंध लाखों को बिना आय के छोड़ देगा। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सबसे पहले भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत निर्माण मजदूरों की सूची लूंगा और देखूंगा कि किसका पंजीकरण नहीं हुआ है। मैं प्रतिबंध के दौरान कल्याण कोष से समय पर निर्वाह-हस्तांतरण के लिए जोर दूंगा, जैसा पहले के वर्षों में हुआ है, और 10 दिसंबर से पहले लेबर चौकों पर पंजीकरण शिविर चलवाऊंगा। मैं छूट-प्राप्त सार्वजनिक निर्माण कार्यों से भी समन्वय करूंगा ताकि कुछ श्रम वहाँ खप सके। जो प्रदूषण-नियम आजीविका की उपेक्षा करता है, वह दूसरी सदी तक जन-समर्थन खो देता है।

प्रश्न 2. परिवहन आयुक्त के रूप में आप अन्य राज्यों के गैर-BS-VI वाहनों पर प्रवेश-रोक को वास्तव में कैसे लागू करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): हर सीमा-बिंदु पर भौतिक जाँच से जाम लगेंगे और भ्रष्टाचार को न्योता मिलेगा, इसलिए मैं राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस से जुड़े नंबर-प्लेट पहचान कैमरों पर भरोसा करूंगा जो उत्सर्जन मानदंड को स्वतः पहचान लें। उल्लंघन करने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक दंड से जुर्माना लगेगा, और भारी वाहनों के लिए कुछ प्रमुख प्रवेश-बिंदुओं पर जाँच दल रहेंगे। मैं छूट-प्राप्त श्रेणियों की सूची स्पष्ट रूप से प्रकाशित करूंगा ताकि CNG, इलेक्ट्रिक और आपातकालीन वाहनों को परेशान न किया जाए। अस्वीकृत प्रवेशों के साप्ताहिक आँकड़े बताएँगे कि नियम काम कर रहा है या नहीं।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: जब NCR एक ही वायु-प्रवाह क्षेत्र साझा करता है, तब क्या दिल्ली का हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वाहनों को रोकना उचित है?

दृष्टिकोण (Approach): शहर में आने वाली चीज़ों को विनियमित करना उचित है, क्योंकि वाहन वहाँ उत्सर्जन करते हैं जहाँ वे चलते हैं, जहाँ पंजीकृत हैं वहाँ नहीं, और नियम केवल मूल के आधार पर नहीं, उत्सर्जन मानदंड के आधार पर है। किंतु निष्पक्षता के लिए यह भी ज़रूरी है कि दिल्ली अपने पुराने वाहनों और स्रोतों पर बराबर सख्ती बरते। बेहतर उत्तर CAQM द्वारा तय एक साझा NCR-व्यापी मानक है ताकि कोई राज्य अपनी लागत दूसरों पर डालता न दिखे। एकतरफ़ा नियम शुरुआत हैं; साझा नियम लक्ष्य हैं।

5.2 मानसून 12% कम पर समाप्त, जलाशय क्षमता के 70% पर, दस वर्ष के औसत से नीचे

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु और गुरुग्राम। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के 30 सितंबर को समाप्त होने के साथ, केंद्रीय जल आयोग (CWC) की 24 सितंबर की लाइव भंडारण रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 178 जलाशयों में संग्रहित जल उनकी कुल क्षमता के 70% पर है। यह इसी अवधि के दशकीय औसत 76.62% और पिछले वर्ष के 79% से नीचे है; अखबार की सुर्खी इसे 10 वर्ष का निचला स्तर कहती है। CWC सतही जल पर केंद्र का तकनीकी निकाय है, और उसका बुलेटिन बताता है कि प्रमुख बाँधों के पीछे कितना उपयोगी जल है। दक्षिण, पूर्व और उत्तर के 92 जलाशयों के लिए तस्वीर निराशाजनक है। दक्षिणी क्षेत्र, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, में भंडारण सबसे कम, 50% (27.926 अरब घन मीटर) है, जबकि पिछले वर्ष यह 87.25% था, और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आँकड़ों के अनुसार 28 सितंबर तक यहाँ सामान्य से 23% कम वर्षा हुई है। 28

सितंबर तक अखिल भारतीय वर्षा सामान्य से 12% कम थी। रिपोर्ट महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखा घोषित होने के साथ ही आई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का 70% से अधिक लाता है, और इस मौसम की कमी के कारणों में एल नीनो का नाम लिया गया है। यह कांड 28 सितंबर के मानसून-घाटे वाले कांड की अगली कड़ी है; नई बात भंडारण के आँकड़े हैं। शहरी पक्ष गुरुग्राम में दिखता है, जहाँ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) के हलफनामे से पता चलता है कि 2025 और 2026 के मानसून-पूर्व मौसमों के बीच सात शहरी निगरानी कुओं में से छह में भूजल स्तर गिरा। सबसे गहरी रीडिंग खेडकी दौला में भूमि-स्तर से 50.30 मीटर नीचे थी; चार कुएँ 20 मीटर से अधिक गहरे थे; गिरावट 0.08 से 2.34 मीटर के बीच रही, बलियावास में सबसे तीव्र, जबकि केवल सेल ऑफिस वाला कुआँ 1.34 मीटर ऊपर आया। पूरे ज़िले में खवासपुर लगभग 4.23 मीटर ऊपर उठा और करोला 5.41 मीटर गिरा। CGWA ने अदालत को बताया कि राज्य के भीतर विनियमन हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का सांविधिक कार्य है। 22 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने कहा कि शहर हर मानसून में इसलिए डूबता है क्योंकि तूफानी बहाव को जलभृतों में नहीं पहुँचाया जाता। कमी तीव्रता को भी छिपा देती है। द हिंदू का संपादकीय बताता है कि ओडिशा में जून से 25 सितंबर तक 1,453 मिमी वर्षा हुई, यानी 29% अधिक, जबकि जून में 47% की कमी थी और बंगाल की खाड़ी के ऊपर 11 प्रणालियाँ बनीं। एक्सप्रेस बताता है कि उत्तर प्रदेश में तीन दिनों में सामान्य 7.6 मिमी के मुकाबले 66.5 मिमी वर्षा हुई, कम से कम 62 मौतों के साथ, क्योंकि एक गहरा अवदाब पश्चिमी विक्षोभ से टकराया। पाठ्यक्रम से संबंध: GS1 (मानसून का भूगोल) तथा GS3 (जल संसाधन और आपदा प्रबंधन)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

एल नीनो और अनियमित प्रणालियाँ दक्षिण-पश्चिम मानसून को कमज़ोर करती हैं, जिससे 28 सितंबर तक अखिल भारतीय वर्षा 12% कम रह जाती है → दक्षिण में सामान्य से 23% कम वर्षा होती है → जलाशय भंडारण राष्ट्रीय स्तर पर 70% और दक्षिण में 50% पर आ जाता है, दशकीय औसत 76.62% से नीचे → महाराष्ट्र और कर्नाटक सूखा घोषित करते हैं जबकि गुरुग्राम जैसे शहर भूजल का दोहन जारी रखते हैं → रबी की सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत शुष्क मौसम में पतले भंडार के साथ प्रवेश करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- 1. CWC सतही भंडारण मापता है; भूमिगत जल CGWB और CGWA सँभालते हैं —** केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत सतही जल का शीर्ष तकनीकी संगठन है, और वह प्रमुख जलाशयों के जीवंत भंडारण पर साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है, जिसकी तुलना पिछले वर्ष और दस वर्ष के औसत से की जाती है। जीवंत भंडारण निम्नतम निकास-द्वार के ऊपर का उपयोगी जल है, मृत भंडारण के विपरीत जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। केंद्रीय भूजल बोर्ड निगरानी कुओं के राष्ट्रीय नेटवर्क से जलभृतों की निगरानी करता है और राज्यों के साथ मिलकर भूजल संसाधनों का आकलन करता है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन भूजल दोहन को विनियमित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत किया गया, यद्यपि अब कई राज्यों के अपने नियामक हैं, जैसे हरियाणा का।
- 2. IMD मानसून को दीर्घावधि औसत के आधार पर वर्गीकृत करता है —** दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम 1 जून से 30 सितंबर तक चलता है, और अखिल भारतीय वर्षा की तुलना दीर्घावधि औसत (LPA) से की जाती है, जो 1971-2020 के आधार के लिए 87 सेमी है। पूरे देश के लिए IMD मौसम को अपर्याप्त कहता है यदि वर्षा LPA के 90% से कम हो, सामान्य से कम यदि 90% से 95% के बीच, सामान्य यदि 96% से 104%, सामान्य से अधिक यदि 105% से 110%, और अत्यधिक यदि 110% से ऊपर। किसी क्षेत्र या उप-संभाग के लिए धन-ऋण 19% के भीतर के विचलन को सामान्य और 20% से 59% की कमी को अपर्याप्त गिना जाता है। इस पैमाने पर, यदि 12% की कमी 30 सितंबर तक बनी रही तो देश अपर्याप्त वर्ग में आएगा।
- 3. भूजल का आकलन दोहन की अवस्था के आधार पर होता है —** गतिशील भूजल संसाधन आकलन वार्षिक दोहन की तुलना वार्षिक निकासी-योग्य पुनर्भरण से करता है, और यह अनुपात दोहन की अवस्था है। खंडों को सुरक्षित, अर्ध-संकटग्रस्त, संकटग्रस्त या अति-दोहित श्रेणियों में बाँटा जाता है, अंतिम का अर्थ है कि दोहन वार्षिक रूप से पुनःपूरित होने वाले संसाधन से अधिक है। जल-स्तर की गहराई, जिसका उपयोग गुरुग्राम हलफनामे में हुआ है, यह है कि भूजल-तल सतह से कितना नीचे है; बड़ी संख्या का अर्थ है अधिक गहरा, अधिक रिक्त तल। जल राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत राज्य का विषय है, जो अंतर-राज्यीय नदियों पर संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन है।
- 4. केंद्र की भूजल योजनाएँ पुनर्भरण और सामुदायिक प्रबंधन पर निर्भर हैं —** अटल भूजल योजना, जो विश्व बैंक की सहायता से दिसंबर 2019 में शुरू हुई, सात राज्यों, अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, के जल-संकटग्रस्त खंडों में समुदाय-नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देती है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान, जो 2021 में शुरू हुआ, ज़िलों से जल-संचयन संरचनाएँ बनाने और पुनर्जीवित करने को कहता है, ताकि “वर्षा को पकड़ो, जहाँ गिरे, जब गिरे”। दोनों स्थानीय निकायों पर और इस पर निर्भर हैं कि वर्षा बहाव के रूप में गंवाने की बजाय संग्रहित हो। एल नीनो, भूमध्यरेखीय प्रशांत में एल नीनो दक्षिणी दोहन की गर्म अवस्था, ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर भारतीय मानसून से जुड़ा रहा है, यद्यपि हर एल नीनो वर्ष सूखे का वर्ष नहीं होता।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. GS1 मानसून की क्रियाविधि और GS3 जल सुरक्षा पर प्रश्न पृच्छता है —** UPSC ने एल नीनो और हिंद महासागर द्विध्रुव सहित भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों पर पृच्छा है, और मुख्य परीक्षा में भूजल क्षरण तथा जल-उपयोग दक्षता पर पृच्छा गया है। जलाशय भंडारण

दोनों को जोड़ता है: यह कमज़ोर मानसून और रबी मौसम, पेयजल तथा जलविद्युत के बीच का पुल है।

2. **प्रारंभिक परीक्षा संस्थाओं और वर्गीकरणों को परखती है** — प्रश्नों में यह आ चुका है कि जल प्रबंधन में कौन-सा मंत्रालय या निकाय क्या करता है और IMD सामान्य मानसून को कैसे परिभाषित करता है। CWC की भूमिका, CGWA का सांविधिक मूल, भूजल की श्रेणियाँ और LPA की सीमाएँ, सभी उपयुक्त लक्ष्य हैं।
3. **आपदा प्रबंधन के प्रश्न एक मौसम के भीतर की चरम स्थितियों के बारे में अधिकाधिक पूछते हैं** — कमी और बाढ़ का साथ-साथ होना, यानी ओडिशा का 29% अधिक, उत्तर प्रदेश की बाढ़ और गिरते जल-तल के बीच गुरुग्राम की बाढ़, आपदा प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन पर GS3 प्रश्नों के अनुकूल है। कुल वर्षा और वर्षा के वितरण का अंतर दिखाने वाले उत्तर अच्छे अंक पाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग भारत के प्रमुख जलाशयों में जीवंत भंडारण पर साप्ताहिक बुलेटिन प्रकाशित करता है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग अखिल भारतीय दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा के लिए 1971-2020 पर आधारित 87 सेमी के दीर्घावधि औसत का उपयोग करता है।
- पूरे देश के लिए IMD दीर्घावधि औसत के 90% से कम दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा को अपर्याप्त वर्गीकृत करता है।
- केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत किया गया था।
- भूजल आकलन में, किसी इकाई को अति-दोहित तब वर्गीकृत किया जाता है जब वार्षिक भूजल दोहन वार्षिक निकासी-योग्य भूजल संसाधन से अधिक हो।
- अटल भूजल योजना सात राज्यों में समुदाय-नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन के लिए विश्व बैंक-समर्थित योजना है।
- पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय तूफान है जो उत्तर-पश्चिम भारत में वर्षा और हिमपात लाता है, और उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धारा द्वारा पूर्व की ओर ले जाया जाता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **70% भंडारण राष्ट्रीय स्तर पर संकट नहीं है, पर औसत दक्षिण के आपातकाल को छिपा देते हैं** — सत्तर प्रतिशत दो-तिहाई से अधिक भरा है, और एक वर्ष पहले यह आँकड़ा 79% था, इसलिए अकेली राष्ट्रीय संख्या चिंता का कारण नहीं बनती। चिंताजनक संख्या दक्षिण का 50% है, जो पिछले वर्ष 87.25% था, ऐसे क्षेत्र में जहाँ 23% कम वर्षा हुई है और जो पेयजल तथा धान दोनों के लिए जलाशयों और तालाबों पर बहुत निर्भर है। दक्षिणी शहर और खेत शुष्क मौसम में एक वर्ष पहले के लगभग आधे भंडार के साथ प्रवेश करते हैं। इसलिए जल-प्रबंधकों को अखिल भारतीय औसत में राहत खोजने की बजाय, पेयजल और खड़ी फ़सलों को प्राथमिकता देते हुए, क्षेत्र-दर-क्षेत्र जल-निकासी की योजना बनानी चाहिए।
2. **जलाशय और जलभृत साथ-साथ विफल होते हैं, जिससे सामान्य विकल्प समाप्त हो जाता है** — सामान्य शुष्क वर्ष में, नहर का पानी खोने वाले किसान और शहर नलकूपों की ओर मुड़ते हैं, भूजल का दोहन बढ़ाते हुए। गुरुग्राम दिखाता है कि शहरी क्षेत्रों में यह विकल्प पहले से कमज़ोर है: इस कमी से भी पहले सात शहरी कुओं में से छह में जल-स्तर गिरा, खेड़ की दौला में 50.30 मीटर पर। जब सतही और भूमिगत भंडार साथ-साथ कम हों, तो सूखा कृषि से निकलकर पेयजल और शहरी आपूर्ति में पहुँच जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की सूखा घोषणाओं से राहत के साथ भूजल विनियमन भी शुरू होना चाहिए।
3. **गुरुग्राम की विडंबना शहरी डिज़ाइन की विफलता है, वर्षा की नहीं** — उच्च न्यायालय का कहना है कि शहर हर मानसून में इसलिए डूबता है कि तूफानी बहाव को जलभृतों की जगह नालों में भेजा जाता है, जबकि इमारतें निजी नलकूपों पर निर्भर हैं। 2008 से चल रहा मुकदमा आरोप लगाता है कि परियोजनाओं को मेल खाती जल आपूर्ति और जल-निकासी के बिना मंजूरी दी गई। पुनर्भरण कुएँ, पारगम्य सतहें, संरक्षित प्राकृतिक नाले और नलकूपों की मीटरिंग ज्ञात समाधान हैं। प्रतिपक्ष यह है कि निर्मित क्षेत्रों में जलभृत पुनर्भरण धीमा और संदूषण-प्रवण होता है, इसलिए वह पाइप से आने वाले सतही जल की जगह नहीं ले सकता; दोनों की ज़रूरत है।
4. **कमी वाला मौसम भी बाढ़ का मौसम हो सकता है, और योजना को दोनों विचार साथ रखने होंगे** — ओडिशा में जून में 47% की कमी के बाद 29% अधिक वर्षा हुई, कम से कम 60 स्थानों पर 24 घंटे में 100 मिमी से अधिक वर्षा हुई, और उत्तर प्रदेश में तीन दिनों में 66.5 मिमी वर्षा हुई जबकि सामान्य 7.6 मिमी है। द हिंदू ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन का हवाला देता है जिसके अनुसार एक-दिवसीय और पाँच-दिवसीय वर्षा के झोंके अधिक आम हो रहे हैं जबकि भारी वर्षा वाले दिन घट रहे हैं। इसका अर्थ है कि वही मानसून एक

	द्रोणी में जलाशयों को रिक्त छोड़ सकता है और दूसरी में शहरों को पानी में डुबो सकता है। औसत वर्षा के लिए बनी भंडारण और जल-निकासी की संरचनाएँ दोनों छोरों पर विफल होंगी, जो तीव्र झोंकों को बहा देने की बजाय पुनर्भरण और भंडारण में सहेजने का तर्क देता है। 5. एल नीनो कमी के एक भाग की व्याख्या करता है, प्रबंधन के विकल्पों की नहीं — एक्सप्रेस एल नीनो को एक कारक बताता है, और द हिंदू के अनुसार IMD ने आंशिक रूप से इसी कारण LPA के लगभग 90% का पूर्वानुमान दिया था कि एल नीनो की आशंका थी। किंतु पहले से किया गया पूर्वानुमान पहले से दी गई चेतावनी भी है, और सही प्रतिक्रिया फ़सल-योजनाओं, जलाशय-निकासी नियमों और शहरी आपूर्ति का शीघ्र समायोजन है। जिन राज्यों ने पूर्वानुमान को संरक्षण का संकेत माना, उनके पास आज उन राज्यों से अधिक पानी होगा जिन्होंने ऐसा नहीं किया। जलवायु परिवर्तनशीलता एक दी हुई बात है; हानि इस पर निर्भर है कि संस्थाएँ उस जानकारी पर कार्रवाई करती हैं या नहीं जो उनके पास पहले से है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत का जल-संकट जितना वर्षा का है, उतना ही भंडारण और प्रबंधन का भी।” 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के अंत में जलाशय भंडारण और तेज़ी से बढ़ते शहरों में भूजल की स्थिति के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — 24 सितंबर 2026 की CWC रिपोर्ट का उल्लेख कीजिए: 178 जलाशय क्षमता के 70% पर, जबकि दशकीय औसत 76.62% और पिछले वर्ष 79% था, अखिल भारतीय वर्षा 12% कम और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में सूखा घोषित। 2. मुख्य भाग: वर्षा का पक्ष — वार्षिक वर्षा में मानसून का हिस्सा, LPA-आधारित वर्गीकरण, एल नीनो की भूमिका तथा दक्षिणी क्षेत्र की 23% कमी और 50% भंडारण की व्याख्या कीजिए। अपर्याप्त मौसम के भीतर ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तीव्र वर्षा की विडंबना जोड़िए। 3. मुख्य भाग: प्रबंधन का पक्ष — गुरुग्राम का प्रयोग कीजिए: सात में से छह शहरी कुओं में गिरावट, सबसे गहरा 50.30 मीटर पर, हर मानसून में बाढ़ क्योंकि बहाव का पुनर्भरण नहीं होता, जल और जल-निकासी नेटवर्क के बिना मंजूरीयाँ। भूजल श्रेणियों, CGWA और राज्य नियामकों, तथा अटल भूजल योजना और कैच द रेन का उल्लेख कीजिए। 4. मुख्य भाग: आगे की राह — पेयजल को प्राथमिकता देने वाले क्षेत्रवार जलाशय-निकासी नियम, भूजल की मीटरिंग और विनियमन, शहरी नियोजन में अनिवार्य पुनर्भरण, प्राकृतिक नालों का संरक्षण, और मौसमी पूर्वानुमानों पर आधारित फ़सल-योजना परामर्श सुझाए। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष में कहिए कि वर्षा आपूर्ति तय करती है, पर भंडारण, पुनर्भरण और माँग-प्रबंधन तय करते हैं कि 12% की कमी परिवारों के लिए सूखा बनेगी या नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक दक्षिणी ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं जहाँ मुख्य जलाशय पिछले वर्ष के स्तर के आधे पर है। आपके पहले कदम क्या होंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं सिंचाई, पेयजल और कृषि अधिकारियों की बैठक बुलाकर अगले मानसून तक के लिए माह-दर-माह जल-बजट बनवाऊँगा, जिसमें पेयजल का पहला दावा होगा। मैं किसानों को बुवाई के निर्णय से पहले ही कम अवधि वाली या कम पानी माँगने वाली रबी फ़सलों की ओर जाने की सलाह दूँगा। टैंकर योजनाएँ, हैंड पंपों की मरम्मत और पेयजल स्रोतों की सुरक्षा अप्रैल में नहीं, अभी से शुरू होंगी। भंडारण और निकासी की साप्ताहिक सार्वजनिक रिपोर्टिंग अफ़वाहों और विवादों को घटाएगी। प्रश्न 2. गुरुग्राम जैसे शहर के आयुक्त के रूप में आप जलभराव और गिरते भूजल दोनों को कैसे संबोधित करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं प्राकृतिक जल-निकासी रेखाओं का मानचित्र बनवाऊँगा और उन पर अतिक्रमण हटवाऊँगा, तथा हर बड़ी इमारत और सार्वजनिक स्थल में पुनर्भरण संरचनाएँ अनिवार्य करूँगा, जिनकी निरीक्षण द्वारा जाँच होगी। तूफ़ानी जल के नाले केवल शहर से बाहर ले जाने की बजाय पुनर्भरण क्षेत्रों और तालाबों की ओर ले जाने के लिए डिज़ाइन किए जाएँगे। मैं निजी नलकूपों की मीटरिंग और राज्य जल नियामक के पास पंजीकरण के लिए ज़ोर दूँगा। नए भवनों की मंजूरी जल-आपूर्ति और जल-निकासी कनेक्शन के प्रदर्शित प्रमाण पर निर्भर होगी। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को केवल वर्षा के आधार पर सूखा घोषित करना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): नहीं। वर्षा एक संकेतक है, पर फ़सल की स्थिति, मृदा-नमी, जलाशय भंडारण और भूजल मिलकर दिखाते हैं कि लोग और फ़सलें वास्तव में संकट में हैं या नहीं। मामूली वर्षा पर भरे जलाशयों वाला क्षेत्र संभल सकता है, जबकि लगभग सामान्य वर्षा पर रिक्त जलभृतों वाला दूसरा क्षेत्र नहीं। कई संकेतकों का उपयोग घोषणाओं को अधिक सटीक और कम राजनीतिक बनाता है। इससे राहत को वहाँ पहुँचाने में भी मदद मिलती है जहाँ उसकी सचमुच

ज़रूरत है।

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

इस सप्ताह स्वास्थ्य मंत्रालय की जगह सोचने का काम अदालतों ने किया। सर्वोच्च न्यायालय ने खाद्य नियामक से कहा कि उसकी लेबलिंग की समय-सीमा बहुत धीमी है; मद्रास उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक संबंधी वह चेतावनी बनाए रखी जिसे नियामक हटवाना चाहता था; और केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि पेटेंट-प्राप्त कैंसर दवाओं की पहुँच से बाहर कीमतों का समाधान निकालना उसी का दायित्व है। गर्भनिरोध पर आया सर्वेक्षण-ऑकड़ा यही तस्वीर कहीं धीमे स्वर में दिखाता है: नीति ने बोझ वहीं छोड़ रखा है जहाँ वह हमेशा से था, यानी महिलाओं पर।

6.1 सर्वोच्च न्यायालय ने FSSAI की फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी की समय-सीमा टुकड़ाई; मद्रास उच्च न्यायालय ने माइक्रो/नैनो-प्लास्टिक की चेतावनी बरकरार रखी

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और चेन्नई। सोमवार, 28 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से चीनी, नमक और संतृप्त वसा की अधिकता वाले डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल की उसकी समय-सारणी पर सवाल किए और यह कहते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि वह स्वयं एक “उचित समय-सीमा” तय करेगा। यह 24 सितंबर के उस कार्ड की अगली कड़ी है जो FSSAI की लाल षट्भुज योजना पर था; नई बात यह है कि अदालत ने उसकी गति को अस्वीकार कर दिया है। फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग में पैकेट के अगले हिस्से पर पोषण का एक सरल संकेत छपा जाता है, ताकि उपभोक्ता को पीछे छुपी तालिका न पढ़नी पड़े। अदालत के 10 सितंबर के आदेश के जवाब में FSSAI ने अपने हलफनामे में कहा कि मसौदा विनियमों के लिए चार महीने का परामर्श और अंतिम रूप देना ज़रूरी है, अगले वर्ष 1 जुलाई तक मानदंड अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखा और उसके बाद खाद्य कारोबारियों को बदलाव के लिए 365 दिन दिए, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार। अखबार इसी प्रस्ताव को अलग-अलग ढंग से बताते हैं: द हिंदू इसे “लगभग दो वर्ष” की समय-सीमा कहता है, क्योंकि वह आज से संक्रमण-काल के अंत तक गिनता है, जबकि द इकोनॉमिक टाइम्स इस पर केंद्रित है कि FSSAI को “एक साल” क्यों चाहिए था, यानी अधिसूचना के बाद का संक्रमण-काल, और बताता है कि पीठ ने इस समय-सीमा को “अनुचित” कहा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पूछा: “एक साल तक स्वैच्छिक अनुपालन क्यों? ... आपने 2022 में शुरुआत की थी। पिछले चार वर्षों में आपने क्या किया?” अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ब्रिजेंद्र चाहर ने उत्तर दिया कि 2022 की कवायद इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग की थी, जो एक स्टार-रेटिंग प्रणाली है और चेतावनी लेबल से भिन्न पैमाना है। अदालत ने कहा कि उसके निर्देश बाध्यकारी होंगे और अनुपालन की निगरानी के लिए मामला लंबित रखा। याचिकाकर्ता 3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी ने, अधिवक्ता राजीव शंकर द्विवेदी के माध्यम से, जोड़ी गई चीनी और कुल चीनी के भेद पर आपत्ति की और तर्क दिया कि लेबलों को अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की परिभाषा तय होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने ET से कहा कि छह महीने से एक साल “उचित” है, पर पोषण संबंधी जानकारी “अभी” आगे लाई जानी चाहिए। अलग से, रेड बुल ने FSSAI के जुलाई के उस आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जो ‘एनर्जी ड्रिंक’ श्रेणी को मान्यता नहीं देता और कंपनियों को यह शब्द हटाने के लिए 90 दिन, यानी 30 सितंबर तक, का समय देता है; रेड बुल का कहना है कि उसे न कारण बताओ नोटिस मिला, न सुनवाई। चेन्नई में न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती की विशेष खंडपीठ ने FSSAI की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें 6 फ़रवरी 2026 के उस आदेश की समीक्षा मांगी गई थी, जिसके अनुसार प्लास्टिक पैक में बिकने वाले पानी, चीनी और नमक पर मोटे लाल अक्षरों में लिखना होगा: “इस पानी/चीनी/नमक में माइक्रो/नैनो प्लास्टिक हो सकता है।” FSSAI का तर्क था कि शोध अनिर्णायक है और चेतावनी से “जनता में घबराहट” फैल सकती है; अदालत ने कहा कि उसने उत्पादों को असुरक्षित नहीं पाया है, पर चाहती है कि उपभोक्ता स्वयं निर्णय करें। सर्वोच्च न्यायालय 18 मई को FSSAI की अपील खारिज कर चुका था। पाठ्यक्रम से संबंध: GS2 (स्वास्थ्य) तथा GS3 (खाद्य प्रसंस्करण और उपभोक्ता संरक्षण)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

चीनी, नमक और वसा से भरपूर डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत भारत में गैर-संचारी रोगों का बोझ बढ़ाती है → FSSAI 2022 में स्टार रेटिंग पर केंद्रित फ्रंट-ऑफ-पैक कवायद शुरू करता है, जो अटक जाती है → एक जनहित याचिका चेतावनी लेबल मांगती है और सर्वोच्च न्यायालय 10 सितंबर को प्रगति का आदेश देता है → FSSAI अगले वर्ष 1 जुलाई तक अधिसूचना और 365 दिन के संक्रमण-काल का प्रस्ताव रखता है → पीठ समय-सीमा को अनुचित बताती है और ऐसा आदेश सुरक्षित रखती है जो नियामक पर बाध्यकारी होगा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. FSSAI एक सांविधिक नियामक है, जिसकी लेबलिंग की शक्ति 2006 के अधिनियम से आती है — खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act) ने खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 सहित पहले के खाद्य कानूनों को समेकित किया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना की। अधिनियम की धारा 23 ऐसे डिब्बाबंद खाद्य की बिस्त्री को प्रतिबंधित करती है जिसके लेबल पर विनियमों द्वारा अपेक्षित जानकारी न हो, और प्राधिकरण ये विनियम केंद्र की पूर्व स्वीकृति से बनाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 अब यह निर्धारित करते हैं कि पैकेटों पर क्या छापना अनिवार्य है, जिसमें पोषण जानकारी की तालिका भी शामिल है। ये विनियम हैं, यानी प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation), इसलिए संसद में इनकी जाँच अधीनस्थ विधान संबंधी समितियाँ करती हैं।
2. चेतावनी लेबल और रेटिंग लेबल दो अलग-अलग दर्शन हैं — HFSS खाद्य पदार्थ वे हैं जिनमें वसा, नमक और चीनी अधिक होती है और जो मोटापे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग से जुड़े हैं। चेतावनी लेबल, जैसे चिली और कुछ अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में इस्तेमाल होने वाले काले अष्टभुज, केवल उसी पोषक तत्व को चिह्नित करता है जो सीमा पार कर जाए, और

उपभोक्ता को बताता है कि किससे बचना है। सारांश रेटिंग, जैसे इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग जिसका प्रस्ताव FSSAI ने 2022 में हेल्थ स्टार प्रणालियों की तर्ज पर रखा था, पूरे उत्पाद को एक अंक देती है, जिससे अधिक चीनी वाला उत्पाद भी अतिरिक्त रेशे या प्रोटीन के कारण ठीक-ठाक रेटिंग पा सकता है। जन-स्वास्थ्य समूह चेतावनियों को इसलिए पसंद करते हैं कि उनके साथ हेरफेर करना कठिन है; उद्योग सामान्यतः रेटिंग को तरजीह देता रहा है। FSSAI का लाल षट्भुज चेतावनी-शैली का डिज़ाइन है।

3. **स्वास्थ्य का अधिकार और पोषण संबंधी निदेशक तत्व अदालतों को आधार देते हैं** — सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। अनुच्छेद 47, जो एक निदेशक तत्व है, पोषाहार स्तर को ऊँचा उठाना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है। जो कुछ हम खाते हैं उसके बारे में जानने का अधिकार भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों का अंग माना जाता है। अदालतें इनके सहारे सतत परमादेश (continuing mandamus) के ज़रिए नियामकों पर नज़र रखती हैं, यानी मामला लंबित रखती हैं ताकि अनुपालन की रिपोर्ट आती रहे, जैसा कि यहाँ पीठ ने किया है।
4. **एहतियाती सिद्धांत मद्रास उच्च न्यायालय के प्लास्टिक संबंधी रुख को समझाता है** — वेल्लोर सिटीज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle) और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत भारतीय पर्यावरण कानून का हिस्सा हैं, और वैज्ञानिक निश्चितता का अभाव गंभीर क्षति के विरुद्ध उपायों को टालने का कारण नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, और नैनोप्लास्टिक उनसे कहीं छोटे, इतने छोटे कि जैविक अवरोधों को पार कर सकें; मानव स्वास्थ्य पर इनके दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन अभी जारी है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 प्लास्टिक पैकेजिंग और अपशिष्ट को विनियमित करते हैं, पर खाद्य पदार्थ में घुल जाने वाले कणों से नहीं निपटते। अनिश्चितता को ईमानदारी से बताने वाली चेतावनी एक हल्के-फुल्के एहतियाती उपाय के समान है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS2 (स्वास्थ्य) और GS3 (खाद्य प्रसंस्करण) दोनों में खाद्य विनियमन आता है** — मुख्य परीक्षा में भारत में खाद्य सुरक्षा विनियमन की चुनौतियों तथा गैर-संचारी रोगों के बढ़ने पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फ्रंट-ऑफ-पैक की बहस इसका साफ़ उदाहरण है कि नियामक, उद्योग और अदालत तीन अलग दिशाओं में खिंच रहे हैं, और लेबल की बहस उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े प्रश्नों में भी बैठती है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा में अधिनियम, निकाय और सिद्धांत परखे जाते हैं** — UPSC FSSAI के मूल मंत्रालय और पर्यावरण कानून के सिद्धांतों पर प्रश्न पूछ चुका है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, 2020 के लेबलिंग विनियम, एहतियाती सिद्धांत और माइक्रो तथा नैनोप्लास्टिक का अंतर सहज ही प्रश्न बन सकते हैं।
3. **शासन और नीतिशास्त्र के प्रश्नों में नियामकीय विलंब एक केस के रूप में आता है** — अदालत का प्रश्न, कि चार वर्षों में आपने क्या किया, नियामकीय अभिग्रहण (regulatory capture) की ओर संकेत करता है, यानी विनियमित उद्योग का नियामक पर प्रभाव। एनर्जी ड्रिंक का आदेश, जिसे सुनवाई न मिलने के आधार पर चुनौती दी गई है, दूसरा पहलू दिखाता है: जल्दबाज़ी में कार्रवाई करने वाले नियामक पर प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप लग सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत हुई है और जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 23 खाद्य की पैकेजिंग और लेबलिंग से संबंधित है।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 में अधिसूचित किए गए थे।
- HFSS खाद्य पदार्थ वे हैं जिनमें वसा, नमक और चीनी अधिक होती है।
- संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में माने।
- वेल्लोर सिटीज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत देश के कानून का हिस्सा हैं।
- माइक्रोप्लास्टिक को सामान्यतः 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. दोनों अखबारों की समय-सारणियाँ तथ्य में नहीं, प्रस्तुति में भिन्न हैं, और प्रस्तुति मायने रखती है — FSSAI ने नियम अंतिम करने के लिए लगभग चार महीने, अगले वर्ष 1 जुलाई तक अधिसूचना और 365 दिन के संक्रमण-काल का प्रस्ताव रखा। द इकोनॉमिक टाइम्स एक वर्ष के संक्रमण पर अदालत की आपत्ति बताता है; द हिंदू पूरे रास्ते को गिनकर इसे लगभग दो वर्ष कहता है। दोनों सही हैं, और साथ मिलकर दिखाते हैं कि अदालत अधीर क्यों थी: 2022 में शुरू हुई प्रक्रिया FSSAI की योजना पर उपभोक्ता तक केवल 2028 के मध्य में पहुँचती। विद्यार्थी के लिए सीख यह है कि समय-सीमा को अधिसूचना से नहीं, प्रक्रिया की शुरुआत से उस दिन तक गिनना चाहिए जब उपभोक्ता लेबल देखता है।
2. स्टार-रेटिंग का भटकाव चार खोए हुए वर्षों की व्याख्या करता है — अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का यह उत्तर कि 2022 की कवायद इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग की थी, एक बचाव है, पर साथ ही इस बात की स्वीकृति भी कि नियामक ने वर्षों उस डिज़ाइन पर लगाए जिसका जन-स्वास्थ्य निकाय विरोध कर रहे थे। रेटिंग प्रणाली अच्छे और बुरे पोषक तत्वों का औसत निकालती है, जबकि चेतावनी हानिकारक तत्व को अलग करके दिखाती है; लाल षट्भुज पर आने का अर्थ है कि पहले हुए परामर्श का उपयोग सीमित रह जाता है। नए सिरे से शुरू करने पर अदालत का संशय इसलिए समझ में आता है। प्रतिपक्ष यह है कि नई कानूनी व्यवस्था के लिए वास्तव में परामर्श की आवश्यकता होती है, और उसे छोड़ने पर विनियमन उद्योग की चुनौती के आगे कमज़ोर पड़ेगा, जैसा रेड बुल का मामला दिखाता है।
3. देवड़ा का बीच का रास्ता मेज़ पर रखे सुझावों में सबसे व्यावहारिक है — पीछे छपे मौजूदा पोषण-ऑकड़ों को तुरंत सामने लाने में लागत बहुत कम है, क्योंकि कंपनियों के पास ऑकड़े पहले से हैं, और उपभोक्ता को कुछ जानकारी अभी मिल जाती है। संक्रमण-काल के भीतर उचित चेतावनी डिज़ाइन बाद में आ सकता है। इससे प्रकटीकरण, जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता, और डिज़ाइन, जिसे परिष्कृत किया जा सकता है, अलग-अलग हो जाते हैं। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि चेतावनियों को अति-प्रसंस्कृत खाद्य की परिभाषा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, इसी तर्क पर चलता है: चीनी और नमक की सीमाओं पर आधारित लेबल को उस परिभाषा की आवश्यकता नहीं है।
4. प्लास्टिक की चेतावनी असहज इसलिए है कि उसमें 'हो सकता है' लिखा है — FSSAI का तर्क है कि हानि के प्रमाण के बिना दी गई चेतावनी घबराहट फैलाएगी, और जिस अध्ययन का सहारा लिया गया वह केवल अन्य शोध-पत्रों की समीक्षा थी। अदालत का उत्तर है कि उसने उत्पादों को असुरक्षित घोषित नहीं किया है; उसने केवल उपभोक्ताओं को बताया है कि यह प्रश्न मौजूद है। एहतियाती सिद्धांत ठीक यही अनुमति देता है: अनिश्चितता की स्थिति में ईमानदार प्रकटीकरण। जोखिम है चेतावनी-थकान का, क्योंकि यदि हर उत्पाद पर एक सुरक्षात्मक हिदायत हो तो उपभोक्ता सारी चेतावनियाँ अनदेखी कर देते हैं, उन्हें भी जो मायने रखती हैं। नियामक की बेहतर प्रतिक्रिया यह होगी कि FSSAI भारतीय डिब्बाबंद पानी, चीनी और नमक की जाँच में धन लगाए, ताकि लेबल जल्दी ही कुछ अधिक टोस, किसी भी दिशा में, कह सके।
5. एनर्जी ड्रिंक का आदेश दिखाता है कि प्रक्रिया के बिना गति भी विफलता है — FSSAI के जुलाई के आदेश में कहा गया है कि इस श्रेणी के कोई मानक नहीं हैं और 'तन-मन को स्फूर्ति देने' जैसे दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं, जो सारतः उचित है। परंतु रेड बुल की शिकायत कि उसे न कारण बताओ नोटिस मिला और न सुनवाई, ऑडी अल्टरम पार्टम (audi alteram partem) तक जाती है, यानी यह नियम कि किसी को बिना सुने दंडित नहीं किया जाना चाहिए। प्रभावित कंपनियों में से एक के वरिष्ठ अधिकारी ने ET को बताया कि FSSAI ने स्वयं 2024 में एनर्जी ड्रिंक की अनुमति दी थी। जो नियामक सबके लिए लेबल पर धीमा और एक श्रेणी पर अचानक कठोर हो, उस पर असंगति का आरोप लगता है, जिससे दोनों जगह उसका अधिकार कमज़ोर होता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

भारत में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल 2022 से विचाराधीन हैं। चर्चा कीजिए कि नियामकीय प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों रही और खाद्य विनियमन को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए, कौन-सा डिज़ाइन सबसे उपयुक्त होगा? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. प्रस्तावना — बताइए कि 28 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने FSSAI की समय-सीमा को, यानी अगले वर्ष 1 जुलाई तक अधिसूचना और उसके बाद 365 दिन का संक्रमण, अनुचित कहा और ऐसा आदेश सुरक्षित रखा जो नियामक पर बाध्यकारी होगा।
2. मुख्य भाग: प्रक्रिया धीमी क्यों रही — इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग (2022) से लाल षट्भुज चेतावनियों की ओर बदलाव, स्टॉक और आपूर्ति शृंखला को लेकर उद्योग की चिंताएँ, जोड़ी गई बनावत कुल चीनी की बहस और अति-प्रसंस्कृत खाद्य की लंबित परिभाषा की व्याख्या कीजिए।
3. मुख्य भाग: अदालतों की भूमिका — अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 47 और सतत परमादेश का प्रयोग कीजिए। मद्रास उच्च न्यायालय की माइक्रो/नैनो-प्लास्टिक चेतावनी और वेल्लोर सिटीज़न्स

(1996) का एहतिताती सिद्धांत जोड़िए। अदालतों द्वारा नीति गढ़ने के जोखिम और एनर्जी ड्रिंक मामले में प्राकृतिक न्याय के प्रश्न का उल्लेख कीजिए।

4. **मुख्य भाग: सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइन** — चीनी, नमक और संतृप्त वसा की सीमाओं पर आधारित पोषक-तत्व-विशिष्ट चेतावनी लेबल, श्री देवडा के सुझाव के अनुसार फ्रंट-ऑफ-पैक पर तत्काल प्रकटीकरण, विज्ञापन-सीमाओं द्वारा बच्चों की सुरक्षा और किसी भी संदूषक-चेतावनी के समर्थन में जाँच के पक्ष में तर्क दीजिए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष में कहिए कि स्पष्ट लेबल जन-स्वास्थ्य का कम लागत वाला उपकरण हैं, और जो नियामक अपनी समय-सीमाएँ स्वयं तय करके पूरी करता है उसे अदालतों से समय-सीमा तय करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद आप FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगले 30 दिनों में आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सीमाओं सहित चेतावनी-लेबल विनियम का मसौदा तुरंत प्रकाशित करूँगा, और मौजूदा परामर्शों को आधार बनाऊँगा, ताकि अदालत को वादे नहीं, प्रगति दिखे। साथ ही अंतरिम कदम के रूप में मौजूदा पोषण-जानकारी को पैक के अगले हिस्से पर दिखाना अनिवार्य करूँगा। स्टॉक के संक्रमण पर उद्योग से मिलूँगा, पर तारीख अटल रखूँगा। अदालत और जनता को मासिक सार्वजनिक अद्यतन देने से विश्वसनीयता फिर बनेगी।

प्रश्न 2. ज़िले के खाद्य सुरक्षा हेतु नामित अधिकारी के रूप में आप स्थानीय पैकेज्ड पेयजल इकाइयों पर माइक्रो/नैनो-प्लास्टिक की चेतावनी को कैसे संभालेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं ज़िले की सभी लाइसेंस-प्राप्त पैकेज्ड पेयजल इकाइयों को उच्च न्यायालय के आदेश और उसमें अपेक्षित सटीक शब्दावली तथा रंग की सूचना दूँगा। निरीक्षणों में अनुपालन जाँचूँगा, पहले सलाह से शुरू करके बार-बार उल्लंघन पर दंड की ओर बढ़ूँगा। जहाँ प्रयोगशाला-क्षमता हो, वहाँ जाँच के लिए नमूने भी एकत्र करूँगा, ताकि ज़िले के पास केवल चेतावनियाँ नहीं, आँकड़े भी हों। छोटी इकाइयों को तुरंत अभियोजन नहीं, समय और मार्गदर्शन दिया जाएगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या अदालतों द्वारा नियामकों के लिए समय-सीमा तय करना उचित है?

दृष्टिकोण (Approach): सामान्यतः विनियमन का डिज़ाइन कार्यपालिका का काम है, जिसके पास विशेषज्ञता है और जिसे हितधारकों से परामर्श करना होता है। किंतु जब कोई नियामक अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मामले में वर्षों तक विलंब करे, तो अदालत कारण पूछने और उचित समय तय करने की अधिकारी है। यहाँ अदालत समय-सीमा तय कर रही है, लेबल नहीं लिख रही, जो शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करता है। अधिक स्वस्थ परिणाम वह होगा जब नियामक अपनी समय-सीमाओं का स्वयं पालन करें और ऐसे आदेशों की आवश्यकता ही न पड़े।

6.2 केरल उच्च न्यायालय: अनुपलब्ध कीमत वाली कैंसर दवाओं के लिए केंद्र पेटेंट अधिनियम की धारा 100 का प्रयोग कर सकता है

समाचार (THE NEWS) कोच्चि और नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार, 28 सितंबर को कहा कि जब पेटेंट-प्राप्त दवाओं की कीमतें निषेधात्मक रूप से ऊँची हों तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, और केंद्र को निर्देश दिया कि वह पेटेंट-प्राप्त जीवन-रक्षक दवाओं की वहनीयता पर देशव्यापी आँकड़े जुटाए तथा आकलन करे कि क्या मौजूदा मूल्य नियंत्रण और सब्सिडी मरीज़ों की पहुँच सुनिश्चित कर रही है। मामला एबेमासिक्लिब और रिबोसिक्लिब का था, जो HR-पॉज़िटिव, HER2-नेगेटिव स्तन कैंसर में इस्तेमाल होने वाली दो पेटेंट-प्राप्त दवाएँ हैं; यह प्रकार भारत में स्तन कैंसर के लगभग 55-60% मामलों का हिस्सा है। एबेमासिक्लिब का पेटेंट अमेरिकी दवा-निर्माता एली लिली के पास है, और रिबोसिक्लिब की आपूर्ति स्विस् कंपनी नोवार्टिस करती है। अदालत ने माना कि जन-स्वास्थ्य की रक्षा सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है, और उस संकीर्ण व्याख्या को अस्वीकार कर दिया जो “सरकारी उपयोग” को सरकार की अपनी विभागीय या संस्थागत ज़रूरतों या राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित करती। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 100 सरकार को पेटेंट-धारक की सहमति के बिना सरकारी प्रयोजनों के लिए पेटेंट-प्राप्त आविष्कार बनाने या प्रयोग करने की अनुमति देती है; ET समझता है कि यह सरकार को पेटेंट-प्राप्त दवा का निर्माण करने और उसे गैर-वाणिज्यिक आधार पर आपूर्ति करने का अधिकार देती है। अधिवक्ता मैत्रेयी सच्चिदानंद हेगडे के अनुसार, यह निर्णय स्थापित करता है कि जब अत्यधिक कीमत के कारण पेटेंट-प्राप्त दवा तक पहुँच बाधित हो और सरकारी हस्तक्षेप ज़रूरी हो, तो धारा 100 का प्रयोग किया जा सकता है, और अत्यधिक लागत स्वयं एक आधार है। थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क की चेतली राव के अनुसार, अदालत ने दवा कंपनियों और सरकार के उस तर्क को भी अस्वीकार किया कि इसी वर्ग की पुरानी दवा पैल्बोसिक्लिब का जेनेरिक संस्करण, जो भारत में उपलब्ध है, मरीज़ों की ज़रूरत पूरी कर सकता है। किंतु अदालत ने निर्णय सरकार पर छोड़ा: केंद्र को पहले आँकड़े एकत्र करने होंगे, तय करना होगा कि कोई विशेष दवा वहनीय है या नहीं, और तब धारा 100 के अंतर्गत कार्रवाई करनी होगी। अदालत ने कोई समय-सीमा तय नहीं की। महिला अधिकार कार्यकर्ता और विधि-अध्येता आरती पी.एम. ने कहा कि इन दोनों दवाओं तक पहुँच न मिलने से “बड़ी संख्या में टाली जा सकने वाली मौतें” हुई हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय से तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया। वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सेस टू मेडिसिन्स एंड ट्रीटमेंट्स के के.एम.

गोपकुमार ने चेताया कि धारा 100 को नीतिगत विवेक पर छोड़ देने से मरीज़ कार्यपालिका की कार्रवाई पर निर्भर रहते हैं। पहुँच की यह समस्या दुर्लभ रोगों तक फैली है। द हिंदू में टाटा इंस्टिट्यूट फ़ॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के वैज्ञानिक लिखते हैं कि भारत में 1,004 दुर्लभ आनुवंशिक विकार दर्ज हुए हैं, केवल लगभग 5% दुर्लभ रोगों की दवाएँ मौजूद हैं, और प्रति रोगी ₹50 लाख तक की सरकारी सहायता अक्सर एक वर्ष के लिए भी अपर्याप्त होती है; सरकारी क्राउडफंडिंग मंच पर लगभग 4,000 बच्चे सूचीबद्ध हैं, जिनके इलाज की संचयी वार्षिक लागत ₹9,000 करोड़ से अधिक है। पाठ्यक्रम से संबंध: GS2 (स्वास्थ्य) तथा GS3 (बौद्धिक संपदा अधिकार)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पेटेंट-प्राप्त लक्षित कैंसर दवाएँ भारत में ऐसी कीमतों पर आती हैं जो अधिकांश मरीज़ों की पहुँच से बाहर हैं → जेनेरिक विकल्प केवल पुरानी दवा पैल्बोसिक्लिब का है → मरीज़ और कार्यकर्ता केरल उच्च न्यायालय पहुँचते हैं → अदालत धारा 100 के अंतर्गत “सरकारी उपयोग” की व्यापक व्याख्या करके उसमें अवहनीयता को शामिल करती है और देशव्यापी आँकड़े जुटाने का आदेश देती है → धारा 100 के प्रयोग का निर्णय अब बिना किसी समय-सीमा के केंद्र के पास है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. पेटेंट अधिनियम राज्य को पेटेंट में प्रवेश के कई दरवाज़े देता है, हर एक की अलग चाबी है — पेटेंट अधिनियम, 1970 (Patents Act) की धारा 84 किसी भी व्यक्ति को पेटेंट प्रदान होने के तीन वर्ष बाद नियंत्रक से अनिवार्य लाइसेंस माँगने की अनुमति देती है, इन आधारों पर कि जनता की उचित आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो रही, आविष्कार उचित रूप से वहनीय कीमत पर उपलब्ध नहीं है, या भारत में उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा। धारा 92 राष्ट्रीय आपातकाल, अत्यधिक तात्कालिकता या लोक गैर-वाणिज्यिक उपयोग की परिस्थितियों में केंद्र की अधिसूचना पर अनिवार्य लाइसेंस की अनुमति देती है। धाराएँ 99 से 103 सरकारी प्रयोजनों के लिए आविष्कारों के उपयोग से संबंधित हैं; धारा 100 केंद्र या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सरकारी प्रयोजनों के लिए पेटेंट-प्राप्त आविष्कार का उपयोग करने देती है, और धारा 102 सरकार को पेटेंट पूरी तरह अर्जित करने की अनुमति देती है। इन मार्गों में सरकारी उपयोग सबसे कम प्रयुक्त है।
2. भारत का पहला अनिवार्य लाइसेंस और एवरगीनिंग पर रोक वैश्विक संदर्भ-बिंदु हैं — 2012 में पेटेंट नियंत्रक ने नैटको फ़ार्मा को बेयर की गुर्दे और यकृत कैंसर की दवा सोराफ़ेनिब टोसिलेट (नेक्सावर) के लिए भारत का पहला अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया, मुख्यतः इस आधार पर कि दवा उचित रूप से वहनीय कीमत पर उपलब्ध नहीं थी; अपील में इस निर्णय को बरकरार रखा गया। अधिनियम की धारा 3(d) ज्ञात पदार्थों के नए रूपों पर पेटेंट को रोकती है, जब तक कि वे बड़ी हुई प्रभावकारिता न दिखाएँ। नोवार्टिस AG बनाम भारत संघ (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 3(d) के अंतर्गत इमेटिनिब मेसिलेट (ग्लिवेक) के बीटा-क्रिस्टलीय रूप के पेटेंट की अस्वीकृति को बरकरार रखा। इन सबने मिलकर भारत को जन-स्वास्थ्य के लिए पेटेंट कानून की लचीली व्यवस्थाओं के प्रयोग का अग्रणी उदाहरण बना दिया है।
3. TRIPS सरकारी उपयोग की अनुमति देता है, और दोहा घोषणा इसकी पुष्टि करती है — विश्व व्यापार संगठन का बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता (TRIPS) सदस्यों से 20 वर्ष के उत्पाद पेटेंट देने की अपेक्षा करता है, पर अनुच्छेद 31 में पेटेंट-धारक की अनुमति के बिना पेटेंट के उपयोग की छूट देता है, सरकार द्वारा भी, कुछ शर्तों के साथ, जैसे पेटेंट-धारक को पर्याप्त पारिश्रमिक। लोक गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए पेटेंट-धारक से पूर्व वार्ता आवश्यक नहीं है। TRIPS समझौते और जन-स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा (2001) ने पुष्टि की कि TRIPS की व्याख्या जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए की जानी चाहिए और प्रत्येक सदस्य अनिवार्य लाइसेंस के आधार स्वयं तय कर सकता है। धारा 100 इसी लचीलेपन का भारत में क्रियान्वयन है।
4. भारत में मूल्य नियंत्रण अधिकांशतः पेटेंट-प्राप्त दवाओं को छोड़ देता है — 1997 में स्थापित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अधिकतम कीमतें तय और लागू करता है। अधिकतम कीमतें राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची की दवाओं पर लागू होती हैं, और नई पेटेंट-प्राप्त दवाएँ सामान्यतः उसमें नहीं होतीं। दुर्लभ रोगों की राष्ट्रीय नीति, 2021 उपचार के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिसे द हिंदू का लेख प्रति रोगी ₹50 लाख तक बताता है, और उत्कृष्टता केंद्र निर्दिष्ट करती है। इसलिए पेटेंट-प्राप्त कैंसर दवा के लिए व्यावहारिक उपाय वार्ता, थोक खरीद, अनिवार्य लाइसेंसिंग या सरकारी उपयोग हैं।
1. GS3 में बौद्धिक संपदा अधिकार और GS2 में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच पर प्रश्न आते हैं — मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में भारत की पेटेंट व्यवस्था, धारा 3(d), अनिवार्य लाइसेंसिंग तथा बौद्धिक संपदा अधिकार और वहनीय दवाओं के बीच के तनाव पर पूछा जा चुका है। यह निर्णय एक नया तत्व जोड़ता है, अर्थात् अदालत द्वारा सरकारी उपयोग की व्यापक व्याख्या, जिसका प्रयोग TRIPS की लचीली व्यवस्थाओं पर उत्तरों में किया जा सकता है।
2. प्रारंभिक परीक्षा में प्रावधान और अंतरराष्ट्रीय पाठ परखे जाते हैं — UPSC TRIPS, पेटेंट अधिनियम और विश्व व्यापार संगठन पर प्रश्न पूछ चुका है। धाराएँ 3(d), 84, 92 और 100, दोहा घोषणा और NPPA की भूमिका उपयुक्त लक्ष्य हैं, वैसे ही अनिवार्य लाइसेंस और सरकारी

उपयोग का अंतर भी।

3. नीतिशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रश्न इसे उत्तर-दक्षिण के रूप में रखते हैं — नवाचार को पुरस्कृत करने और पहुँच सुनिश्चित करने के बीच संतुलन नीतिशास्त्र की एक मानक दुविधा है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत द्वारा TRIPS की लचीली व्यवस्थाओं का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ घर्षण का बिंदु रहा है, और दुर्लभ रोगों के लाभ-साझाकरण का प्रस्ताव WHO महामारी समझौते की बहस से जुड़ता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 100 केंद्र सरकार को पेटेंट-धारक की सहमति के बिना सरकारी प्रयोजनों के लिए पेटेंट-प्राप्त आविष्कार का उपयोग करने का अधिकार देती है।
- पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 84 के अंतर्गत पेटेंट प्रदान होने के तीन वर्ष बाद अनिवार्य लाइसेंस मांगा जा सकता है, इस आधार पर भी कि पेटेंट-प्राप्त आविष्कार जनता को उचित रूप से वहनीय कीमत पर उपलब्ध नहीं है।
- भारत का पहला अनिवार्य लाइसेंस 2012 में नैटको फार्मा को बेयर की कैंसर दवा सोराफेनिब टोसिलेट के लिए दिया गया था।
- पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d) ज्ञात पदार्थों के उन नए रूपों पर पेटेंट को रोकती है जिनमें प्रभावकारिता नहीं बढ़ती; सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में नोवाटिस (ग्लिवेक) मामले में इसे लागू किया।
- TRIPS समझौते का अनुच्छेद 31 अधिकार-धारक की अनुमति के बिना पेटेंट के उपयोग की, सरकार द्वारा उपयोग सहित, अनुमति देता है, बशर्ते पर्याप्त पारिश्रमिक जैसी शर्तें पूरी हों।
- TRIPS समझौते और जन-स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा 2001 में अपनाई गई थी।
- औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किया गया है और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. निर्णय का वास्तविक योगदान व्याख्यात्मक है, क्रियान्वयन संबंधी नहीं —** अदालत ने सरकार को धारा 100 का प्रयोग करने का आदेश नहीं दिया; उसने वह तर्क हटा दिया कि सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती। सरकारी उपयोग को विभागीय जरूरतों या राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित करने वाली संकीर्ण व्याख्या को नकारकर उसने अवहनीयता को वैध आधार बना दिया है। इससे पेटेंट-धारकों के साथ सरकार की वार्ता की स्थिति तुरंत बदल जाती है, क्योंकि सरकारी उपयोग की विश्वसनीय धमकी अक्सर उसे लागू किए बिना ही कीमतें घटा देती है। किंतु जब तक केंद्र कार्रवाई नहीं करता, किसी मरीज़ को सस्ती गोली नहीं मिलती, और इसी कारण समय-सीमा का अभाव इस निर्णय का सबसे कमज़ोर बिंदु है।
- 2. पैल्बोसिक्लिब को विकल्प के रूप में अस्वीकार करना निर्णय चिकित्सकों के हाथ में देता है, लेखाकारों के नहीं —** कंपनियों और सरकार ने तर्क दिया कि उसी वर्ग की सस्ती जेनेरिक दवा ज़रूरत पूरी कर देती है। अदालत के इसे न मानने का अर्थ है कि मरीज़ को कौन-सी दवा चाहिए, इस पर चिकित्सकीय निर्णय को केवल इसलिए नहीं बदला जा सकता कि कोई सस्ती सहोदर दवा मौजूद है। प्रतिपक्ष यह है कि सभी जगह स्वास्थ्य प्रणालियाँ बजट संभालने के लिए ऐसे प्रतिस्थापन का उपयोग करती हैं, और इन दवाओं के परिणामों के अंतर पर चिकित्सा-साहित्य में बहस है। ईमानदार मध्यमार्ग स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन है, जो लाभ और लागत की खुली तुलना करता है, और भारत की प्रक्रिया इसे औपचारिक रूप दे सकती है।
- 3. सरकारी उपयोग अनिवार्य लाइसेंस से अधिक शांत और संभवतः अधिक सशक्त उपकरण है —** धारा 84 के लाइसेंस के लिए एक निजी आवेदक, तीन वर्ष की प्रतीक्षा और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया चाहिए, जिसे पेटेंट-धारक हर चरण पर चुनौती दे सकता है। सरकारी उपयोग का प्रयोग राज्य स्वयं गैर-वाणिज्यिक आपूर्ति के लिए करता है, जैसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से, और TRIPS लोक गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए पूर्व वार्ता की अपेक्षा नहीं करता। इसीलिए यह सरकारी कार्यक्रमों से दी जाने वाली कैंसर दवाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है। जोखिम कूटनीतिक है: व्यापारिक साझेदार और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ऐसे कदमों को निवेश-माहौल का संकेत मानती हैं, और पहले अनिवार्य लाइसेंसिंग के बाद भारत पर दबाव आ चुका है। पेटेंट-धारक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक ज़ब्त के आरोप का उत्तर है।
- 4. आँकड़े जुटाना सही पहला कदम है, पर विलंब का बहाना भी बन सकता है —** अदालत ने वहनीयता के देशव्यापी आँकड़े मांगे, जो समझदारी है, क्योंकि सरकारी उपयोग का निर्णय कीमतों, आय और उपचार-अंतराल के प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। किंतु द हिंदू में दुर्लभ रोगों के प्रमाण दिखाते हैं कि मरीज़ों को कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है: क्राउडफ़ंडिंग मंच पर लगभग 4,000 बच्चे, जबकि ₹50 लाख की सीमा अनेक के लिए एक वर्ष में ख़त्म हो जाती है।

	समय-सीमा के बिना आँकड़ों की कवायद उन मरीजों से अधिक लंबी चल सकती है जिनकी सहायता के लिए वह है। संसद को रिपोर्ट की जाने वाली समयबद्ध समीक्षा अदालत के संयम का सम्मान करती और मरीजों की रक्षा भी करती। 5. पहुँच के लिए कानून और औद्योगिक नीति दोनों चाहिए — धारा 100 किसी मौजूदा दवा को सस्ता बना सकती है, पर उन लगभग 95% दुर्लभ रोगों के लिए दवाएँ नहीं बना सकती जिनकी कोई दवा है ही नहीं। द हिंदू के लेखक अमेरिका के ऑफ़न ड्रग एक्ट (1983) की तर्ज पर प्रोत्साहन, PLI-शैली का समर्थन, उत्कृष्टता केंद्रों और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से अग्रिम बाज़ार प्रतिबद्धताएँ, और लाभ-साझाकरण के ज़रिए वैश्विक दक्षिण के लिए कीमतों में भारत की आवाज़ का सुझाव देते हैं। लेख के अनुसार अमेरिका में 47% जेनेरिक नुस्खों के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की ताकत इसका आधार है। इसलिए पेटेंट की लचीली व्यवस्थाएँ और नवाचार के प्रोत्साहन एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“पेटेंट अधिनियम, 1970 में वहनीय दवाएँ सुनिश्चित करने के पर्याप्त लचीलेपन मौजूद हैं, परंतु उनका प्रयोग विरले ही होता है।” धारा 100 पर केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और भारत के TRIPS दायित्वों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — HR-पॉज़िटिव, HER2-नेगेटिव स्तन कैंसर के लिए एबेमासिक्लिब और रिबोसिक्लिब से जुड़े मामले में केरल उच्च न्यायालय के 28 सितंबर 2026 के निर्णय का उल्लेख कीजिए कि अत्यधिक कीमत धारा 100 के अंतर्गत सरकारी उपयोग का आधार है। 2. मुख्य भाग: लचीली व्यवस्थाएँ — धाराओं 3(d), 84, 92 और 100 की व्याख्या नैटको बनाम बेयर (2012) और नोवार्टिस (2013) के साथ कीजिए, तथा TRIPS के अनुच्छेद 31 को दोहा घोषणा (2001) के साथ समझाइए। 3. मुख्य भाग: प्रयोग विरले क्यों होता है — व्यापार और निवेश के दबाव, लंबी प्रक्रियाओं, वहनीयता पर कमज़ोर आँकड़ों, DPCO के माध्यम से मूल्य नियंत्रण पर निर्भरता जो पेटेंट-प्राप्त दवाओं तक नहीं पहुँचता, और कार्यपालिका की हिचक की चर्चा कीजिए, जो इस मामले में समय-सीमा के अभाव में दिखती है। 4. मुख्य भाग: आगे की राह — समयबद्ध वहनीयता आकलन, पारदर्शी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन, सामूहिक सार्वजनिक खरीद, उचित पारिश्रमिक के साथ सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आपूर्ति के लिए धारा 100 का प्रयोग, और दुर्लभ रोगों के लिए ऑफ़न-ड्रग प्रोत्साहन सुझाइए। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष में कहिए कि कानून पर्याप्त है और अब न्यायिक रूप से स्पष्ट भी; जो कमी है वह उसे पूर्वानुमेय, नियम-आधारित ढंग से प्रयोग करने की प्रशासनिक इच्छाशक्ति की है, जो नवाचारकर्ताओं को आश्वस्त करे और मरीजों की रक्षा भी।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और आपको अदालत द्वारा आदेशित वहनीयता आकलन का ज़िम्मा मिला है। आप उसे कैसे डिज़ाइन करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं वहनीयता को घरेलू आय और उपचार के पूरे कोर्स की लागत के सापेक्ष परिभाषित करूँगा, एक पट्टी की कीमत के नहीं। आँकड़े सरकारी अस्पतालों, बीमा दावों, कैंसर रजिस्ट्रियों और कीमतों तथा मात्रा के लिए औषधि विभाग से लिए जाएंगे। मैं एक निश्चित अवधि तय करूँगा, मान लीजिए छह महीने, और पद्धति पहले से प्रकाशित करूँगा ताकि कंपनियाँ और रोगी समूह टिप्पणी कर सकें। रिपोर्ट हर दवा के लिए विशिष्ट कार्रवाई सुझाएगी: वार्ता, खरीद या धारा 100। प्रश्न 2. आप किसी राज्य कैंसर संस्थान के प्रमुख हैं और मरीज़ इन दोनों दवाओं का खर्च नहीं उठा सकते। केंद्र के कार्रवाई करने से पहले आप क्या कर सकते हैं? दृष्टिकोण (Approach): मैं पात्र मरीजों के लिए दवाओं का खर्च राज्य के स्वास्थ्य कोषों और बीमा योजनाओं से उठवाऊँगा और कंपनियों से रोगी-सहायता कार्यक्रमों तथा थोक-खरीद छूट के लिए संपर्क करूँगा। राष्ट्रीय आकलन में योगदान के लिए परिणामों और लागतों का दस्तावेज़ीकरण करूँगा। जहाँ चिकित्सकीय रूप से उचित हो, वहाँ यह सुनिश्चित करूँगा कि मरीजों को कम से कम उपलब्ध जेनेरिक विकल्प मिलें, इलाज बिल्कुल न मिलने से बेहतर। मैं मरीजों को झूठी उम्मीदें जगाए बिना कानूनी स्थिति की जानकारी भी दूँगा। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या धारा 100 का प्रयोग औषधीय नवाचार को हतोत्साहित करता है? दृष्टिकोण (Approach): यदि मनमाने ढंग से प्रयोग हो तो कर सकता है, क्योंकि कंपनियाँ वहीं निवेश करती हैं जहाँ उन्हें शोध-लागत वापस मिलने की आशा हो। परंतु TRIPS स्वयं पर्याप्त पारिश्रमिक के साथ सरकारी उपयोग का प्रावधान करता है, और लोक गैर-वाणिज्यिक आपूर्ति के

लिए उसका स्पष्ट, नियम-आधारित प्रयोग नवाचारकर्ता को प्रतिफल से वंचित नहीं करता। नवाचार के अधिकांश प्रोत्साहन धनी बाज़ारों से आते हैं, जबकि भारत में मरीज़ आज केवल कीमत के कारण बाहर रह जाते हैं। पूर्वानुमेयता, यानी स्पष्ट मानदंड और उचित मुआवज़ा, दोनों चिंताओं में संतुलन की कुंजी है।

6.3 NFHS-6: WHO द्वारा पुरुष-विधियों के मानक तय किए जाने के बीच भी गर्भनिरोध का बोझ लगभग पूरी तरह महिलाओं पर

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू में बिंदु शाजन पेरप्पादन और निकिता फ्रांसिस के 'डेटा पॉइंट' विश्लेषण के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गर्भनिरोध के विकल्प बढ़ाने पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं और पहली बार उल्टे जा सकने वाले पुरुष गर्भनिरोधकों की नई पीढ़ी के लिए मानक भी तय किए हैं। चार्ट के एक नोट के अनुसार, WHO ने पुरुष-विधियों के लिए अपना पहला "लक्षित उत्पाद प्रोफाइल" (Target Product Profile) तैयार किया है, जिसमें उनकी सुरक्षा, प्रभावशीलता, स्वीकार्यता और वहीनीयता के वे स्तर बताए गए हैं जिन्हें उन्हें हासिल करना चाहिए। WHO के यौन, प्रजनन, मातृ, शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य तथा वृद्धावस्था विभाग की निदेशक पास्काल अलोटे ने कहा, "विकल्प लैंगिक समानता का प्रश्न है।" WHO ने कहा कि उसके अपने शोध ने इस धारणा को चुनौती दी है कि पुरुष नए गर्भनिरोधकों का उपयोग नहीं करेंगे। भारत के लिए यह समय इसलिए मायने रखता है कि यहाँ प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ चुकी है। अखबार का चार्ट, जो नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) के आँकड़ों पर आधारित है, बताता है कि भारत ने 2021 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate, TFR) 2.0 का लक्ष्य पा लिया था और 2025 में TFR घटकर 1.9 रह गई। TFR वह औसत संख्या है जितने बच्चों को एक महिला अपने जीवनकाल में वर्तमान दरों पर जन्म देगी। 2023-24 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) में विवाहित महिलाओं में परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता NFHS-5 (2019-21) की तुलना में एक प्रतिशत अंक घटी है। 15-49 वर्ष की वर्तमान में विवाहित महिलाओं में किसी भी विधि का उपयोग करने वालों का हिस्सा 66.7% से बढ़कर 69.1% हो गया, पर आधुनिक विधियाँ 56.4% से घटकर 52.7% रह गईं, जबकि पारंपरिक विधियाँ, मुख्यतः लय (ऋतु-चक्र) या प्रजनन-जागरूकता तथा अंतर्विच्छेद, चार्ट के अनुसार छह प्रतिशत अंक बढ़कर 10.3% से 16.4% हो गईं, जो दोनों सर्वेक्षणों के बीच किसी भी विधि में सबसे बड़ा परिवर्तन है। सर्वेक्षण इसका कारण स्थापित नहीं करता; लेखकों का सुझाव है कि दुष्प्रभावों की चिंता, सुविधा, निजता, साथी की पसंद, पहुँच और हार्मोनल या शल्य-आधारित विधियों से बचने की इच्छा इसके पीछे हो सकती है। महिला नसबंदी मामूली रूप से 37.9% से घटकर 36.5% हुई, जबकि पुरुष नसबंदी 0.3% से बढ़कर 0.5% रही। तीन दशकों में महिला नसबंदी NFHS-1 और NFHS-3 के बीच तेज़ी से बढ़ी और तब से लगभग 36-38% पर टिकी है; पुरुष नसबंदी NFHS-1 में 3.4% थी और घटकर 0.5% रह गई, हालाँकि चार्ट NFHS-1 का आँकड़ा 3.5% दर्शाता है। दोनों सर्वेक्षणों के बीच 22 राज्यों में पुरुष नसबंदी बढ़ी, पर केवल तेलंगाना में, 2% से 3.6% तक, एक प्रतिशत अंक से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि प्रारंभ में कम प्रजनन दर वाले राज्यों से बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा हो सकती थी। लेखक ध्यान दिलाते हैं कि पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी से कम शल्य-आधारित है और स्थानीय निश्चेतना में की जा सकती है, और निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे-जैसे भारत प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर पर पहुँचा, वैसे-वैसे नसबंदी परिवार नियोजन का एक दृश्यमान घटक न रहकर हाशिये का घटक बन गई। वे आग्रह करते हैं कि भारत लैंगिक असंतुलन को सुधारने के लिए WHO के दिशानिर्देशों का उपयोग करे। पाठ्यक्रम से संबंध: GS1 में जनसंख्या और महिलाओं के मुद्दे तथा GS2 में स्वास्थ्य।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करता है और दशकों तक नसबंदी पर निर्भर रहता है → आपातकाल में बलपूर्वक नसबंदी अभियान पुरुष नसबंदी को राजनीतिक रूप से विषाक्त बना देते हैं → काहिरा 1994 के बाद नीति महिला-केंद्रित, लक्ष्य-मुक्त सेवाओं की ओर मुड़ती है → प्रजनन दर प्रतिस्थापन से नीचे आती है, पर NFHS-6 में पुरुषों की 0.5% के मुकाबले महिलाओं में नसबंदी 36.5% है → WHO उल्टी जा सकने वाली पुरुष-विधियों के मानक तय करता है, जिससे साझा ज़िम्मेदारी का प्रश्न फिर खुलता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. NFHS जनसंख्या और स्वास्थ्य पर भारत का प्रमुख गृह-सर्वेक्षण है — राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई नोडल एजेंसी है। यह एक विशाल, प्रतिनिधि सर्वेक्षण है जो प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण आदि पर राज्य और ज़िला स्तर के अनुमान देता है। पहला चरण 1992-93 में हुआ था और पाँचवाँ 2019-21 को समेटता है। परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता उन महिलाओं को दर्शाती है जो बच्चे पैदा करना रोकना या टालना चाहती हैं पर किसी भी विधि का उपयोग नहीं कर रही।
2. भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम वाला विश्व का पहला देश था — भारत ने 1952 में अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, जो विश्व में पहला था। 1970 के दशक में कार्यक्रम लक्ष्य-प्रधान हो गया, और आपातकाल (1975-77) की जबर्न नसबंदियों, जिनके निशाने पर मुख्यतः पुरुष थे, ने पुरुष नसबंदी के प्रति स्थायी प्रतिक्रिया-भाव पैदा कर दिया। 1994 में काहिरा में हुए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन के बाद, जिसने वैश्विक नीति को जनांकिकीय लक्ष्यों से हटाकर प्रजनन अधिकारों और विकल्प पर केंद्रित किया, भारत ने विधि-विशिष्ट लक्ष्य छोड़ दिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 ने प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर तक पहुँचने और गर्भनिरोध की अपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने का उद्देश्य रखा।
3. प्रतिस्थापन प्रजनन दर और विधियों का मिश्रण इन आँकड़ों को समझाते हैं — प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की TFR है, वह स्तर जिस पर प्रवासन को

	छोड़कर कोई जनसंख्या दीर्घकाल में स्वयं को प्रतिस्थापित करती है। आधुनिक विधियों में नसबंदी, अंतर्गर्भाशयी उपकरण (IUD), मौखिक गोलियाँ, इंजेक्शन और कंडोम शामिल हैं; लय तथा अंतर्विच्छेद जैसी पारंपरिक विधियों में विफलता की दर कहीं अधिक होती है। ट्यूबेक्टॉमी, यानी महिला नसबंदी, में उदर में प्रवेश करना पड़ता है, जबकि पुरुष नसबंदी, विशेषकर बिना चीरे वाली तकनीक, स्थानीय निश्चेतना में की जाने वाली छोटी प्रक्रिया है जिसमें स्वास्थ्य-लाभ जल्दी होता है। पुरुषों के लिए वर्तमान उलटे जा सकने वाले विकल्प मूलतः कंडोम तक सीमित हैं, इसीलिए नई पुरुष-विधियों पर WHO का मानक महत्वपूर्ण है। 4. सरकारी योजनाएँ विकल्प बढ़ाती हैं, और भारत ने पुरुष इंजेक्शन पर शोध किया है — मिशन परिवार विकास 2016 में अधिक प्रजनन दर वाले जिलों में गर्भनिरोधकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। सार्वजनिक प्रणाली में विधियों की टोकरी बढ़ाकर उसमें अंतरा नाम से इंजेक्शन-योग्य गर्भनिरोधक और छाया नाम की गैर-हार्मोनल साप्ताहिक गोली को शामिल किया गया है। RISUG (रिवर्सिबल इन्डविशन ऑफ़ स्पर्म अंडर गाइडेंस) भारत में विकसित पुरुषों का इंजेक्शन-योग्य गर्भनिरोधक है, जिसका परीक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा समर्थित परीक्षणों में हुआ। सतत विकास लक्ष्यों में लक्ष्य 3.7 के अंतर्गत परिवार नियोजन सहित यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच शामिल है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS1 में जनसंख्या और महिलाओं के मुद्दे आते हैं; GS2 में स्वास्थ्य — मुख्य परीक्षा में भारत के जनांकिकीय संक्रमण, जनांकिकीय लाभांश और सामाजिक नीति के लैंगिक स्वरूप पर पूछा गया है। नसबंदी का अंतर, महिलाओं में 36.5% बनाम पुरुषों में 0.5%, स्वास्थ्य नीति में पितृसत्ता पर उत्तरों के लिए संक्षिप्त और सटीक आँकड़ा है। 2. प्रारंभिक परीक्षा में जनांकिकी की संस्थाओं और परिभाषाओं की परख होती है — UPSC ने TFR, प्रतिस्थापन स्तर और NFHS के संचालन पर पूछा है। ICPD 1994, 1952 का कार्यक्रम, नोडल एजेंसी के रूप में IIPS और अपूर्ण आवश्यकता का अर्थ, सभी उचित लक्ष्य हैं। 3. निबंध और नीतिशास्त्र में परिवार नियोजन के सहारे सहमति और बलप्रयोग की चर्चा होती है — आपातकाल के नसबंदी अभियान और बाद में नसबंदी शिविरों में हुई मौतों इस बात के प्रमुख उदाहरण हैं कि लक्ष्य किस तरह सहमति को दबा सकते हैं। पारंपरिक विधियों में वृद्धि और विकल्प पर WHO का जोर अधिकार-आधारित नीति के बारे में आधुनिक प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कराया जाता है, जिसकी नोडल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई है। ● भारत ने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, और ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश था। ● 1994 में काहिरा में हुए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन ने जनसंख्या नीति को जनांकिकीय लक्ष्यों से हटाकर प्रजनन अधिकारों और विकल्प की ओर मोड़ा। ● प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर के अनुरूप होती है। ● परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता उन महिलाओं को दर्शाती है जो बच्चे पैदा करना रोकना या टालना चाहती हैं पर गर्भनिरोध की किसी भी विधि का उपयोग नहीं कर रहीं। ● बिना चीरे वाली पुरुष नसबंदी (No-scalpel vasectomy) पुरुष नसबंदी की वह विधि है जो स्थानीय निश्चेतना में की जा सकती है। ● सतत विकास लक्ष्य 3.7 परिवार नियोजन सहित यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच का आह्वान करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. घटती TFR ने एक अधूरे लैंगिक एजेंडे को ढक दिया है — भारत के परिवार नियोजन की सफलता को प्रायः प्रजनन दर से मापा जाता है, और इस पैमाने पर वह सफल रहा है, चार्ट के अनुसार TFR 1.9 है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनाई गई विधि भारी मात्रा में महिला नसबंदी रही है, 36.5%, जबकि पुरुषों में 0.5%। जो नीति महिलाओं के शरीर पर शल्य-क्रिया से अपना जनांकिकीय लक्ष्य पूरा करती है, वह अपनी शर्तों पर सफल हुई है और काहिरा 1994 की शर्तों पर विफल। अब जब आँकड़े तात्कालिकता की माँग नहीं करते, तब राज्य के पास लक्ष्यों के बजाय समता को साधने की गुंजाइश है। 2. पारंपरिक विधियों में वृद्धि चेतावनी है, विकल्प की विजय नहीं — पारंपरिक विधियाँ छह प्रतिशत अंक बढ़ीं, जबकि आधुनिक विधियाँ 56.4% से घटकर 52.7% रह गईं। लय और अंतर्विच्छेद में विफलता की दर कहीं अधिक होती है, इसलिए कुल उपयोग के 69.1% तक बढ़ने के बावजूद यह बदलाव अनपेक्षित गर्भधारण बढ़ा सकता है। लेखक दुष्प्रभाव, निजता और

हार्मोनल या शल्य-आधारित विधियों से बचने की इच्छा को संभावित कारण गिनाते हैं, जो परामर्श और उपलब्ध विधियों की श्रेणी की कमजोरी की ओर संकेत करते हैं। प्रतिपक्ष का तर्क है कि कम प्रजनन दर वाली, अधिक शिक्षित आबादी में कुछ दंपती जान-बूझकर ये विधियाँ चुनते हैं। दोनों स्थितियों में आँकड़े संतोष की नहीं, बेहतर देखभाल-गुणवत्ता की माँग करते हैं।

3. **पुरुष नसबंदी का अंतर सामाजिक है, चिकित्सकीय नहीं** — लेखक बताते हैं कि पुरुष नसबंदी कम शल्य-आधारित है और स्थानीय निश्चेतना में होती है, इसलिए चिकित्सकीय जोखिम इसकी व्याख्या नहीं करता कि तीन दशकों में यह 3.4% से घटकर 0.5% क्यों रह गई। व्याख्याएँ सामाजिक हैं: बल या पुरुषत्व खोने का भय, आपातकाल के दौरान हुए बलप्रयोग की स्मृति, और ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली जिसकी अग्रिम पंक्ति की कर्मी महिलाएँ हैं जो महिलाओं से ही बात करती हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला तेलंगाना भी केवल 3.6% पर पहुँचा। इसे बदलने के लिए पुरुष स्वास्थ्यकर्मी, पुरुषों को लक्षित संदेश और ऐसे प्रोत्साहन चाहिए जो दबाव में न बदल जाए।
4. **नए संदेशों से अधिक नई पुरुष-विधियाँ मायने रख सकती हैं** — दशकों के अभियानों ने पुरुष नसबंदी के आँकड़े नहीं हिलाए, जो सुझाता है कि समस्या कंडोम के अलावा पुरुषों के लिए उलटे जा सकने वाले विकल्पों की कमी भी है। WHO का लक्षित उत्पाद प्रोफाइल विकासकर्ताओं को सुरक्षा, प्रभावशीलता, स्वीकार्यता और वहनीयता का स्पष्ट मानक देता है, जो शोध और अनुमोदन को तेज़ कर सकता है। भारत के पास RISUG के रूप में अपना घरेलू उम्मीदवार है और वह किसी पुरुष-विधि को बाज़ार में लाने में अग्रणी हो सकता है। सावधानी यह है कि केवल नई विधि इस अपेक्षा को नहीं बदलती कि ज़िम्मेदारी कौन उठाए, जैसा कंडोम का इतिहास बताता है।
5. **प्रतिस्थापन से नीचे की प्रजनन दर स्वयं नीतिगत प्रश्न को बदल देती है** — TFR 1.9 होने पर परिवार नियोजन का उद्देश्य अब जन्म घटाना नहीं, बल्कि दंपतियों को उतने बच्चे, जब वे चाहें, रखने देना है। इससे ध्यान अंतराल-विधियों, देखभाल की गुणवत्ता, युवा और निर्धन महिलाओं में अपूर्ण आवश्यकता घटाने तथा पुरुषों की भागीदारी की ओर जाता है। इसके साथ नई चिंताएँ भी आती हैं, जैसे वृद्ध होती आबादी और कम प्रजनन दर वाले दक्षिणी राज्यों तथा अधिक प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्यों के बीच क्षेत्रीय अंतर। नसबंदी-लक्ष्यों पर बना कार्यक्रम इस नए चरण के लिए ठीक नहीं बैठता।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारत ने प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर हासिल कर ली है, पर गर्भनिरोध का बोझ अब भी महिलाओं पर ही है।” NFHS-6 के निष्कर्षों के आलोक में चर्चा कीजिए। परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — NFHS-6 (2023-24) का हवाला दीजिए: महिला नसबंदी 36.5% के मुकाबले पुरुष नसबंदी 0.5%, SRS-आधारित चार्ट के अनुसार 2025 में TFR 1.9, और उलटे जा सकने वाले पुरुष गर्भनिरोधकों के लिए WHO के नए मानक।
2. **मुख्य भाग — साक्ष्य** — NFHS-1 से NFHS-6 तक की प्रवृत्ति का उपयोग कीजिए: महिला नसबंदी का 36-38% तक बढ़ना, पुरुष नसबंदी का 3.4% से घटकर 0.5% होना, केवल तेलंगाना में एक अंक से अधिक की वृद्धि, आधुनिक विधियों का 56.4% से 52.7% पर आना और पारंपरिक विधियों का बढ़ना।
3. **मुख्य भाग — कारण** — पुरुषत्व से जुड़े सामाजिक मानदंड, आपातकाल की विरासत, महिला-केंद्रित सेवा-प्रदाय प्रणाली, लक्ष्य-उन्मुख इतिहास और कंडोम के अतिरिक्त उलटी जा सकने वाली पुरुष-विधियों के अभाव की व्याख्या कीजिए।
4. **मुख्य भाग — कदम** — पुरुष प्रचारक कर्मी, बिना चीरे वाली नसबंदी को बढ़ावा, बेहतर परामर्श, विधियों की विस्तारित टोकरी, WHO के लक्षित उत्पाद प्रोफाइल के अनुरूप RISUG जैसे शोध को सहयोग, और अधिकार-आधारित, बलप्रयोग-रहित प्रोत्साहन सुझाइए। इसे SDG 3.7 और ICPD 1994 से जोड़िए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि प्रजनन दर के प्रतिस्थापन से नीचे आ जाने पर अब परिवार नियोजन को संख्याओं पर नहीं, बल्कि विकल्प, गुणवत्ता और साधियों के बीच समता के आधार पर परखा जाना चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप एक ऐसे ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जहाँ पुरुष नसबंदी लगभग शून्य है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पुरुष स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित कर तैनात करूँगा और नसबंदी करा चुके पुरुषों जैसे सम्मानित स्थानीय लोगों को कार्यस्थलों और सामुदायिक सभाओं में पुरुषों से बात करने के लिए जोड़ूँगा। मैं सुविधाजनक केंद्रों पर अच्छे परामर्श और अनुवर्ती देखभाल के

साथ निश्चित दिनों पर बिना चीरे वाली नसबंदी सेवाएँ आयोजित करूँगा। विश्वास बनाने के लिए मैं जटिलताओं और संतुष्टि पर नज़र रखूँगा। कोई भी प्रोत्साहन मामूली और स्पष्टतः स्वैच्छिक होगा, ताकि दबाव का आभास न हो।

प्रश्न 2. किसी राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक के रूप में, पारंपरिक विधियों में वृद्धि पर आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले केंद्रों के आँकड़ों और त्वरित सर्वेक्षणों से पता लगाऊँगा कि दपती आधुनिक विधियों से क्यों बच रहे हैं: दुष्प्रभाव, आपूर्ति की कमी या खराब परामर्श। फिर मैं हर केंद्र पर विधियों की पूरी टोकरी सुनिश्चित करूँगा और कर्मचारियों को विकल्प का सम्मान करने वाले परामर्श का प्रशिक्षण दिलाऊँगा। दुष्प्रभावों के लिए अनुवर्ती दौरों को सुदृढ़ किया जाएगा। लक्ष्य आधुनिक विधियाँ थोपना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि दपती पूरी जानकारी के साथ चुनाव करें।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या सरकार को पुरुष नसबंदी के लिए लक्ष्य तय करने चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): नहीं। भारत का अपना इतिहास, विशेषकर आपातकाल के दौरान का, दिखाता है कि लक्ष्य बलप्रयोग की ओर ले जाते हैं और दशकों तक स्वास्थ्य प्रणाली से विश्वास नष्ट कर देते हैं। इसके बजाय सरकार को पुरुष-विधियों की पहुँच, जानकारी और गुणवत्ता सुधारनी चाहिए और सफलता को विकल्प तथा संतुष्टि से मापना चाहिए। पुरुषों के हिस्से की निगरानी समीक्षा का सूचक हो सकती है, पर कर्मियों के पूरा करने का कौटा नहीं। अधिकार-आधारित दृष्टिकोण नैतिक भी है और दीर्घकाल में अधिक प्रभावी भी।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

मशीन केवल उसी से सीखती है जो उसे दिखाया जाता है, और 1980 के दशक का भारत का दृश्य-अभिलेख अधिकतर उन्हीं घरों को दिखाता है जो कैमरा खरीद सकते थे। आज की खबर इस पर है कि जब वही पुराना बहिष्करण किसी लोकप्रिय AI टूल की डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है तो क्या होता है। यह तकनीकी से अधिक शासन का प्रश्न है: भारत ने बाध्यकारी नियमों के बजाय स्वैच्छिक संहिताओं को चुना है, और जाति-पूर्वाग्रह इस बात की सबसे स्पष्ट कसौटी है कि यह चुनाव कारगर है या नहीं।

7.1 AI छवि-मॉडल जातिगत पूर्वाग्रह दोहरा रहे हैं, जबकि भारत के AI नियम स्वैच्छिक संहिताओं और स्व-प्रमाणन पर टिके हैं

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू में श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता रेजिमोन कुट्टुप्पन तर्क देते हैं कि AI से बनी '1980 के दशक' की छवियों का भारत में चला उन्माद एक छिपा हुआ जातिगत पूर्वाग्रह लिए हुए है, और AI विनियमन के प्रति सरकार का हल्का-फुल्का रुख उसे बिना जाँचे निकल जाने देता है। जनरेटिव छवि-मॉडल (Generative Image Models) ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो लाखों मौजूदा छवियों से पैटर्न सीखने के बाद किसी पाठ-निर्देश (prompt) से चित्र बनाते हैं। रेट्रो-बॉलीवुड पोर्ट्रेट इसका सबसे पहचाना रुझान बन गया, और भारत गूगल के नैनो बनाना (Nano Banana) छवि-निर्माण मॉडल के लिए दुनिया का नंबर एक देश बन गया। लेखक पूछते हैं कि यह सौंदर्यबोध आया कहाँ से। उनके अनुसार स्रोत-सामग्री फ़िल्मों के स्टिल, पत्रिकाओं के पन्ने, स्टूडियो पोर्ट्रेट और पारिवारिक एल्बम हैं, और 1980 के दशक के भारत में ये चारों उन घरों के थे जिनके पास धन और हैसियत थी, जो भारी संख्या में सवर्ण (savarna), शहरी या भू-स्वामी थे। वे योजना आयोग के उस अनुमान का हवाला देते हैं कि 1983 में 44.5% भारतीय, यानी लगभग 32.3 करोड़ लोग, गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। दलित और आदिवासी जीवन के चित्र खींचे तो गए, पर अधिकतर दूसरों द्वारा: कल्याण-फ़ाइलों के लिए राज्य द्वारा, अत्याचारों के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा, और मानवविज्ञानियों द्वारा। वे 17 जुलाई 1985 के तटीय आंध्र प्रदेश के करमचेडु हत्याकांड से शुरुआत करते हैं, जहाँ सार्वजनिक पेयजल टंकी पर विवाद में छह मादिगा (दलित) पुरुष मारे गए, और जिसने आंध्र प्रदेश दलित महासभा को जन्म दिया। वे लिखते हैं कि ऐसे अभिलेख पर प्रशिक्षित मॉडल "चुप्पी को दोहराता है, और उसे कठोर बना देता है"। एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू के परीक्षणों में पाया गया कि GPT-5 ने 105 वाक्यों में से 80 में रूढ़िबद्ध उत्तर चुना। इस वर्ष एसीएम एफ़ैक्ट (ACM FAccT) सम्मेलन के एक अध्ययन ने नैनो बनाना के इंजन, जेमिनी के छवि-मॉडल की 1,536 छवियों का विश्लेषण किया, जो भारतीय नामों वाले निर्देशों पर बनी थीं और जिनमें कोई जाति-सूचक शब्द नहीं था; फिर भी जाति भोजन, मोहल्ले, काम और पूजा के माध्यम से उभर आई। नीति पर वे बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के AI शासन दिशानिर्देश पूर्वाग्रह और भेदभाव को जोखिम तो मानते हैं, पर स्वैच्छिक संहिताओं और स्व-प्रमाणन पर निर्भर हैं, और केंद्र ने राज्य सभा को बताया है कि इस स्तर पर किसी नए "क्षेतिज" AI कानून की, यानी AI के सभी उपयोगों के लिए एक कानून की, आवश्यकता नहीं है। ₹10,371 करोड़ का इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) "संप्रभु" मॉडलों को अनुदान देता है, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने "अन्य मॉडलों के पूर्वाग्रह" से मुक्त भारतीय-प्रशिक्षित मॉडलों का वादा किया है। कथित तौर पर एक समिति अधिक कठोर नियमों का मसौदा बना रही है। वे MeitY और इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट से सार्वजनिक रूप से बताने को कहते हैं कि प्रशिक्षण-आँकड़ों में क्या है, उन्हें किसने लेबल किया, क्या जाति का मूल्यांकन हुआ, और वह कब प्रकाशित होगा। द इंडियन एक्सप्रेस में चीन में पूर्व राजदूत अशोक के. कांथा तर्क देते हैं कि अमेरिका-चीन AI होड़ में भारत का बज्जन कंप्यूट, चिप, मॉडल, डेटासेट, प्रतिभा और अग्रणी प्रणालियों की स्वतंत्र जाँच की क्षमता पर टिका होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि ओपनएआई उन देशों में भारत को गिनता है जिनके राष्ट्रीय AI सुरक्षा संस्थान वैश्विक मानकों में योगदान दे सकते हैं। पाठ्यक्रम से संबंध: GS3 में सूचना प्रौद्योगिकी और उभरती प्रौद्योगिकी, तथा GS1 में जाति।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1980 के दशक के भारत में फ़ोटोग्राफ़ी मुख्यतः सवर्ण, शहरी और भू-स्वामी घरों का विशेषाधिकार → बचा हुआ दृश्य-अभिलेख दलित और आदिवासी जीवन को अधिकतर कल्याण-फ़ाइलों और अत्याचार-अभिलेखों के ज़रिए दिखाता है → उस अभिलेख पर प्रशिक्षित जनरेटिव मॉडल विशेषाधिकार-प्राप्त दृष्टि को 'सामान्य' मान लेते हैं और दलित पहचान को गंदगी और निम्न श्रम से जोड़ते हैं → एक वायरल रेट्रो-छवि रुझान रूढ़िबद्ध धारणा को जमान-स्तर पर फैलाता है → AI शासन के प्रति भारत का स्वैच्छिक, स्व-प्रमाणन वाला रुख जाति-पूर्वाग्रह की कोई अनिवार्य जाँच नहीं छोड़ता

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- जनरेटिव मॉडल सांख्यिकीय पैटर्न सीखते हैं, इसलिए वे अपने प्रशिक्षण-आँकड़ों का झुकाव विरासत में पाते हैं — जनरेटिव AI मॉडल को उदाहरणों के बहुत बड़े संग्रह पर, जैसे शीर्षक-सहित छवियों पर, प्रशिक्षित किया जाता है और वह सीखता है कि कौन-सी विशेषताएँ प्रायः साथ आती हैं; निर्देश मिलने पर वह उस सबसे संभावित परिणाम को रचता है जो उसने देखा है। उसे निष्पक्षता की कोई समझ नहीं होती, इसलिए यदि लोगों की कोई श्रेणी कम दिखती है या केवल कुछ भूमिकाओं में दिखती है, तो मॉडल उसी पैटर्न को डिफॉल्ट के रूप में दोहराता है। शोधकर्ता ऐतिहासिक पूर्वाग्रह (आँकड़े अतीत के भेदभाव को ज्यों का त्यों दर्ज करते हैं), प्रतिनिधित्व पूर्वाग्रह (कुछ समूहों का कम नमूना) और लेबल पूर्वाग्रह (आँकड़ों पर टैग लगाने वाले अपनी मान्यताएँ लाते हैं) में भेद करते हैं। इसलिए एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह कोई कोडिंग की त्रुटि नहीं जिसे एक बार में सुधारा जा सके; उसे उस विशिष्ट समाज के लिए बनाए गए अंकेक्षणों और मूल्यांकनों से मापना पड़ता है जिसमें मॉडल का उपयोग होता है।
- अनुच्छेद 15 और 17 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम जातिगत भेदभाव को रूचि का विषय नहीं, संवैधानिक अपराध बनाते हैं — अनुच्छेद 15(1) राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 15(2) और आगे जाकर इन आधारों पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक

पहुँच में, तथा राज्य-निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान-घाटों और सड़कों के उपयोग में किसी भी नियोग्यता या निर्बंधन को वर्जित करता है, और इसीलिए करमचेडु का पेयजल-टंकी विवाद एक संवैधानिक कथा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसके किसी भी रूप में आचरण को वर्जित करता है, और इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) से लागू किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989] ने SC और ST के विरुद्ध अत्याचारों के लिए विशिष्ट अपराध और विशेष न्यायालय बनाए।

3. भारत इंडियाएआई मिशन से AI क्षमता को वित्त देता है और उसने नए अधिनियम के बजाय दिशानिर्देशों को चुना है — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 में पाँच वर्षों के लिए लगभग ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय से इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी, जिसका क्रियान्वयन MeitY करता है। इसके स्तंभों में कंप्यूटिंग क्षमता (GPU) तक अनुदानित पहुँच, स्वदेशी फ़ाउंडेशन मॉडलों का विकास, गैर-व्यक्तिगत डेटासेट का मंच, AI स्टार्ट-अप और अनुप्रयोगों को सहायता, कौशल विकास, और 'सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI' घटक शामिल हैं। इसी घटक के तहत MeitY ने जनवरी 2025 में मानकों, परीक्षण और जोखिम-आकलन पर काम के लिए इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की घोषणा की। MeitY द्वारा नवंबर 2025 में जारी भारत AI शासन दिशानिर्देशों का रुख यह रहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) जैसे मौजूदा कानून अभी अधिकांश AI-हानियों को संबोधित कर सकते हैं, जिन्हें अलग AI कानून के बजाय स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं और संस्थागत समन्वय का सहारा है।
4. यूनेस्को की 2021 की सिफ़ारिश और यूरोपीय संघ का AI अधिनियम AI में निष्पक्षता पर दो वैश्विक संदर्भ-बिंदु हैं — कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर यूनेस्को की सिफ़ारिश (UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence), जो नवंबर 2021 में उसके आम सम्मेलन द्वारा अपनाई गई, AI नैतिकता पर पहला वैश्विक मानक-निर्धारक दस्तावेज़ था; वह निष्पक्षता और अभेदभाव, पारदर्शिता तथा मानवीय निगरानी को अपने मूल सिद्धांतों में गिनता है और राज्यों से नैतिक प्रभाव आकलन कराने को कहता है। यह बाध्यकारी नहीं है। यूरोपीय संघ का कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम (Artificial Intelligence Act), जो 2024 में लागू हुआ, बाध्यकारी और जोखिम-आधारित है: वह कुछ 'अस्वीकार्य-जोखिम' उपयोगों पर प्रतिबंध लगाता है, 'उच्च-जोखिम' प्रणालियों पर कड़े दायित्व डालता है, जिनमें संभावित पूर्वाग्रहों के लिए प्रशिक्षण-आँकड़ों की जाँच हेतु डेटा-शासन शामिल है, और AI-निर्मित सामग्री पर लेबल जैसी पारदर्शिता माँगता है। भारत का रुख इन दोनों के बीच है: घोषित सिद्धांत, पर अनुपालन मुख्यतः स्वैच्छिक।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 में IT, कंप्यूटर और नई प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभावों पर प्रश्न आते हैं — GS3 के पाठ्यक्रम में IT और कंप्यूटर के क्षेत्रों में जागरूकता तथा बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, और UPSC ने शासन, स्वास्थ्य और सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाओं और जोखिमों पर बार-बार पूछा है। अपेक्षित उत्तर अब उपयोगों की सूची से हटकर पूर्वाग्रह, निजता और जवाबदेही जैसे जोखिमों को तौलने तक पहुँच गया है। यह खबर पूर्वाग्रह का ठोस भारतीय उदाहरण देती है, जिसकी अधिकांश उत्तरों में कमी रहती है।
2. जाति पर GS1 और निष्पक्षता पर GS4 इसे अंतर-प्रश्नपत्र केस-अध्ययन बनाते हैं — GS1 भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं, सामाजिक सशक्तीकरण और नए रूपों में जाति की निरंतरता पर पूछता है। GS4 के केस-अध्ययन अब अधिकाधिक प्रौद्योगिकी और निष्पक्षता को छूते हैं। जो अभ्यर्थी समझा सके कि पुराना सामाजिक बहिष्करण एल्गोरिदम के रास्ते समाज में कैसे लौटता है, वह वही उदाहरण प्रौद्योगिकी और समानता पर निबंध में भी प्रयोग कर सकता है।
3. प्रारंभिक परीक्षा भारत की AI संस्थाओं और संवैधानिक आधारों को परखती है — सरकारी मिशनों और उनके मंत्रालयों, तथा अनुच्छेद 15 और 17 पर प्रश्न आम बात हैं। इस खबर से इंडियाएआई मिशन, इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट और यूनेस्को की सिफ़ारिश प्रारंभिक परीक्षा के स्वाभाविक लक्ष्य हैं, साथ ही बाध्यकारी कानून और दिशानिर्देशों का अंतर भी।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- संविधान का अनुच्छेद 15(2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुँच में, तथा राज्य-निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान-घाटों और सड़कों के उपयोग में किसी भी नियोग्यता या निर्बंधन को वर्जित करता है।
- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसके किसी भी रूप में आचरण को वर्जित

करता है; सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 वह कानून है जो इसे लागू करता है।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में अधिनियमित हुआ।
- मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इंडियाएआई मिशन का क्रियान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है और उसमें 'सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI' स्तंभ शामिल है।
- नवंबर 2021 में अपनाई गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर यूनेस्को की सिफारिश एक अबाध्यकारी वैश्विक मानक है, जिसके सिद्धांतों में निष्पक्षता और अभेदभाव शामिल हैं।
- यूरोपीय संघ का कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जो कुछ AI प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है और उच्च-जोखिम प्रणालियों पर कड़े दायित्व डालता है।
- एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias) किसी स्वचालित प्रणाली की उन व्यवस्थित और दोहराई जाने वाली त्रुटियों को कहते हैं जो विशेष समूहों के लिए अनुचित परिणाम पैदा करती हैं, प्रायः विषम या अप्रतिनिधिक प्रशिक्षण-आँकड़ों के कारण।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. यह चूक से उपजा पूर्वाग्रह है, और सामान्य सुरक्षा-फ़िल्टर इसे पकड़ने के लिए बने ही नहीं हैं — सामग्री-नियंत्रण में अधिकांश AI सुरक्षा-कार्य विषैले परिणाम खोजता है: गालियाँ, हिंसा, अश्लील सामग्री। लेखक जिस समस्या का वर्णन करते हैं वह अधिक शांत है। जब 1980 के दशक के परिवार का निर्देश केवल उच्च-जातीय परिवेश लौटाता है, तो कुछ आपत्तिजनक रचा नहीं गया, फिर भी अतीत की तस्वीर से एक पूरी आबादी बाहर छूट गई। फ़िल्टर किसी अनुपस्थिति को चिह्नित नहीं कर सकते। उसे पकड़ने के लिए प्रतिनिधित्व-अंकेक्षण चाहिए, जिनमें मॉडल को नामों, क्षेत्रों और व्यवसायों वाले निर्देशों से परखा जाता है और उसके परिणामों की व्यवस्थित तुलना होती है, जैसा FAccT अध्ययन ने किया। यह एक मापन-कार्य है जिसे मानकीकृत करने की स्थिति में सेफ्टी इंस्टीट्यूट जैसी सार्वजनिक संस्था है।
2. 'संप्रभु' मॉडल डिफ़ॉल्ट रूप से पूर्वाग्रह-मुक्त नहीं होंगे; वे ग़लत ढंग से अधिक जाति-सचेत हो सकते हैं — मंत्री का यह वादा कि भारतीय-प्रशिक्षित मॉडल अन्य मॉडलों का पूर्वाग्रह नहीं ढोएँगे, यह मानकर चलता है कि समस्या विदेशी आँकड़ों की है। पर भारतीय फ़िल्मों, वैवाहिक विज्ञापनों, समाचार-अभिलेखों और सोशल मीडिया पर प्रशिक्षित भारतीय मॉडल जाति-संकेतों को अधिक सटीकता से सीख सकता है, क्योंकि इन स्रोतों में वे भरे पड़े हैं। स्थानीय प्रशिक्षण तभी अवसर है जब आँकड़ों को जानबूझकर कम-प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं और समुदायों को शामिल करते हुए सँवारा जाए और परिणामों की जाँच हो। प्रकाशित मूल्यांकन के बिना दावे की परख नहीं हो सकती, और लेखक का यही मुद्दा है जब वे पूछते हैं कि कौन-सा पूर्वाग्रह और जाँचा कैसे गया।
3. प्रकटीकरण की अनिवार्यता भारी AI कानून और विशुद्ध स्व-प्रमाणन के बीच का मध्यम मार्ग है — दिशानिर्देशों के पक्ष में सरकार का तर्क उचित है: व्यापक क्षेत्रीय कानून स्टार्ट-अप पर बोझ डाल सकता है, प्रौद्योगिकी से पिछड़ सकता है और IT अधिनियम तथा डेटा संरक्षण कानून की पुनरावृत्ति कर सकता है। पर स्व-प्रमाणन का अर्थ है कि कंपनी अपनी कॉपी खुद जाँचती है। लेखक के चार प्रश्न एक हल्के साधन की ओर इशारा करते हैं: बड़े पैमाने पर या सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडलों के लिए यह सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य हो कि प्रशिक्षण किन आँकड़ों पर हुआ, उन्हें किसने लेबल किया और कौन-से निष्पक्षता परीक्षण चले। प्रकटीकरण डिज़ाइन नहीं थोपता, फिर भी शोधकर्ताओं, न्यायालयों और उपयोगकर्ताओं को कंपनियों को जवाबदेह ठहराने देता है। विपरीत मत यह है कि प्रशिक्षण-आँकड़े व्यावसायिक रूप से संवेदनशील होते हैं, जिसे जनता के बजाय नियामक को प्रकटीकरण से सँभाला जा सकता है।
4. अदृश्य लेबलकर्ता समस्या का हिस्सा भी है और समाधान का भी — आँकड़ों की लेबलिंग, जो प्रायः प्रति-कार्य भुगतान पाने वाले कामगार करते हैं, तय करती है कि मॉडल किसे 'पर्याप्त भारतीय' या 'सामान्य' मानता है। यदि लेबलकर्ताओं ने कभी बस्ती या कॉलोनी नहीं देखी, तो वे पहचान नहीं सकते कि मॉडल उसे ग़लत ढंग से दिखा रहा है। यह AI निष्पक्षता को श्रम नीति से जोड़ता है: लेबलिंग-कार्यबल की संरचना, प्रशिक्षण और वेतन परिणामों की गुणवत्ता को आकार देते हैं। सार्वजनिक सेवाओं में लगाए जाने वाले मॉडलों के लिए दलित और आदिवासी समीक्षकों सहित विविध मूल्यांकन-पैनल अनिवार्य करना एक व्यावहारिक क़दम होगा। इससे उन क्षेत्रों और समुदायों में कुशल रोज़गार भी बनता है जिन्हें AI अर्थव्यवस्था अब तक छोड़ती आई है।
5. कांथा का घर में निर्माण का पक्ष इस पर नियंत्रण का भी पक्ष है कि किसके मूल्य भीतर गढ़े जाएँ — कांथा भू-राजनीति से तर्क देते हैं: भारत को अमेरिकी या चीनी AI स्टैक, किसी पर भी निर्भरता से बचना चाहिए और कंप्यूट, मॉडल, डेटासेट तथा स्वतंत्र परीक्षण क्षमता बनानी

	चाहिए। जाति-पूर्वाग्रह की बहस उसी निष्कर्ष के लिए सामाजिक कारण देती है। जो देश केवल मॉडल आयात करता है, वह उनके निर्माताओं के मूल्यांकन-संबंधी चुनाव भी आयात करता है, जिनके पास जाति की जाँच करने का कोई कारण नहीं। इसलिए स्वतंत्र परीक्षण क्षमता केवल सुरक्षा की संपदा नहीं, बल्कि इस बात की गारंटी भी है कि भारतीय संवैधानिक मूल्यों, जिनमें अनुच्छेद 15 और 17 शामिल हैं, की परख उन मशीनों पर की जा सके जिनका भारतीय उपयोग करते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामाजिक पूर्वाग्रह का आविष्कार नहीं करती; वह उसे विरासत में पाती है और बड़े पैमाने पर फैलाती है।” भारत में जनरेटिव AI मॉडलों में जातिगत पूर्वाग्रह के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। नवाचार को बाधित किए बिना समानता की रक्षा करने वाला विनियामक दृष्टिकोण सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — 1980 के दशक की रेट्रो AI छवियों के रुझान से आरंभ कीजिए और द हिंदू में उद्धृत निष्कर्ष रखिए कि जेमिनी के छवि-मॉडल की 1,536 छवियों में जाति-सूचक शब्दों के बिना भी जाति उभर आई, जबकि एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू के परीक्षणों में GPT-5 ने 105 में से 80 वाक्यों में रूढ़िबद्ध उत्तर चुना। मुख्य भाग — पूर्वाग्रह कैसे विरासत में मिलता है — प्रशिक्षण-आँकड़ों को सरल भाषा में समझाइए और पूर्वाग्रह के तीन स्रोत बताइए: विशेषाधिकार-प्राप्त घरों के प्रभुत्व वाला ऐतिहासिक अभिलेख, दलित और आदिवासी जीवन का कम प्रतिनिधित्व, और लेबलकर्ताओं की मान्यताएँ। कर्मचेंडु का उदाहरण और अनुच्छेद 15(2) रखकर दिखाइए कि यह संवैधानिक समानता को क्यों छूता है। मुख्य भाग — भारत का वर्तमान दृष्टिकोण — इंडियाएआई मिशन (₹10,371 करोड़), इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट और स्वैच्छिक संहिताओं तथा स्व-प्रमाणन पर निर्भर MeitY के दिशानिर्देशों का वर्णन कीजिए। सरकार का तर्क दीजिए: असमय विनियमन से बचना और मौजूदा कानूनों का उपयोग। मुख्य भाग — संतुलित विनियामक रूपरेखा — बड़े या सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडलों के लिए प्रशिक्षण-आँकड़ों के स्रोतों और निष्पक्षता-मूल्यांकनों का अनिवार्य प्रकटीकरण, सेफ्टी इंस्टीट्यूट द्वारा तय भारत-विशिष्ट पूर्वाग्रह मानदंड, विविध लेबलिंग और मूल्यांकन पैनल, और सामुदायिक अभिलेखागारों को आँकड़ों के रूप में वित्तीय सहायता प्रस्तावित कीजिए। यूरोपीय संघ के जोखिम-आधारित कानून और यूनेस्को के अबाध्यकारी सिद्धांतों से तुलना कीजिए। निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि जाति-पूर्वाग्रह से निपटने के लिए भारत को भारी AI अधिनियम की ज़रूरत नहीं, पर बाध्यकारी पारदर्शिता और सार्वजनिक परीक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि निष्पक्षता का जो वादा जाँचा न जा सके वह सुरक्षा-उपाय नहीं है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप किसी राज्य के ई-गवर्नेंस विभाग के प्रमुख हैं, जो कल्याण अभियानों के लिए छवियाँ और पाठ बनाने में जनरेटिव AI टूल का उपयोग करना चाहता है। आप कौन-सी जाँचें लागू करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): तैनाती से पहले मैं विक्रेता से मॉडल के प्रशिक्षण-आँकड़ों के स्रोतों और उसके द्वारा चलाए गए किसी भी निष्पक्षता-मूल्यांकन का प्रकटीकरण माँगूँगा। मैं SC/ST कल्याण विभाग के अधिकारियों सहित एक विविध आंतरिक पैनल से विभिन्न समुदायों और व्यवसायों वाले निर्देशों पर टूल की जाँच कराऊँगा। जनता के सामने जाने वाला हर परिणाम जारी होने से पहले मानवीय समीक्षा से गुज़रेगा। खरीद-अनुबंध में ऐसी धारा होगी जो टूल के भेदभावपूर्ण सामग्री रचते पाए जाने पर उसे समाप्त करने की अनुमति दे। प्रश्न 2. इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट के अधिकारी के रूप में आप जाति-पूर्वाग्रह का मूल्यांकन कैसे डिज़ाइन करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं नामों, उपनामों, क्षेत्रों, व्यवसायों और रोज़गार के दृश्यों वाले निर्देशों का एक मानदंड बनाऊँगा और प्रकाशित शैक्षणिक अध्ययनों की पद्धति का अनुसरण करते हुए मापूँगा कि समूहों के बीच परिणाम कैसे भिन्न होते हैं। सामुदायिक संगठन और समाज-वैज्ञानिक इसके डिज़ाइन और सत्यापन में मदद करेंगे। सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडलों के परिणाम प्रकाशित किए जाएँगे। हर बड़े अद्यतन पर परीक्षण दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल तेज़ी से बदलते हैं। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या किसी समाज के पूर्वाग्रह के लिए मशीन को दोष देना उचित है? दृष्टिकोण (Approach): मशीन नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं है, पर उसे बनाने और तैनात करने

वाले लोग हैं, क्योंकि वे आँकड़े चुनते हैं और तय करते हैं कि उसकी जाँच होगी या नहीं। एक पूर्वाग्रही मानवीय निर्णय एक मामले को प्रभावित करता है; एक पूर्वाग्रही मॉडल वही त्रुटि करोड़ों बार दोहराता है। इसलिए तैनाती का मानक ऊँचा होना चाहिए, नीचा नहीं। उपाय यह है कि पूर्वाग्रह-परीक्षण को AI निर्माण का नियमित हिस्सा माना जाए, बाद की सोच नहीं।

8. समाज (Society)

आज की दोनों खबरें सार्वजनिक स्थान और उस भरोसे की हैं जो उसे थामे रखता है। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है कि चिंता जताने वाले बयान रोशन पाकों और गश्त वाली सड़कों का विकल्प नहीं हो सकते। उज्जैन और पंजाब में फ़र्जी वीडियो और असत्यापित संदेशों ने कुछ ही घंटों में साधारण शिकायतों को हिंसा में बदल दिया। दोनों ही मामलों में चूक संस्थाओं की है, उन लोगों की नहीं जो डरे हुए थे।

8.1 सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में यौन हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया, चार सप्ताह में सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। तीनों खबरों की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 28 सितंबर को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के मामलों की बढ़ती शृंखला का स्वतः संज्ञान (suo motu cognisance) लिया और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर असुरक्षित इलाकों की पहचान करे, गश्त बढ़ाए तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश-व्यवस्था और CCTV कवरेज का ऑडिट करे। स्वतः संज्ञान का अर्थ है कि न्यायालय ने बिना किसी याचिका के स्वयं कार्रवाई की; द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार उसने अपनी रजिस्ट्री को जनहित याचिका (PIL) दर्ज करने का निर्देश दिया। इस पत्रिका के 24 और 28 सितंबर के काडों के बाद नई बात यह है कि अब बाध्यकारी न्यायिक निर्देश आ गया है। द हिंदू के अनुसार, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने लेडी श्री राम कॉलेज के पास आस्था कुंज पार्क, स्वरूप नगर और उस बस के हालिया मामलों का उल्लेख किया जो ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट तक लगभग 47 किमी चली, पर किसी एक भी पुलिस पिकेट पर रोकी नहीं गई। न्यायालय ने कहा कि वह 2012 के निर्भया कांड से “पीड़ादायक समानताएँ” खींचे बिना नहीं रह सकता। उसके अनुसार ये घटनाएँ बुनियादी सार्वजनिक सुरक्षा की गारंटी देने में कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों और नागरिक प्रशासन की विफलता को “स्पष्ट रूप से रेखांकित” करती हैं। पीठ ने कहा, “हिंसा के भय से मुक्त होकर गरिमा के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की मूल गारंटी का अभिन्न पहलू है”; पार्क, सड़कें, बसें और मेट्रो स्टेशन “अत्यंत अपर्याप्त रोशनी”, कमज़ोर निगरानी या ढीली गश्त के कारण “उच्च जोखिम वाले क्षेत्र” नहीं बन सकते। उसने यह भी कहा कि लेडी श्री राम कॉलेज की छात्राओं की पहले की उत्पीड़न-शिकायतें “चेतावनी की घंटी साबित नहीं हुईं”। न्यायालय ने कहा, “एकजुटता जता देना इस सामाजिक बुराई का समाधान नहीं है। ज़रूरत ऐसी प्रतिक्रिया की है जिसे मापा जा सके और जिसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो।” द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अंतरिम निर्देश ये हैं: दिल्ली उच्च न्यायालय इन मामलों को नामित फ़ास्ट-ट्रैक विशेष अदालत को सौंपे, जिनमें सुनवाई यथासंभव एक वर्ष में पूरी हो; पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार प्रत्येक पुलिस ज़िले में उप-पुलिस अधीक्षक से नीचे के पद के अधिकारी की अध्यक्षता में समर्पित टीमें बनाएँ, जो असुरक्षित इलाकों का सर्वेक्षण करें और ज़िलेवार संवेदनशीलता मानचित्र तैयार करें, जो आसपास के थानों के साथ साझा किए जाएँ; तथा निष्क्रिय CCTV और बत्तियाँ फिर चालू की जाएँ और जहाँ भी नागरिक कमी बताएँ वहाँ नई लगाई जाएँ। पुलिस को विस्तृत उत्तर दाखिल करना होगा। उसी दिन दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं ने कार्यरत आंतरिक शिकायत समितियों, सड़कों पर रोशनी और बेहतर परिवहन की माँग करते हुए मार्च निकाला; द हिंदू के अनुसार इसमें कम से कम 3,000 लोग थे, जबकि द इंडियन एक्सप्रेस इसे एक सप्ताह का तीसरा और सबसे बड़ा प्रदर्शन बताता है। इंडियन एक्सप्रेस के एक संपादकीय-पृष्ठ लेख में निकोर एसोसिएट्स की मिताली निकोर लिखती हैं कि 2015 से 2025 के बीच निर्भया कोष के अंतर्गत आवंटित ₹7,712.85 करोड़ में से ₹5,846.08 करोड़ का उपयोग हुआ और पुलिस बल में महिलाएँ लगभग 10% हैं, जबकि केंद्र का लक्ष्य 33% का है। पाठ्यक्रम से संबंध: GS1 (महिला मुद्दे) और GS2 (अधिकार तथा न्यायपालिका)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2012 का निर्भया कांड कठोर आपराधिक कानून, निर्भया कोष और सुरक्षा ऑडिट को जन्म देता है → ऑडिट बढ़ते जाते हैं, पर उनमें पाई गई कमियाँ, जैसे अंधेरी गलियाँ और खराब कैमरे, दूर नहीं होती → लेडी श्री राम कॉलेज के पास छात्राओं की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता → पार्कों में और 47 किमी बिना रोके चली बस में हुए हमलों का समूह इस कमी को उजागर करता है → सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है और दिल्ली पुलिस पर चार सप्ताह का मापने योग्य दायित्व तय करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका इस निर्णय से निकली कि सर्वोच्च न्यायालय तक कौन पहुँच सकता है, इसके नियम शिथिल किए जाएँ — अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, और न्यायालय इसके लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध से न्यायालय ने अधिकारिता (locus standi) के नियम को शिथिल किया, जिससे जनहित में काम करने वाले लोग उन व्यक्तियों की ओर से मुकदमा लड़ सकें जो स्वयं ऐसा नहीं कर सकते; साथ ही उसने पत्रों और समाचार-रिपोर्टों को भी याचिका मानना शुरू किया, जिसे पत्र-याचिका क्षेत्राधिकार (epistolary jurisdiction) कहा जाता है; विस्तृत अधिकारिता पर एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) प्रमुख निर्णय है। समाचार-रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेना इसी विचार का सबसे आगे का विस्तार है। अनुच्छेद 142 न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है, और यही संवेदनशीलता मानचित्र तथा ऑडिट जैसे विस्तृत अंतरिम निर्देशों का आधार है।
2. अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, और उसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं — फ्रांसिस कोरैली मुलिन बनाम प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली (1981) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, केवल पशुवत अस्तित्व नहीं। बाद के निर्णयों ने अनुच्छेद 21 को राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालने वाला माना, यानी केवल

हस्तक्षेप न करने का कर्तव्य नहीं। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिसके अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क और आरक्षित परिवहन जैसे उपाय आते हैं। अनुच्छेद 51(ड) प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य बनाता है कि वह स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।

3. विशाखा दिशानिर्देश POSH अधिनियम बने, इसीलिए छात्राएँ आंतरिक शिकायत समितियों की मांग कर रही हैं — विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के अभाव में अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 तथा महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW) के अंतर्गत भारत के दायित्वों का सहारा लेकर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में बाध्यकारी दिशानिर्देश तय किए। संसद ने उनकी जगह कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013 बनाया, जिसके अनुसार दस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक नियोक्ता को आंतरिक समिति गठित करनी होती है और ज़िला अधिकारी अन्य मामलों के लिए स्थानीय समिति गठित करता है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2015 के विनियम इस शिकायत-निवारण प्रणाली को छात्राओं तक विस्तारित करते हैं। विशाखा इसका भी क्लासिक उदाहरण है कि न्यायालय विधायी रिक्ति को भरता है, और वर्तमान मामले में न्यायालय सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यही प्रयास कर रहा है।
4. पुलिस सुधार के निर्देश और क्रियान्वयन की योजनाएँ पहले से मौजूद हैं; कमज़ोर कड़ी उनका कार्यान्वयन है — प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे राज्य सुरक्षा आयोग गठित करें, पुलिस महानिदेशक (DGP) को न्यूनतम कार्यकाल दें, जाँच को कानून-व्यवस्था के काम से अलग करें, तथा पुलिस स्थापना बोर्ड और पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाएँ; अनुपालन आज भी असमान है। 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय हैं, यद्यपि दिल्ली में पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। 2013 में बना निर्भया कोष सेफ़ सिटी परियोजनाओं, वन स्टॉप सेंटर्स और महिला हेल्प डेस्क का वित्तपोषण करता है, और केंद्र सरकार के अनुसार फ़ास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना में 30 अप्रैल, 2026 तक स्वीकृत 790 के मुकाबले 775 अदालतें कार्यरत थीं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नई संस्थाएँ नहीं बनाता; वह मौजूदा संस्थाओं से मापने योग्य परिणाम माँगता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. इस मामले में GS1 का महिला-मुद्दों वाला भाग और GS2 का न्यायपालिका वाला भाग मिलते हैं — GS1 के पाठ्यक्रम में महिलाओं की भूमिका और महिला-संबंधी मुद्दे आते हैं, और GS2 में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली तथा संवेदनशील वर्गों के संरक्षण की व्यवस्थाएँ। महिला सुरक्षा पर प्रश्नों में पृच्छा गया है कि 2012 के बाद बने कानूनों ने अपराध क्यों नहीं घटाए; यह मामला उत्तर देता है कि कमी कानून में नहीं, प्रवर्तन में है।
2. न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण मुख्य परीक्षा का बार-बार आने वाला विषय है — UPSC ने अभ्यर्थियों से बार-बार जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता का परीक्षण करने को कहा है। पुलिस की गश्त का स्वरूप और CCTV ऑडिट तय करने वाला न्यायालय इसका जीवंत उदाहरण है, और अच्छे उत्तर में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायालय के संवैधानिक कर्तव्य को शक्तियों के पृथक्करण के सामने तौला जाएगा।
3. प्रारंभिक परीक्षा में महिला सुरक्षा के पीछे के ऐतिहासिक निर्णय और अधिनियम आते हैं — विशाखा, POSH अधिनियम और उसकी समितियाँ, अनुच्छेद 15(3) और निर्भया कोष प्रारंभिक परीक्षा की बार-बार आने वाली सामग्री हैं। संरचना और सीमाएँ, जैसे आंतरिक समिति के लिए दस कर्मचारियों का नियम, ऐसे ही ब्योरे हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 142 उसे पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्ली या आदेश पारित करने की शक्ति देता है।
- फ्रांसिस कोरैली मुलिन बनाम प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली (1981) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।
- अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने में समर्थ बनाता है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013 के अनुसार दस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक नियोक्ता को आंतरिक समिति गठित करनी होती है।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में दिशानिर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में तय किए थे।
- स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग अनुच्छेद 51(ड) के अंतर्गत एक मौलिक

	कर्तव्य है। ● प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सुरक्षा आयोगों और पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के गठन का निर्देश दिया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. न्यायालय ने नैतिक आक्रोश को प्रशासनिक जाँच-सूची में बदल दिया है, और यही उसका असली मूल्य है — ऐसे अपराधों पर पहले की प्रतिक्रियाएँ बयान, नए कानून और कड़ी सज़ाएँ होती थीं। यह आदेश कुछ सीधा काम करता है: वह अधिकारी का पद, चार सप्ताह की समय-सीमा, एक मानचित्र, एक ऑडिट और एक रिपोर्ट तय करता है। मापने योग्य दायित्वों से बचना चिंता जताने की तुलना में कठिन है, और एकजुटता के बारे में पीठ का यही तर्क है। कसौटी यह होगी कि क्या न्यायालय अनुवर्ती सुनवाई के ज़रिए मामले को जीवित रखता है, क्योंकि एकबारगी निर्देश खबरों का दौर बदलते ही धूमिल पड़ जाते हैं। 2. सुरक्षा ऑडिट अपने आप में लक्ष्य बन गए हैं; आदेश को रिपोर्टों से नहीं, मरम्मत से परखा जाना चाहिए — मिताली निकोर का तर्क है कि प्रशासन ऑडिट गिनते हैं, मरम्मत नहीं; लेडी श्री राम कॉलेज के पीछे के 500 मीटर के अँधेरे हिस्से के बारे में सब जानते थे। सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश एक और ऑडिट माँगता है, जिससे उसी कर्मकांड के दोहराए जाने का जोखिम है। अंतर प्रकाशन से आ सकता है: यदि संवेदनशीलता मानचित्र और मरम्मत की स्थिति सार्वजनिक की जाएँ, तो निवासी और छात्राएँ जाँच सकते हैं कि बताए गए अँधेरे हिस्से में रोशनी लगी या नहीं। नागरिकों से अपर्याप्त रोशनी की रिपोर्ट माँगने वाले न्यायालय ने यह दरवाज़ा खोल दिया है, और दिल्ली प्रशासन को उससे आगे बढ़ना चाहिए। 3. 47 किमी बिना रोके चली बस दिखाती है कि पुलिसिंग अधिकार-क्षेत्र के अनुसार संगठित है, जबकि अपराध नहीं — ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और कश्मीरी गेट दिल्ली में, और उनके बीच चलने वाली बस कई पुलिस अधिकार-क्षेत्रों से गुज़रती है। संवेदनशीलता मानचित्र आसपास के धानों के साथ साझा करने की न्यायालय की माँग इसी कमजोरी पर चोट करती है: आदतन अपराधियों और बार-बार दोहराए जाने वाले पैटर्न की जानकारी धाने की सीमा में ही रह जाती है। NCR को राज्यों की सीमाओं के पार साझा आँकड़ों और संयुक्त गश्त की ज़रूरत है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है जबकि पड़ोसी ज़िले राज्य सरकारों को, इसलिए समन्वय सद्भावना पर नहीं, संस्थागत तंत्र पर निर्भर करता है। 4. धन ही एकमात्र समस्या नहीं थी; क्षमता और सार्वजनिक नौकरियों में महिलाओं की उपस्थिति भी उतनी ही मायने रखती है — निकोर के अनुसार 2015 से 2025 के बीच निर्भया कोष का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा खर्च हुआ, इसलिए कम खर्च होना कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। कम से कम आठ राज्यों में मुफ्त बस यात्रा ने सुरक्षित पैदल मार्गों और अनुमानित प्रतीक्षा-समय में निवेश की जगह ले ली है। बस चालक, कंडक्टर और पुलिस जैसी दिखाई देने वाली सार्वजनिक नौकरियों में अधिक महिलाएँ इस पर असर डालती हैं कि अँधेरा होने के बाद सार्वजनिक स्थान पर कौन रहता है; दिल्ली द्वारा चालकों की ऊँचाई की अर्हता घटाने से 34 महिला चालक आईं। पुलिस में लगभग 10% महिलाएँ, जबकि लक्ष्य 33% का है, एक संरचनात्मक कमी है जिसे कोई ऑडिट नहीं भर सकता। 5. प्रतिपक्ष: न्यायालय पुलिस चला रहा है, और इसकी सीमाएँ हैं — गश्त के घंटे तय करना और CCTV लगवाना कार्यपालिका का काम है, और न्यायालयों के पास उसकी निगरानी के लिए न कर्मचारी हैं न विशेषज्ञता। शक्तियों के पृथक्करण का तर्क गंभीर है, और निरंतर न्यायिक प्रबंधन निर्वाचित प्राधिकारियों को ज़िम्मेदारी से बचने दे सकता है। इसका उत्तर यह है कि न्यायालय ने बार-बार की प्रशासनिक विफलता के बाद ही कार्यवाई की है और अपने आदेशों को अंतरिम रूप दिया है, तथा अधिकारियों से अपनी योजनाएँ स्वयं रिपोर्ट करने को कहा है। उसका हस्तक्षेप उसी सीमा तक उचित है जिस सीमा तक वह पुलिसिंग की रूपरेखा स्वयं गढ़ने का प्रयास किए बिना जवाबदेही लागू करता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“जवाबदेही से रहित चिंता की अभिव्यक्तियाँ व्यापक संस्थागत प्रश्न का उत्तर देने में अपर्याप्त हैं।” दिल्ली-NCR में यौन हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान के आलोक में चर्चा कीजिए कि 2013 के बाद के विधिक सुधार सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित क्यों नहीं बना सके, और जवाबदेही तय करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — बताइए कि 28 सितंबर, 2026 को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली-NCR में हाल के यौन हमलों का स्वतः संज्ञान लिया, 2012 के निर्भया कांड से समानताएँ खींचीं और कहा कि हिंसा के भय से मुक्ति अनुच्छेद 21 का अंग है। 2. मुख्य भाग — 2013 के बाद क्या बदला — आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013, POSH अधिनियम, 2013, निर्भया कोष, फ़ास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों और महिला हेल्प डेस्क का उल्लेख कीजिए। ध्यान दिलाइए कि कानून और धन दोनों मौजूद हैं, जैसे 2015-2025 में निर्भया कोष के ₹7,712.85 करोड़ में से ₹5,846.08 करोड़ का उपयोग हुआ।

3. **मुख्य भाग — यह काम क्यों नहीं आया** — मरम्मत के बिना ऑडिट, NCR में अधिकार-क्षेत्र से बंधी पुलिसिंग, पुलिस में महिलाओं का कम अनुपात, सुरक्षित बुनियादी ढाँचे के स्थान पर मुक्त परिवहन का विकल्प, लेडी श्री राम कॉलेज के पास की पूर्व शिकायतों की उपेक्षा, और प्रकाश सिंह सुधारों का असमान कार्यान्वयन स्पष्ट कीजिए।
4. **मुख्य भाग — जवाबदेही तय करना** — सार्वजनिक संवेदनशीलता मानचित्र और मरम्मत की निगरानी, समय-सीमा के साथ नामित अधिकारी, NCR में साझा अपराध-आँकड़े, महाविद्यालयों में कार्यरत आंतरिक शिकायत समितियाँ, पुलिस और परिवहन नौकरियों में अधिक महिलाएँ, और अनुपालन की निरंतर न्यायिक समीक्षा सुझाइए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष में कहिए कि महिला सुरक्षा अब मापने योग्य क्रियान्वयन का प्रश्न है, और न्यायालय का आदेश तभी मायने रखेगा जब उससे रोशन सड़कें और चालू कैमरे मिलें, ऑडिट का एक और दौर नहीं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप दिल्ली के एक ज़िले के पुलिस उपायुक्त हैं और आपसे चार सप्ताह में संवेदनशीलता मानचित्र तैयार करने को कहा गया है। आप यह कैसे करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं अपराध के आँकड़ों, आपातकालीन कॉल के अभिलेखों और महाविद्यालयों तथा निवासी समूहों की शिकायतों को साथ मिलाऊँगा, और महिला अधिकारियों तथा छात्राओं को साथ लेकर रात में पार्कों, बस स्टॉपों और सुनसान हिस्सों का भौतिक निरीक्षण करूँगा। चिह्नित हर स्थान के लिए एक विशिष्ट समाधान, ज़िम्मेदार एजेंसी और समय-सीमा तय होगी, चाहे वह रोशनी हो, कैमरा, गश्त या हेल्प पॉइंट। मैं मानचित्र को पड़ोसी धानों और ज़िलों के साथ साझा करूँगा। उसका सार्वजनिक संस्करण नागरिकों को यह बताने देगा कि समाधान हुए या नहीं।

प्रश्न 2. एक महिला महाविद्यालय की प्राचार्य के रूप में, जिसकी छात्राओं ने पास में उत्पीड़न की शिकायत पहले की थी, आप अब क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सुनिश्चित करूँगी कि आंतरिक शिकायत समिति ठीक से गठित हो और छात्राओं को पता हो कि उस तक कैसे पहुँचना है। मैं पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों को असुरक्षित हिस्सों की सूची के साथ औपचारिक पत्र लिखूँगी और समाधान होने तक लिखित रूप में पीछा करूँगी। स्थानीय थाने और छात्र प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें इस मुद्दे को जीवित रखेंगी। मैं छात्राओं की आवाज़ाही पर पाबंदी लगाकर जवाब नहीं दूँगी, क्योंकि सुरक्षा का अर्थ कैद नहीं हो सकता।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या न्यायालयों को यह निर्देश देना चाहिए कि पुलिस शहर में गश्त कैसे करे?

दृष्टिकोण (Approach): आदर्श रूप में नहीं, क्योंकि पुलिसिंग कार्यपालिका का कार्य है और न्यायालय उसे रोज़मर्रा के स्तर पर चलाने के लिए सक्षम नहीं है। परंतु जब बार-बार की विफलताएँ किसी मूल अधिकार को खतरों में डालें, तब कार्रवाई करना न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है। सबसे अच्छे न्यायिक आदेश परिणाम और समय-सीमा तय करते हैं और तरीका कार्यपालिका पर छोड़ते हैं, और यह अंतरिम आदेश मोटे तौर पर यही करता है। दीर्घकालिक उत्तर पुलिस के भीतर मज़बूत आंतरिक जवाबदेही है, ताकि न्यायालयों को हस्तक्षेप की ज़रूरत ही न पड़े।

8.2 AI से बने फ़र्जी वीडियो और असत्यापित संदेशों ने उज्जैन में झड़पें और पंजाब के दो विश्वविद्यालयों में हिंसा भड़काई

समाचार (THE NEWS) उज्जैन और जालंधर। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर फैली अफ़वाहों, जिनमें AI से बने वीडियो भी थे, ने दो राज्यों में हिंसा भड़काई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार, 28 सितंबर को शाही मस्जिद के उस हिस्से को हटाने को लेकर पुलिस और भीड़ के बीच झड़पें हुईं, जो 2028 के सिंहस्थ (उज्जैन में लगने वाला कुंभ मेला) से पहले चौड़ी की जा रही सड़क की ज़रूरत में आता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर को आंशिक ध्वस्तीकरण को मंजूरी दी थी। उज्जैन नगर निगम ने कहा कि सड़क-चौड़ीकरण से लगभग 80 धार्मिक स्थल प्रभावित हुए हैं, और 10 मंदिरों तथा एक मस्जिद के हिस्से पहले ही हटाए जा चुके हैं; मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पुश्तैनी घर के बाहर के ढाँचे ध्वस्त करवाए थे। पुलिस ने 2,500 कर्मियों को तैनात किया, और रात भर चली बातचीत के बाद शहर काज़ी ने कहा कि मामला आपसी सहमति से सुलझ गया है। सोमवार सुबह पथराव हुआ और पुलिस ने आँसू गैस तथा लाठीचार्ज किया। पुलिस का कहना है कि मस्जिद समिति के एक असंतुष्ट गुट ने भीड़ जुटाई और कुछ युवा सदस्य AI से बने उन वीडियो से भ्रमित हुए जिनमें झूठा दिखाया गया था कि ढाँचा गिराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कहा, “इन वीडियो में से एक में JCB पूरी मस्जिद गिरा रही थी, जो पूरी तरह झूठ था।” दोपहर तक रिट अपील की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय को बताया गया कि मुस्लिम पक्ष सहयोग के लिए सहमत हो गया है, और उसने याचिका का निपटारा कर दिया; शाम तक समिति के सदस्य स्वयं वह हिस्सा गिरा रहे थे। पुलिस ने पाँच सोशल मीडिया पेजों या इन्फ़्लुएंसरों के विरुद्ध पाँच FIR दर्ज की हैं, 15 लोगों को गिरफ़्तार किया है, 100 से अधिक इंस्टाग्राम खातों की शिकायत की है, और शहर काज़ी की शिकायत पर भी एक FIR दर्ज की है। यह विवाद मस्जिद की वक्फ़ संपत्ति का प्रबंधन कौन करे, इस पर दो गुटों के बीच की तकरार भी है। पंजाब में लगभग 27 घंटों और 140

किमी के भीतर दो निजी विश्वविद्यालयों में असत्यापित दावों से प्रदर्शन भड़के। पटियाला के राजपुरा में चितकारा विश्वविद्यालय में 25 सितंबर की देर रात सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए, क्योंकि पोस्टों में दावा किया गया था कि दो छात्राएँ लापता हैं; पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हुए। 27 सितंबर को लगभग रात 2 बजे फगवाड़ा के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में एक संदेश में दावा किया गया कि गर्ल्स होस्टल में एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है; प्रदर्शन आगज़नी और तोड़फोड़ में बदल गया, और छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को अवरुद्ध कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अब तक किसी भी विश्वविद्यालय में इन दावों का कोई प्रमाण नहीं मिला है; चितकारा में जाँच में कोई छात्रा लापता नहीं पाई गई। द हिंदू के अनुसार पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की और LPU में विशेष जाँच दल (SIT) गठित किया, विश्वविद्यालय ने 10 दिन के लिए कक्षाएँ स्थगित कर दीं, और तीन छात्राओं ने कहा कि LPU ने बलात्कार के दावे को खारिज करते हुए उनका एक वीडियो उनकी सहमति के बिना डाल दिया। पाठ्यक्रम से संबंध: आंतरिक सुरक्षा में सोशल मीडिया की भूमिका पर GS3 और सांप्रदायिकता पर GS1।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

विकास परियोजना, यानी 2028 के सिंहस्थ के लिए सड़क-चौड़ीकरण, धार्मिक ढाँचों को छूती है, और पंजाब के एक परिसर में छात्रों की पुरानी शिकायतें मौजूद हैं → अधिकार या प्रबंधन पर स्थानीय विवाद ऐसा समूह बना देता है जो सबसे बुरे पर यकीन करने को तैयार है → AI से बने वीडियो या असत्यापित संदेश घंटों में झूठा बहाना उपलब्ध करा देते हैं → भीड़ अधिकारियों के सत्यापन करने या समझाने से तेज़ जुट जाती है → पथराव, आगज़नी और राजमार्ग-अवरोध होते हैं, और पुलिस नुकसान हो जाने के बाद पेजों तथा इन्फ्लुएंसरों पर FIR से जवाब देती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सरकार को अवरोधन की शक्तियाँ देता है और प्लेटफ़ॉर्मों की विधिक उन्मुक्ति को सशर्त बनाता है — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act) की धारा 69क संघ सरकार को संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था के हित में, या संज्ञेय अपराध के उद्दीपन को रोकने के लिए, 2009 के अवरोधन नियमों की प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने का निर्देश देने देती है। धारा 79 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं की सामग्री के दायित्व से 'सुरक्षित बंदरगाह' (safe harbour) देती है, बशर्ते वे उचित सावधानी बरतें और वैध आदेशों पर कार्रवाई करें। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 इसी सावधानी को स्पष्ट करते हैं। PIB की एक विज्ञप्ति के अनुसार, 10 फ़रवरी, 2026 को अधिसूचित संशोधनों में प्लेटफ़ॉर्मों से अपेक्षा है कि वे अनुमत AI-निर्मित सामग्री पर स्पष्ट लेबल और खोजे जा सकने योग्य मेटाडेटा सुनिश्चित करें तथा न्यायालय के आदेश के तीन घंटे के भीतर अवैध सामग्री हटाएँ।
2. श्रेया सिंघल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन उकसावे के बीच की रेखा खींची — श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा 66क को, जो 'अत्यंत आपत्तिजनक' या 'धमकी भरे' ऑनलाइन संदेशों को दंडित करती थी, अस्पष्ट और अनुच्छेद 19(1)(क) का उल्लंघन बताकर रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत लोक व्यवस्था के आधार पर केवल वही अभिव्यक्ति प्रतिबंधित की जा सकती है जो उकसावे के स्तर तक पहुँचे, न कि मात्र चर्चा या पक्ष-समर्थन। उसने धारा 69क को इसलिए बनाए रखा कि उसमें प्रक्रियात्मक रक्षोपाय और कारण-सहित आदेश हैं। उसने धारा 79 का यह अर्थ भी निकाला कि प्लेटफ़ॉर्म को सामग्री केवल न्यायालय के आदेश या सरकारी अधिसूचना पर हटानी होती है, केवल निजी शिकायतों पर नहीं।
3. भारतीय न्याय संहिता अफ़वाह फैलाने और शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करती है — भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), जिसने 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लिया, ऐसे बयान, झूठी सूचना, अफ़वाह या रिपोर्ट बनाने या फैलाने के अपराध को जारी रखती है जो लोक-अनिष्ट पैदा करने या एक समूह को दूसरे के विरुद्ध भड़काने के आशय से किए जाएँ; यह धारा 353 है, जो IPC की धारा 505 की उत्तराधिकारी है, और अब यह स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को भी शामिल करती है। BNS की धारा 196, जो IPC की धारा 153क की उत्तराधिकारी है, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास, भाषा और ऐसे ही आधारों पर समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने को दंडित करती है। BNS की धारा 103(2) मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग या व्यक्तिगत विश्वास जैसे आधारों पर पाँच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई हत्या को अलग अपराध बनाती है, और नई संहिता भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) को इसी तरह संबोधित करती है।
4. तहसीन पूनावाला ने भीड़-हिंसा के विरुद्ध ज़िला प्रशासनों के कर्तव्य तय किए — तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भीड़-हिंसा और लिंचिंग को रोकना राज्य का कर्तव्य है, और उसने निवारक, उपचारात्मक तथा दंडात्मक निर्देश जारी किए। राज्यों को प्रत्येक ज़िले में पुलिस अधीक्षक से नीचे के पद के न होने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना था, ऐसी घटनाओं की आशंका वाले क्षेत्र चिह्नित करने थे, और सोशल मीडिया पर और-जिम्मेदार तथा भड़काऊ संदेशों के प्रसार के विरुद्ध कार्रवाई करनी थी। न्यायालय ने कहा कि कार्रवाई में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। ये निर्देश अफ़वाह से भड़की हिंसा के विरुद्ध ज़िला-स्तरीय तैयारी का आज भी आदर्श ढाँचा हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 में सोशल मीडिया को आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में नामित किया गया है — GS3 के पाठ्यक्रम में संचार नेटवर्कों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं। UPSC ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने में सोशल मीडिया की भूमिका और फ्रैक न्यूज़ के विनियमन पर पूछा है। AI-निर्मित वीडियो उसी समस्या का सबसे नया रूप है।
2. GS1 में सांप्रदायिकता आती है और GS4 में सूचना की नैतिकता — GS1 में सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता शामिल हैं, और GS4 के केस स्टडी अक्सर किसी अधिकारी को अफ़वाह से भड़के तनावपूर्ण हालात में रखते हैं। यह कहानी अच्छे व्यवहार, यानी शुरुआती बातचीत और सत्यापन, का नमूना भी देती है और विफलता का भी, जहाँ अधिकारी अफ़वाह से एक क़दम पीछे थे।
3. प्रारंभिक परीक्षा में IT अधिनियम और अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता के ऐतिहासिक मामले परखे जाते हैं — IT अधिनियम की धाराएँ 66क, 69क और 79 तथा श्रेया सिंगल निर्णय प्रारंभिक परीक्षा की बार-बार आने वाली सामग्री हैं। AI-निर्मित सामग्री के लिए 2026 का लेबलिंग संशोधन एक संभावित नया प्रश्न है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क संघ सरकार को संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था जैसे आधारों पर ऑनलाइन सूचना तक सार्वजनिक पहुँच अवरुद्ध करने का निर्देश देने की शक्ति देती है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 उचित सावधानी की शर्त पर मध्यस्थों को तृतीय-पक्ष सामग्री के लिए सशर्त 'सुरक्षित बंदरगाह' देती है।
- श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66क को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया।
- तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि भीड़-हिंसा रोकने के लिए प्रत्येक ज़िले में पुलिस अधीक्षक से नीचे के पद के न होने वाला नोडल अधिकारी नामित करें।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196 धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. अफ़वाह ने शिकायत पैदा नहीं की; उसने पहले से मौजूद शिकायत को हथियार बना लिया — उज्जैन में एक वास्तविक विवाद था: लगभग 80 धार्मिक स्थलों को प्रभावित करने वाली सड़क परियोजना और मस्जिद की वक्रफ संपत्ति के नियंत्रण पर दो गुटों की तकरार। पंजाब के विश्वविद्यालयों में अधिकारी छात्रों और प्रबंधनों के बीच बढ़ती अनबन की बात कहते हैं। फ़र्ज़ी वीडियो केवल उन्हीं पर असर करता है जो पहले से अविश्वास के लिए तैयार बैठे हों। इसका अर्थ है कि पहला बचाव तकनीक नहीं, संस्थाओं की विश्वसनीयता है: जो प्रशासन अपने निर्णय खुलकर और पहले से समझाता है, वह झूठी कहानी के लिए कम गुंजाइश छोड़ता है।
2. उज्जैन दिखाता है कि परामर्श काम करता है, पर तभी जब वह अफ़वाह से पहले सब तक पहुँचे — उज्जैन प्रशासन ने कई काम सही किए। उसने न्यायालय का आदेश लिया, मंदिरों के हिस्से और मुख्यमंत्री के अपने पुश्तैनी ढाँचे हटाकर निष्पक्षता दिखाई, और रात भर बातचीत की जब तक शहर काज़ी ने सहमति की घोषणा नहीं की। फिर भी युवाओं का एक वर्ग, जिस तक वार्ताकारों की नहीं बल्कि एक वीडियो की पहुँच थी, बाहर निकल आया। समुदाय के नेताओं के साथ हुए समझौतों को व्यापक जनता तक सौंघे पहुँचाना होगा, उन्हीं सोशल मीडिया माध्यमों से, अफ़वाह जितनी ही गति से।
3. घटना के बाद की FIR आवश्यक हैं पर मुख्य साधन नहीं हो सकती — पाँच FIR, 15 गिरफ़्तारियाँ और 100 से अधिक खातों की शिकायत संकेत देती हैं कि ऐसी सामग्री फैलाने के परिणाम होते हैं। परंतु आपराधिक क़ानून हिंसा के बाद काम करता है। रोकथाम के लिए त्वरित सत्यापन चाहिए: पुलिस के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ जो घंटे भर में प्रमाण सहित स्पष्ट खंडन जारी कर सकें, और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जो हिंसा भड़काने वाली AI-निर्मित सामग्री पर शीघ्र कार्रवाई करने को बाध्य हों। लेबलिंग और तेज़ हटाव की अपेक्षा करने वाले फ़रवरी 2026 के संशोधन मदद करते हैं, पर लेबल लगा फ़र्ज़ी वीडियो भी बंद मैसेजिंग समूहों में फैलता है जहाँ लेबल आसानी से हटा दिए जाते हैं।
4. परिसरों के दंगे दिखाते हैं कि संस्थागत चुप्पी अफ़वाह को खाद देती है, और संस्थागत लीपापोती भी — चितकारा में छात्रों ने CCTV फुटेज और जवाब माँगे; LPU में संदेश में आरोप था कि विश्वविद्यालय ने शिकायतों की अनदेखी की। जब संस्थाएँ अपारदर्शी दिखती हैं, तो छात्र सबसे बुरा मान लेते हैं। LPU की प्रतिक्रिया, यानी तीन छात्राओं का दावे को खारिज

	करता वीडियो उनकी सहमति के बिना डालना, ने उनकी गरिमा और निजता का उल्लंघन करके समस्या को गहरा किया। सही तरीका छात्र प्रतिनिधित्व वाली स्थायी, भरोसेमंद शिकायत-निवारण व्यवस्था और पुलिस का त्वरित तथा पारदर्शी सत्यापन है, जनसंपर्क का प्रबंधन नहीं। 5. प्रतिपक्ष: कड़ी भाषण-पुलिसिंग वैध विरोध को दबा सकती है — ‘अफ़वाह’ के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई आलोचना को दंडित करने में बदल सकती है, और श्रेया सिंघल ने अस्पष्ट अपराधों के प्रति चेताया था। सुरक्षा की चिंता उठाने वाले छात्र और किसी ध्वस्तीकरण पर सवाल उठाने वाले समुदाय वैध अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। रेखा जानबूझकर गद्दी गई झूठी सामग्री पर खींची जानी चाहिए जो हिंसा भड़काती है, जैसे पूरे ध्वस्तीकरण का गढ़ा गया वीडियो, विरोध या आलोचना पर नहीं। आरोप लगाने में सटीकता और अवरोधन में प्रक्रियात्मक रक्षोपाय लोक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोनों की रक्षा करते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“AI-निर्मित भ्रामक सूचनाओं ने अफ़वाह और दंगे के बीच की दूरी घटा दी है।” हाल की घटनाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किए बिना अफ़वाह-जनित हिंसा को रोकने के लिए कौन-से विधिक, तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए जा सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — 28 सितंबर, 2026 की उज्जैन झड़प का उल्लेख कीजिए, जहाँ पुलिस के अनुसार AI-निर्मित वीडियो में झूठा दिखाया गया कि मस्जिद पूरी गिराई जा रही है, और चितकारा तथा LPU में हुई परिसर-हिंसा का, जो ऐसे दावों से भड़की जिनका पुलिस के अनुसार अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला। 2. मुख्य भाग — अब अफ़वाहें हिंसा तक जल्दी क्यों पहुँचती हैं — यथार्थवादी AI वीडियो, बंद मैसजिंग समूह, ज़मीन, वक्फ़ प्रबंधन या परिसर की अनबन जैसी पहले से मौजूद शिकायतें, और आधिकारिक संवाद की धीमी गति स्पष्ट कीजिए। ध्यान दिलाइए कि हिंसा बहाने के कुछ ही घंटों में हुई। 3. मुख्य भाग — विधिक ढाँचा — IT अधिनियम की धाराएँ 69क और 79, IT नियम 2021 तथा फ़रवरी 2026 के लेबलिंग और तीन घंटे में हटाव के संशोधन, BNS की धाराएँ 196 और 353, और तहसीन पूनावाला के निर्देश शामिल कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा के रूप में श्रेया सिंघल का उल्लेख कीजिए। 4. मुख्य भाग — प्रशासनिक और तकनीकी उपाय — ज़िला स्तर के त्वरित-प्रतिक्रिया सत्यापन प्रकोष्ठ, समझौतों और निर्णयों का पहले से संप्रेषण, समुदाय तथा छात्र शिकायत मंच, प्लेटफ़ॉर्मों का सहयोग, डिजिटल साक्षरता, और तहसीन पूनावाला के अंतर्गत नोडल अधिकारी सुझाइए। वैध विरोध की रक्षा के लिए सटीक आरोपों पर बल दीजिए। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष में कहिए कि झूठी कहानी के विरुद्ध सबसे अच्छा बचाव वह भरोसेमंद संस्था है जो सच्ची कहानी पहले सुनाए, और जिसके पीछे संकीर्ण तथा भली-भाँति परिभाषित कानून हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आप सड़क परियोजना के लिए किसी धार्मिक ढाँचे का न्यायालय-अनुमोदित आंशिक ध्वस्तीकरण करने वाले हैं। आप तैयारी कैसे करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले से ही सभी गुटों और समुदाय के नेताओं से मिलूँगा, न्यायालय का आदेश समझाऊँगा और दिखाऊँगा कि मार्ग के सभी आस्थाओं के ढाँचों के साथ एक-सा व्यवहार हो रहा है। काम शुरू होने से पहले आधिकारिक सोशल मीडिया पर तथ्य रखूँगा, जिनमें ठीक-ठीक क्या हटाया जाएगा इसकी तस्वीरें और नक्शे होंगे। पुलिस का साइबर प्रकोष्ठ फ़र्जी सामग्री पर नज़र रखेगा और तेज़, साक्ष्य-आधारित खंडन जारी करेगा। मैं बल की तैनाती की योजना बनाऊँगा, पर जहाँ समुदाय स्वयं काम करने को तैयार हो वहाँ उसे ही करने दूँगा, जैसा उज्जैन में हुआ। प्रश्न 2. आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं और रात 2 बजे विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अपराध का एक संदेश फैल रहा है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत परिसर भेजूँगा, छात्र प्रतिनिधियों से मिलूँगा और विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हॉस्टल तथा किसी भी CCTV फुटेज सहित दृश्य और समयबद्ध सत्यापन शुरू करूँगा। जो कुछ किसी छात्र की पहचान उजागर किए बिना सार्वजनिक रूप से साझा किया जा सकता है, वह साझा करूँगा। राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर बल अंतिम उपाय होना चाहिए। यदि दावा झूठा पाया जाए तो स्रोत का पता लगाया जाना चाहिए; यदि सच हो तो मामला बिना देरी दर्ज किया जाना चाहिए। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या सरकार को यह तय करने की अनुमति होनी चाहिए कि

फ़ेक न्यूज़ क्या है?

दृष्टिकोण (Approach): कार्यपालिका द्वारा अकेले सच तय करना जोखिम भरा है, क्योंकि उसका उपयोग आलोचना के विरुद्ध हो सकता है। स्पष्ट रूप से गढ़ी गई और हिंसा भड़काने वाली सामग्री, जैसे ध्वस्तीकरण का फ़र्जी वीडियो, कानून के अंतर्गत प्रक्रियात्मक रक्षोपायों के साथ शीघ्र हटाई जा सकती है और हटाई जानी चाहिए। विवादित दावों के लिए बेहतर साधन स्वतंत्र तथ्य-जाँच, पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी हैं। मानक उकसावा और प्रदर्शित की जा सकने वाली असत्यता होना चाहिए, सरकार को होने वाली असुविधा नहीं।

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ अब स्थानों से अधिक नेटवर्कों की होती जा रही हैं: सीमा-पार चलने वाले आतंकी मॉड्यूल, विदेश में बैठे गैंगस्टर, और मादक पदार्थों के वे मार्ग जो मणिपुर के जातीय संघर्ष को आकार देते हैं। केंद्र की नई आतंकवाद-रोधी रणनीति समन्वय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बल देकर सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार करती है। मणिपुर कठोर सच्चाई दिखाता है: जहाँ संघर्ष मिश्रित गाँवों और तस्करी के मार्गों से होकर गुजरता है, वहाँ राज्य फ़िलहाल हिंसा को केवल संभाल पा रहा है, समाप्त नहीं कर पा रहा।

9.1 अमित शाह ने राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में PRAHAAR के सात स्तंभ और प्रत्यर्पण पोर्टल जारी किए

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 28 सितंबर को नई दिल्ली में 'PRAHAAR - CT नीति एवं रणनीति' पर सम्मेलन का उद्घाटन किया और संपूर्ण-समाज दृष्टिकोण के साथ संस्थागत आतंकवाद-रोधी ढाँचे का आह्वान किया। PRAHAAR सात स्तंभों का संक्षिप्त रूप है: निवारण (Prevention), प्रतिक्रिया (Response), आंतरिक क्षमताओं का समेकन (Aggregating Internal Capacities), मानवाधिकार (Human Rights), आतंकवाद के अनुकूल परिस्थितियों का क्षीणन (Attenuating Conditions for Terrorism), अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समन्वयन (Aligning International Efforts), और पुनर्प्राप्ति तथा सहनीयता (Recovery and Resilience)। PIB की एक पृष्ठभूमि-टिप्पणी के अनुसार गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी, 2026 को PRAHAAR को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति के रूप में जारी किया था; सोमवार का सम्मेलन उसे व्यवहार में उतारने के बारे में था। इसमें केंद्रीय गृह सचिव, विदेश सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख, 15 राज्यों के पुलिस महानिदेशक तथा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के आतंकवाद-निरोधी दस्तों (ATS) के प्रमुख उपस्थित थे। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने हर प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है। उन्होंने आतंकी घटनाओं के सतत विश्लेषण और अगले 10 वर्षों के लिए टोस तंत्र के ज़रिए PRAHAAR को सुदृढ़ करने का आह्वान किया, और कहा कि उसके सिद्धांत थाना स्तर तक पहुँचने चाहिए। ET के अनुसार उन्होंने हर स्तर पर स्वचालित आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रिया की वकालत की। श्री शाह के अनुसार 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई। उन्होंने विदेश से भगोड़ों को वापस लाने के प्रयासों को तेज़ करने के लिए नया "प्रत्यर्पण पोर्टल" शुरू किया और राज्य पुलिस बलों से भगोड़ों का पता लगाने वाली समर्पित टीमें बनाने का आग्रह किया। प्रत्यर्पण (Extradition) का अर्थ है किसी अभियुक्त या दोषसिद्ध व्यक्ति को एक देश द्वारा दूसरे देश को औपचारिक रूप से सौंपना, जो प्रायः संधि के अंतर्गत होता है। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय से शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के 40 से अधिक मॉड्यूलों का भंडाफोड़ हुआ, जिस पर हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की सीमा-पार तस्करी में सलिलप्त होने का आरोप है; ET के अनुसार 15 राज्यों में 100 से अधिक FIR दर्ज हुईं और 350 लोग गिरफ्तार किए गए। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उसी दिन अमेरिका की संघीय जाँच एजेंसी (FBI) ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ़ गोल्डी बराड को अपनी दस मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में शामिल किया और इनाम ₹9.58 करोड़ के लगभग, यानी \$50,000 से बढ़ाकर \$1 मिलियन कर दिया। वह हत्या, जबरन वसूली और मादक पदार्थ वितरण के लिए वांछित है, उत्तरी अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गुट का प्रमुख बताया जाता है, और उस पर कनाडा में 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका का आरोप है। IE ने 28-29 सितंबर, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के दस वर्ष भी रेखांकित किए, जब उरी हमले में 19 सैनिकों के मारे जाने के बाद सेना के विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा के पार सात लॉन्चपैडों पर हमला किया था। वहाँ उद्धृत सरकारी आँकड़ों के अनुसार 2016 में 322 उपद्रवादी घटनाएँ हुईं, जबकि 2025 में आतंकवाद-संबंधी 12 घटनाएँ हुईं। पाठ्यक्रम से संबंध: आतंकवाद, संगठित अपराध और सुरक्षा एजेंसियों पर GS3।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

आतंकी खतरे बड़े हमलों से हटकर हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थ जोड़ने वाले सीमा-पार मॉड्यूलों की ओर बढ़ते हैं → अभियान राज्य पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और विदेशी अधिकार-क्षेत्रों में फैल जाते हैं, और समन्वय की कमियों से देरी होती है → गृह मंत्रालय फरवरी 2026 में पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति के रूप में PRAHAAR जारी करता है → सितंबर का सम्मेलन उसे DGP और ATS प्रमुखों के साथ थाना स्तर तक पहुँचाता है → प्रत्यर्पण पोर्टल और भगोड़ा-अनुसंधान दल प्रयास को विदेश में बैठे भगोड़ों तक बढ़ाते हैं, जैसे वे गैंगस्टर जो अब FBI को वांछित हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. UAPA और NIA अधिनियम भारत के आतंकवाद-रोधी क़ानून के दो स्तंभ हैं — विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) मूलतः अलगाववादी और विधिविरुद्ध संगठनों के विरुद्ध क़ानून था; आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के 2004 में निरस्त होने के बाद इसमें आतंकवाद के प्रावधान जोड़े गए। 2019 के संशोधन ने संघ सरकार को केवल संगठनों को ही नहीं, व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने की अनुमति दी, और निरीक्षक या उससे ऊपर के पद के NIA अधिकारियों को UAPA मामलों की जाँच का अधिकार दिया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद पारित हुआ और उसने अनुसूचित अपराधों की जाँच राज्यों की पूर्व सहमति के बिना करने वाली केंद्रीय एजेंसी बनाई। इसके 2019 के संशोधन ने NIA को भारत के बाहर भारतीय नागरिकों या भारतीय हितों के विरुद्ध किए गए अनुसूचित अपराधों की जाँच का अधिकार दिया, और मानव-तस्करी तथा साइबर-आतंकवाद जैसे अपराध जोड़े।
2. प्रत्यर्पण प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962, संधियों और राजनयिक माध्यमों से होता है — प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 भारत से विदेशी राज्यों को और भारत के प्रति किए गए, दोनों तरह के अनुरोधों को शासित करता है, और विदेश मंत्रालय का कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा प्रभाग केंद्रीय प्राधिकारी है। प्रत्यर्पण सामान्यतः द्विपक्षीय संधि पर आधारित होता है; जहाँ संधि नहीं है, वहाँ वह किसी व्यवस्था या दोनों देशों के पक्षकार अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के आधार पर हो

सकता है। संधियों में सामान्यतः 'दोहरी आपराधिकता' (dual criminality) अपेक्षित होती है, यानी कृत्य दोनों देशों में अपराध होना चाहिए, और राजनीतिक स्वरूप के अपराध बाहर रखे जाते हैं, यद्यपि अधिकांश आधुनिक संधियाँ आतंकवाद को राजनीतिक-अपराध अपवाद से बाहर रखती हैं। आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधियाँ (MLAT) साक्ष्य जुटाने, समन तामील कराने और संपत्ति का पता लगाने का अलग माध्यम हैं, जिनके लिए गृह मंत्रालय भारत का केंद्रीय प्राधिकारी है।

3. **इंटरपोल का रेड नोटिस व्यक्ति का पता लगाने का अनुरोध है, गिरफ्तारी का वारंट नहीं** — फ्रांस के लियों में मुख्यालय वाला इंटरपोल सदस्य देशों के अनुरोध पर रंग-कोडित नोटिस जारी करता है। रेड नोटिस विश्व भर की विधि-प्रवर्तन एजेंसियों से किसी व्यक्ति का पता लगाने और प्रत्यर्पण या इसी प्रकार की विधिक कार्रवाई लंबित रहने तक उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध करता है, परंतु उस पर कार्रवाई करनी है या नहीं, यह हर देश अपने कानून के अनुसार तय करता है। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है और ऐसे अनुरोध आगे भेजता है। इंटरपोल का संविधान उसे मुख्यतः राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक या नस्लीय स्वरूप के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, जिसे कभी-कभी नोटिसों का विरोध करने के लिए उठाया जाता है।
4. **गुप्तचर-सूचना का एकीकरण और वित्तीय कार्रवाई इस ढाँचे को पूरा करते हैं** — गुप्तचर ब्यूरो के अंतर्गत बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों के बीच आतंकवाद-संबंधी गुप्तचर-सूचना के वास्तविक-समय साझाकरण का मंच है, जिसके सहायक MAC राज्यों की राजधानियों में हैं; PIB के अनुसार PRAHAAR इसी वास्तविक-समय साझाकरण को औपचारिक रूप देता है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद परिकल्पित राष्ट्रीय गुप्तचर ग्रिड (NATGRID) यात्रा, बैंकिंग और दूरसंचार अभिलेखों जैसे डेटाबेसों को अधिकृत एजेंसियों के लिए जोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF), जिसे G7 ने 1989 में स्थापित किया था, धन-शोधन और आतंकी वित्तपोषण के विरुद्ध मानक तय करता है, और भारत 2010 में उसका पूर्ण सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2006 में वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति अपनाई, और भारत 1996 से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय के लिए आग्रह करता रहा है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS3 में आतंकवाद, संगठित अपराध और सुरक्षा एजेंसियों का नाम लेकर उल्लेख है** — GS3 के पाठ्यक्रम में संगठित अपराध के आतंकवाद से संबंध, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ, तथा विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियाँ और उनके अधिदेश आते हैं। UPSC ने समन्वित राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी ढाँचे की आवश्यकता और मादक पदार्थों की तस्करी तथा आतंकवाद के संबंधों पर पूछा है। हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाला शहज़ाद भट्टी नेटवर्क इसका पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है।
2. **पुलिसिंग में संघवाद बार-बार आने वाला पहलू है** — पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, जबकि आतंकवाद राज्यों की सीमाएँ लाँघता है। NIA, NATGRID और प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र पर प्रश्नों ने इसी तनाव को परखा है। PRAHAAR का थाना स्तर तक पहुँचने और राज्यों की भगोड़ा-अनुसंधान टीमों पर बल देना इसे केंद्रीय नियंत्रण से नहीं, समन्वय से हल करने का प्रयास है।
3. **प्रारंभिक परीक्षा में एजेंसियाँ, कानून और अंतरराष्ट्रीय निकाय प्रिय हैं** — UAPA के संशोधन, NIA का क्षेत्राधिकार, इंटरपोल के नोटिस और FATF की सदस्यता प्रारंभिक परीक्षा की नियमित सामग्री हैं। प्रत्यर्पण संधि और MLAT का अंतर कथन-प्रकार के प्रश्न के रूप में संभावित है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 ने संघ सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया।
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने NIA को भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले अनुसूचित अपराधों की जाँच करने में समर्थ बनाया।
- इंटरपोल का रेड नोटिस विश्व भर की विधि-प्रवर्तन एजेंसियों से किसी व्यक्ति का पता लगाने और प्रत्यर्पण लंबित रहने तक उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है; यह अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है।
- आतंकवाद-रोधी गुप्तचर-सूचना साझा करने वाला बहु-एजेंसी केंद्र गुप्तचर ब्यूरो के अंतर्गत कार्य करता है।
- भारत 2010 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का पूर्ण सदस्य बना।
- प्रत्यर्पण में दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत अपेक्षा करता है कि आचरण अनुरोध करने

	वाले और अनुरोध प्राप्त करने वाले, दोनों देशों में अपराध हो।
विश्लेषण (ANALYSIS)	- लिखित सिद्धांत इसलिए मायने रखता है कि भारत की आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रिया तात्कालिक रही है — दशकों तक भारत ने हर बड़े हमले के बाद बनाई गई एजेंसियों के जरिए आतंकवाद का सामना किया: उदाहरण के लिए 2008 के बाद NIA और NATGRID। नामित स्तंभों वाली लिखित राष्ट्रीय नीति केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के लिए साझा शब्दावली तय करती है, और 10 वर्ष का क्षितिज अगली घटना से आगे की योजना बनाने को बाध्य करता है। मानवाधिकार और आतंकवाद के अनुकूल परिस्थितियों के क्षीणन को स्तंभ बनाना महत्वपूर्ण है: यह मानता है कि आतंकवाद-रोध केवल बल नहीं, वैधता और कट्टरपंथ की रोकथाम भी है। कसौटी यह होगी कि इन कोमल स्तंभों को बजट और संकेतक मिलते हैं या वे स्लाइड पर शब्द भर रह जाते हैं। - आतंकवाद-रोध की जीत या हार थाना स्तर पर होती है — अधिकांश आतंकी मॉड्यूल स्थानीय सुरागों से पकड़े जाते हैं: ऐसा किरायेदार जिसका सत्यापन नहीं हो सका, रसायनों की संदिग्ध खरीद, छोटे अपराधों का कोई पैटर्न। श्री शाह का यह आग्रह कि PRAHAAR थाना स्तर तक पहुँचे, स्वीकार करता है कि ATS इकाइयाँ और केंद्रीय एजेंसियाँ बीट के सिपाही पर निर्भर हैं। परंतु थाना-स्तर की पुलिस कानून-व्यवस्था के कामों से लदी है और आतंकवाद-रोधी संकेतकों का उसे बहुत कम प्रशिक्षण मिला है। स्थानीय पुलिस की क्षमता में निवेश के बिना, जिसे प्रकाश सिंह जैसे सुधार सहारा देने के लिए थे, नीति के मुख्यालय का दस्तावेज़ भर बने रहने का जोखिम है। - अपराध और आतंक का अभिसरण असली खतरा है, और PRAHAAR को गिरोहों तथा नशीले पदार्थों को सुरक्षा का मुद्दा मानना होगा — शहज़ाद भट्टी नेटवर्क ने हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी को जोड़ा, और FBI बिश्नोई गुट को पूरे उत्तरी अमेरिका में हत्याओं, जबरन वसूली और मादक पदार्थ-तस्करी में लिप्त बताता है। गिरोह रसद, धन और ऐसे अस्वीकार्य पैदल सैनिक देते हैं जिनका आतंकी समूह उपयोग कर सकते हैं। इससे संगठित अपराध, जो पुलिस का विषय है, और आतंकवाद, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, के बीच की पुरानी रेखा धुंधली होती है। 15 राज्यों में 100 से अधिक FIR और 350 गिरफ्तारियाँ दिखाती हैं कि ऐसे नेटवर्क केवल समन्वित, बहु-राज्यीय कार्रवाई से ही तोड़े जा सकते हैं। - प्रत्यर्पण की सफलता पोर्टल से उतनी नहीं जितनी विदेश में भारत की विश्वसनीयता पर निर्भर है — सात वर्षों में 36 देशों से 288 भगोड़ों को वापस लाना बड़ी उपलब्धि है, और पोर्टल कागज़ी कार्रवाई तेज़ कर सकता है तथा राज्यों को मामले ट्रैक करने दे सकता है। परंतु विदेशी न्यायालय प्रत्यर्पण का निर्णय साक्ष्य, दोहरी आपराधिकता तथा निष्पक्ष सुनवाई और जेल की स्थितियों के आश्वासनों पर करते हैं। भली-भाँति तैयार मामले की फ़ाइलें और देश में विधि-सम्मत प्रक्रिया का निरंतर सम्मान विदेश में भारत के अनुरोधों को मज़बूत करते हैं। गोल्डी बराड का मामला दूसरा रास्ता दिखाता है: जब कोई भगोड़ा मेज़बान देश को भी वांछित हो, तो सहयोग आसान हो जाता है, हालाँकि इसका यह अर्थ भी है कि भारत को उस देश के अपने अभियोजन की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। - प्रतिपक्ष: सर्जिकल स्ट्राइक का दशक दिखाता है कि सफलता नए जोखिम लाती है — IE द्वारा उद्धृत सरकारी आँकड़ों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में उपवादी घटनाएँ 2016 में 322 से घटकर 2025 में आतंकवाद-संबंधी 12 रह गईं, और निगरानी कहीं बेहतर है। परंतु खतरा जम्मू के जंगलों में चला गया है, और पूर्व उत्तरी सेना कमांडर लेफ़्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा (सेवानिवृत्त) चेतावनी देते हैं कि वृद्धि (escalation) का जोखिम बढ़ गया है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा। सीमा-पार प्रतिशोध पर निर्भर आतंकवाद-रोधी रणनीति को परमाणु-सम्पन्न पड़ोसियों के बीच वृद्धि का प्रबंधन भी करना होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के समन्वयन वाला PRAHAAR का स्तंभ इस समीकरण का कूटनीतिक पक्ष है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत ने PRAHAAR को अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति के रूप में अपनाया है। परीक्षण कीजिए कि भारत के आतंकवाद-रोधी प्रयास में अंतर-एजेंसी समन्वय, संघीय पुलिसिंग और अपराध-आतंक अभिसरण की चुनौतियों पर एक लिखित रणनीति कहाँ तक विजय पा सकती है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	- प्रस्तावना — PIB के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा फ़रवरी 2026 में जारी PRAHAAR का, और 28 सितंबर के उस सम्मेलन का परिचय दीजिए जिसमें अमित शाह ने 10 वर्ष का तंत्र और संपूर्ण-समाज दृष्टिकोण माँगा। सात स्तंभों को संक्षेप में गिनाइए। - मुख्य भाग — लिखित रणनीति क्या जोड़ती है — एजेंसियों में साझा सिद्धांत, लंबा क्षितिज, मानवाधिकार और मूल कारणों का समावेश, और अंतरराष्ट्रीय स्तंभ। प्रत्यर्पण पोर्टल और 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 288 भगोड़ों के रिकॉर्ड का उल्लेख कीजिए। - मुख्य भाग — संरचनात्मक चुनौतियाँ — राज्य का विषय होने के नाते पुलिस, कार्यभार से दबी

थाना-स्तर की पुलिस, शहज़ाद भट्टी नेटवर्क और बिश्नोई गुट से दिखा अपराध-आतंक अभिसरण, और प्रत्यर्पण के लिए विदेशी न्यायालयों पर निर्भरता। मौजूदा ढाँचे का उल्लेख कीजिए: UAPA, NIA, MAC, NATGRID।

4. मुख्य भाग — इसे कारगर बनाना — ज़िला स्तर पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, राज्यों में साझा डेटाबेस और भगोड़ा-अनुसंधान दल, प्रत्येक स्तंभ के लिए मापने योग्य संकेतक, प्रत्यर्पण अनुरोधों की विधिक गुणवत्ता, और आतंकी वित्तपोषण पर FATF के अनुरूप कार्रवाई सुझाए।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष में कहिए कि रणनीति आवश्यक शुरुआत है, पर समन्वय संस्थाओं, प्रशिक्षण और बजट से बनी आदत है, और विधि-शासन का स्तंभ आतंक के विरुद्ध लड़ाई को कमज़ोर नहीं, मज़बूत करता है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. सीमावर्ती ज़िले के पुलिस अधीक्षक के रूप में आप थाना स्तर पर PRAHAAR को कैसे लागू करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं थाना कर्मियों को कट्टरपंथ, हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी के संकेतकों का प्रशिक्षण दूंगा और यह भी कि ज़िला गुप्तचर इकाई को इसकी सूचना जल्दी कैसे दें। किरायेदारों और कर्मचारियों का सत्यापन तथा विस्फोटक लाइसेंसों की निगरानी नियमित बनाई जाएगी। गृह मंत्री के आग्रह के अनुसार मैं भगोड़ों का पता लगाने वाला छोटा प्रकोष्ठ बनाऊंगा। भरोसा बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग का उपयोग होगा, क्योंकि स्थानीय जानकारी ही सबसे अच्छी पूर्व-चेतावनी है।

प्रश्न 2. आप एक यूरोपीय देश में बैठे भगोड़े के प्रत्यर्पण अनुरोध को सँभाल रहे हैं। आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सुनिश्चित करूंगा कि आरोप-पत्र और साक्ष्य अनुरोधित देश के मानकों पर खरे उतरें और अपराध दोहरी आपराधिकता की शर्त पूरी करे। मैं निष्पक्ष सुनवाई और जेल की स्थितियों पर आपत्तियों का अनुमान लगाकर विदेश मंत्रालय के माध्यम से आश्वासन तैयार करूंगा। किसी भी इंटरपोल नोटिस पर मैं CBI से समन्वय करूंगा और अतिरिक्त साक्ष्य के लिए MLAT माध्यम का उपयोग करूंगा। हर कदम दस्तावेज़ में दर्ज होगा, क्योंकि कमज़ोर फ़ाइल अनुरोधों के विफल होने का सबसे आम कारण है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या मानवाधिकार का स्तंभ आतंकवाद-रोध को कमज़ोर करता है?

दृष्टिकोण (Approach): नहीं। आतंकवाद का उद्देश्य राज्य को अतिप्रतिक्रिया के लिए उकसाना है, जो समुदायों को अलग-थलग करके नए भर्ती-योग्य लोग पैदा करती है। कानून और अधिकारों का सम्मान करने वाले अभियान जनता का भरोसा बनाए रखते हैं, ऐसे साक्ष्य देते हैं जो न्यायालय में टिकते हैं, और विदेश में प्रत्यर्पण अनुरोधों में भारत का पक्ष मज़बूत करते हैं। इसलिए मानवाधिकार का स्तंभ प्रभावशीलता का हिस्सा है, उस पर अंकुश नहीं।

9.2 फ़रवरी से मणिपुर में नागा-कुकी झड़पों में 50 से अधिक मौतें, मादक पदार्थ-मार्गों की होड़ हिंसा को जीवित रखे हैं

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और इफाल। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की अवधि के बाद फ़रवरी में यूमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता सँभालने के बाद से मणिपुर में नागाओं और कुकियों के बीच झड़पों में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक हो गई है, और ताज़ा हत्याएँ कामजोंग और सेनापति ज़िलों में हुई हैं। यह मई 2023 में शुरू हुए मैतेई-कुकी संघर्ष से बदलाव है। इस पत्रिका के 26 सितंबर के AFSPA कार्ड के बाद नई बात IE का वह विश्लेषण है कि यह संघर्ष क्यों अधिक कठिनाई से थमने वाला है। मणिपुर पुलिस के एक अधिकारी समझाते हैं कि जब मैतेई-कुकी झड़पें शुरू हुईं, तो दोनों समुदाय कुछ ही महीनों में अलग हो गए, कुकी पहाड़ियों की ओर और मैतेई घाटी की ओर, जिससे सुरक्षा बलों द्वारा संरक्षित एक बफ़र क्षेत्र बन सका। “पहाड़ियों में आबादी मिश्रित है। हर गाँव की रखवाली करना लगभग असंभव है।” उखरुल, कामजोंग, सेनापति और कांगपोकपी में झड़पें दर्ज हुई हैं, और संघर्ष सड़कों और राजमार्गों पर चल रहा है, जिससे आपूर्ति बाधित होती है। तनाव पहली बार उखरुल के लितान-सरेइखोंग में एक स्थानीय कहासुनी को लेकर भड़का। 11 मार्च को मोंगकोत चेफू के पास 21 नागाओं का “अपहरण” हुआ और वार्ता के बाद उन्हें छोड़ा गया। 13 मई को कांगपोकपी में हुई हत्याओं के बाद दोनों पक्षों ने प्रतिशोध में अपहरण किए, और लैंडलोन वैफेई क्षेत्र से अपहृत छह नागा पुरुषों की हत्या हुई। म्यांमार में स्थित सशस्त्र समूहों ने संघर्ष को व्यापक किया, और पहले के हमलों ने म्यांमार में स्थित कुकी सशस्त्र समूह KNA-B को लेकर चिंता बढ़ाई। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार अवैध मादक पदार्थ व्यापार पर आर्थिक होड़ हिंसा को जीवित रख रही हो सकती है। तेंगनौपाल का मोरेह, जो कभी नशीले पदार्थों का मुख्य पारगमन बिंदु था, 2023 से काफ़ी हद तक कुकी नियंत्रण में आ गया है, और कामजोंग, जो मुख्यतः नागा क्षेत्र है, से होकर जाने वाले मार्ग विकल्प के रूप में उभरे हैं। एक अधिकारी कहते हैं, “तो अब पहुँच, मार्गों और धन को लेकर समूहों के बीच होड़ है।” जुलाई में आइज़ोल में चर्च की अगुवाई वाली पहल राजनीतिक संवाद में नहीं बदली, और कुकी ज़ोनल काउंसिल तथा यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। दो उपमुख्यमंत्री, कुकी-ज़ो के लिए नेमचा किपगेन और नागाओं के लिए लोसी डिखो, जिन्हें प्रतिस्पर्धी हितों का प्रबंधन करना था, विरोधी आवाज़ें बन गए हैं। अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और UNC कुकी सशस्त्र समूहों के साथ संचालन-निलंबन (Suspension of Operations) समझौते को रद्द करने, छह हत्याओं पर कार्रवाई और सुथ्री किपगेन को हटाने की माँग कर रही है। सेनापति से होकर जाने वाले राजमार्गों पर उसकी तीन माह की आर्थिक नाकेबंदी गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ बैठक के बाद

26 सितंबर को स्थगित कर दी गई, और केंद्र ने उसे आश्वासन दिया कि माँगों पर ध्यान दिया जाएगा। एक सुरक्षा अधिकारी कहते हैं, “हम मुख्यतः घटनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं।” एक अप्रत्याशित बदलाव: कुकी नेता मैतेइयों तक पहुँच बना रहे हैं, और 40 से 50 कुकी राज़ इलाज और उड़ानों के लिए इंफाल आते हैं। पाठ्यक्रम से संबंध: सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और संगठित अपराध पर GS3।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मई 2023 से मैतेई-कुकी संघर्ष समुदायों को अलग करता है और मोरेह-इंफाल की पुरानी तस्करी-कड़ी को काट देता है → राष्ट्रपति शासन समाप्त होता है और फ़रवरी 2026 में नई सरकार सत्ता संभालती है → उखरुल में स्थानीय नागा-कुकी विवाद अपहरणों और प्रतिशोधी हत्याओं से बढ़ता है, जिसमें म्यांमार के समूह शामिल हैं → मादक पदार्थ-मार्ग कामजोंग की ओर खिसकते हैं और सशस्त्र समूह मिश्रित पहाड़ी गाँवों में पहुँच और धन के लिए होड़ करते हैं → UNC की नाकेबंदी और चुनावी दाँव रुख कठोर करते हैं, जबकि सुरक्षा बल केवल घटनाओं को संभाल पाते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 371ग मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष संवैधानिक स्वर देता है — जब मणिपुर राज्य बना, तब संविधान (सत्ताईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371ग राष्ट्रपति को मणिपुर विधानसभा की ऐसी समिति का उपबंध करने देता है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य हों। राज्यपाल का उस समिति के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने का विशेष उत्तरदायित्व है, और उसे प्रतिवर्ष, या जब भी अपेक्षित हो, पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने तक है। यह उपबंध मानता है कि पहाड़ी ज़िले, जो मुख्यतः नागा और कुकी-ज़ो जनजातियों के निवास हैं, भूमि, रीति-रिवाज और प्रशासन में घाटी से भिन्न हैं।
2. मणिपुर की पहाड़ियाँ छुटी अनुसूची से बाहर हैं, जो भूमि और स्वायत्तता की राजनीति को आकार देता है — अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत छुटी अनुसूची केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विधायी शक्तियाँ वाली स्वायत्त ज़िला परिषदों का प्रावधान करती है। इसके बजाय मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में संसद के अधिनियम, मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) ज़िला परिषद अधिनियम, 1971, से बनी ज़िला परिषदें हैं, जिनकी शक्तियाँ कहीं कमज़ोर हैं। अधिक स्वायत्तता की माँगें, चाहे कुकी-ज़ो क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासन हों या नागा शांति प्रक्रिया के अंतर्गत नागा क्षेत्रों का एकीकरण, एक ही पहाड़ी भूभाग पर होड़ करती हैं। चूँकि नागा और कुकी गाँव आपस में गुंथे हैं, एक समूह की हर क्षेत्रीय माँग को दूसरा खतरे के रूप में देखता है।
3. संचालन-निलंबन समझौता शर्तों वाला संघर्ष-विराम है, शांति-समाधान नहीं — संचालन-निलंबन (SoO) समझौते पर 2008 में संघ सरकार, मणिपुर सरकार और दो छत्र संगठनों, कुकी नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, के अंतर्गत कुकी सशस्त्र समूहों ने हस्ताक्षर किए थे। उसके ज़मीनी नियमों के अंतर्गत कैडर निर्दिष्ट शिविरों में रहते हैं, हथियार ताला-बंद भंडार में जमा करते हैं और मासिक वज़ीफ़ा पाते हैं, जबकि सुरक्षा बल उनके विरुद्ध अभियान स्थगित रखते हैं। समझौते की समय-समय पर समीक्षा और अवधि-विस्तार होता है। नागा संगठनों और मैतेई समूहों सहित आलोचक तर्क देते हैं कि कुछ हस्ताक्षरकर्ता समूहों ने ज़मीनी नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए उसे रद्द करना अब UNC की माँग है।
4. मणिपुर स्वर्ण त्रिभुज के मादक पदार्थ-व्यापार के मार्ग पर है, जिसे देश में NDPS अधिनियम शासित करता है — स्वर्ण त्रिभुज (Golden Triangle) वह क्षेत्र है जहाँ म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाएँ मिलती हैं, जो ऐतिहासिक रूप से अफ़ीम और मेथाम्फ़ेटामाइन के विश्व के सबसे बड़े स्रोतों में रहा है। मणिपुर की म्यांमार के साथ ज़मीनी सीमा है, और भारत की म्यांमार के साथ सीमा लगभग 1,643 किमी लंबी है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम से होकर जाती है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 भारत का मुख्य नशा-विरोधी क़ानून है, और 1986 में स्थापित नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो प्रवर्तन का समन्वय करता है। अनुच्छेद 355 संघ पर हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य डालता है, जो मणिपुर में केंद्रीय बलों की भूमिका का आधार है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और संगठित अपराध-उग्रवाद संबंध के बारे में पृष्ठता है — GS3 के पाठ्यक्रम में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन, तथा संगठित अपराध के आतंकवाद से संबंध आते हैं। UPSC ने पूर्वोत्तर के उग्रवाद, भारत-म्यांमार की खुली सीमा और मादक पदार्थ-तस्करी पर पृच्छा है। कामजोंग में मादक पदार्थ-मार्गों की होड़ इसका सीधा उदाहरण है कि अपराध का अर्थशास्त्र जातीय हिंसा को कैसे जीवित रखता है।
2. GS2 में संघवाद और पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान — अनुच्छेद 371क से 371ज, छुटी अनुसूची और राज्यपाल की भूमिका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बार-बार आने वाले विषय हैं। मणिपुर उपयोगी विरोधाभास है: अनुच्छेद 371ग के अंतर्गत विशेष प्रावधान हैं, पर पहाड़ियाँ छुटी अनुसूची से बाहर हैं, जो स्वायत्तता की माँगों को आकार देता है।
3. जातीय संघर्ष के प्रश्न पक्षपात-रहित, संस्थागत उत्तरों को पुरस्कृत करते हैं — मणिपुर संकट

	पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न अपेक्षा करते हैं कि अभ्यर्थी किसी का पक्ष लिए बिना कारण समझाएँ और संस्थागत समाधान सुझाएँ। मैतेई-कुकी से नागा-कुकी धुरी की ओर बदलाव बताता है कि विश्लेषक किसी एक समुदाय के बजाय भूमि, पहचान और संसाधनों पर बल क्यों देते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● संविधान (सत्ताईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371ग मणिपुर विधानसभा की उस समिति का उपबंध करता है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य हों। ● अनुच्छेद 371ग के अंतर्गत मणिपुर के राज्यपाल को प्रतिवर्ष, या जब भी अपेक्षित हो, पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना होता है। ● छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, मणिपुर पर नहीं। ● मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों की ज़िला परिषदें संसद के अधिनियम, मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) ज़िला परिषद अधिनियम, 1971, के अंतर्गत बनाई गईं। ● स्वर्ण त्रिभुज उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाएँ मिलती हैं। ● अनुच्छेद 355 संघ पर हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य डालता है। ● नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 1986 में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत नोडल नशा-विरोधी प्रवर्तन एजेंसी के रूप में हुई।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. घाटी-पहाड़ी संघर्ष को थामने वाला बफ़र-क्षेत्र मॉडल मिश्रित पहाड़ी गाँवों में काम नहीं कर सकता — मई 2023 के बाद सुरक्षा बल घाटी और पहाड़ियों के बीच रेखा थामे रख सकते थे, क्योंकि दोनों समुदाय अलग हो गए थे। नागा-कुकी संघर्ष में ऐसी कोई रेखा नहीं है: दोनों समुदायों के गाँव एक ही सड़कों के किनारे गुँथे हैं, जैसा मणिपुर पुलिस के अधिकारी कहते हैं। सुरक्षा बल हर गाँव की रखवाली नहीं कर सकते, इसलिए जो अलगाव की रणनीति घाटी में असहज शांति लाई, वह यहाँ लागू नहीं होती। इसका अर्थ है कि संघर्ष को राजनीतिक और सामुदायिक स्तर के समाधान की कहीं अधिक तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि सैन्य समाधान उपलब्ध नहीं है। 2. मादक पदार्थों की अर्थव्यवस्था पहचान के विवाद को धन की होड़ में बदल देती है — जब मैतेई-कुकी संघर्ष ने मोरेह को इंफाल से काट दिया, तो उसने पहले से मौजूद तस्करी की कड़ी तोड़ दी, और कामजोंग से होकर जाने वाले मार्गों का मूल्य बढ़ गया। जो सशस्त्र समूह किसी मार्ग को नियंत्रित करते हैं, उन्हें आय मिलती है, और आय लड़ाकों तथा हथियारों को बनाए रखती है। इससे समझ आता है कि क्षमा-याचनाओं और चर्च की अगुवाई वाली वार्ताओं के बावजूद हिंसा क्यों जारी है। मादक पदार्थों की अर्थव्यवस्था की अनदेखी करने वाला कोई भी शांति-प्रयास विफल होगा, अर्थात् म्यांमार के साथ सीमा-प्रबंधन, वित्तपोषकों के विरुद्ध NDPS प्रवर्तन और वैकल्पिक आजीविका उत्पन्न ही महत्वपूर्ण हैं जितना संवाद। 3. साझा एजेंडे के बिना सत्ता-साझेदारी ने संघर्ष को कठोर बना दिया है — कुकी-ज़ो और नागाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो उपमुख्यमंत्री इसलिए थे कि हर समुदाय को सरकार के भीतर स्वर मिले। इसके बजाय, IE के अनुसार, वे विरोधी आवाज़ें बन गए हैं, और उनके बीच के आरोपों ने इस व्यवस्था को संघर्ष का हिस्सा बना दिया है। सत्ता-साझेदारी तभी काम करती है जब नेता किसी साझा परिणाम, जैसे राजमार्गों की सुरक्षा या विस्थापितों की राहत, की ज़िम्मेदारी बाँटें। सबक यह है कि प्रतिनिधित्व को साझा निर्णय-प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए, केवल दोनों पक्षों की उपस्थिति से नहीं। 4. नाकेबंदी और चुनाव का समय दाँव को ऊँचा करते हैं — सेनापति से होकर UNC की तीन माह की नाकेबंदी ने शेष राज्य की आपूर्ति ठप कर दी, और उसका स्थगन तभी हुआ जब गृह मंत्रालय ने उसकी माँगों पर ध्यान देने का वचन दिया। अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने के कारण, हर समुदाय के नेताओं के पास दिखने वाले कठोर रुख अपनाने के प्रोत्साहन हैं। संचालन-निलंबन समझौते को रद्द करने जैसी माँगें अन्य समूहों के हितों को छूती हैं और अचानक सँभाली गई तो नई हिंसा भड़का सकती हैं। केंद्र को एक पक्ष से ऐसे वादे करने से बचना होगा जिन्हें दूसरे को अलग-थलग किए बिना वह निभा न सके। 5. प्रतिपक्ष: कुकी-मैतेई की नरमी दिखाती है कि संघर्ष बदल सकते हैं, और यह एक अवसर है — इसी रिपोर्ट में दर्ज है कि कुकी नेता मैतेइयों तक पहुँच बना रहे हैं और 40 से 50 कुकी रोज़ बिना किसी प्रतिरोध के इंफाल आते हैं। यह छोटा पर वास्तविक संकेत है कि हित बदलने पर संबंध बदल सकते हैं। यह सुझाता है कि निरंतर संपर्क, सेवाओं तक पहुँच और साझा आर्थिक दाँव शत्रुता घटा सकते हैं। नीति को ऐसे अवसरों पर आगे बढ़ना चाहिए, जैसे सभी समुदायों के लिए

	अस्पतालों, बाज़ारों और हवाई अड्डों तक सुरक्षित पहुँच, न कि मणिपुर के विभाजनों को स्थायी मानना।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	मणिपुर का संघर्ष घाटी-पहाड़ी विभाजन से बदलकर पहाड़ी समुदायों के बीच झड़पों में बदल गया है। इस हिंसा को बनाए रखने में क्षेत्रीय अतिव्यापन, सीमा-पार मादक पदार्थ-तस्करी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भूमिका का परीक्षण कीजिए तथा स्थायी शांति के लिए उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. प्रस्तावना — बताइए कि द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार फ़रवरी 2026 में नई सरकार के सत्ता सँभालने के बाद से नागा-कुकी झड़पों में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं, जो मई 2023 के मैतेई-कुकी संघर्ष से बदलाव है। 2. मुख्य भाग — क्षेत्रीय अतिव्यापन — उखरुल, कामजोंग, सेनापति और कांगपोकपी के मिश्रित गाँव, बफ़र-क्षेत्र मॉडल की विफलता, अतिव्यापी स्वायत्तता-दावे, अनुच्छेद 371ग और मणिपुर में छूटी अनुसूची का न होना स्पष्ट कीजिए। 3. मुख्य भाग — मादक पदार्थों की अर्थव्यवस्था और सीमा-पार संबंध — तस्करी के मोरेह से कामजोंग मार्गों की ओर खिसकने, 'पहुँच, मार्गों और धन' की होड़, म्यांमार में स्थित सशस्त्र समूहों, स्वर्ण त्रिभुज और NDPS ढाँचे को स्पष्ट कीजिए। 4. मुख्य भाग — प्रतिनिधित्व और राजनीति — दो उपमुख्यमंत्रियों के विरोधी आवाज़ें बनने, संचालन-निलंबन समझौते पर UNC की माँगों, 26 सितंबर को स्थगित नाकेबंदी और आगामी चुनावों की चर्चा कीजिए। राज्य समर्थित सामुदायिक संवाद, मादक पदार्थ-वित्तपोषकों के विरुद्ध कार्रवाई, सीमा-प्रबंधन, सेवाओं तक सुरक्षित पहुँच और संयुक्त विकास परियोजनाएँ सुझाइए। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष में कहिए कि सुरक्षा बल घटनाओं को थाम सकते हैं, पर शांति के लिए ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया चाहिए जो भूमि, स्वायत्तता और मादक पदार्थों की अर्थव्यवस्था को साथ-साथ संबोधित करे, और कुकी-मैतेई नरमी जैसे अवसरों पर आगे बढ़े।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. मिश्रित नागा और कुकी गाँवों वाले पहाड़ी ज़िले के उपायुक्त के रूप में, किसी हत्या के बाद आप प्रतिशोधी हिंसा को कैसे रोकेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं तुरंत दोनों समुदायों के नेताओं और चर्च निकायों से एक साथ मिलूँगा, निष्पक्ष जाँच की सार्वजनिक प्रतिबद्धता जताऊँगा, और दोनों ओर के संवेदनशील गाँवों में सुरक्षा उपस्थिति सुनिश्चित करूँगा। सत्यापित जानकारी से अफ़वाह-नियंत्रण अनिवार्य होगा, क्योंकि प्रतिशोध प्रायः झूठी खबरों के बाद होता है। मैं राजमार्ग खुले और आपूर्ति चालू रखूँगा ताकि कोई समुदाय घिरा हुआ न महसूस करे। राहत और मुआवज़ा सभी प्रभावित परिवारों को समान शर्तों पर दिया जाएगा। प्रश्न 2. आप गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और UNC की माँगें देख रहे हैं। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं हत्याओं पर न्याय की वैध चिंता को स्वीकार करूँगा और सुनिश्चित करूँगा कि जाँच तेज़ और विश्वसनीय हो। संचालन-निलंबन समझौते पर मैं ज़मीनी नियमों के अनुपालन की समीक्षा करूँगा और उल्लंघनों पर कार्रवाई करूँगा, बजाय ऐसा अचानक राजनीतिक निर्णय लेने के जो किसी अन्य समूह को भड़का सके। किसी एक पक्ष को दिया गया कोई भी आश्वासन अन्य पक्षों से भी चर्चा में रखा जाएगा ताकि नई शिकायत न बने। नियमित, दस्तावेज़ों में दर्ज संवाद सौदेबाज़ी के साधन के रूप में नाकेबंदी की ज़रूरत घटाएगा। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या मणिपुर का संघर्ष मुख्यतः मादक पदार्थों का है या पहचान का? दृष्टिकोण (Approach): यह दोनों है, और वे एक-दूसरे को बल देते हैं। पहचान और भूमि शिकायत तथा लामबंदी देते हैं; जबकि मादक पदार्थों की अर्थव्यवस्था वह धन देती है जो सशस्त्र समूहों को बनाए रखता है। इसे केवल पहचान का संघर्ष मानना उन प्रोत्साहनों की अनदेखी है जो हिंसा को जारी रखते हैं; इसे केवल अपराध मानना भूमि और स्वायत्तता पर वास्तविक आशंकाओं की अनदेखी है। स्थायी समाधान को दोनों को संबोधित करना होगा।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

प्रकरण 1 — धर्म-वार पैंतीस प्रश्न, और उनका उत्तर देने को कहा गया राज्य का सचिव

परिदृश्य (SCENARIO) द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन गठित जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC) ने राज्यों को 35 प्रश्नों की एक प्रश्नावली भेजी है। इसमें पिछले 15 वर्षों के जन्म पंजीकरण, वाहन पंजीकरण, स्कूली नामांकन और संपत्ति लेन-देन के धर्म-वार आँकड़े माँगे गए हैं; पिछले 15 वर्षों में स्थापित धार्मिक संरचनाओं का ज़िलेवार ब्योरा, जिसमें उन्हें चिह्नित करने के लिए प्रयुक्त कोई भी GIS मानचित्रण शामिल है; मदरसों सहित धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं का GIS मानचित्रण; “ऐतिहासिक जन्म दरों से मेल न खाने वाली असामान्य स्कूली नामांकन प्रवृत्तियों वाले ज़िलों का ब्योरा, कारणों सहित”; “पिछली पीढ़ी के जन्म प्रमाणपत्र या पारिवारिक विरासत के अभिलेखों के बिना” व्यक्तियों का वर्ष-वार मतदाता पंजीकरण; अनुसूचित जनजाति आबादी की धार्मिक संरचना में परिवर्तन और जनजातीय समुदायों में धर्मांतरण पर खुफ़िया आकलन; तथा आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पंजीकरणों में असामान्य वृद्धि। राज्यों से कहा गया है कि वे हर श्रेणी में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों, पारसियों और बौद्धों के आँकड़े एकत्र करें। राज्य के अधिकारियों ने अखबार को बताया कि जन्म पंजीकरण (जहाँ नवजात का धर्म प्रमाणपत्र पर दर्ज होता है) और पकड़े गए या निर्वासित अवैध प्रवासियों की संख्या को छोड़कर, विभाग ऐसे आँकड़े धर्म-वार रखते ही नहीं, और कई ने कहा कि संविधान का पंथनिरपेक्ष ढाँचा इनके संग्रह को वर्जित करता है। अब कल्पना कीजिए कि आप राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव हैं, वह नोडल अधिकारी जिसे यह प्रश्नावली भेजी गई है। आपके मुख्य सचिव दो सप्ताह में उत्तर चाहते हैं। जो कुछ माँगा गया है, उसका एक हिस्सा — जाली पहचान दस्तावेज़ों, विलंबित जन्म पंजीकरण और निरोध केंद्रों की प्रवृत्तियाँ — वैध प्रशासनिक जानकारी हैं जो राज्य के पास पहले से हैं। शेष हिस्सा तभी तैयार हो सकता है जब ज़िला अधिकारियों, शिक्षकों और रजिस्ट्रारों से कहा जाए कि वे हर स्कूल प्रवेश, हर वाहन पंजीकरण और हर भूमि विलेख पर संबंधित व्यक्ति का धर्म दर्ज करें — ऐसे आँकड़े जो कभी एकत्र ही नहीं हुए, और जो ज़िला-दर-ज़िला संकलित हो जाने पर समुदायों को निशाना बनाने में काम आ सकते हैं। एक कनिष्ठ अधिकारी ने पहले ही उप-पंजीयकों को पिछले 15 वर्षों की संपत्ति बिक्री में “नामों से धर्म पहचानने” का परिपत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि इस कवायद के कुछ हिस्से संविधान जितनी अनुमति देता है उससे आगे जाते हैं, पर समिति केंद्र सरकार की एक वैध संस्था है और आप उसके अधिदेश के अंतिम निर्णायक नहीं हैं।

प्रश्न 1. जब कोई वैध वरिष्ठ प्राधिकारी ऐसी जानकारी माँगे जिसे राज्य को उस रूप में एकत्र नहीं करना चाहिए, ऐसा अधिकारी को लगता हो, तब एक वरिष्ठ लोक सेवक को कौन-से नैतिक और संवैधानिक विचार मार्गदर्शन दें?

प्रश्न 2. पूर्ण अनुपालन, अभिलिखित असहमति के साथ अनुपालन, और इनकार — इनमें से आप कौन-सा मार्ग चुनेंगे, और उप-पंजीयकों से नामों के आधार पर धर्म का अनुमान लगाने को कहने वाले कनिष्ठ अधिकारी के मसौदा परिपत्र से आप कैसे निपटेंगे?

प्रश्न 3. क्या कल्याणकारी लक्ष्यीकरण के लिए धर्म-वार आँकड़े जुटाने (जैसा सच्चर समिति ने किया) और सुरक्षा-उन्मुख जनसांख्यिकीय अध्ययन के लिए जुटाने में कोई सार्थक अंतर है? उद्देश्य-सीमा (purpose limitation) के सिद्धांत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- हितधारक, और तटस्थ लोक सेवक संविधान की अंतिम छलनी क्यों है** — हितधारक हैं: केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसकी समिति, उत्तर देने को बाध्य राज्य सरकार, वे ज़िला अधिकारी और शिक्षक जिन्हें यह वर्गीकरण करना होगा, और सबसे बढ़कर हर धर्म के वे नागरिक जिनके प्रवेश, विलेख और वाहन पंजीकरण उनकी जानकारी के बिना धर्म के आधार पर छाँट दिए जाएंगे। प्रधान सचिव एक राजनीतिक अनुरोध और उस प्रशासनिक तंत्र के बीच खड़ा है जो उसके कार्यालय से निकले हर परिपत्र को अमल में ला देगा। उसकी तटस्थता कोई निजी स्वभाव नहीं, बल्कि एक संवैधानिक कार्य है: सिविल सेवा इसीलिए है कि राज्य के दंडात्मक और अभिलेख-रखने वाले तंत्र का उपयोग कानून के अनुसार हो, न कि उस उद्देश्य के अनुसार जो उस समय चलन में हो। इसलिए वह न समिति का विरोधी है, न उसका लिपिक; वह वह अधिकारी है जिसे यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर देते समय राज्य जो कुछ करे वह विधिसम्मत, समानुपातिक और ईमानदार हो।
- संवैधानिक नैतिकता: पंथनिरपेक्षता राज्य की केवल कृपाओं पर नहीं, उसकी दृष्टि पर भी सीमा है** — संविधान राज्य को नागरिक का धर्म जानने से कभी नहीं रोकता; जनगणना उसे दर्ज करती है और जन्म प्रमाणपत्र पर वह हो सकता है। अनुच्छेद 14, 15 और 25, प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष गणराज्य की प्रतिबद्धता के साथ पढ़ने पर, जो वर्जित करते हैं वह है राज्य द्वारा केवल धर्म के आधार पर नागरिकों से भिन्न व्यवहार करना। संपत्ति लेन-देन या स्कूली प्रवेश को धर्म के आधार पर चिह्नित करने वाली कवायद, जिसमें “असामान्य” जमावड़ों में रुचि बताई गई हो, ठीक ऐसे ही भेदभावपूर्ण व्यवहार का कच्चा माल तैयार करती है, और Justice K.S. Puttaswamy (2017) के अनुसार व्यक्तिगत आँकड़ों में किसी भी हस्तक्षेप को वैधानिकता, वैध उद्देश्य, आवश्यकता और समानुपातिकता की कसौटियों पर खरा उतरना होगा। अतः अधिकारी का प्रश्न यह नहीं कि “क्या यह समिति वैध है?” बल्कि यह है कि “क्या यह विशेष संग्रह किसी वैध उद्देश्य के लिए आवश्यक और समानुपातिक है, और क्या यह कानून द्वारा प्राधिकृत है?” प्रश्नावली के बड़े भाग के लिए ईमानदार उत्तर यह है कि कोई कानून इसे प्राधिकृत नहीं करता और कोई आवश्यकता सिद्ध नहीं की गई है।
- अभिलिखित असहमति के साथ अनुपालन उचित मार्ग है, इनकार या चुपचाप अड़चन नहीं** — सीधा इनकार अधिकारी के निर्णय को निर्वाचित सरकार और समिति के निर्णय की जगह रख देगा, जो उसकी भूमिका नहीं है, और राज्य के पास मौजूद वैध आँकड़े भी रोक देगा। चुपचाप टालमटोल — पखवाड़ा बीत जाने देना — इससे भी बुरा है, क्योंकि वह बेईमानी है और कोई अभिलेख नहीं छोड़ता। सही रास्ता यह है कि जो मद वैध है और पहले से रखी जाती है, जैसे विलंबित जन्म पंजीकरण, जाली पहचान दस्तावेज़ और निरोध केंद्र, उन पर पूरा उत्तर दिया जाए; मद-दर-मद स्पष्ट बताया जाए कि आँकड़े धर्म-वार कहाँ उपलब्ध नहीं हैं; और मुख्य सचिव के

माध्यम से एक तर्कयुक्त टिप्पणी अभिलेख में रखी जाए, जिसमें बताया जाए कि नए धर्म-वार आँकड़े शून्य से बनाना संवैधानिक चिंताएँ क्यों उठाता है और समिति से उसका कानूनी आधार पृच्छा जाए। आचरण नियम और निष्पक्ष सलाह की परंपरा यही अपेक्षा रखती है: निर्णय से पहले, उचित माध्यम से, लिखित असहमति; निर्णय के बाद सार्वजनिक विरोध नहीं।

4. **मसौदा परिपत्र रोकना ही होगा: नामों से धर्म का अनुमान लगाना अशुद्ध भी है और भेदभावपूर्ण भी** — उप-पंजीयकों से नामों से धर्म पहचानने को कहने वाला कनिष्ठ अधिकारी का परिपत्र वह बिंदु है जहाँ एक संदिग्ध अनुरोध ज़मीन पर अवैध कृत्य बन जाता है। नाम एक अविश्वसनीय प्रतिनिधि (proxy) हैं, इसलिए उनसे निकले आँकड़े झूठे होंगे; और बिना सहमति या वैधानिक आधार के हज़ारों नागरिकों को उनके उपनामों से बाँट देना अपने आप में एक भेदभावपूर्ण वर्गीकरण है। प्रधान सचिव को मसौदा वापस लेना चाहिए, अधिकारी को कारण समझाना चाहिए और निर्णय अभिलिखित करना चाहिए, क्योंकि एक बार जारी होने के बाद परिपत्र ज़िला कार्यालयों में अपना अलग जीवन पा लेता है और उसे आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। यहाँ कनिष्ठ अधिकारी की परवाह का अर्थ है उसे अपमानित किए बिना सुधारना: वह समय-सीमा पूरी करने की कोशिश कर रहा था, और चूक संस्थागत है, क्योंकि उसे किसी ने बताया ही नहीं कि रेखा कहाँ है।
5. **उद्देश्य-सीमा कल्याण-आँकड़ों को निगरानी-आँकड़ों से अलग करती है** — 2005 में नियुक्त सचिव समिति ने एक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को मापने के लिए धर्म-वार आँकड़े इस्तेमाल किए ताकि राज्य उसका उपचार कर सके; आँकड़ों ने नागरिक की सेवा की। “असामान्य” नामांकन, “जनसांख्यिकीय जमावड़ों” और स्वामित्व प्रतिमानों के इर्द-गिर्द बनी और खुफ़िया आकलन माँगने वाली प्रश्नावली नागरिक को एक संभावित समस्या की तरह देखती है। वही संख्याएँ दोनों प्रयोजनों की सेवा कर सकती हैं, इसीलिए उद्देश्य संग्रह से पहले तय होना चाहिए और आँकड़ों का बाद में अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए — यही उद्देश्य-सीमा का सिद्धांत है, जिसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) भी अपनाता है। जो अधिकारी उद्देश्य जानने पर, और जहाँ समय आँकड़े पर्याप्त हों वहाँ व्यक्ति-स्तरीय के बजाय समग्र आँकड़ों पर ज़ोर देता है, वह नीति में बाधा नहीं डालता; वह नीति को रक्षणीय बनाता है।
6. **सत्यनिष्ठा में यह सच बताना भी शामिल है कि राज्य क्या नहीं जानता** — समय-सीमा पूरी करने का सबसे आसान रास्ता तालिकाओं को आँकड़ों का वेश पहनाए गए अनुमानों से भर देना होगा। यह सबसे गंभीर चूक होगी, क्योंकि तब एक राष्ट्रीय समिति ज़िला स्तर पर गढ़ी गई संख्याओं से समुदायों के बारे में निष्कर्ष निकालेगी। प्रधान सचिव के उत्तर में हर प्रश्न के लिए बताया जाना चाहिए कि आँकड़े हैं या नहीं, किस रूप में, और कितनी विश्वसनीयता के साथ, और जो मौजूद नहीं है उसे गढ़ने से इनकार करना चाहिए। किसी संस्था की अपनी अनभिज्ञता को ईमानदारी से बताना सत्यनिष्ठा का कार्य है जो समिति के अंतिम निष्कर्षों और उनसे प्रभावित नागरिकों, दोनों की रक्षा करता है, और यही वह योगदान है जो शृंखला में कोई और नहीं दे सकता।

प्रकरण 2 — लागत से कई गुना कीमत पर बिल किया गया कैथेटर, और शुल्क-सूची पर हस्ताक्षर करने वाला अस्पताल प्रशासक

परिदृश्य (SCENARIO) उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के एक पूर्व सचिव द्वारा द इकोनॉमिक टाइम्स में लिखे एक राय-लेख के अनुसार, महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने अपनी राज्य मूल्य निगरानी संसाधन इकाई के माध्यम से सितंबर में किए एक अध्ययन में अस्पतालों की कुछ उपभोग्य सामग्रियों की खरीद कीमतों और घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के बीच 2.841% तक का अंतर पाया। राज्य FDA आयुक्त ने औषधि विभाग और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) से लाभ-मार्जिन के युक्तिकरण और मूल्यों की अधिक निगरानी की जाँच करने को कहा है। लेख का मूल तर्क सूचना की विषमता पर है: आईसीयू में पड़ा मरीज़ यह नहीं पृच्छता कि क्या कोई दूसरा अस्पताल सस्ता ऑक्सीजन मास्क दे सकता है, और आपातकालीन इलाज के लिए किसी को दौड़ाकर लाता परिवार कैथेटर की कीमत पर मोलभाव नहीं करता; “MRP एक उच्चतम सीमा है, आर्थिक औचित्य का प्रमाणपत्र नहीं।” लेख यह भी बताता है कि 9 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने Indian Medical Association v. V.P. Shantha के 1995 के निर्णय के विरुद्ध उपचारात्मक याचिका (curative petition) खारिज कर दी, जिसने माना था कि प्रतिफल लेकर दी जाने वाली चिकित्सा सेवाएँ उपभोक्ता कानून के अंतर्गत “सेवा” हैं, इसलिए सशुल्क अस्पताल सेवा में कमी के लिए उपभोक्ता आयोगों के समक्ष जवाबदेह बने रहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप महाराष्ट्र के एक शहर में एक बड़े ट्रस्ट-संचालित अस्पताल के नवनि्युक्त चिकित्सा अधीक्षक-सह-प्रशासक हैं। अस्पताल काग़ज़ पर अलाभकारी है, पर धर्मार्थ वाइ, गरीब मरीज़ों के लिए हृदय-उपचार में रियायत और वेतन के लिए अपनी दवा-दुकान और उपभोग्य सामग्रियों के मार्जिन पर निर्भर है। शुल्क-सूची की फ़ाइल देखने पर आप पाते हैं कि दर्जनों उपभोग्य वस्तुएँ — केन्युला, सिरिज, ड्रेसिंग किट, कैथेटर — मरीज़ों से छुपे हुए MRP पर वसूली जाती हैं, जो अस्पताल के चुकाए दाम से कई गुना हैं। यह वैध है, क्योंकि कोई वस्तु अपने MRP से ऊपर नहीं बिकती, और वित्त समिति ने राजस्व का ऐसा लक्ष्य तय कर रखा है जो मार्जिन के जारी रहने को मानकर चलता है। दो बीमा कंपनियों ने अस्पताल के बिलों पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए हैं, और एक परिवार ने आपको लिखा है कि एक ड्रेसिंग किट की कीमत उस दिन के बिस्तर-शुल्क से अधिक क्यों थी।

प्रश्न 1. जब अस्पताल उपभोग्य वस्तुओं को उनकी कीमत के एक अंश पर खरीदता है, तब मरीज़ों से पूरा MRP वसूलना, यदि वह वैध है और धर्मार्थ सेवा के लिए धन जुटाता है, क्या नैतिक रूप से उचित है? इसमें निहित नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए।

प्रश्न 2. प्रशासक के रूप में आप वित्त समिति को क्या परिवर्तन सुझाएँगे, और परिवार के पत्र का उत्तर कैसे देंगे?

प्रश्न 3. V.P. Shantha सिद्धांत — कि सशुल्क चिकित्सा देखभाल उपभोक्ता कानून के अंतर्गत जवाबदेह सेवा है — लापरवाही के प्रश्नों से आगे बढ़कर अस्पताल बिलिंग की नैतिकता के लिए क्या निहितार्थ रखता है?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **नैतिक प्रश्न बंदी ग्राहक के शोषण का है, अवैधता का नहीं** — जब कोई वस्तु अपने MRP पर या उससे कम पर बिकती है तो कोई कानून नहीं टूटता, और ठीक इसीलिए यह प्रकरण नैतिक है। मरीज़ एक बंदी ग्राहक है: वह कीमतों की तुलना नहीं कर सकता, आईसीयू से उठकर जा नहीं सकता, और अक्सर बिल आने तक उसे पता ही नहीं होता कि क्या इस्तेमाल हुआ। उससे लागत का कई गुना इसलिए वसूलना कि वह मना नहीं कर सकता, असुरक्षा से लगान निकालना है, और यदि कोई दुकानदार संकट में पड़े व्यक्ति के साथ ऐसा करे तो उसकी तुरंत निंदा हो। वैधता आचरण की न्यूनतम सीमा तय करती है; वह यह तय नहीं करती कि सबसे कमज़ोर क्षणों में लोगों की

देखभाल के लिए बने अस्पताल का उनके प्रति क्या दायित्व है। प्रशासक का पहला कार्य फ़ाइल में इस प्रथा को ईमानदारी से नाम देना है — उन मरीजों से लिया गया मार्जिन जिनके पास मोलभाव की कोई शक्ति नहीं — MRP की आड़ लेकर छिपना नहीं।

- प्रत्ययी दायित्व मरीज के प्रति है, केवल तुलन-पत्र के प्रति नहीं** — अस्पताल और उसके मरीजों के बीच विश्वास का संबंध होता है, जैसा चिकित्सक के साथ होता है: मरीज अपना विवेक और सूचना इस भरोसे पर सौंपता है कि संस्था उसके हित में काम करेगी। यही प्रत्ययी (fiduciary) स्वरूप अस्पताल को साधारण विक्रेता से अलग करता है, और V.P. Shantha की निर्णय-शृंखला सशुल्क देखभाल को औचित्य के मानक वाली “सेवा” बनाकर इसे पुष्ट करती है। प्रशासक के ट्रस्ट के प्रति भी दायित्व है — शोधन-क्षमता, धर्मार्थ वार्ड, कर्मचारियों के वेतन — और वे वास्तविक हैं। पर प्रत्ययी उसी व्यक्ति का शोषण करके संस्था का हित नहीं साध सकता जिसकी रक्षा के लिए वह बाध्य है; उसे राजस्व ऐसे तरीकों से जुटाना होगा जिन्हें पूरी जानकारी वाला मरीज उचित मान सके।
- क्रॉस-सब्सिडी तभी वैध हो सकती है जब वह पारदर्शी, समानुपातिक और सहमति पर आधारित हो** — सबसे मज़बूत प्रतिवाद यह है कि मार्जिन गरीबों की देखभाल का खर्च उठाता है, इसलिए संपन्न मरीज वस्तुतः धर्मार्थ अधिभार दे रहा है। क्रॉस-सब्सिडी सार्वजनिक वित्त का एक सम्मानित सिद्धांत है, पर उसकी तीन शर्तें हैं जिन पर वर्तमान प्रथा खरी नहीं उतरती: वह पारदर्शी हो, समानुपातिक हो, और उन पर पड़े जो उसे वहन कर सकें। कैथेटर पर छिपा हुआ कई गुना मार्जिन उस दिहाड़ी मज़दूर पर भी उतना ही पड़ता है जिसने ऑपरेशन के लिए ज़मीन बेची है और उस संपन्न बीमाधारक पर भी, और दोनों को इसकी सूचना नहीं दी जाती। प्रशासक एक सामान्य, घोषित सेवा-मार्जिन का, जो वार्ड श्रेणी के अनुसार श्रेणीबद्ध हो, और दृश्य धर्मार्थ अंशदान का बचाव कर सकता है; वह उस अधोषित, कई सौ प्रतिशत के मार्कअप का बचाव नहीं कर सकता जो भी बीमार हो उसी से वसूला जाता है।
- क्या प्रस्तावित किया जाए: मदवार पारदर्शिता, सीमित मार्जिन और संशोधित लक्ष्य** — प्रशासक को वित्त समिति के समक्ष लागत-निर्धारित प्रस्ताव रखना चाहिए: उपभोग्य वस्तुओं का बिल खरीद-लागत जमा एक निश्चित, प्रकाशित हैंडलिंग मार्जिन पर बनाया जाए; प्रमुख उपभोग्य वस्तुओं के लिए, जैसा लेख सुझाता है, खरीद का दायरा और वसूली गई राशि प्रदर्शित की जाए; मदवार बिल सामान्य नियम के रूप में जारी हों; और राजस्व-लक्ष्य को संशोधित किया जाए ताकि कमी की पूर्ति कमरे के शुल्क, पैकेजों और धर्मार्थ वार्ड के लिए खुले रूप से बताई गई धन-संग्रह से हो। उसे विनियमन की प्रतीक्षा करने के बजाय अस्पताल का आँकड़ा NPPA की कवायद को स्वच्छता से देना चाहिए। यदि समिति इनकार करे तो उसे कार्यवृत्त में अपनी असहमति दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि जो पेशेवर उस शुल्क-सूची पर बिना आपत्ति हस्ताक्षर करता है जिसे वह शोषणकारी मानता है, वह उसकी ज़िम्मेदारी में साझेदार है।
- परिवार को उत्तर: स्पष्टवादिता, सुधार और निवारण का मार्ग** — परिवार का पत्र सीधे उत्तर का हकदार है, MRP का हवाला देने वाले साँचे के उत्तर का नहीं। प्रशासक को सच्चाई से बताना चाहिए कि शुल्क कैसे तय हुआ, स्वीकार करना चाहिए कि वह लागत से कहीं अधिक था, समिति द्वारा संशोधित नीति अपनाए जाने पर अधिक वसूली की राशि लौटानी चाहिए, और हर हाल में परिवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) से संपर्क करने या e-Jagruti के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के उनके अधिकार की जानकारी देनी चाहिए। अपनी ही संस्था के विरुद्ध उपलब्ध उपायों के बारे में शिकायतकर्ता को बताना अनिष्टा जैसा लग सकता है, पर सत्यनिष्ठा और जवाबदेही यही माँगती है, और यह संकेत देता है कि अस्पताल अपने आचरण की परख के लिए तैयार है। स्वास्थ्य सेवा में एक बार खोया विश्वास केवल दिखाई देने वाली निष्पक्षता से लौटता है, और यह पत्र उसकी पहली परीक्षा है।

प्रकरण 3 — परीक्षा के मौसम में बूथ स्तर अधिकारी बने शिक्षक, और वह अधिकारी जिसे मतदाता सूची और कक्षा, दोनों चलानी हैं

परिदृश्य (SCENARIO) द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है। वहाँ 14,947 मतदान केंद्र हैं और उतने ही बूथ स्तर अधिकारी (BLO) हैं, जिनमें से कई स्कूली शिक्षक हैं। उनका काम छह महीने के SIR-पूर्व मानचित्रण और गणना चरण से लेकर 33.1 लाख निर्वाचकों को नोटिस थमाने, दस्तावेज़ एकत्र कर अपलोड करने, तथा दावे-आपत्तियाँ, नामांकन शिविर और सत्यापन सँभालने तक फैल गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अब कहा है कि जिन निर्वाचकों को “मानचित्रण न होने” या “ताकिक विसंगतियों” पर नोटिस मिले हैं, उन्हें केंद्रों पर नहीं जाना होगा: BLO उनके घर जाकर दस्तावेज़ लेंगे, जिन्हें ECINet मंच पर अपलोड किया जाएगा ताकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) पात्रता तय करे। अखबार ने उन शिक्षकों को उद्धृत किया जिनके नाम उनके अनुरोध पर बदल दिए गए। पिछले वर्ष जुलाई में BLO बनाई गई एक शिक्षिका ने दिसंबर से शायद ही कोई छुट्टी ली थी; 22 सितंबर की सुबह वह मुस्तफ़ाबाद में अपने स्कूल में परीक्षा में निरीक्षक थी और उसका फ़ोन मतदाताओं के कॉल से बज रहा था, और अगले दिन तक निर्वाचन कार्यालय में शिकायत पहुँच चुकी थी कि वह जवाब नहीं दे रही। “काम जोड़ने से पहले हमसे कोई नहीं पूछता,” उसने कहा। तिमारपुर के एक BLO ने कक्षा 11 पढ़ाते हुए अपने 275 नोटिसों में से लगभग 40% बाँटे थे — “बोर्ड परीक्षा वाले विद्यार्थियों की ज़िम्मेदारी कौन लेगा?” उत्तर-पूर्व दिल्ली के एक और BLO ने रविवार को विशेष शिविरों के साथ दस दिन तक रात 11 बजे तक नोटिस बाँटे। BLO ने कहा कि उन्हें एक साल से भुगतान नहीं हुआ, और जब उन्होंने ओवरटाइम माँगा तो कहा गया कि उन्हें पहले से ₹33 प्रतिदिन मिल रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप उत्तर-पूर्व दिल्ली के एक विधानसभा क्षेत्र के ERO — उप-मंडल मजिस्ट्रेट — हैं। पुनरीक्षण की समय-सारणी निर्वाचन आयोग ने तय की है और सूची के लिए आप कानूनन उत्तरदायी हैं। अनुत्तरदायी BLO की शिकायतें बढ़ रही हैं, ज़िले के स्कूल परीक्षा अवधि में प्रवेश कर रहे हैं, और एक स्कूल की प्रधानाचार्य ने आपको लिखा है कि उनके तीन शिक्षक अब हर सप्ताह कक्षाएँ छोड़ रहे हैं।

प्रश्न 1. इस स्थिति में परस्पर प्रतिस्पर्धी लोक कर्तव्यों की पहचान कीजिए। क्या राज्य के लिए यह नैतिक रूप से स्वीकार्य है कि वह एक लोक दायित्व — सटीक मतदाता सूची — को दूसरे — बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की शिक्षा — को चुपचाप कमज़ोर करके पूरा करे?

प्रश्न 2. ERO के रूप में आप इसी सप्ताह अपनी शक्तियों के भीतर क्या करेंगे, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष क्या उठाएँगे?

प्रश्न 3. जब अधीनस्थ किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हों और उन्हें सौंपे गए कार्य में उनकी कोई आवाज़ न हो, तब वरिष्ठ अधिकारी से अधीनस्थों की देखभाल क्या माँगती है?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **दो वैध लोक कर्तव्य टकरा रहे हैं, और किसी को भी सीधे गौण नहीं किया जा सकता** — सटीक मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की नींव है, और ERO कानूनन उसके लिए उत्तरदायी है; नोटिस तामील न होने के कारण पात्र मतदाताओं को हटाने वाला सूची-पुनरीक्षण नागरिकता के सबसे बुनियादी अधिकार को चोट पहुँचाएगा। पर विद्यार्थियों का पढ़ाए जाने का अधिकार, विशेषकर बोर्ड परीक्षाओं से पहले के महीनों में, भी राज्य का एक लोक कर्तव्य है, और उसका बोझ उन बच्चों पर पड़ता है जिनकी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं। नैतिक भूल यह मान लेना है कि सूची ही एकमात्र कर्तव्य है जो मायने रखता है, क्योंकि उसके पीछे वैधानिक समय-सीमा और सतर्क आयोग है। परिपक्व प्रशासक दोनों दायित्वों को वास्तविक मानता है और वह व्यवस्था खोजता है जो दोनों का निर्वाह करे, बजाय इसके कि कम दिखाई देने वाला दायित्व सारी क्रीम चुराए।
2. **BLO के प्रति निष्पक्षता: ₹33 वाला उत्तर अपने आप में एक नैतिक विफलता है** — रात 11 बजे तक नोटिस बाँटते, रविवार को काम करते और साल भर से अवैतनिक शिक्षकों से कहा जाए कि उन्हें पहले से ₹33 प्रतिदिन मिल रहे हैं, तो उनके साथ मुफ्त संसाधन जैसा बताव हो रहा है। मानदेय की औपचारिक स्थिति जो भी हो, संस्था ने लोगों से बिना परामर्श, समय पर भुगतान के बिना और इनकार करने के किसी रास्ते के बिना दूसरा पूर्णकालिक काम करवाया है। निष्पक्षता की माँग है कि काम क्षमता के अनुरूप हो और वादा किया गया पारिश्रमिक चुकाया जाए। जो ERO अनुत्तरदायी BLO की शिकायतों को अक्षरशः मान ले, और परीक्षा में निरीक्षण कर रही शिक्षिका को, जब मतदाताओं ने फ़ोन किया, कारण बताओ नोटिस थमा दे, वह अधीनस्थ को ऊपर की योजना की विफलता के लिए दंडित करेगा।
3. **ERO इसी सप्ताह अपनी शक्तियों के भीतर क्या कर सकता है** — ERO को सबसे पहले तथ्य जुटाने चाहिए: शिक्षक-BLO की सूची, उनके नोटिस का बकाया और उनके स्कूलों की परीक्षा-सारणी। वह नोटिस इस प्रकार पुनर्वितरित कर सकता है कि परीक्षा-सप्ताहों में किसी शिक्षक-BLO पर भारी बकाया न रहे; बकाया निपटाने के लिए अशिक्षक कर्मचारी और सहायक ERO तैनात कर सकता है; घर-घर दस्तावेज़ संग्रह को हर दिन के बजाय बारी-बारी से शाम और सप्ताहांत पर रख सकता है; और फ़ोन-तथा-हेल्पडेस्क की ऐसी व्यवस्था बना सकता है कि मतदाता इस पर निर्भर न रहें कि शिक्षक कक्षा के दौरान फ़ोन उठाए। उसे स्कूल की प्रधानाचार्य को समस्या स्वीकार करते हुए पत्र लिखना चाहिए और ऐसी समय-सारणी पर सहमत होना चाहिए जो बोर्ड-परीक्षा की कक्षाओं को बचाए। इसमें से किसी के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, और सब कुछ तुरंत हानि घटाता है।
4. **ऊपर क्या ले जाया जाए: सुविभाजनक प्रगति-आँकड़े के बजाय ईमानदार रिपोर्टिंग** — ERO को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सही स्थिति बतानी चाहिए — बकाया, शिक्षकों की कमी, अवैतनिक मानदेय — ऐसे प्रगति-आँकड़े के बजाय जो अच्छा दिखे जबकि नोटिस तामील न हों। उसे लंबित भुगतानों की स्वीकृति, अतिरिक्त अशिक्षक जनशक्ति, और ज़रूरत हो तो अपने क्षेत्र के लिए यथार्थपरक विस्तार की अनुशंसा करनी चाहिए ताकि चुनाव जल्दबाज़ी में बनी सूची और बिगड़े स्कूली सत्र के बीच का न रहे। ऊपर सच बोलना लोक सेवक का मूल कर्तव्य है; जिस वरिष्ठ को सुनाई दे कि सब ठीक चल रहा है, वह विफल हो रही समय-सारणी को सुधार नहीं सकता। यदि आयोग अपनी समय-सारणी पर क्रायम रहता है, तब भी ERO ने कम-से-कम लागत अभिलेख पर रख दी होगी और उसे वहन करने के लिए संसाधन माँग लिए होंगे।
5. **अधीनस्थों की देखभाल: आवाज़, संरक्षण और ऊपर की ओर बहती जवाबदेही** — शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए BLO दोहरे रूप से असुरक्षित हैं: सूची के लिए वे निर्वाचन तंत्र को और शिक्षण के लिए अपने विभाग को उत्तरदायी हैं, और दोनों में से कोई स्वामी उनके पूरे बोझ को नहीं देखता। अधीनस्थों की देखभाल का अर्थ है काम के बँटवारे में उन्हें आवाज़ देना, संरचनात्मक अतिभार से उपजी शिकायतों से उन्हें बचाना, और यह सुनिश्चित करना कि जब कुछ बिगड़े तो जवाबदेही ऊपर की ओर उन लोगों तक जाए जिन्होंने समय-सारणी बनाई, न कि नीचे उस शिक्षक पर जो एक साथ दो जगह नहीं हो सकता था। इसका अर्थ अच्छे काम को सार्वजनिक रूप से मान्यता देना भी है। जो अधिकारी लोकतंत्र का क्षेत्रीय काम करने वाले लोगों की देखभाल करता है, वह नरम नहीं है; वह स्वयं सूची की गुणवत्ता की रक्षा कर रहा है, जो ऐसे BLO पर निर्भर है जो थके और आक्रोशित न हों।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
दसवीं अनुसूची — अध्यक्ष अधिकरण के रूप में दल-बदल का निर्णय करता है, और उसे यह उचित समय के भीतर करना होता है	दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के अंतर्गत अध्यक्ष या सभापति अधिकरण के रूप में कार्य करते हुए निरहंता की याचिकाओं का निर्णय करता है; Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) में न्यायालय ने अनुसूची को वैध ठहराया, किंतु अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन कर दिया, और Keisham Meghachandra Singh v. Speaker, Manipur Legislative Assembly (2020) में कहा गया कि ऐसी याचिकाओं का निपटारा उचित समय में होना चाहिए, जिसके लिए तीन माह का सुझाव दिया गया; इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 सितंबर को पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष से कहा कि तृणमूल कांग्रेस के गुट की निरहंता याचिकाओं का निपटारा 8 अक्टूबर तक कर दें।
निर्वाचन प्रतीक आदेश, 1968 का पैराग्राफ 15 — मान्यता प्राप्त दलों में फूट का निपटारा निर्वाचन आयोग करता है	निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 [Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968] का पैराग्राफ 15 निर्वाचन आयोग को यह तय करने की शक्ति देता है कि किसी मान्यता प्राप्त दल के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में से कौन-सा वही दल है, और इस प्रकार दल का नाम और प्रतीक किसे मिलेगा; सर्वोच्च न्यायालय ने Sadiq Ali v. Election Commission (1971) में इस आदेश को वैध माना था, और 28 सितंबर को चार सप्ताह की दलीलों के बाद उसने आयोग को तृणमूल कांग्रेस के विवाद का निर्णय करने के लिए तीन माह का समय दिया, जिसमें आयोग ने अंतरिम आदेश द्वारा दल का नाम और 'फूल और घास' का प्रतीक स्थगित कर रखा है।
अनुच्छेद 3 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 — राज्य का दर्जा केवल संसद ही क्यों लौटा सकती है	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 [Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019] को संसद ने राज्यों के गठन और परिवर्तन की अनुच्छेद 3 और 4 की अपनी शक्ति के तहत पारित किया था; इसने राज्य को दो संघ राज्यक्षेत्रों में बाँट दिया — विधानमंडल वाला जम्मू और कश्मीर तथा बिना विधानमंडल का लद्दाख — इसलिए राज्य का दर्जा लौटाने के लिए संसद को नया कानून चाहिए; "पूर्ण राज्य का दर्जा" माँगने वाला जम्मू-कश्मीर विधानसभा का 28 सितंबर का प्रस्ताव, जो मुख्यमंत्री ने रखा और 90 में से लगभग 60 विधायकों ने समर्थन दिया, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
छठी अनुसूची — अनुच्छेद 244(2) और 275(1), चार राज्य और अधिकतम 30 सदस्यों की ज़िला परिषदें	छठी अनुसूची, जो अनुच्छेद 244(2) और 275(1) से शासित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी ज़िलों की व्यवस्था करती है; राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी स्वशासी ज़िले का गठन या उसमें परिवर्तन करता है, और प्रत्येक ज़िले का शासन अधिकतम 30 सदस्यों की ज़िला परिषद के हाथ में होता है, जिनमें से चार तक राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होते हैं।
लद्दाख के लिए प्रस्तावित अनुच्छेद 371-K — भाग XXI में एक विशेष उपबंध	लद्दाख के लिए, जो 2019 के पुनर्गठन के बाद बिना विधानमंडल का संघ राज्यक्षेत्र है, केंद्र सरकार ने संविधान के भाग XXI (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) में एक नया अनुच्छेद 371-K जोड़ने का प्रस्ताव रखा है; किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए विशेष उपबंधों की दिल्ली वाली मिसाल संविधान (उन्हत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 239AA और 239AB में मिलती है।
State of Rajasthan v. Union of India (1977) — 'उभयचर' संघ	State of Rajasthan v. Union of India (1977) में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघवाद को "उभयचर" (amphibian) कहा: सामान्य समय में संघीय, पर आपातकाल में व्यवहार में एकात्मक बन जाने में सक्षम; अनुच्छेद 356 की सीमाओं पर S.R. Bommai (1994) के साथ इस लक्षण-वर्णन का प्रायः हवाला दिया जाता है।
अनुच्छेद 324(5) — मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ही भाँति हटाया जा सकता है	अनुच्छेद 324(5), अनुच्छेद 124(4) के साथ पढ़ने पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है — संसद के अभिभाषण द्वारा "सिद्ध कदाचार या असमर्थता"; अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश पर हटाया जा सकता है, और नियुक्तियाँ अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 [Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023] से शासित होती हैं।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 [Representation of the People Act, 1950] और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) होता है, जो प्रायः उप-मंडल मजिस्ट्रेट स्तर का होता है और अपने क्षेत्र की मतदाता सूची के लिए उत्तरदायी होता है; क्षेत्र में बूथ स्तर अधिकारी उसकी सहायता करते हैं; 1950 के अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार सूची तैयार करते समय किसी निर्वाचन अधिकारी द्वारा बिना उचित कारण के कर्तव्य-भंग करने वाला कोई भी कार्य या लोप दंडनीय अपराध है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C — दल	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 [Representation of the People Act, 1951] की धारा 29C प्रत्येक राजनीतिक दल से अपेक्षा करती है कि वह किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति या कंपनी से प्राप्त ₹20,000

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
₹20,000 से अधिक के चंदे की सूचना दें	से अधिक के प्रत्येक अंशदान की सूचना प्रपत्र 24A में निर्वाचन आयोग को दे; यह रिपोर्ट दाखिल करना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के अंतर्गत दल की आयकर छूट की शर्त है, इसीलिए कुल चंदा हमेशा घोषित चंदे से अधिक होता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24(4) — राज्य के सुरक्षा संगठनों को छूट	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 [Right to Information Act, 2005] की धारा 24(4) राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा अपने खुफिया और सुरक्षा संगठनों को अधिनियम से बाहर रखने की अनुमति देती है, किंतु धारा 24(5) के अनुसार ऐसी प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जानी चाहिए, और भ्रष्टाचार तथा मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी सूचना को बाहर नहीं रखा जा सकता; तमिलनाडु ने 21 सितंबर के अपने आदेश में इसी शक्ति के तहत लोक (विधि एवं व्यवस्था) विभाग को छूट दी थी, जिसे विरोध के बाद वापस ले लिया गया।
कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी — 90% की कसौटी	RBI के नियमों के अंतर्गत कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो अपनी शुद्ध परिसंपत्तियों का कम-से-कम 90% समूह कंपनियों की इक्विटी, अधिमान शेयरों, बॉन्डों, डिबेंचरों या ऋणों में रखती है; टाटा ट्रस्ट्स ने संचालन करने वाली कंपनियों को टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव दिया है ताकि ₹2 लाख करोड़ की शुद्ध परिसंपत्तियों में से ₹1.77 लाख करोड़ के समूह-निवेश के साथ वह 90% की सीमा से नीचे रहे और RBI के पैमाना-आधारित विनियमन (Scale-Based Regulation) ढाँचे के अंतर्गत CIC तथा उच्च स्तर की NBFC के वर्गीकरण से बच जाए।
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 का नियम 19A — न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 [Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957] का नियम 19A प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए कम-से-कम 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) रखना अनिवार्य करता है, जिसे सेबी लागू कराता है; सेबी ने एक कारोबारी समूह की चार सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध, दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के माध्यम से कथित MPS उल्लंघन की कार्यवाही का निपटारा कर दिया है।
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40B — प्रबंधन-व्यय पर सीमा	बीमा अधिनियम, 1938 [Insurance Act, 1938] भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को बीमाकर्ता के प्रबंधन-व्यय (EoM) पर सीमा तय करने की शक्ति देता है, जीवन बीमाकर्ताओं के लिए यह धारा 40B के अंतर्गत है; IRDAI ने प्रस्ताव रखा है कि पाँच वर्ष के क्रमिक मार्ग (glide path) में जीवन बीमाकर्ताओं को सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय के 12.5% की कंपनी-स्तरीय EoM सीमा तक लाया जाए, जो अभी लगभग 16% है।
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A और UPI व्यापारी शुल्क	सर्वोच्च न्यायालय ने ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी UPI भुगतानों पर सरकार की 0.4% व्यापारी छूट दर (MDR) को दी गई चुनौती पर नोटिस जारी किया है, जो ₹75,000 और उससे ऊपर के लेन-देन पर ₹300 पर सीमित है और 15 अक्टूबर, 2026 से देय है; याचिका भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 [Payment and Settlement Systems Act, 2007] की संशोधित धारा 10A को बिना मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रत्यायोजन के आधार पर चुनौती देती है, जबकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SU (अब आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 187) एक निश्चित कारोबार सीमा से ऊपर के व्यापारियों को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करती है।
पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 100 — पेटेंट वाली दवा का सरकारी उपयोग	पेटेंट अधिनियम, 1970 [Patents Act, 1970] की धारा 100 केंद्र सरकार, या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को पेटेंटधारक की सहमति के बिना “सरकारी प्रयोजनों के लिए” पेटेंट वाले आविष्कार का उपयोग करने देती है, जो धारा 84 और 92 के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस से भिन्न है; केरल उच्च न्यायालय ने 28 सितंबर को कहा कि अत्यधिक कीमत स्तन कैंसर की दो पेटेंट वाली दवाओं, एबेमासिक्लिब और रिबोसिक्लिब, के लिए धारा 100 के प्रयोग को उचित ठहरा सकती है, और केंद्र को देश भर से वहनीयता का आँकड़ा जुटाने का निर्देश दिया।
NEET-SS — एकमात्र सुपर-स्पेशियलिटी प्रवेश परीक्षा, जिसका संचालन NBEMS करता है	NEET-SS, DM, MCh और DrNB सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की एकमात्र प्रवेश परीक्षा है, जिसका संचालन राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) करता है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जबकि समग्र चिकित्सा शिक्षा का विनियमन NMC अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग करता है; 17 सितंबर को केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय का यह सुझाव मान लिया कि NEET-SS 2025 का अर्हता प्रतिशतक 50 से घटाकर 30 किया जाए, और तमिलनाडु का शासनादेश G.O. Ms. No. 462 के तहत 50% सेवार्त कोटा 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।
त्रिभाषा सूत्र — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और CBSE की तीसरी भाषा	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 त्रिभाषा सूत्र को लचीलेपन के साथ बनाए रखती है, जिसके अनुसार बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं में से कम-से-कम दो भारत की मूल भाषाएँ होनी चाहिए; सर्वोच्च न्यायालय ने 28 सितंबर को CBSE को निर्देश दिया कि कक्षा 7 से 9 को दी गई छूट कक्षा 6 तक बढ़ाई जाए, जिसके अनुसार तीसरी भाषा का मूल्यांकन केवल स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन से होता है और उसका कक्षा 10 के बोर्ड परिणाम से कोई उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण संबंध नहीं है।
चार श्रम संहिताएँ और ‘श्रम संवाद’ अभियान	भारत के 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित किया गया है — मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य-स्थिति संहिता, 2020; श्रम मंत्रालय ने 28 सितंबर को ‘श्रम संवाद’ शुरू किया, जो 90 दिनों में सभी 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के 316 ज़िलों के औद्योगिक समूहों को कवर करने वाला जागरूकता अभियान है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
H-1B — 85,000 की वार्षिक सीमा	अमेरिका नए H-1B कुशल-कामगार वीजा पर प्रति वर्ष 85,000 की सीमा लगाता है — 65,000 सामान्य सीमा के अंतर्गत और 20,000 अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर्स या उच्चतर उपाधि रखने वालों के लिए आरक्षित — और लॉटरी मार्च-अप्रैल में होती है; ET द्वारा उद्धृत USCIS के आंकड़ों के अनुसार सभी H-1B वीजाओं का 71% भारतीयों को मिलता है, और नई याचिकाओं पर अब \$100,000 का नया शुल्क तथा अधिक वेतन वालों के पक्ष में झुकी हुई लॉटरी की नई व्यवस्था लागू है।
WTO में EU का CBAM — भारत तृतीय पक्ष	यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM), जो इस्पात, एल्युमिनियम और सीमेंट जैसे आयातों में निहित कार्बन पर लगने वाला शुल्क है, 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी हुआ; WTO के विवाद निपटान निकाय ने इस पर रूस की चुनौती के लिए पैनल गठित करने पर सहमति दी है, और भारत उन 18 सदस्यों में है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और चीन भी हैं, जिन्होंने तृतीय-पक्ष अधिकार सुरक्षित रखे हैं, जबकि भारत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत अपनी कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना बना रहा है।
ताप विद्युत संयंत्र में कोयले का 'क्रांतिक' भंडार	कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के ईंधन भंडार को 'क्रांतिक' (critical) तब माना जाता है जब उसके पास उपलब्ध कोयला मानक भंडार के 25% से नीचे चला जाए — यानी वह मात्रा जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ताप संयंत्रों से निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए परिसर में रखने को कहता है; ET के अनुसार कोयला-उत्पादक क्षेत्रों में बारिश से कोयले की ढुलाई बाधित होने के कारण भंडार में तीव्र गिरावट आई है।
तटरक्षक अधिनियम, 1978 और समुद्र में तेल-रिसाव से निपटना	भारतीय तटरक्षक बल, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तटरक्षक अधिनियम, 1978 [Coast Guard Act, 1978] से गठित है, राष्ट्रीय तेल-रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना के तहत भारतीय जलक्षेत्र में समुद्री तेल-रिसाव की प्रतिक्रिया का केंद्रीय समन्वयक प्राधिकारी है; उसने इंजन विफल होने और गिट्टी-टकी में पानी भरने के बाद बेलीज़-ध्वज वाले टैंकर MT Seagull 9 को, जिसमें 9,000 टन पाम तेल था, पारादीप से लगभग 37 समुद्री मील पूर्व-दक्षिण-पूर्व में बचाया और संभावित रिसाव से निपटने के लिए प्रदूषण नियंत्रण पोत तैनात किया।
कलादान परियोजना और म्यांमार का रखाइन राज्य	कलादान बहु-माध्यम पारगमन परिवहन परियोजना कोलकाता को समुद्र के रास्ते म्यांमार के रखाइन राज्य के सित्तवे बंदरगाह से जोड़ती है, फिर कलादान नदी से चिन राज्य के पलेत्वा तक और सड़क से मिज़ोरम तक; अराकान आर्मी के बड़े नियंत्रण वाले रखाइन में क्यूकताव के एक बाज़ार पर सैन्य हवाई हमले में 33 लोग मारे गए, यह उस गृहयुद्ध के बीच हुआ जो 2021 के तख्तापलट से शुरू हुआ था।
गवाह संरक्षण — 2018 की योजना और सोहराबुद्दीन मामले की अपील	Mahender Chawla v. Union of India (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने गवाह संरक्षण योजना, 2018 को मंजूरी देकर संसद के कानून बनाने तक उसे बाध्यकारी बना दिया, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 398 प्रत्येक राज्य से गवाह संरक्षण योजना अधिसूचित करने की अपेक्षा रखती है; न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सभी 22 अभियुक्तों को बरी किए जाने के विरुद्ध याचिका पर नोटिस जारी किया है, यह ध्यान में रखते हुए कि 92 गवाह मुकर गए थे।
यातायात अपराधों का इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन — मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [Motor Vehicles Act, 1988] की धारा 136A, जो 2019 के संशोधन से जोड़ी गई, सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन का प्रावधान करती है और ई-चालान का कानूनी आधार है; न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुझाव दिया कि राज्य बकाया ई-चालान को बिजली के बिलों में जोड़ें और जुर्माना चुकाए जाने तक पंजीकरण नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण और फिटनेस प्रमाणपत्र रोक दें।
जसवंत सिंह रावत और 1962 का नूरानांग का युद्ध	गढ़वाल राइफलर्स की चौथी बटालियन के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत 1962 के युद्ध में तत्कालीन नेफा (अब अरुणाचल प्रदेश) के नूरानांग के युद्ध में चीनी सेना से लड़ते हुए शहीद हुए और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का युद्धकाल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है; जसवंत गढ़ युद्ध स्मारक तवांग से लगभग 24-25 किमी दूर है, और पौड़ी गढ़वाल में उनका पैतृक घर संग्रहालय बनने जा रहा है।
पाकिस्तान का पहला अंतरिक्ष यात्री और चीन का तियांगोंग	दो पाकिस्तानी पायलट बीजिंग के चाइना एस्ट्रोनॉट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनमें से एक चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर "पेलोड विशेषज्ञ" के रूप में जाने वाला पहला विदेशी अंतरिक्ष यात्री बनेगा; यह मिशन 2019 में पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी SUPARCO के साथ परिकल्पित हुआ था; तियांगोंग के तीन मॉड्यूल — तियानहे कोर तथा वेनतियान और मंगतियान प्रयोगशाला मॉड्यूल — का वजन लगभग 77 टन है, और एक पाकिस्तानी रोवर को लगभग 2028 में चीन के चांगई 8 चंद्र मिशन के साथ भेजा जाना है।
सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXI नियम 54 — केरल में 'ढोल पीटकर' कुर्की की प्रथा समाप्त	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 [Code of Civil Procedure, 1908] के आदेश XXI का नियम 54 डिक्ली के निष्पादन में अचल संपत्ति की कुर्की को नियंत्रित करता है, और उसके उप-नियम (2) में कुर्की की उद्घोषणा का प्रावधान था, जो परंपरागत रूप से ढोल पीटकर की जाती थी; केरल उच्च न्यायालय की नियम समिति ने, CPC की धारा 122 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को प्राप्त प्रक्रिया-नियम संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, ढोल पीटने वाला प्रावधान हटाने का निर्णय लिया है।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 29 सितंबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड A • 6 मिनट पठन (min read)

अफ़वाह को केवल विश्वास चाहिए; सत्य को प्रमाण देना पड़ता है।

विषय (Themes): सत्य और समाज • प्रौद्योगिकी और नैतिकता • भरोसे की संस्थाएँ

1857 के आरंभ में बंगाल सेना की छावनियों में एक बात फैल रही थी। नई एनफ़ील्ड राइफल के कारतूस, जिन्हें सिपाही को दाँत से काटकर खोलना पड़ता था, कथित रूप से गाय और सूअर की चर्बी से चिकनाए गए थे। अधिकारियों ने पहले इसका खंडन किया, फिर चिकनाए कारतूस वापस ले लिए और सिपाहियों को स्वयं चिकनाई लगाने की अनुमति दे दी। पर इससे कुछ नहीं बदला। जब तक सफ़ाई पहुँची, मंगल पांडे बैरकपुर में अपने अफ़सरों पर गोली चला चुके थे और मेरठ की रेजिमेंटें विद्रोह कर चुकी थीं। बाद में इतिहासकारों ने पाया कि वह बात पूरी तरह झूठी भी नहीं थी: पशु-चर्बी का उपयोग हुआ था, और किसी ने यह पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी कि वह किस पशु की है। यह ब्योरा महत्त्वपूर्ण है। अफ़वाह इसलिए नहीं जीती कि वह गढ़ी गई थी; वह इसलिए जीती कि सिपाही पहले से ही कंपनी पर अविश्वास करते थे, और कंपनी ने उन्हें अपने खंडन पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं दिया था।

यह निबंध तर्क देता है कि अफ़वाह और सत्य की होड़ स्वभाव से ही असमान है। अफ़वाह को बस एक ऐसा श्रोता चाहिए जो उसे मानने को पहले से तैयार हो; सत्य को साक्ष्य, समय और एक ऐसा साक्षी चाहिए जिस पर लोग भरोसा करें। हम सत्य को झूठ जितना तेज़ नहीं बना सकते, और ऐसा करने के लिए राज्य को 'सत्य का निर्णायक' बना देना भी उचित नहीं होगा। समाज जो कर सकता है, वह यह है कि संकट से पहले ही साक्षी तैयार करे: ऐसी संस्थाएँ जिनकी बात पर भरोसा हो, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जो ख़तरनाक सामग्री की रफ़्तार धीमी करें, और ऐसे नागरिक जिन्होंने प्रमाण माँगना सीख लिया हो।

अफ़वाह को इतना कम क्यों चाहिए? क्योंकि उसका अधिकांश प्रमाण सुनने वाला स्वयं जुटा देता है। शेक्सपियर के 'ऑथेलो' में इआगो डेसडेमोना की बेवफ़ाई का कोई प्रमाण नहीं देता; वह बस एक रुमाल और एक इशारा देता है, और बाक़ी काम ऑथेलो की ईर्ष्या कर देती है। शेक्सपियर ने यह बात ठीक-ठीक कही है: "Trifles light as air / Are to the jealous confirmations strong / As proofs of holy writ", अर्थात् ईर्ष्यालु मन के लिए हवा-सी हल्की बातें भी धर्मग्रंथ के प्रमाण जितनी पक्की हो जाती हैं। 21 सितंबर 1995 को ख़बर उड़ी कि गणेश की प्रतिमाएँ दूध पी रही हैं, और एक ही दिन में यह बात पूरे भारत और विदेश के मंदिरों तक फैल गई। वैज्ञानिकों ने टेलीविज़न पर समझाया कि पृष्ठ तनाव और केशिका क्रिया के कारण चम्मच का दूध खिंच जाता है; व्याख्या सही थी, पर वह चमत्कार की तुलना में बहुत धीमे चली। सोरौश वोसूधी, डेब रॉय और सिनान अराल का अध्ययन, जो 2018 में 'साइंस' पत्रिका में छपा, ट्विटर की लगभग 1,26,000 ख़बरों की जाँच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि असत्य "farther, faster, deeper, and more broadly than the truth" फैलता है, यानी सत्य से अधिक दूर, अधिक तेज़, अधिक गहराई तक और अधिक व्यापक रूप से। इसका मुख्य कारण स्वचालित खाते नहीं थे, बल्कि लोग थे, जो नई, चौंकाने वाली और डराने वाली बातें आगे बढ़ाते हैं।

प्रौद्योगिकी ने मनोविज्ञान नहीं बदला; उसने लागत बदल दी है। जुलाई 2018 में महाराष्ट्र के धुले ज़िले के राइनपाड़ा गाँव में पाँच लोगों को पीट-पीटकर मार डाला गया, क्योंकि व्हाट्सऐप पर बच्चे उठाने वाले गिरोहों की चेतावनियाँ घूम रही थीं। वे संदेश झूठे थे, और उस वर्ष देश भर में ऐसे ही हमलों में बीस से अधिक लोग मारे गए। व्हाट्सऐप ने इसके जवाब में यह सीमा लगाई कि कोई संदेश कितनी चैट में आगे भेजा जा सकता है। आज जालसाज़ी भद्दे संदेश तक सीमित नहीं, वह वीडियो बन चुकी है। उज्जैन में और पंजाब के दो विश्वविद्यालयों में AI से बनी क्लिपों और असत्यापित संदेशों ने अभी-अभी भीड़ को पुलिस के और एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। इसी समस्या का एक शांत रूप जनरेटिव छवि-मॉडलों में दिखता है। वे ऐसे अभिलेखागार पर प्रशिक्षित हैं जिसमें 1980 के दशक की तस्वीरें अधिकतर विशेषाधिकार-संपन्न वर्ग ने खींची थीं, इसलिए वे एक ऐसा अतीत रचते हैं जो सवर्ण और शहरी दिखता है। जो मशीन हमारे पूर्वाग्रह आत्मसात कर लेती है और उन्हें तटस्थ तथ्य की तरह लौटाती है, वह अफ़वाह फैलाने का अत्यंत कुशल साधन बन जाती है।

इसके विपरीत, सत्य को एक साक्षी चाहिए, और साक्षी को भरोसा कमाना पड़ता है। 1998 में 'द लैंसेट' ने एंड्रयू वेकफ़ील्ड का एक शोध-पत्र छपा जिसमें MMR टीके को ऑटिज़्म से जोड़ा गया था। दूसरे वैज्ञानिकों के वर्षों के काम और पत्रकार ब्रायन डियर की खोजबीन के बाद ही 2010 में पत्रिका ने उसे वापस लिया। तब तक टीकाकरण की दरें गिर चुकी थीं और कई देशों में खसरा लौट आया था। महाभारत दिखाता है कि जब सबसे विश्वसनीय साक्षी का उपयोग झूठ के लिए होता है तो क्या होता है। युधिष्ठिर, जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे

कभी असत्य नहीं बोलते, ने कहा “अश्वत्थामा मारा गया” और धीमे स्वर में जोड़ा कि वह हाथी था। द्रोण ने शस्त्र रख दिए। कथा कहती है कि युधिष्ठिर का रथ, जो सदा भूमि से कुछ ऊपर चलता था, उसी क्षण धरती से जा लगा। न्यायालय, विज्ञान और स्वतंत्र प्रेस हमारे समय के ऐसे ही साक्षी हैं। उनका मूल्य इस विश्वास पर टिका है कि वे उपयोगी होने पर भी सत्य को नहीं मोड़ेंगे।

इसके विरुद्ध एक गंभीर तर्क है। अफ़वाह सदा झूठ नहीं होती। समाजशास्त्री तामोत्सु शिबुतानी ने अपनी पुस्तक ‘इम्प्रोवाइज़्ड न्यूज़’ (1966) में अफ़वाह को ऐसी ख़बर बताया जिसे लोग तब गढ़ लेते हैं जब आधिकारिक माध्यम चुप हों या उन पर भरोसा न हो। सिपाहियों की अफ़वाह में आंशिक सत्य था। आपातकाल में, जब जून 1975 से अख़बारों पर सेंसर लगा, बहुत से भारतीय बीबीसी और मुँहजबानी ख़बरों पर निर्भर रहे, और उनमें से अधिकांश सही थीं। सच बताने वाले भी चूकते हैं: यह कहानी कि 1938 में ऑरसन वेल्स के रेडियो नाटक ‘द वॉर ऑफ़ द वर्ल्ड्स’ से पूरे अमेरिका में भगदड़ मच गई थी, उन्हीं अख़बारों ने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर छापी थी। जो समाज अफ़वाह को मिटाने निकलता है, वह प्रायः असहमति को मिटाकर लौटता है। इसीलिए 2024 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के उस संशोधन को निरस्त कर दिया जो सरकार की तथ्य-जाँच इकाई को केंद्र सरकार से जुड़ी सामग्री को झूठा घोषित करने का अधिकार देता था। निर्णायक मत देने वाले न्यायाधीश ने उस प्रावधान को अस्पष्ट और अभिव्यक्ति पर डरावना असर डालने वाला माना। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ‘ऑन लिबर्टी’ (1859) में लिखा था: “He who knows only his own side of the case, knows little of that”, यानी जो केवल अपना पक्ष जानता है, वह उसे भी कम ही जानता है। जो राज्य अपने नागरिकों के लिए तय करता है कि सत्य क्या है, वह उनसे स्वयं तय करने का अभ्यास छीन लेता है।

यह आपत्ति निबंध के तर्क को खंडित नहीं करती; वह समाधान की रूपरेखा तय करती है। अफ़वाह का उत्तर कोई ‘सत्य मंत्रालय’ नहीं, बल्कि भरोसेमंद सत्य की बेहतर आपूर्ति है। पहला, सार्वजनिक संस्थाएँ समय रहते और साफ़ शब्दों में बोलें, क्योंकि चुप्पी ही अफ़वाह को जगह देती है; जो ज़िला प्रशासन बुलडोज़र आने से पहले सड़क-चौड़ीकरण की योजना और उसके कारण सार्वजनिक कर देता है, वह जाली वीडियो के लिए कम जगह छोड़ता है। दूसरा, प्लेटफ़ॉर्म सेंसरशिप के बिना भी रुकावट पैदा कर सकते हैं: फ़ॉरवर्ड करने की सीमा, कृत्रिम मीडिया पर स्पष्ट लेबल, और हिंसा भड़काने वाली सामग्री को विधि के अनुसार शीघ्र हटाना, जिसकी अनुमति श्रेया सिंघल (2015) का निर्णय देता है। तीसरा, AI प्रणालियाँ बनाने वालों से अपेक्षा हो कि वे स्वयं को प्रमाणित करने के बजाय जाति और लिंग संबंधी पूर्वाग्रह का ऑडिट कराएँ। चौथा, और सबसे टिकाऊ, है शिक्षा। फ़िनलैंड ने मीडिया साक्षरता को अपने विद्यालयी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है, और उसके नागरिक भ्रामक सूचना के प्रति यूरोप में सबसे अधिक प्रतिरोधी पाए जाते रहे हैं। जो नागरिक आदतन पूछता है “हम यह कैसे जानते हैं?”, वही एकमात्र तथ्य-जाँचकर्ता है जो अफ़वाह की गति से काम कर सकता है।

1857 में कंपनी के खंडन इसलिए विफल नहीं हुए कि वे देर से आए, बल्कि इसलिए कि सुनने वालों के पास उन पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं था। असली सबक यही है। सत्य अफ़वाह से दौड़ नहीं जीत सकता; उसे पहले से तैयार रहना होता है। उसे ऐसे साक्षी चाहिए जिन्होंने संकट से पहले भरोसा कमाया हो, और ऐसे नागरिक चाहिए जो प्रमाण की अपेक्षा रखते हों। अफ़वाह केवल विश्वास माँगती है। लोकतंत्र को अपनी संस्थाओं से भी और स्वयं से भी इससे अधिक माँगना होगा।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): AI से बने फ़र्ज़ी वीडियो और असत्यापित संदेशों से उज्जैन में झड़पें और पंजाब के दो विश्वविद्यालयों में हिंसा - AI छवि-मॉडल जातिगत पूर्वाग्रह दोहराते हैं, जबकि भारत के AI नियम स्वैच्छिक संहिताओं और स्व-प्रमाणन पर टिके हैं

निबंध (ESSAY) 2 • निबंध • खंड B • 6 मिनट पठन (min read)

अभाव संघर्ष पैदा नहीं करता; वह दिखाता है कि हम बाँटते कैसे हैं।

विषय (Themes): संसाधन और न्याय • संघवाद और जल • खाद्य सुरक्षा

1943 में शांतिनिकेतन में एक नौ वर्ष का बालक भूख से बेहाल लोगों को कलकत्ता की ओर जाते हुए देख रहा था। लगभग चार दशक बाद, एक अर्थशास्त्री के रूप में, अमर्त्य सेन बंगाल के उस अकाल के आँकड़ों की ओर लौटे, जिसमें लगभग तीस लाख लोग मरे थे। 'पॉवर्टी ऐंड फ़ैमिन्स' (1981) में उन्होंने दिखाया कि 1943 में बंगाल में उपलब्ध खाद्यान्न असाधारण रूप से कम नहीं था। वह 1941 से अधिक था, जब कोई अकाल नहीं पड़ा था। जो ढहा था, वह था खेतिहर मज़दूरों, मछुआरों और कारीगरों की अनाज खरीदने की क्षमता, क्योंकि युद्धकाल में क्रीमतें उनकी मज़दूरी से कहीं तेज़ बढ़ीं, जबकि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि पहले कलकत्ता और युद्ध-प्रयासों को आपूर्ति मिले। वह अकाल केवल चावल की कमी से नहीं पड़ा था। वह इस बात से पड़ा था कि उपलब्ध चावल बाँटा कैसे गया।

अभाव प्रकृति का तथ्य है; मानसून विफल हो सकता है और नदी सूख सकती है। पर कोई कमी झगड़ा बनेगी, दंगा बनेगी या अकाल बनेगी, यह उसके बाँटवारे के नियमों पर निर्भर करता है। यह निबंध तर्क देता है कि अभाव एक परीक्षा की तरह काम करता है। वह तीन ऐसी बातें उजागर करता है जिन्हें समृद्धि ढक लेती है: क्या बाँटवारे के नियम कमी आने से पहले तय हो चुके थे, क्या सबसे कमज़ोर की रक्षा पहले होती है या सबसे मुखर को पहले मिलता है, और क्या बाँटने वाले पक्ष उन्हें दी गई सूचना पर भरोसा करते हैं। जहाँ ये तीनों हों, वहाँ दुर्लभ संसाधन भी शांति से बाँट जाता है। जहाँ ये न हों, वहाँ मामूली कमी भी संघर्ष में बदल जाती है।

नदियाँ इसे सबसे स्पष्ट दिखाती हैं। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा में बहती है, जिसका हीराकुड बाँध और डेल्टा उसी पर निर्भर हैं। दशकों तक दोनों राज्य बिना बड़ी कठिनाई के इसे साझा करते रहे। विवाद तब तीखा हुआ जब छत्तीसगढ़ ने ऊपरी धारा में बैराज बनाए, और वह सूखे वर्षों में सबसे अधिक चुभता है, जब ओडिशा को डर होता है कि हीराकुड तक कम पानी पहुँचेगा। 2018 में एक अधिकरण गठित हुआ, और अब दोनों राज्य सीधी वार्ता का प्रयास कर रहे हैं। कावेरी यही कहानी और लंबे समय में कहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु 1892 और 1924 के समझौतों के समय से इस पर झगड़ते रहे हैं। 2007 के अधिकरण-पंचाट और 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने सामान्य वर्ष के लिए हिस्से तय किए, पर 2016 और 2023 के उबाल कम वर्षा वाले वर्षों में आए, जब कमी बाँटने का कोई सहमत तरीका नहीं था। न्यायालय ने स्वयं पेयजल को सभी अन्य उपयोगों से ऊपर रखा, जो जल-विज्ञान का नहीं, न्याय का कथन है।

जहाँ नियम संकट से पहले मौजूद हों, वहाँ शत्रुओं के बीच भी अभाव सँभाला जा सकता है। 1960 की सिंधु जल संधि 1965 और 1971 के युद्धों के बाद भी बनी रही और छह दशक से अधिक चली, जब तक कि 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने उसे स्थगित नहीं कर दिया। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में आरोन वुल्फ़ के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में साझा नदियों पर दर्ज पारस्परिक व्यवहारों का अध्ययन कर पाया कि सहयोग संघर्ष से कहीं अधिक आम था। गाँवों ने भी यही दिखाया है। 1974 में विलासराव सालुंके ने पुणे ज़िले के सूखा-प्रवण नायगाँव में 'पानी पंचायत' शुरू की। एक साझा उद्बहन सिंचाई योजना का पानी परिवार की ज़मीन के आधार पर नहीं, परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर बाँटा गया, ताकि भूमिहीन परिवारों को भी हिस्सा मिले, और अधिक पानी पीने वाले गन्ने की अनुमति नहीं दी गई। पानी तब भी कम था, पर नियमों ने उसे बिना संघर्ष बाँटना संभव बना दिया।

अभाव उस बर्बादी को भी उजागर करता है जिसे समृद्धि छिपा लेती है। 'द ग्रेप्स ऑफ़ रैथ' (1939) में जॉन स्टाइनबेक कैलिफ़ोर्निया के उन किसानों का वर्णन करते हैं जो दाम ऊँचे रखने के लिए संतरे और आलू नष्ट कर रहे थे, जबकि प्रवासी मज़दूरों के बच्चे भूखे थे: "There is a crime here that goes beyond denunciation", यानी यहाँ एक ऐसा अपराध है जो निंदा की सीमा से परे है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 'फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024' का अनुमान था कि 2022 में एक अरब टन से अधिक भोजन बर्बाद हुआ, जबकि करोड़ों लोग भूखे रहे। भारत ने फ़सलोत्तर हानि की माप तो सुधारी है, पर दुकानों और घरों में होने वाली बर्बादी के बारे में वह अब भी कम जानता है। जिस वर्ष मानसून सामान्य से लगभग 12 प्रतिशत कम रहकर समाप्त हुआ हो और दालों के दाम एक महीने में दस प्रतिशत तक चढ़ गए हों, उस वर्ष गरीब परिवार खाना नहीं छोड़ता; वह सबसे पहले प्रोटीन छोड़ता है। कमी का बोझ उन पर पड़ता है जिनके पास कोई भंडार नहीं होता।

लाभों के बाँटवारे की परीक्षा भी इसी तरह होती है। खनन राज्य को राजस्व देता है, पर आसपास के गाँवों को धूल, विस्फोट और छिनी हुई ज़मीन देता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में 2015 के संशोधन से बने ज़िला खनिज फ़ाउंडेशन का उद्देश्य यही था कि उस संपदा का एक हिस्सा उन लोगों तक लौटे जो उसकी क्रीमत चुकाते हैं। अब CAG ने पाया है कि ओडिशा के फ़ाउंडेशन ने ₹2,578.73 करोड़ एक ऐसी श्रेणी में खर्च किए जिसे नियमों ने कभी बनाया ही नहीं। पैसा कम नहीं था; कमी उन लोगों की आवाज़ की थी जिनके लिए वह था। संविधान का अनुच्छेद 39(ख) राज्य से अपेक्षा करता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का

बँटवारा इस प्रकार हो “जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो”, और यह कर्तव्य तब सबसे अहम हो जाता है जब बाँटने को कम हो।

प्रतिपक्ष का तर्क सशक्त है। अभाव कभी-कभी अपने आप में भी संघर्ष पैदा करता है। जब जलाशय खाली हो, तो कोई भी सूत्र सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, और विद्वानों ने कई क्षेत्रों में लंबे सूखे को अशांति से जोड़ा है। न्याय के नाम पर राशनिंग का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा: भारत में मिट्टी के तेल, चीनी और सीमेंट पर नियंत्रणों ने काला बाज़ार और हेराफेरी को जन्म दिया, और फ्रेडरिक हायेक ने ‘द यूज़ ऑफ़ नॉलेज इन सोसाइटी’ (1945) में तर्क दिया कि क्रीमों में अभाव के बारे में ऐसी सूचना होती है जिसे कोई योजनाकार नहीं जुटा सकता। ये बातें सही हैं। पर वे यही दिखाती हैं कि पूर्ण अभाव दुर्लभ है, और जब वह आता है तो बँटवारे का तरीका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रीमों कुशलता से राशन करती हैं, पर वे यह सुनिश्चित नहीं कर सकतीं कि सबसे गरीब को भोजन मिले। सेन के बंगाल में बाज़ार चल रहे थे। उसमें कमी थी एक ऐसी सरकार की जो भूख से मरते लोगों के प्रति उत्तरदायी हो।

बँटवारे की वैधता इस पर भी निर्भर करती है कि त्याग बाँटा या नहीं। द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन में राशनिंग सब पर लागू थी, और बहुत से गरीब परिवारों ने युद्ध से पहले की तुलना में बेहतर भोजन पाया। 1965 में खाद्यान्न संकट और अमेरिकी गेहूँ की आपूर्ति पर दबाव के बीच लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में एक समय का भोजन छोड़ने का आग्रह किया और स्वयं भी ऐसा किया। लोग कमी को तब स्वीकार करते हैं जब वह न्याय से बाँटती दिखे, और तब आक्रोश करते हैं जब कुछ लोग उससे बचा लिए जाएँ। पश्चिम एशिया का युद्ध कच्चे तेल को महँगा कर रहा है और डीज़ल की राशनिंग हो रही है; ऐसे में जनता केवल यह नहीं पूछेगी कि ईंधन कितना है, बल्कि यह भी कि कम में काम चलाने को किससे कहा जा रहा है।

समाधान इसी से निकलते हैं। सूखे वर्ष के आने से पहले ही संकट-काल के बँटवारे के नियम तय हों, चाहे महानदी वार्ता हो या जलाशयों का प्रबंधन। आँकड़े सार्वजनिक हों, जलाशयों के स्तर से लेकर फ़ाउंडेशनों के खातों तक, ताकि हर पक्ष उसे बताई गई बात की जाँच कर सके। सबसे कमज़ोर की रक्षा पहले हो: उद्योग से पहले पेयजल, बड़े भूस्वामी से पहले भूमिहीन, ज़िला मुख्यालय से पहले खदान के पास का गाँव। सेन ने कहा था कि स्वतंत्र प्रेस वाले किसी कार्यशील लोकतंत्र में कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि जिन सरकारों को मतदाताओं और अखबारों का सामना करना पड़ता है, वे भुखमरी की अनदेखी नहीं कर सकतीं। हर कमज़ोर मानसून और हर दूर के युद्ध के साथ अभाव लौटेगा। वह यह तय नहीं करता कि हम लड़ेंगे या नहीं। वह केवल यह दिखाता है कि क्या हमने पहले से और सद्भाव के साथ यह तय किया है कि बाँटेंगे कैसे।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): महानदी विवाद पर ओडिशा-छत्तीसगढ़ बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह, राज्य अब सीधी वार्ता की ओर • CAG: ओडिशा के खनिज फ़ाउंडेशनों ने ₹2,578.73 करोड़ ऐसी श्रेणी में खर्च किए जिसे नियमों ने कभी बनाया ही नहीं • सूखे से रबी बुआई पर संकट, एक महीने में दालों के दाम 10% तक बढ़ें